एडिटोरियल

(संग्रह)

मई 2025

C-171/2, Block-A, Sector-15, Noida

641, Mukherjee Nagar, Opp. Signature View Apartment, New Delhi

21, Pusa Road, Karol Bagh New Delhi

Tashkent Marg, Civil Lines, Prayagraj, Uttar Pradesh

Tonk Road, Vasundhra Colony, Jaipur, Rajasthan

Burlington Arcade Mall, Burlington Chauraha, Vidhan Sabha Marg, Lucknow

12, Main AB Road, Bhawar Kuan, Indore, Madhya Pradesh

E-mail : care@groupdrishti.in

Phone: +91-87501-87501

अनुक्रम

- दिव्यांगजनों का सशक्तीकरण और वास्तविक समावेशन 3
- वैश्विक स्वास्थ्य नेतृत्व में भारत की युक्ति 7
- वायु प्रदूषण शमन हेतु डेटा प्रामाणिकता का महत्त्व 13
- भारतीय न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता 17
- गिग इकॉनमी की वास्तविकता 21
- भारत और पश्चिम एशिया 25
- भारत की रक्षा का आधुनिकीकरण 32
- भारत की वैश्विक उपस्थिति को आकार देते मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) 36
- सतत् कृषि के लिये कदन्न (मिलेट्स) 41
- HDR- 2025 और AI-संचालित मानव विकास 45
- एक न्यायसंगत और समावेशी वैश्विक व्यापार प्रणाली की ओर 51
- भविष्य के लिये कुशल कार्यबल हेतु कौशल विकास 58
- आर्थिक स्थिरता में पारिस्थितिकी की भूमिका 63
- भारत-अफ्रीका साझेदारी का विकास 68
- भारत के ऊर्जा भविष्य में इथेनॉल की भूमिका 73
- भारत-GCC आर्थिक और सामरिक संबंध 78
- भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास 83
- भारत का राजकोषीय संघवाद 88
- भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय गतिशीलता 93
- रसद दक्षता: भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति का आधार 97
- पूर्वोत्तर भारत: परिधि से केंद्र तक 103
- भारत में शहरी विकास पर पुनर्विचार की आवश्यकता 110
- बहुपक्षीय संस्थाओं का निर्माण – भारतीय दृष्टिकोण 115
- वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में भारत की स्थिति 120
- डिजिटल युग में डेटा गवर्नेंस 124
- भारत की साइबर सुरक्षा 129

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 — SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

दिव्यांगजनों का सशक्तीकरण और वास्तविक समावेशन

यह एडिटोरियल 21/04/2025 को द हिंदू में प्रकाशित "Enabling legislation: on Tamil Nadu Bills, persons with disabilities" पर आधारित है। इस लेख में दिव्यांगजनों के लिये स्थानीय निकायों में पदों को आरक्षित करने की दिशा में तमिलनाडु के अग्रणी कदम को रेखांकित किया गया है, जो प्रतीकात्मकता-से-वास्तविक समावेशन की ओर बदलाव को उजागर करता है।

तमिलनाडु का ऐतिहासिक कानून **स्थानीय शासन निकायों में** दिव्यांगजनों के लिये पदों की गारंटी देता है, जो दिव्यांग नागरिकों को **हाशिये की स्थिति से उठाकर सामुदायिक नेतृत्व की भूमिका** में लाकर समावेशी शासन में **एक क्रांतिकारी कदम का प्रतिनिधित्व** करता है। भारत में यह अब तक की पहली नीति है जो गरिमा और भागीदारी के लिये ऐसे उदाहरण स्थापित कर रही है जो **प्रतीकात्मक समावेशन से परे वास्तविकता** है। व्यापक भारतीय संदर्भ में, इसने अन्य राज्यों के लिये भी अनुकरण करने की एक प्रगतिशील मिसाल कायम की है, जो **समता, सशक्तीकरण और ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र** के संवैधानिक दृष्टिकोण को दृढ़ करती है।

भारत में दिव्यांगजनों के सक्रिय विकास के लिये प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

- **प्रमुख संवैधानिक प्रावधान:**
  - **अनुच्छेद 14 - समता का अधिकार:** विधि के समक्ष **समता का मौलिक अधिकार की गारंटी** तथा दिव्यांगजनों सहित सभी के लिये भेदभाव से सुरक्षा, समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करता है।
  - **अनुच्छेद 15 - भेदभाव का निषेध:** भेदभाव पर रोक लगाता है तथा राज्य को **दिव्यांगजनों के कल्याण के लिये विशेष प्रावधान** करने की अनुमति देता है।
  - **अनुच्छेद 16 - रोज़गार में अवसर की समानता:** सार्वजनिक **रोज़गार (सरकारी नौकरियों) में समान अवसर** प्रदान करता है और सरकारी क्षेत्रों में **दिव्यांगजनों के लिये नौकरी में आरक्षण** का प्रावधान करता है।
  - **अनुच्छेद 41 - श्रम और शिक्षा का अधिकार:** राज्य को **दिव्यांगजनों के लिये रोज़गार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता** प्रदान करने का निर्देश देता है, जो कल्याणकारी योजनाओं का आधार बनता है।
- **अन्य प्रावधान:**
  - **दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016:** दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 भारत में **दिव्यांगजनों के लिये कानूनी प्रावधानों की आधारशिला** है।
    - इसने **दिव्यांगता की परिभाषा का विस्तार** करते हुए इसमें **मानसिक रोग, ऑटिज़्म और सेरेब्रल पाल्सी जैसी 21 श्रेणियों को शामिल** किया।
    - इसमें सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित **सभी श्रेणियों में दिव्यांगजनों के लिये सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण** का प्रावधान है।
    - इसके अतिरिक्त, **सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में दिव्यांगजनों के लिये 5% आरक्षण** प्रदान किया जाता है।
  - **सुगम्य भारत अभियान:** वर्ष 2015 में प्रवर्तित **सुगम्य भारत अभियान** दिव्यांगजनों के लिये **सुलभ बुनियादी अवसंरचना, डिजिटल स्थानों और सेवाओं के निर्माण** पर केंद्रित है।
    - इस अभियान का उद्देश्य **सार्वभौमिक डिज़ाइन सिद्धांतों** को लागू करके सार्वजनिक परिवहन, भवनों और सरकारी वेबसाइटों को अधिक सुलभ बनाना है।
  - **दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (DDRS):** DDRS **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक प्रमुख योजना** है जो **दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (NGO) को अनुदान** प्रदान करती है।
    - यह योजना दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित गतिविधियों जैसे कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों को समर्थन देती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME | IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999:** इसका उद्देश्य ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रीटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के शिकार दिव्यांगजनों के कल्याण के लिये विशिष्ट सेवाएँ प्रदान करना है।

भारत में दिव्यांगजनों से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **शिक्षा और कौशल विकास में बाधाएँ:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 जैसी प्रगतिशील नीतियों के बावजूद, दिव्यांगजनों को सुलभ बुनियादी अवसंरचना की कमी, अपर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण और सामाजिक कलंक के कारण **शैक्षिक अपवर्जन का सामना** करना पड़ रहा है।
  - वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि **भारत में 5 से 19 वर्ष की आयु के दिव्यांग बच्चों में से 4 में से 1 या उससे अधिक ने कभी किसी शैक्षणिक संस्थान में भाग नहीं लिया है।**
    - शिक्षा में यह अंतर उन्हें **कुशल रोज़गार से वंचित** रखता है तथा गरीबी और हाशिये पर रहने के चक्र को जारी रखता है।
- **पर्याप्त रोज़गार अवसरों का अभाव: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016** जैसे विधायी प्रावधानों के बावजूद, **दिव्यांगजनों के लिये रोज़गार के अवसरों में अभी भी स्पष्ट अंतर** है।
  - **भेदभावपूर्ण नियुक्ति प्रथाएँ, कार्यस्थल पर अपर्याप्त सुविधाएँ** और सामाजिक कलंक **श्रम बाज़ार में उनकी भागीदारी में बाधा** डालते हैं।
  - NSS के हालिया आँकड़ों के अनुसार, **केवल 36% दिव्यांगजनों को रोज़गार** मिला हुआ है, तथा नौकरी पाने के लिये **पुरुषों (47%) के पास महिलाओं (23%) की तुलना में बेहतर अवसर** हैं।
- **अपर्याप्त पहुँच और बुनियादी अवसंरचना:** परिवहन से लेकर सार्वजनिक भवनों तक **सुलभ बुनियादी अवसंरचना की कमी** दिव्यांगजनों की **सामाजिक भागीदारी के लिये एक गंभीर बाधा** बनी हुई है।
  - यहाँ तक कि वर्ष 2015 में प्रवर्तित **सुगम्य भारत अभियान के बावजूद**, बुनियादी अवसंरचना अभी भी काफी हद तक दुर्गम बना हुआ है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
  - **दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग** की वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, दिव्यांगजनों के लिये भारत में केवल 3% इमारतें ही पूरी तरह से सुलभ पाई गईं।
    - यहाँ तक कि जहाँ वे न्याय की मांग करते हैं, वहाँ भी दिव्यांगजनों को अपवर्जन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि **न्यायालयों में प्राय: व्हीलचेयर, उचित रैम्प और सुलभ बुनियादी अवसंरचना का अभाव** होता है (जैसा कि **सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग** ने उल्लेख किया है)।
- **स्वास्थ्य देखभाल और पुनर्वास सेवाएँ:** दिव्यांगजनों के लिये पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और पुनर्वास तक पहुँच एक अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दा है।
  - यद्यपि **दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना** जैसी योजनाओं का उद्देश्य सहायता प्रदान करना है, तथापि अनेक दिव्यांगजन (विशेषकर गंभीर दिव्यांगता वाले) अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल प्रावधानों का सामना करते हैं।
  - हाल के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि भारत में जिन परिवारों में कोई दिव्यांग सदस्य है, उन्हें अपनी मासिक उपभोग व्यय का लगभग **5वाँ हिस्सा (20.32%) दिव्यांगता से जुड़ी आवश्यकताओं पर अपनी जेब से खर्च** करना पड़ता है।
- **सामाजिक कलंक और भेदभाव:** दिव्यांगजनों के प्रति **सामाजिक कलंक और नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण सबसे व्यापक चुनौतियों में से** हैं।
  - ये दृष्टिकोण कार्यस्थलों, शैक्षणिक संस्थानों और **सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव** के रूप में प्रकट होते हैं।
  - व्यापक सामाजिक मान्यता यह है कि **दिव्यांगता, अक्षमता के बराबर है, जो बहिष्कारवादी प्रथाओं को बढ़ावा** देती है।
  - उदाहरण के लिये, **दिव्यांग महिलाओं में उच्च बेरोज़गारी दर** यह दर्शाती है कि किस प्रकार **लैंगिक पूर्वाग्रह, दिव्यांगता के साथ मिलकर, उनके सामाजिक और आर्थिक अपवर्जन को और बदतर बना देते हैं।**
- **असमान सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सहायता: राष्ट्रीय दिव्यांगता कल्याण कोष** जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

के अस्तित्व के बावजूद, अपर्याप्त कार्यान्वयन और जागरूकता की कमी के कारण दिव्यांगजन प्राय: इन कार्यक्रमों से पूरी तरह लाभान्वित नहीं हो पाते हैं।

- यद्यपि **RPwD अधिनियम में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण** का प्रावधान है, **फिर भी इसका अनुपालन असंगत बना हुआ है,** विशेष रूप से निजी क्षेत्र में।
- **NSS के 76वें चरण के सर्वेक्षण** के अनुसार, **सरकार से समर्थन/सहायता पाने वाले दिव्यांगजनों का प्रतिशत सिर्फ 21.8%** था और 1.8% ने सरकार के अलावा अन्य संगठनों से समर्थन/सहायता प्राप्त की।

- **प्रौद्योगिकी और सहायक उपकरणों तक पहुँच में बाधाएँ:** सस्ती और **सुलभ सहायक प्रौद्योगिकियों का अभाव** दिव्यांगजनों के लिये एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है।
  - यद्यपि तकनीकी नवाचार स्वतंत्रता को बढ़ा सकते हैं, फिर भी उनकी उपलब्धता दुर्लभ है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
  - नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, **10% से भी कम दिव्यांगजनों के पास आवश्यक सहायक उपकरणों तक पहुँच** है। इसके अलावा, 2.68 करोड़ से अधिक दिव्यांगजनों वाले देश में, इस समूह के लिये दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी के एकीकरण की कमी शिक्षा, रोज़गार और यहाँ तक कि सामाजिक सेवाओं तक उनकी पहुँच को सीमित करती है, जिससे मुख्यधारा के समाज से उनके अपवर्जन की स्थिति और गंभीर हो जाती है।
- **राजनीतिक और नागरिक जीवन में सीमित भागीदारी:** राजनीतिक समावेशन में हाल की प्रगति के बावजूद (जैसे: तमिलनाडु सरकार द्वारा स्थानीय निकायों में दिव्यांगजनों को नामांकित करने की पहल) **निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व कम** है।
  - शासन व्यवस्था में **पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं भागीदारी का अभाव** इस सीमांत समूह की चिंताओं और आवाज़ को कमज़ोर करता है।
  - **नागरिक और राजनीतिक क्षेत्रों** में उनकी सीमित भागीदारी के परिणामस्वरूप ऐसी नीतियाँ बनती हैं जिनमें **प्राय: उनकी आवश्यकताओं की अनदेखी** की जाती है।

भारत दिव्यांगजनों के सक्रिय सशक्तीकरण और समावेशन के लिये क्या उपाय अपना सकता है?

- **उन्नत सुगम्य अवसंरचना:** भारत को दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (CRPD) (2006) के आधार पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुगम्य अवसंरचना के निर्माण के लिये एक व्यापक एवं समान दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।
  - इसमें सार्वजनिक परिवहन, स्कूलों, सरकारी भवनों और कार्यस्थलों के लिये **सार्वभौमिक डिज़ाइन मानकों का कार्यान्वयन** शामिल है।
  - सरकार को **सभी सार्वजनिक स्थानों पर रैम्प, लिफ्ट, टैक्टाइल पाथवे और सुलभ शौचालयों का निर्माण अनिवार्य** बनाना चाहिये।
    - इसके अलावा, सुगम्यता कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये **नियमित रूप से सुगम्यता ऑडिट** आयोजित किया जाना चाहिये।
- **समावेशी शिक्षा प्रणाली:** यह सुनिश्चित करने के लिये कि दिव्यांग बच्चों को समान शिक्षा के अवसर मिलें, भारत को **सलामांका स्टेटमेंट का पालन करते हुए प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों पर समावेशी शिक्षा में निवेश** करना चाहिये।
  - इसमें **न केवल स्कूलों में भौतिक सुगम्यता बल्कि पाठ्यचर्या अनुकूलन,** शिक्षक प्रशिक्षण और सहायता सेवाएँ भी शामिल हैं।
  - सहायक प्रौद्योगिकियों और विशिष्ट शिक्षण विधियों को **एकीकृत करने के लिये स्कूलों को वित्तीय प्रोत्साहन** प्रदान करने के लिये **एक राष्ट्रीय नीति** स्थापित की जानी चाहिये
- **दिव्यांगता समावेशन के लिये निजी क्षेत्र की सहभागिता:** भारत को दिव्यांगजनों को नियुक्त करने के लिये निजी क्षेत्र के लिये सख्त अधिदेश स्थापित करने चाहिये, साथ ही **दिव्यांगता-समावेशी नियुक्ति प्रथाओं को अपनाने वाली कंपनियों के लिये स्पष्ट प्रोत्साहन** भी प्रदान करना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- यह **कर छूट, सब्सिडी और समावेशी कार्यस्थल** बनाने के लिये मान्यता कार्यक्रमों के माध्यम से व्यवसायों को प्रोत्साहित करके हासिल किया जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त, **सेवा के दौरान दिव्यांग हो चुके कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाला जाना चाहिये** तथा उन्हें **वैकल्पिक रोज़गार की पेशकश** की जानी चाहिये, जैसा कि **PwD अधिनियम की धारा 47 में अनिवार्य** है और *भगवान दास बनाम पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड (वर्ष 2003)* में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है।

- **व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास:** भारत को दिव्यांगजनों को विभिन्न उद्योगों, विशेषकर तेज़ी से **बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में आवश्यक तकनीकी कौशल** से प्रवीण करने के लिये अपने **व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार** करना चाहिये।
  - इन कार्यक्रमों को विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिये तथा इसमें **ऑनलाइन पाठ्यक्रम, प्रशिक्षुता कार्यक्रम और मार्गदर्शन** के अवसर शामिल होने चाहिये।
  - **सार्वजनिक-निजी भागीदारी** समावेशी व्यावसायिक कार्यक्रमों को डिज़ाइन करने में सहायक हो सकती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे सुलभ, प्रासंगिक हों तथा **शहरी एवं ग्रामीण दोनों प्रकार के दिव्यांगजनों के लिये उपयुक्त** हों।
- **विधिक और नीतिगत कार्यढाँचे को सुदृढ़ करना:** हालाँकि भारत ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के संबंध में प्रगति की है, फिर भी **अधिक सख्त प्रवर्तन तंत्र की तत्काल आवश्यकता** है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि **नीतियों का ज़मीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन** हो।
  - इसमें एक **समर्पित दिव्यांगता आयोग का गठन** करना शामिल है, जिसे **दिव्यांगता कानूनों के कार्यान्वयन की निगरानी करने, जाँच करने और गैर-अनुपालन के लिये दंड** लगाने का अधिकार होगा।
  - इसके अतिरिक्त, सरकारी एजेंसियों को **नियमित रूप से दिव्यांगजनों से संबंधित डेटा को अद्यतन करना चाहिये,** ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नीतियाँ वास्तविक-काल आधारित, व्यापक जानकारी पर आधारित हों।
- **दिव्यांग उद्यमियों के लिये समर्थन:** आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिये, भारत को **दिव्यांगों के लिये समर्पित उद्यमिता सहायता कार्यक्रम** स्थापित करना चाहिये।
  - इन कार्यक्रमों में **कम ब्याज दर पर ऋण, व्यवसाय विकास कार्यशालाएँ** तथा **सफल दिव्यांग उद्यमियों से मार्गदर्शन प्राप्त करना** शामिल हो सकता है।
  - इसके अलावा, **दिव्यांग उद्यमियों द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिये सरकार समर्थित प्लेटफॉर्म** बनाए जाने चाहिये, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि **उनके व्यवसायों को दृश्यता और मान्यता** मिले।
  - **दिव्यांग उद्यमियों के लिये स्वयं सहायता समूहों (SHG)** को प्रोत्साहित करने से समुदाय-संचालित व्यवसाय उद्यमों को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी।
    - **प्रीति श्रीनिवासन** (पूर्व राज्य स्तरीय क्रिकेटर, अब दिव्यांगता अधिकार कार्यकर्त्ता और सोलफ्री की सह-संस्थापक) **जैसे और अधिक रोल मॉडल को सुर्खियों में लाने** की आवश्यकता है।
    - **शार्क टैंक इंडिया का 'दिव्यांग स्पेशल' एपिसोड एक महत्त्वपूर्ण कदम** था।
- **सामाजिक जागरूकता और मनोवृत्ति परिवर्तन अभियान:** सरकार को दिव्यांगता के प्रति जनता के दृष्टिकोण को बदलने के लिये एक राष्ट्रीय अभियान शुरू करना चाहिये, जिसमें **दिव्यांगजनों की क्षमताओं को बढ़ावा देने और रूढ़िवादिता से लड़ने पर ध्यान** केंद्रित किया जाना चाहिये।
  - संवेदीकरण प्रशिक्षण को स्कूलों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाना चाहिये, जिसमें छोटी उम्र से ही समावेशन पर जोर दिया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **सहानुभूति और समझ की संस्कृति को बढ़ावा** देकर, भारत दिव्यांगजनों के साथ होने वाले **भेदभाव और कलंक** (जिसका सामना उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करना पड़ता है) **को समाप्त कर सकता है**। *"तारे ज़मीन पर'* एवं **'श्रीकांत'** जैसी फ़िल्मों को और बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

- **बेहतर स्वास्थ्य सेवा और पुनर्वास सेवाएँ:** दिव्यांगजनों के जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने के लिये, भारत को अधिक व्यापक स्वास्थ्य सेवा और पुनर्वास बुनियादी अवसंरचना का निर्माण करना चाहिये, जिसमें **विशेष चिकित्सा देखभाल, भौतिक चिकित्सा एवं मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच** शामिल हो।
  - सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि **स्वास्थ्य देखभाल के प्राथमिक और तृतीयक दोनों स्तरों पर पुनर्वास सेवाएँ उपलब्ध हों,** जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिये मोबाइल पुनर्वास इकाइयाँ भी शामिल हों।
  - इसके अतिरिक्त, **स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों में दिव्यांगजनों को भी शामिल किया जाना चाहिये,** जिसमें आवश्यक सहायक उपकरण और उपचार लागत को कवर किया जाना चाहिये, जिससे स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुँच हो सके तथा **दिव्यांग सदस्य वाले परिवार के जेब से होने वाले खर्च में कमी** आए।

निष्कर्ष:

तमिलनाडु की पहल **ज़मीनी स्तर पर दिव्यांगजनों को सशक्त बनाकर समावेशी लोकतंत्र की ओर एक आदर्श बदलाव** को दर्शाती है। यह संवैधानिक समता, "*Leave no one behind*" अर्थात् *कोई पीछे न रह जाए* की भावना और **दिव्यांगजनों की धारणा को विशेष रूप से सक्षम में बदलने की भारत की प्रतिबद्धता** को दर्शाता है। इस तरह के कदम सीधे तौर पर भागीदारी शासन और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देकर SDG10 (असमानताएँ कम करना) एवं SDG16 (शांति एवं न्याय और सशक्त संस्थाएँ) को आगे बढ़ाते हैं।

■■■

वैश्विक स्वास्थ्य नेतृत्व में भारत की युक्ति

यह एडिटोरियल 22/04/2025 को द हिंदू में प्रकाशित "Landmark agreement: On the draft WHO Pandemic Agreement" पर आधारित है। इस लेख में अंतिम रूप से तैयार WHO महामारी संधि को सामने लाया गया है, जो रोगजनकों की उचित जानकारी व सैंपल साझाकरण और उपचारों तक पहुँच सुनिश्चित करता है।

हाल ही में WHO महामारी संधि **के प्रस्ताव को अंतिम रूप** दिया जाना **वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन में एक महत्त्वपूर्ण क्षण** है। हालाँकि यह **शुरूआती कल्पना से अधिक सीमित** है, लेकिन यह समझौता महत्त्वपूर्ण **रोगजनकों की जानकारी व सैंपल साझाकरण और लाभ प्रणाली** स्थापित करता है जो **विकासशील देशों को उनके साझा सैंपल से प्राप्त उपचारों तक पहुँच की गारंटी** देता है। **भारत,** अपने मज़बूत दवा उद्योग, **ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधि** के रूप में कूटनीतिक प्रभाव और **स्वास्थ्य संकटों से निपटने के अनुभव के साथ, इस संधि को लागू करने एवं अधिक न्यायसंगत वैश्विक स्वास्थ्य नीति** को आयाम देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिये विशिष्ट है।

विश्व के समक्ष प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियाँ क्या हैं?

- **टीकों और चिकित्सा प्रति-उपायों तक असमान पहुँच: टीकों, निदान और उपचारों का असमान वितरण** (विशेष रूप से विकसित एवं विकासशील देशों के बीच) **एक महत्त्वपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दा** बना हुआ है।
  - वैश्विक प्रयासों के बावजूद, कई **निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों (LMIC)** को अभी भी आवश्यक **स्वास्थ्य उत्पादों तक पहुँच में विलंब** का सामना करना पड़ रहा है।
  - कोविड-19 महामारी के दौरान, 80% से अधिक टीके उच्च आय वाले देशों (वर्ष 2021) में लगाए गए, जबकि LMIC को पहुँच के लिये संघर्ष करना पड़ा।
- **रोगाणुरोधी प्रतिरोध का बढ़ता खतरा:** रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) तेज़ी से सबसे **गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरों में से एक** बनता जा रहा है, जो एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग एवं दुरुपयोग से और अधिक बढ़ गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- AMR के कारण '**सुपरबग्स' का विकास** होता है, जिनका मानक एंटीबायोटिक दवाओं से उपचार नहीं किया जा सकता, जिससे वैश्विक स्तर पर चिकित्सा उपचार की प्रभावशीलता को खतरा उत्पन्न हो जाता है।
- वर्ष 2030 तक, **रोगाणुरोधी प्रतिरोध 24 मिलियन लोगों को अतिनिर्धनता** के गर्त में ला सकता है। वर्तमान में, प्रत्येक वर्ष कम से कम 700,000 लोग दवा प्रतिरोधी बीमारियों के कारण मरते हैं

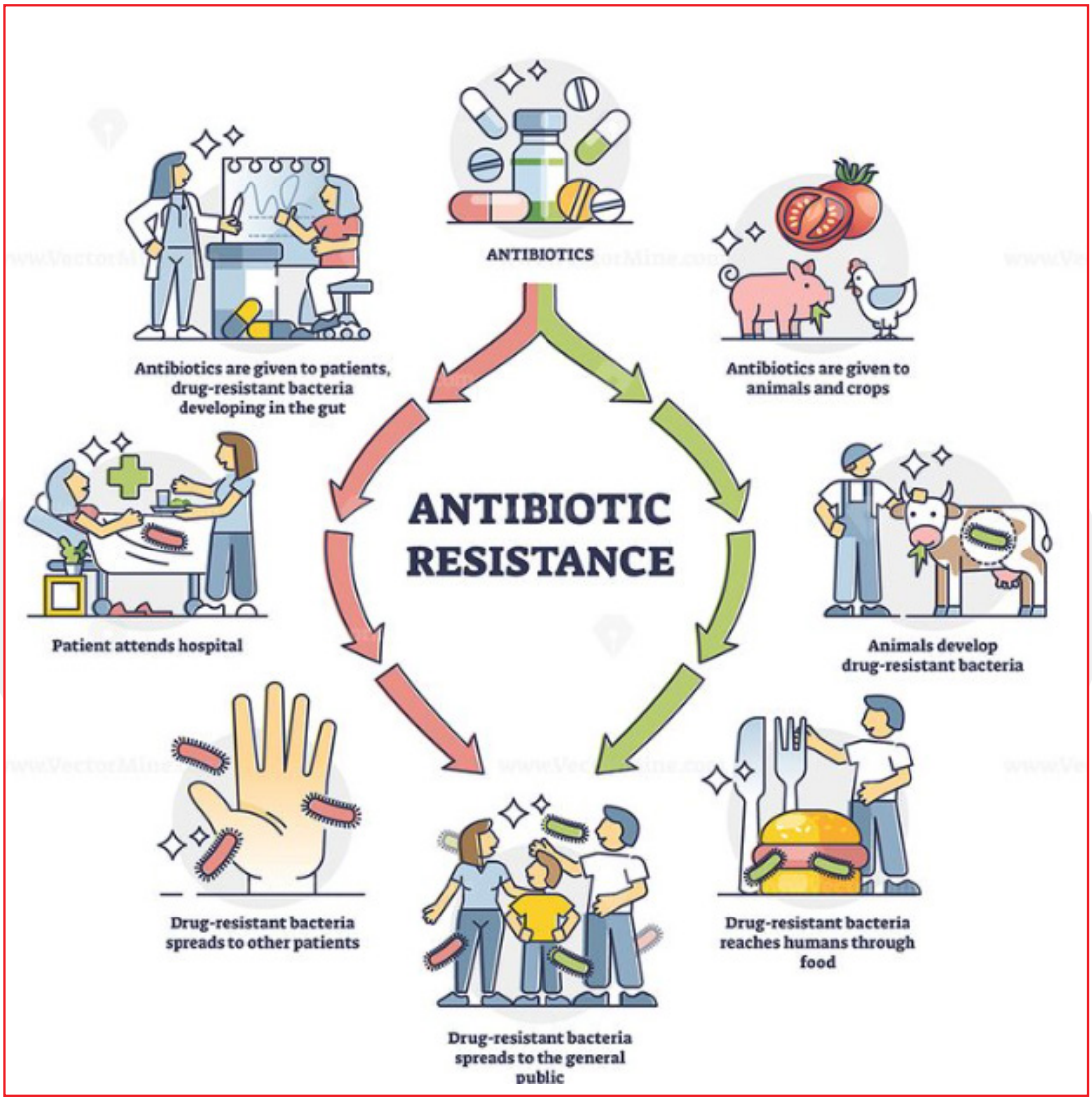

- **गैर-संचारी रोग और जीवनशैली-संबंधी स्वास्थ्य जोखिम:** हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर जैसे गैर-संचारी रोग (NCD) **वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे** हैं, जो **खराब आहार शैली, शारीरिक गतिविधि की कमी व तंबाकू के उपयोग** जैसे जीवनशैली कारकों के कारण बढ़ रहे हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- ये रोग **वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों पर भारी बोझ** डालते हैं (विशेष रूप से निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में) जहाँ रोकथाम और उपचार के लिये **पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी अवसंरचना का अभाव** है।
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, NCD के कारण प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर 71% मौतें होती हैं,** तथा इनमें से अधिकांश मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं।
  - **कोविड-19 महामारी ने NCD को और बढ़ा दिया** है, क्योंकि **जीवनशैली में व्यवधान** के कारण वैश्विक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ एवं अस्वास्थ्यकर आदतें बढ़ गई हैं।

जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव: जलवायु परिवर्तन को एक प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य खतरे के रूप में पहचाना जा रहा है, जिसमें **बढ़ते तापमान,** चरम मौसमी घटनाएँ **और पर्यावरणीय गिरावट** मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है।

- प्रत्यक्ष प्रभावों में प्रदूषण के कारण होने वाली श्वसन संबंधी बीमारियाँ और गर्मी से संबंधित बीमारियाँ शामिल हैं, जबकि अप्रत्यक्ष प्रभावों में **खाद्य असुरक्षा, जल की कमी एवं संक्रामक रोगों का प्रसार** शामिल है।
- शोध से पता चलता है कि **3.6 अरब लोग पहले से ही जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील** क्षेत्रों में रह रहे हैं।
  - वर्ष 2030 और 2050 के दौरान जलवायु परिवर्तन के कारण प्रति वर्ष लगभग 250,000 अतिरिक्त मौतें होने की आशंका है, जिनमें से **अधिकतर मौतें केवल कुपोषण, मलेरिया, डायरिया व तापजन्य तनाव के कारण** होंगी।

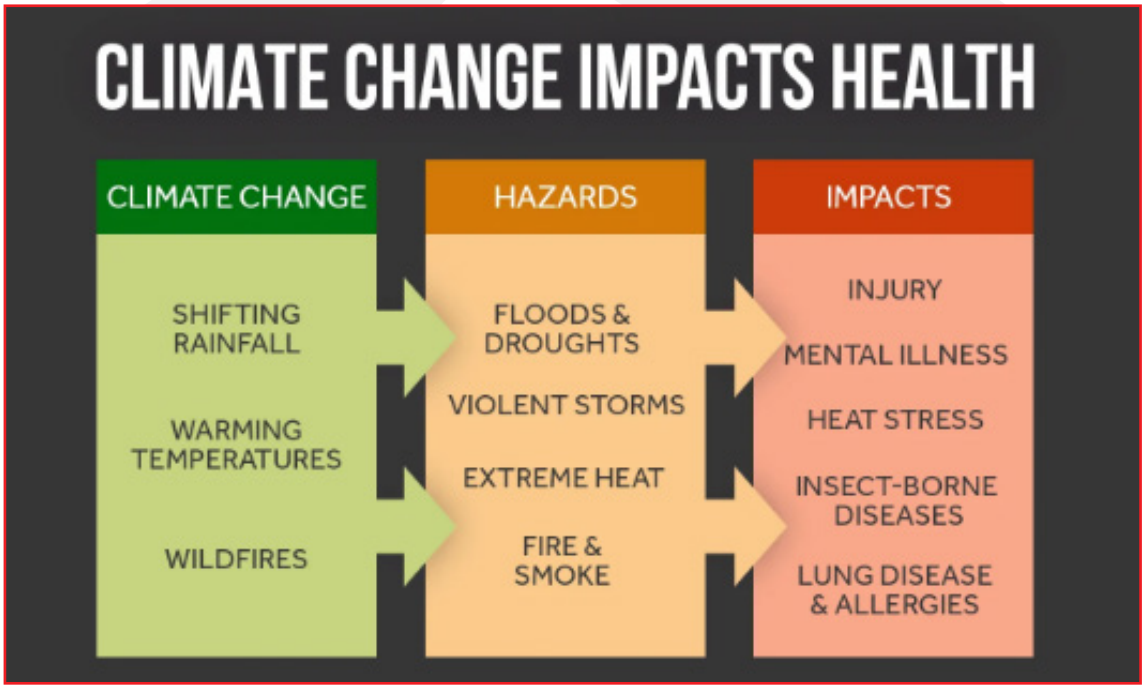

मानसिक स्वास्थ्य संकट: कोविड-19 महामारी के सामाजिक व आर्थिक प्रभावों से मानसिक स्वास्थ्य संकट और भी बढ़ गया है।

- **अवसाद और चिंता सहित** मानसिक स्वास्थ्य विकारों में वैश्विक वृद्धि ने विश्व भर में स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर दबाव डाला है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियों के एक भाग के रूप में **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता** हुई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- उदाहरण के लिये, WHO ने कोविड-19 महामारी के पहले वर्ष के दौरान **विश्व भर में चिंता और अवसाद में 25% की वृद्धि** की सूचना दी।
  - भारत में, राष्ट्रीय अध्ययनों से पता चलता है कि **भारत की 15% वयस्क आबादी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव करती है**, जिसके लिये उचित उपचार की आवश्यकता होती है। **ग्रामीण (6.9%)** की तुलना में **शहरी क्षेत्रों में यह प्रचलन अधिक (13.5%)** है।

- **स्वास्थ्य कार्यबल की कमी और प्रवास:** प्रशिक्षित **स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी** विश्व के कई हिस्सों में एक बड़ी चुनौती है, विशेष रूप से **ग्रामीण और कम सुविधा वाले क्षेत्रों में।**
  - **निम्न आय वाले देशों से उच्च आय वाले देशों में स्वास्थ्य सेवा कर्मियों का प्रवास** इस मुद्दे को और गंभीर बनाता है, जिससे बेहतर कार्यबल प्रशिक्षण, प्रतिधारण रणनीतियों एवं **स्वास्थ्य सेवा श्रम नीतियों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता** पर प्रकाश पड़ता है।
  - एक हालिया शोध में अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2020 में वैश्विक कार्यबल स्टॉक **29.1 मिलियन नर्स, 12.7 मिलियन मेडिकल डॉक्टर, 3.7 मिलियन फार्मासिस्ट** थे।

- **संक्रामक रोगों और उभरते रोगाणुओं का उदय:** उभरते संक्रामक रोग, जैसे कि हाल ही में **मंकी पॉक्स का प्रकोप** और **इबोला व ज़ीका** जैसी बीमारियों का निरंतर खतरा, वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली की कमज़ोरी को रेखांकित करते हैं।
  - इन रोगों के प्रसार को रोकने के लिये तैयारी, त्वरित प्रतिक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं, जिनके वैश्विक परिणाम हो सकते हैं।
  - उदाहरण के लिये, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2022 में **मंकीपॉक्स** को **अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (PHEIC)** घोषित किया है।
    - इसी प्रकार, वर्ष 2021 में **पश्चिम अफ्रीका में इबोला के फिर से उभरने से** सुदृढ़ वैश्विक निगरानी और रोकथाम प्रणालियों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

वैश्विक स्वास्थ्य प्रबंधन को नियंत्रित करने वाला वर्तमान संस्थागत कार्यढाँचा क्या है?

- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) कार्यढाँचा:** विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) वैश्विक स्वास्थ्य प्रबंधन की आधारशिला है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों का मार्गदर्शन करता है और स्वास्थ्य प्रतिक्रियाओं के समन्वय में नेतृत्व प्रदान करता है।
  - WHO के प्रमुख कार्यों में **अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानक निर्धारित करना, देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करना और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन की देखरेख करना** शामिल है।
- **वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंडा (GHSA):** GHSA एक वैश्विक पहल है (भारत इसका सदस्य है) जिसका उद्देश्य **संक्रामक रोगों के खतरों को रोकने, उनका पता लगाने और उनसे निपटने** के लिये देशों की क्षमताओं को प्रबल करना है।
  - इस एजेंडा में महामारी से बचाव के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों, निगरानी और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR) 2005:** विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शासित अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR) एक कानूनी रूप से बाध्यकारी कार्यढाँचा है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिये **वैश्विक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया को त्वरित एवं समन्वित बनाना** है।
  - IHR **संक्रामक रोगों के प्रकोप के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान की सुविधा** प्रदान करता है तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति देशों की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिये मानक निर्धारित करता है।
- **AIDS, तपेदिक और मलेरिया से लड़ने के लिये वैश्विक कोष:** वैश्विक कोष एक वैश्विक वित्तपोषण पहल है जिसे तीन प्रमुख संक्रामक रोगों: AIDS, तपेदिक और मलेरिया से लड़ने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  - यह कोष स्वास्थ्य प्रणालियों को मज़बूत करने, रोग की रोकथाम को बढ़ावा देने और उपचार कार्यक्रमों को समर्थन देने के लिये देशों के साथ साझेदारी करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **GAVI - वैक्सीन एलायंस: GAVI** या **वैक्सीन और टीकाकरण के लिये वैश्विक गठबंधन,** एक सार्वजनिक-निजी साझेदारी है जिसका उद्देश्य **निम्न आय वाले देशों में टीकाकरण की पहुँच बढ़ाना** है।
  - इसका मिशन सबसे कमज़ोर आबादी को जीवन रक्षक टीके उपलब्ध कराना है, जिससे विश्व भर में टीकों की पहुँच में असमानता कम हो सके।
  - GAVI सरकारों, विश्व स्वास्थ्य संगठन (**WHO**), **यूनिसेफ, विश्व बैंक और अन्य साझेदारों के साथ मिलकर टीकाकरण दरों में सुधार लाने के लिये काम करता है,** विशेष रूप से कम संसाधन वाले क्षेत्रों में।

वैश्विक स्वास्थ्य नीति को आयाम देने और इसे आगे बढ़ाने में भारत क्या भूमिका निभा सकता है?

- **महामारी से निपटने की तैयारी और प्रतिक्रिया में नेतृत्व:** भारत महामारी से निपटने की तैयारी और प्रतिक्रिया तंत्र को सुदृढ़ करके **वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन का नेतृत्व करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका** निभा सकता है।
  - चूँकि कोविड-19 विश्वमारी ने **वैश्विक समन्वय में अंतराल** को उजागर किया है, इसलिये **G20 और SCO में अपने नेतृत्व** के माध्यम से एक **मज़बूत और समन्वित प्रतिक्रिया** के लिये भारत अ प्रतिनिधित्व, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य रणनीतियों को आयाम देने में एक प्रमुख अभिकर्त्ता के रूप में स्थापित करती है।
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन और वैश्विक स्वास्थ्य कूटनीति को सुदृढ़ करना:** भारत एक अधिक समावेशी और सुधारित विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिये एक प्रमुख समर्थक के रूप में उभरा है, जो एक **चुस्त, उत्तरदायी स्वास्थ्य प्रशासन कार्यढाँचे की आवश्यकता** को रेखांकित करता है।
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन की **महामारी संधि के प्रति देश का समर्थन** तथा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों में सुधार के लिये उसके प्रयास, बहुपक्षीय, सहयोगात्मक दृष्टिकोण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं।
  - कोविड-19 के बाद **विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिये भारत के नौ सूत्री सुधार** प्रस्ताव में वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन प्रक्रियाओं को बढ़ाने के महत्त्व पर ज़ोर दिया गया।
- **दवाओं और टीकों तक समान पहुँच को बढ़ावा देना:** भारत की औषधीय क्षमता इसे **किफायती दवाओं तक वैश्विक पहुँच** सुनिश्चित करने में एक **महत्त्वपूर्ण आधारशिला** के रूप में स्थापित करती है।
  - अपने **सुदृढ़ जेनेरिक क्षेत्र का लाभ उठाकर,** भारत ने विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान, **टीकों सहित जीवन रक्षक दवाओं की वैश्विक आपूर्ति** को सुविधाजनक बनाया है।
  - भारत **वैश्विक वैक्सीन उत्पादन का 60 प्रतिशत हिस्सा** रखता है, जिससे यह **विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक** बन गया है।
    - **सीरम इंस्टीट्यूट** द्वारा **ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का उत्पादन**, निम्न और मध्यम आय वाले देशों (विशेषकर अफ्रीका और एशिया में) टीकों को उपलब्ध कराने में महत्त्वपूर्ण था।
- **वैश्विक स्वास्थ्य में पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा का एकीकरण:** भारत स्वास्थ्य नीति के लिये एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए पारंपरिक एवं आधुनिक चिकित्सा के बीच के अंतराल को समाप्त कर सकता है।
  - **आयुर्वेद, योग और अन्य पारंपरिक प्रथाओं की अपनी समृद्ध विरासत के साथ,** भारत ने मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के अंतर्संबंध को मान्यता देते हुए '**एक स्वास्थ्य (One Health)**' **की अवधारणा को बढ़ावा** दिया है।
    - यह **एकीकरण गैर-संचारी रोगों (NCD)** और उभरते स्वास्थ्य मुद्दों से निपटने में विशेष रूप से प्रासंगिक है।
  - फाइलेरिया जैसी **बीमारियों के पारंपरिक उपचार** के साथ-साथ **आयुष दिशानिर्देश वैश्विक स्वास्थ्य प्रथाओं में भारत के योगदान** को रेखांकित करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **डिजिटल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी को सुविधाजनक बनाना:** डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी अवसंरचना में भारत की प्रगति, विशेष रूप से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जैसी पहलों के माध्यम से, वैश्विक स्वास्थ्य नवाचार के लिये एक रूपरेखा प्रदान करती है।
  - **वैश्विक स्तर पर अपने ई-स्वास्थ्य समाधानों** को साझा करके, भारत अन्य देशों को उनकी **स्वास्थ्य सूचना विनिमय और टेलीमेडिसिन क्षमताओं को बेहतर बनाने में सहायता** कर सकता है।
    - **सार्वजनिक नीति में डिजिटल स्वास्थ्य** का एकीकरण भारत को तकनीक-सक्षम स्वास्थ्य प्रशासन में अग्रणी बनाता है।
  - भारत ने **CoWIN को विश्व के समक्ष** एक **'डिजिटल पब्लिक गुड'** के रूप में पेश किया और कहा कि वह अपनी **डिजिटल स्वास्थ्य विशेषज्ञता को साझा करने के लिये प्रतिबद्ध** है।
- **ग्लोबल साउथ के साथ सहयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सहयोग का विस्तार:** ग्लोबल साउथ में भारत की भूमिका, **दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा** देकर वैश्विक स्वास्थ्य नीति को आयाम देने की इसकी क्षमता को बढ़ाती है।
  - **भारत** मज़बूत कूटनीतिक संबंधों को बढ़ावा देता है और स्वयं को **समतामूलक स्वास्थ्य समाधानों के समर्थक** के रूप में स्थापित करता है।
  - भारत की **वैक्सीन मैत्री पहल** ने दक्षिण एशियाई और अफ्रीकी देशों को लाखों वैक्सीन खुराकें उपलब्ध कराईं, जिससे इन क्षेत्रों में भारत का प्रभाव मज़बूत हुआ।

निष्कर्ष:

असमानता, AMR और कार्यबल अंतराल जैसी लगातार चुनौतियों के बावजूद, विश्व में स्वास्थ्य शासन को नया रूप देने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। भारत अपनी **फार्मा शक्ति (औषधि शक्ति)**, **पारंपरिक ज्ञान (*आयुर्वेद*)** और **डिजिटल नवाचार** के साथ एक समावेशी, समुत्थानशील एवं न्यायपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था के निर्माण में **विश्व मित्र** के रूप में उभर सकता है। जैसे-जैसे विश्व में स्वास्थ्य शासन की पुन: कल्पना की जाती है, भारत की भूमिका रणनीतिक और दयालु दोनों होनी चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

वायु प्रदूषण शमन हेतु डेटा प्रामाणिकता का महत्त्व

यह एडिटोरियल 26/04/2025 को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित "Data dressing will not help in fight against pollution," पर आधारित है। इस लेख में वायु प्रदूषण से संबंधित डेटा हेरफेर के मुद्दे को उजागर किया गया है, जो नीति निर्माताओं और आम जनता दोनों को गुमराह कर सकता है। लेख में प्रदूषण के प्रभावी शमन में सटीक और व्यापक डेटा की आवश्यकता के महत्त्व को रेखांकित किया गया है।

भारत में **वायु प्रदूषण की समस्या** लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में **वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यढाँचे की रणनीतिक तैनाती** अब **जाँच के दायरे में** आ गई है। दिल्ली सरकार द्वारा आनंद विहार जैसे **उच्च प्रदूषण वाले क्षेत्रों के बजाय** JNU और दिल्ली छावनी जैसे **अपेक्षाकृत कम प्रदूषण और कम घनत्व वाले क्षेत्रों में छह नए सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (CAAQMS) स्थापित करने के निर्णय ने डेटा इंटीग्रिटी के संदर्भ में चिंताएँ** बढ़ा दी हैं। भारत में वायु प्रदूषण के कारण प्रत्येक वर्ष 1.67 मिलियन असामयिक मौतें होती हैं (लैंसेट, 2020), यह एडिटोरियल भारत के प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों के लिये पारदर्शी निगरानी के महत्त्व और प्रगति में बाधा डालने वाली चुनौतियों की जाँच को रेखांकित करता है।

भारत के वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यढाँचे में महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ क्या हैं?

- **निगरानी अवसंरचना की अनुचित स्थापना: कम प्रदूषण वाले क्षेत्रों में CAAQMS की स्थापना** से वायु गुणवत्ता की एक विषम तस्वीर बनती है, जो **ओखला (नोएडा) जैसे हॉटस्पॉट में प्रदूषण की गंभीरता** को छुपाती है।
  - यह **'डेटा ड्रेसिंग' न केवल नीति निर्माताओं को गुमराह करता है, बल्कि जनता का विश्वास भी समाप्त करता है,** क्योंकि प्रदूषित क्षेत्रों में नागरिकों को अनसुलझे स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है।
  - उदाहरण के लिये, **आनंद विहार का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) नवंबर 2023 में 426 तक** पहुँच गया, जबकि **दिल्ली छावनी में 172 दर्ज** किया गया, जो **असमानता को दर्शाता है।**
- **संस्थागत और तकनीकी सीमाएँ: 1,000 से अधिक स्टेशनों** के साथ भारत का वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क व्यापक है (CAAQMS की स्थापना और संचालन पर 1 करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता है) लेकिन इसे परिचालन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  - कई CAAQMS **बिजली कटौती या खराब रखरखाव के कारण डाउनटाइम से ग्रस्त** हैं, जिससे **डेटा विश्वसनीयता कम** हो जाती है।
  - दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति **(DPCC) को निगरानी का काम सौंपा गया** है, लेकिन उसके पास **कर्मचारियों की कमी** है। 30 मिलियन से अधिक की आबादी वाले शहर के लिये केवल कुछ ही पर्यावरण इंजीनियर हैं, जिससे **प्रवर्तन और उपकरणों के लिये अंशांकन प्रयास सीमित** हो रहे हैं।
- **सार्वजनिक सहभागिता का अभाव:** वायु गुणवत्ता आँकड़ों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता कम बनी हुई है तथा नागरिकों को AQI की व्याख्या करने या सुरक्षात्मक उपाय अपनाने के बारे में शिक्षित करने के लिये सीमित प्रयास किये गए हैं।
  - **सामुदायिक भागीदारी के बिना, NCAP जैसी पहलों को गति प्राप्त करने में कठिनाई** होती है। **सुलभ, रियल टाइम डेटा प्लेटफॉर्म की अनुपस्थिति** नागरिकों को प्रदूषण संकट से और भी दूर कर देती है, जिससे **अधिकारियों पर निर्णायक कार्रवाई करने का दबाव कम** हो जाता है।
- **भू-राजनीतिक और क्षेत्रीय कारक:** दिल्ली में **वायु प्रदूषण क्षेत्रीय कारकों से बढ़ जाता है,** जैसे कि **पंजाब और हरियाणा में पराली दहन**, जो सर्दियों के दौरान **PM2.5 में 24% का योगदान** देता है (IIT-K, 2024)।
  - ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में अपर्याप्त निगरानी के कारण सीमापार प्रदूषण से निपटने की क्षमता सीमित हो जाती है, जिससे **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के तहत समन्वित कार्रवाई जटिल** हो जाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

वायु प्रदूषण

- वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अनुसार, **'वायु प्रदूषण'** का अर्थ है— **वायुमंडल में किसी भी वायु प्रदूषक की उपस्थिति**। इसमें **कोई भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ** (जिसमें **ध्वनि भी** शामिल है) **ऐसी मात्रा में** सम्मिलित है, जो मनुष्यों, अन्य जीव-जंतुओं, वनस्पतियों, संपत्ति या पर्यावरण के लिये हानिकारक हो सकती है या होने की प्रवृत्ति रखती हो।

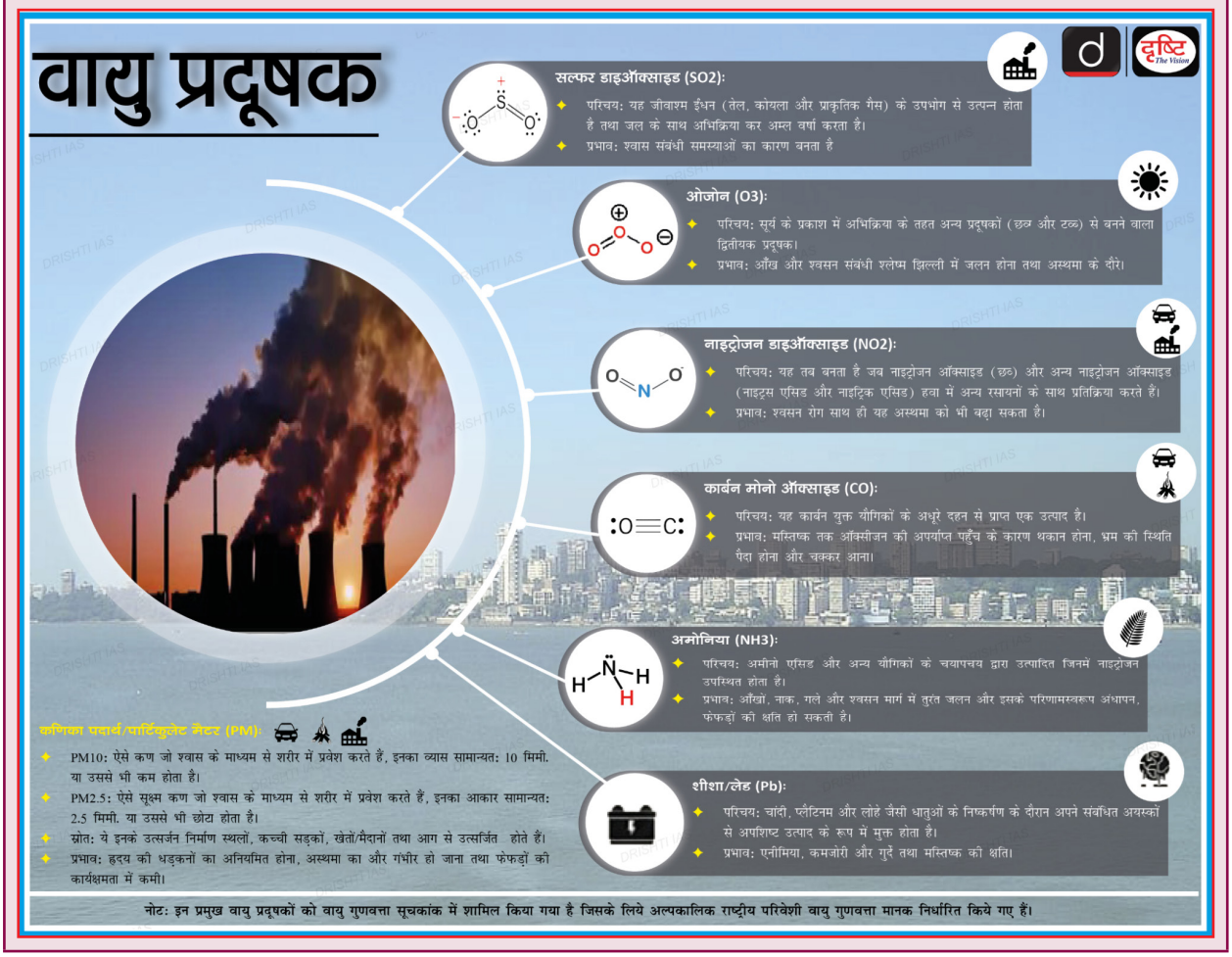

पारदर्शी वायु गुणवत्ता निगरानी का क्या महत्त्व है?

- **सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षण:** वायु प्रदूषण, विशेष रूप से **PM2.5, एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा** है, जो वर्ष 2009 से 2019 तक **प्रत्येक वर्ष लगभग डेढ़ मिलियन मौतों का कारण** बनता है (**लैंसेट**)।
  - **उच्च प्रदूषण वाले क्षेत्र** (जैसे: आनंद विहार) जहाँ **AQI प्रायः 400 से अधिक** होता है, वहाँ संवेदनशील आबादी– बच्चों, बुजुर्गों और निम्न आय वाले समुदायों को श्वसन एवं हृदय संबंधी जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **ऐसे क्षेत्रों में CAAQMS की रणनीतिक स्थापना** रियल टाइम डेटा प्रदान करती है, जिससे **एंटी-स्मॉग गन या यातायात नियंत्रण जैसे लक्षित हस्तक्षेप** संभव हो पाते हैं, जिससे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को कम किया जा सकता है।

- **साक्ष्य आधारित नीति निर्माण:** सटीक वायु गुणवत्ता डेटा प्रभावी पर्यावरणीय शासन की आधारशिला है। **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP),** जिसका लक्ष्य **वर्ष 2026 तक** (आधार वर्ष 2019-20) **पार्टिकुलेट मैटर को 40% तक कम करना** है, शहर-विशिष्ट कार्य योजनाओं को डिज़ाइन करने के लिये विश्वसनीय डेटा पर निर्भर करता है।
  - दिल्ली में देखा गया है कि **अनुचित स्थान पर स्थापित मॉनिटर AQI रीडिंग को विकृत कर देते हैं,** जिससे **ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) जैसी नीतियों को नुकसान** पहुँचता है तथा औद्योगिक या यातायात-भारी क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई में विलंब होता है।
- **आर्थिक दक्षता:** स्वास्थ्य देखभाल व्यय और उत्पादकता की हानि के कारण **वायु प्रदूषण के कारण भारत को प्रतिवर्ष सकल घरेलू उत्पाद का 3% नुकसान** होता है (विश्व बैंक, 2022)।
  - प्रत्येक **CAAQMS,** जिसकी **कीमत ₹1 करोड़ से अधिक** है, एक महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक निवेश का प्रतिनिधित्व करता है। **उच्च प्रदूषण वाले क्षेत्रों में इन्हें स्थापित करने से इनका प्रभाव अधिकतम** होता है, यह सुनिश्चित होता है कि **संसाधनों का उपयोग महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रदुषण शमन के लिये किया जाता है, न कि दिल्ली छावनी जैसे हरित क्षेत्रों से भ्रामक रूप से आशावादी डेटा उत्पन्न करने के लिये, जहाँ AQI प्राय: आनंद विहार से 100 अंक कम** होता है।

भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति और प्रभाव क्या है?

- **भारत में वायु प्रदूषण: IQAir** की [विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट- 2024](#) के अनुसार, **भारत 5वाँ सबसे प्रदूषित देश** है, जिसका औसत **PM2.5 स्तर 50.6 $\mu g/m^3$** है, जो **WHO की सुरक्षित सीमा (5 $\mu g/m^3$) से 10 गुना अधिक** है।
  - **दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी** बनी हुई है, जबकि **बर्नीहाट** (असम-मेघालय सीमा) **विश्व का सबसे प्रदूषित शहर** है।
  - **वैश्विक प्रदूषण सूची में भारत शीर्ष स्तर पर** है, जहाँ शीर्ष 10 में से 6 शहर तथा शीर्ष 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से 13 शहर भारत के हैं।
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, **विश्व स्तर पर 99% आबादी प्रदूषित हवा में साँस लेने को विवश है** तथा **निम्न और मध्यम आय वाले देश सबसे अधिक प्रभावित** हैं।
- **वायु प्रदूषण का प्रभाव:**
  - **स्वास्थ्य प्रभाव:** वर्ष 2021 में, **वायु प्रदूषण के कारण वैश्विक स्तर पर 8.1 मिलियन मौतें** हुईं, जिसमें **भारत** (2.1 मिलियन) **और चीन** (2.3 मिलियन) **सबसे अधिक प्रभावित हुए** (स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024)।
    - स्वास्थ्य प्रभावों में [श्वसन संक्रमण](#), **फुफ्फुस रोग,** [क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD)](#), **अस्थमा**, [हृदयाघात](#) और **जठरांत्र संबंधी समस्याएँ** शामिल हैं।
  - **आर्थिक हानि:** वायु प्रदूषण उत्पादकता को कम करके, स्वास्थ्य लागत में वृद्धि करके और परिसंपत्ति दक्षता को कम करके **GDP वृद्धि (3%) को कम करता है।**
  - **कम होती सौर दक्षता:** वायु प्रदूषण विकिरण को अवरुद्ध करके सौर ऊर्जा दक्षता को कम करता है, जबकि **बढ़ता तापमान** [फोटोवोल्टिक](#) **प्रदर्शन को कम करता है।**
    - वर्ष 2041-2050 तक **भारत की सौर पैनल दक्षता में 2.3% की गिरावट** आ सकती है, जिससे कम से कम 840 GWh बिजली की वार्षिक हानि होगी।
  - **पर्यावरणीय क्षरण:** वायु प्रदूषण **ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि करके जलवायु परिवर्तन को तीव्र करता है,** अम्लीय वर्षा और विषाक्त पदार्थों के निर्माण के माध्यम से **पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करता है तथा जैव-विविधता को खतरा** पहुँचाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- यह **अत्यधिक नाइट्रोजन संचय के कारण वनस्पति जगत को कमज़ोर बनाता है** तथा ओज़ोन प्रदूषण के कारण प्रकाश संश्लेषण को बाधित करके फसल की पैदावार को कम करता है।

भारत में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये क्या उपाय किये गए हैं?

- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)
- वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली (SAFAR) पोर्टल
- ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (दिल्ली के लिये)

वाहन प्रदूषण कम करने के लिये:

- BS-VI वाहन
- हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (FAME)
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)
- NCR में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

नोट: *एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ मामले* में, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के अधिकार को **संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मूल अधिकार के भाग के रूप में माना।**

वायु गुणवत्ता निगरानी को सुदृढ़ बनाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **CAAQMS की रणनीतिक स्थापना:** भारत को हॉटस्पॉट की पहचान करने के लिये GIS-आधारित प्रदूषण मैपिंग का उपयोग करके उच्च प्रदूषण वाले क्षेत्रों में **CAAQMS और अन्य वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरणों को स्थापित करने को प्राथमिकता** देनी चाहिये।
  - अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग करने से डेटा-संचालित साइट चयन सुनिश्चित हो सकता है, जिससे **निवेश की निगरानी का प्रभाव अधिकतम** हो सकता है।
- **संस्थागत क्षमता में वृद्धि:** DPCC और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (SPCB) **के लिये वित्त पोषण और स्टाफिंग में वृद्धि** करना महत्त्वपूर्ण है।
  - उन्नत निगरानी प्रौद्योगिकियों और डेटा एनालिसिस में प्रशिक्षण कार्यक्रम परिचालन दक्षता में सुधार ला सकते हैं तथा निरंतर डेटा गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकते हैं।
- **डेटा पारदर्शिता को बढ़ावा देना:** भारत को अपने **सार्वजनिक प्लेटफॉर्मों में सुधार** करना चाहिये और **प्रदूषण संबंधी आँकड़ों** (जैसे न्यायिक ग्रिड) **के लिये एक स्वतंत्र मंच** विकसित करना चाहिये, ताकि हेरफेर को रोकने के लिये **रियल टाइम, अनफिल्टर्ड AQI डेटा** प्राप्त हो सके।
  - **CPCB के समीर ऐप जैसी पहलों को** स्थानीय प्रदूषण अलर्ट प्रदान करने के लिये बढ़ाया जा सकता है, जिससे **नागरिकों को जवाबदेही की मांग करने में सशक्त बनाया जा सके।**
- **क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना: पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय** करने के लिये **CAQM के अधिदेश को सुदृढ़** करने से सीमापार प्रदूषण की समस्या का समाधान हो सकता है।
  - **किसानों को पराली दहन के विकल्प** (जैसे: पूसा डीकंपोज़र और बायोगैस के लिये बायोमास अपघटन) अपनाने के लिये प्रोत्साहन, साथ ही ग्रामीण निगरानी स्टेशनों की स्थापना, क्षेत्रीय असमानताओं से निपटने में सहायक हो सकती है।
- **प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाना: कम लागत वाले सेंसर नेटवर्क और उपग्रह-आधारित निगरानी को एकीकृत करके CAAQMS को पूरक** बनाया जा सकता है, जिससे वंचित क्षेत्रों तक कवरेज का विस्तार हो सकता है।
  - **AI-संचालित प्रदूषण पूर्वानुमान उपकरण** विकसित करने वाले **स्टार्टअप्स के साथ साझेदारी से पूर्वानुमान क्षमताओं में वृद्धि** हो सकती है तथा **सक्रिय हस्तक्षेप में सहायता** मिल सकती है।

निष्कर्ष

भारत के **वायु प्रदूषण शमन की दिशा में** सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा, साक्ष्य-आधारित नीतियों को आगे बढ़ाने और संसाधनों का अनुकूलन करने के लिये एक **सुदृढ़ एवं पारदर्शी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यढाँचे की आवश्यकता** है। उच्च प्रदूषण वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर, **संस्थागत क्षमता को बढ़ाकर और नागरिकों**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

को शामिल करके, भारत अपने **निगरानी प्रयासों को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लक्ष्यों के साथ** जोड़ सकता है। चूँकि **वायु प्रदूषण एक गंभीर चिंता का विषय** बना हुआ है, इसलिये यह मुद्दा सभी के लिये **श्वसन योग्य वायु सुनिश्चित करने हेतु एकीकृत शासन और तकनीकी नवाचार की आवश्यकता** को रेखांकित करता है।

■■■

भारतीय न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता

यह एडिटोरियल 04/05/2025 को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित "Towards fixing India's flailing justice system" पर आधारित है। इस लेख के तहत भारत की न्याय व्यवस्था में व्याप्त गहन संरचनात्मक दोषों को उजागर किया गया है, जो पुरानी रिक्तियों और संसाधनों की कमियों से ग्रस्त हैं।

भारत की न्याय प्रणाली संरचनात्मक रूप से संसाधनों की कमी के कारण दोषपूर्ण है, जहाँ पुलिस, न्यायपालिका और कारागारों में चार में से एक पद रिक्त है। **व्यस्त न्यायिक प्रक्रिया के कारण कारागारों में भीड़-भाड़** एक दशक में 18% से **बढ़कर 30% हो गई है,** जिसमें **76% कैदी दोषी नहीं बल्कि विचाराधीन** हैं। समय पर और न्यायसंगत न्याय सुनिश्चित करने के लिये भारत को अपनी **न्यायिक प्रणाली को सुधारने, संरचनात्मक अक्षमताओं को दूर करने तथा सभी स्तरों पर संस्थागत क्षमता बढ़ाने** के लिये **व्यापक सुधार की आवश्यकता** है।

भारत की न्याय प्रणाली का संस्थागत कार्यढाँचा क्या है?

- **सर्वोच्च न्यायालय:** अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित, सर्वोच्च न्यायालय **सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकरण** है और **संविधान का अंतिम व्याख्याकार** है।
  - यह **मूल** (अनुच्छेद 131), **अपीलीय** (अनुच्छेद 132-136) और **सलाहकार क्षेत्राधिकार** (अनुच्छेद 143) का प्रयोग करता है। इसमें **वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश** और **33 अन्य न्यायाधीश** शामिल हैं।
- **उच्च न्यायालय:** उच्च न्यायालय **अनुच्छेद 214-231 के तहत राज्य स्तर पर कार्य** करते हैं। उनके पास दीवानी मामलों और आपराधिक मामलों पर मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार है।
  - भारत में **25** उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से कुछ **एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को सेवाएँ** देते हैं।
- **अधीनस्थ न्यायालय:** जिला स्तर पर, **ज़िला एवं सत्र न्यायालय** (अनुच्छेद 233) न्यायिक प्रणाली की रीढ़ के रूप में कार्य करते हैं।
  - इनमें **ज़िला,** तालुका और महानगर स्तर पर दीवानी मामलों एवं आपराधिक मामलों की अदालतें शामिल हैं। न्यायिक रूप से **उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ होने के बावजूद,** उनका **प्रशासन राज्य सरकारों द्वारा प्रबंधित** किया जाता है।
- **पुलिस और कानून प्रवर्तन:** विधि और व्यवस्था सातवीं अनुसूची **के तहत राज्य का विषय** है। प्रत्येक राज्य का अपना पुलिस बल होता है, जो वर्ष 1861 के **पुलिस अधिनियम और राज्य-विशिष्ट विधानों द्वारा शासित** होता है।
  - **CBI, NIA, ED** और अर्द्धसैनिक बलों जैसी केंद्रीय एजेंसियाँ राज्य के प्रयासों को पूरक बनाती हैं। प्रकाश सिंह निर्णय **(वर्ष 2006) मामले** ने प्रमुख पुलिस सुधारों को रेखांकित किया, हालाँकि कार्यान्वयन असमान रहा।
- **अभियोजन प्रणाली: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 18** के तहत नियुक्त **सरकारी अभियोजक अभियोजन तंत्र बनाते हैं।**
  - कई राज्यों में अभियोजन निदेशालय है, हालाँकि **स्वायत्तता की कमी और पुलिस के साथ अपर्याप्त समन्वय** प्रभावशीलता को बाधित करता है।
- **कारागार प्रशासन:** कारागार राज्य सूची (सूची II) के अंतर्गत आते हैं और कारागार अधिनियम, 1894 तथा **राज्य कारागार मैनुअल** के अनुसार **संबंधित गृह विभागों द्वारा प्रशासित** होते हैं।
  - कारागार में बंद कैदियों में विचाराधीन कैदी, दोषसिद्ध कैदी और निवारक बंदी शामिल हैं, जिनकी निगरानी ज़िला और उच्च न्यायालय स्तर पर न्यायिक अधिकारियों द्वारा की जाती है।
- **कानूनी सहायता और न्याय तक पहुँच:** विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत स्थापित राष्ट्रीय

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) को **अनुच्छेद 39A के तहत** वंचितों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का अधिकार है।

- **प्रत्येक राज्य में ज़मीनी स्तर पर न्यायिक पहुँच को सुविधाजनक बनाने के लिये** संबंधित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) **और** ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) हैं।

- **अर्द्ध-न्यायिक और विशेष मंच:** नियमित अदालतों पर बोझ कम करने और डोमेन-विशिष्ट न्याय प्रदान करने के लिये भारत ने NGT, CAT और DRT जैसे न्यायाधिकरणों के साथ-साथ फास्ट-ट्रैक कोर्ट, लोक अदालतें तथा POCSO, NDPS और भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्रवाई करने के लिये विशेष अदालतें स्थापित की गई हैं।

भारत की न्याय प्रणाली से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **न्याय वितरण को कमज़ोर करने वाला बैकलॉग संकट:** भारत में न्याय व्यवस्था व्यापक लंबित मामले की समस्या से ग्रस्त है जो विधि के शासन को कमज़ोर करती है और **नागरिकों के विश्वास को समाप्त करती** है।
  - लंबित मामलों की विशाल मात्रा के कारण **न्यायिक और प्रक्रियात्मक गतिरोध होता है।**
  - देश के **विभिन्न न्यायालयों में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित** हैं, जिनमें **सर्वोच्च न्यायालय में 80,000 मामले** शामिल हैं, वर्ष 2026 तक **लंबित मामलों की संख्या 6 करोड़ तक** (IJR 2025) पहुँच सकती है।
- **रिक्तियाँ संस्थागत क्षमता को कमजोर कर रही हैं:** न्यायपालिका, पुलिस और कारागारों में व्यापक रिक्तियाँ संस्थागत क्षमता को गंभीर रूप से बाधित करती हैं, जिससे विलंब, अपर्याप्त प्रवर्तन तथा कर्मचारियों में अत्यधिक मानसिक व शारीरिक थकावट (burnout) जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।
  - इससे प्रत्येक स्तर पर **न्याय वितरण कमज़ोर** होता है। **इंडिया जस्टिस रिपोर्ट- 2025** के अनुसार, भारत में **प्रति 10 लाख लोगों पर केवल 15 न्यायाधीश** हैं, जो विधि आयोग **(वर्ष 1987) द्वारा अनुशंसित 50 न्यायाधीशों से बहुत कम** है।
  - यहाँ तक कि **कर्नाटक जैसे शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों** को भी कानूनी सहायता और अदालती सहायक कर्मचारियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
- **अपर्याप्त वित्तपोषण और विषम संसाधन आवंटन:** लोकतंत्र में इसकी आधारभूत भूमिका के बावजूद न्याय **कम बजट वाली प्राथमिकता** बनी हुई है। अधिकांश निधि वेतन में फँसी हुई है, **बुनियादी अवसंरचना, प्रशिक्षण या तकनीक में न्यूनतम निवेश** है।
  - उदाहरण के लिये, सत्र 2024-25 में **न्याय के लिये राज्यों के बजट फंड का औसतन 4.3% आवंटित** किया गया था। **POCSO जैसी विशेषज्ञ अदालतें संसाधनों की कमी** से जूझ रही हैं।
- **सीमांत वर्ग के लोगों के लिये दुर्गमता:** भारत की न्याय प्रणाली प्राय: भौगोलिक स्थिति, लागत और सामाजिक पूंजी बाधाओं के कारण सीमांत समुदायों (**गरीब, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक** वर्ग के लोगों) को अपवर्जित कर देती है जिनकी इसे रक्षा करनी चाहिये।
  - कुल कारागारों में **विचाराधीन कैदियों की संख्या 76%** है, जो एक गहरे व्यवस्थागत संकट को दर्शाता है। समय पर जमानत और त्वरित सुनवाई तक पहुँच पाना कई लोगों के लिये दुर्लभ बना हुआ है।
    - **कानूनी सहायता सेवाएँ बड़े पैमाने पर शहरी क्षेत्रों में केंद्रित** हैं, जिससे ग्रामीण और सीमांत समुदायों को इससे वंचित रहना पड़ता है।
- **प्रक्रियागत अवैधता और हिरासत में हिंसा:** हिरासत में मृत्यु, अवैध हिरासत और पुलिस की बर्बरता के लगातार मामले **दण्ड से मुक्ति की संस्कृति** की ओर इशारा करते हैं, **जो अकुशल निगरानी और न्यूनतम कानूनी परिणामों के कारण और भी बदतर** हो गई है।
  - अनुमान है कि वर्ष 2019 में **भारत में हिरासत में 1723 मौतें** हुई हैं, जो प्रत्येक दिन 5 मौतों के बराबर है। **सर्वोच्च न्यायालय के डी.के. बसु निर्णय (1997) में सुरक्षा उपायों को अनिवार्य** बनाने के बावजूद, **CCTV और गिरफ्तारी प्रोटोकॉल का अनुपालन** अधिकांश राज्यों में असमान बना हुआ है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **कानूनी सहायता में अंतराल और अप्रभावीता:** संवैधानिक गारंटी **(अनुच्छेद 39A) के बावजूद,** कानूनी सहायता **गुणवत्ता, अभिगम और धारणा के मामले में अनियमित** बनी हुई है, जो **प्राय: गरीबों के लिये विफल** रह जाती है।
  - उदाहरण के लिये, **भारत कानूनी सहायता पर प्रति व्यक्ति** केवल 0.78 रुपए व्यय करता है, जो विश्व में सबसे कम है। इसके अलावा, **अधिकांश कारागार कानूनी क्लीनिक संचालन में नहीं** हैं।
- **विचाराधीन कैदियों का संकट और कारागार में अत्यधिक भीड़:** न्याय प्रणाली **प्रणालीगत विलंब के कारण हज़ारों लोगों को लंबे समय तक पूर्व-परीक्षण हिरासत में** रखती है।
  - कई लोग **बिना किसी दोषसिद्धि के कई वर्षों तक पूर्व-परीक्षण चरण में ही कारागार में बंद** रहते हैं। **अप्रभावी जमानत प्रक्रिया** कारागारों में भीड़भाड़ बढ़ाने में और भी योगदान देती है।
  - हालिया आँकड़ों से पता चलता है कि **25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों** ने वर्ष 2022 में **कुल कारागार अधिभोग दर 100% से अधिक होने की सूचना** दी है।
- **लैंगिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व अंतर:** न्यायपालिका और पुलिस में **महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कम प्रतिनिधित्व** जनता के विश्वास को कमज़ोर करता है तथा **सहानुभूतिपूर्ण न्याय प्रदान करने में बाधा** डालता है।
  - उदाहरण के लिये, **भारत में सभी न्यायाधीशों में महिलाओं की संख्या 37.4% है– उच्च न्यायालयों में 14% और अधीनस्थ न्यायालयों में 38%।**
    - पिछले 75 वर्षों में **सर्वोच्च न्यायालय में केवल 11 महिला न्यायाधीश** रहीं, जो **कुल 276 न्यायाधीशों का मात्र 4%** है।
  - इसके अलावा, वर्ष 2018 और 2023 के दौरान, **उच्च न्यायालय में केवल 17% नियुक्तियाँ** SC, ST या OBC समुदायों से संबद्ध थीं।
- **संस्थागत विखंडन और समन्वय की कमी:** न्याय व्यवस्था के चार स्तंभ— **पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता** विखंडित होकर काम करते हैं, जिससे समग्र न्याय वितरण कमज़ोर हो जाता है। नीतिगत सुसंगतता और डेटा-साझाकरण सीमित है।
  - इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के स्कोर में व्यापक अंतर देखने को मिलता है: पुलिस के मामले में उच्च रैंकिंग वाले राज्य न्यायपालिका या कारागारों में पिछड़े हुए हैं। संस्थानों में कोई **साझा प्रदर्शन डैशबोर्ड या शिकायत प्रणाली मौजूद नहीं** है।
- **पारदर्शिता और प्रदर्शन मूल्यांकन का अभाव:** न्यायिक और पुलिस जवाबदेही तंत्र कमज़ोर बने हुए हैं। **अस्पष्ट नियुक्तियाँ, केस निपटान बेंचमार्क की अनुपस्थिति और सामुदायिक प्रतिक्रिया का अभाव** संस्थागत जवाबदेही को कम करता है।
  - उदाहरण के लिये, **कॉलेजियम प्रणाली को अपारदर्शिता के लिये आलोचना** का सामना करना पड़ता है। **NJAC को वर्ष 2015 में समाप्त कर दिया गया** था, लेकिन उसके बाद कोई सुधार नहीं हुआ।

न्याय प्रणाली में सुधार के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण का गठन:** भारत की न्यायपालिका, विशेषकर अधीनस्थ न्यायालयों में, अभी भी अपर्याप्त अभिगम के साथ जीर्ण-शीर्ण भवनों में काम कर रही है।
  - **पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना द्वारा प्रस्तावित एक केंद्रीकृत NJIA,** एक समान बुनियादी अवसंरचना के मानकों, समर्पित वित्त पोषण एवं डिजिटल कोर्ट रूम तथा बाधा मुक्त अभिगम जैसी आधुनिक सुविधाओं को सुनिश्चित कर सकता है।
    - इससे **राज्यों में बुनियादी अवसंरचना की योजना को संस्थागत रूप मिलेगा,** अंतर-राज्यीय असमानताएँ कम होंगी और न्याय प्रणाली की गरिमा एवं कार्यक्षमता बढ़ेगी।
- **सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठों की स्थापना:** दिल्ली में केंद्रीकरण के कारण **सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँच भौगोलिक दृष्टि से विषम** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर-पूर्व क्षेत्रों में **क्षेत्रीय पीठों की स्थापना के लिये अनुच्छेद 130 को लागू करने की व्यवहार्यता का पता लगाने की आवश्यकता** है, जिससे अपीलीय अभिगम का विकेंद्रीकरण होगा एवं लागत, समय और मामलों की अधिकता कम होगी।
  - वर्ष 2023 की **स्थायी समिति** द्वारा समर्थित यह उपाय **अनुच्छेद 21** के तहत न्याय तक पहुँच के मूल अधिकार को बढ़ावा देता है और **न्यायिक पहुँच में संघीय इक्विटी** को संचालित करता है।

- **व्यापक पीड़ित अधिकार एवं मुआवज़ा कानून बनाना:** भारत की आपराधिक **न्याय प्रणाली अभी भी अभियुक्त-केंद्रित** बनी हुई है।
  - एक समर्पित पीड़ित अधिकार कानून में मुकदमों में **पीड़ितों की भागीदारी, राज्य द्वारा वित्तपोषित कानूनी परामर्श और लागू करने योग्य मुआवज़ा तंत्र** की गारंटी होनी चाहिये।
  - मलिमथ समिति **द्वारा प्रस्तावित पीड़ित मुआवज़ा कोष** को संस्थागत बनाया जाना चाहिये और संगठित या आर्थिक अपराधों से होने वाली आय से जोड़ा जाना चाहिये जिससे पीड़ित की गरिमा को न्याय वितरण के केंद्र में रखा जा सके।
- **न्यायिक जवाबदेही को मजबूत करना:** न्यायिक अस्पष्टता की धारणाओं का मुकाबला करने के लिये, भारत को **निपटान दरों, आचरण और तर्क की गुणवत्ता का आकलन करने के लिये एक सुदृढ़ न्यायिक मूल्यांकन तंत्र** की आवश्यकता है, साथ ही परिसंपत्तियों की वार्षिक घोषणा के लिये एक वैधानिक आवश्यकता भी होनी चाहिये।
  - **न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक (वर्ष 2010)** से प्रेरित होकर, यह **नैतिक अखंडता** को बनाए रखेगा, **आंतरिक मूल्यांकन में सुधार** करेगा और **न्यायपालिका को अन्य संवैधानिक प्राधिकरणों पर लागू पारदर्शिता** मानदंडों के अनुरूप बनाएगा।
- **न्यायालय की छुट्टियों को तर्कसंगत बनाना:** न्यायालयों में लंबी छुट्टियों की औपनिवेशिक युग की प्रथा प्रभावी कार्य दिवसों को कम करती है और मामलों के निपटान में विलंब करती है।
  - मलिमथ शैली की **'बकाया उन्मूलन योजना'** के साथ-साथ **क्रमिक अवकाश प्रणालियों और अवकाश बेंचों में बदलाव** से समर्पित फास्ट-ट्रैक या लोक अदालतों के माध्यम से लंबे समय से लंबित मामलों को निपटाया जा सकता है।
    - इससे **सीधे तौर पर लंबित मामलों में कमी** आएगी, **न्यायिक समय का अनुकूलन** होगा तथा **न्याय तक निरंतर पहुँच के सिद्धांत** को कायम रखा जा सकेगा।
- **प्रौद्योगिकी और सामुदायिक मॉडल के माध्यम से कानूनी सहायता वितरण में सुधार:** यद्यपि **अनुच्छेद 39A निशुल्क कानूनी सहायता** का वादा करता है, फिर भी इसका वितरण शहर-केंद्रित, अपर्याप्त वित्तपोषित और अकुशल निगरानी वाला है।
  - **AI-संचालित चैटबॉट** (जैसा कि महाराष्ट्र में प्रायोगिक तौर पर किया गया है), मोबाइल कानूनी वैन और पंचायतों में एम्बेडेड प्रशिक्षित पैरालीगल स्वयंसेवक सुलभ न्याय के जाल को चौड़ा कर सकते हैं।
    - यह सुधार विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और ग्रामीण गरीबों के लिये **'न्याय को एक सेवा के रूप में' क्रियान्वित** करेगा।
- **संरचनात्मक और फोरेंसिक सुधारों के साथ पुलिस जाँच का आधुनिकीकरण:** कानून-व्यवस्था को **जाँच से अलग** करना, **साइबर और वित्तीय अपराधों में विशेषज्ञता** एवं फोरेंसिक प्रयोगशालाओं का विस्तार विश्वसनीय तथा समय पर अभियोजन के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
  - **मलीमथ समिति** द्वारा अनुशंसित राष्ट्रीय फोरेंसिक ग्रिड और पुलिस स्थापना बोर्ड की स्थापना से जाँच को पेशेवर बनाया जा सकेगा, हिरासत में ज्यादतियों में कमी आएगी तथा दोषसिद्धि की दर में वृद्धि होगी।

निष्कर्ष:

भारत की न्याय प्रणाली, संस्थागत रूप से अच्छी तरह से **संरचित होने के बावजूद, गहरी अकुशलताओं से ग्रस्त** है जो पहुँच, समानता एवं विश्वास से समझौता करती है। संरचनात्मक रिक्तियाँ, विलंब और सीमांत समुदाय के लोगों के अपवर्जन ने **न्याय को अधिकार के बजाय विशेषाधिकार में बदल दिया** है। न्याय प्रणाली में सुधार के लिये **सभी स्तंभों**– पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता में **समन्वित, अच्छी तरह से वित्तपोषित एवं समावेशी उपायों की आवश्यकता** है। तभी न्याय वास्तव में लोकतंत्र और सामाजिक परिवर्तन के स्तंभ के रूप में काम कर सकता है।

■■■

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

गिग इकॉनमी की वास्तविकता

यह एडिटोरियल 02/05/2025 को द हिंदू बिज़नेस लाइन में प्रकाशित "The harsh reality of gig work in India" पर आधारित है। इस लेख के तहत भारत की गिग इकॉनमी में तेज़ विकास के बावजूद कम वेतन, सामाजिक सुरक्षा की कमी एवं श्रमिकों के निराशाजनक भविष्य जैसी कठोर वास्तविकताओं को उजागर किया गया है।

भारत की तेज़ी से बढ़ती गिग इकॉनमी, जो वर्ष 2025 तक 12 मिलियन लोगों को रोज़गार देने की संभावना रखती है, कम वेतन, सामाजिक सुरक्षा की कमी और श्रमिकों के निराशाजनक भविष्य जैसी कठोर वास्तविकताओं को छिपाए हुए है। हालाँकि गिग वर्कर की संख्या लगातार बढ़ रही है, फिर भी उन्हें थकाऊ वर्क ऑवर (कार्य अवधि), न्यूनतम वेतन से भी कम पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा लाभों के पूर्ण अभाव का सामना करना पड़ता है। 'स्वतंत्र ठेकेदार' के रूप में उन्हें औपचारिक संरक्षणों से अपवर्जित रखा जाता है, जिससे उन्हें **सेवानिवृत्ति की निराशाजनक संभावनाओं का भी सामना** करना पड़ता है। गिग वर्कर के शोषण को अवसर में बदलने के लिये आवश्यक है कि गिग कार्य क्षेत्र में सख्त विनियमन, सामाजिक सुरक्षा का समावेश और कौशल विकास के मार्गों के माध्यम से सक्रिय सशक्तीकरण सुनिश्चित किया जाए।

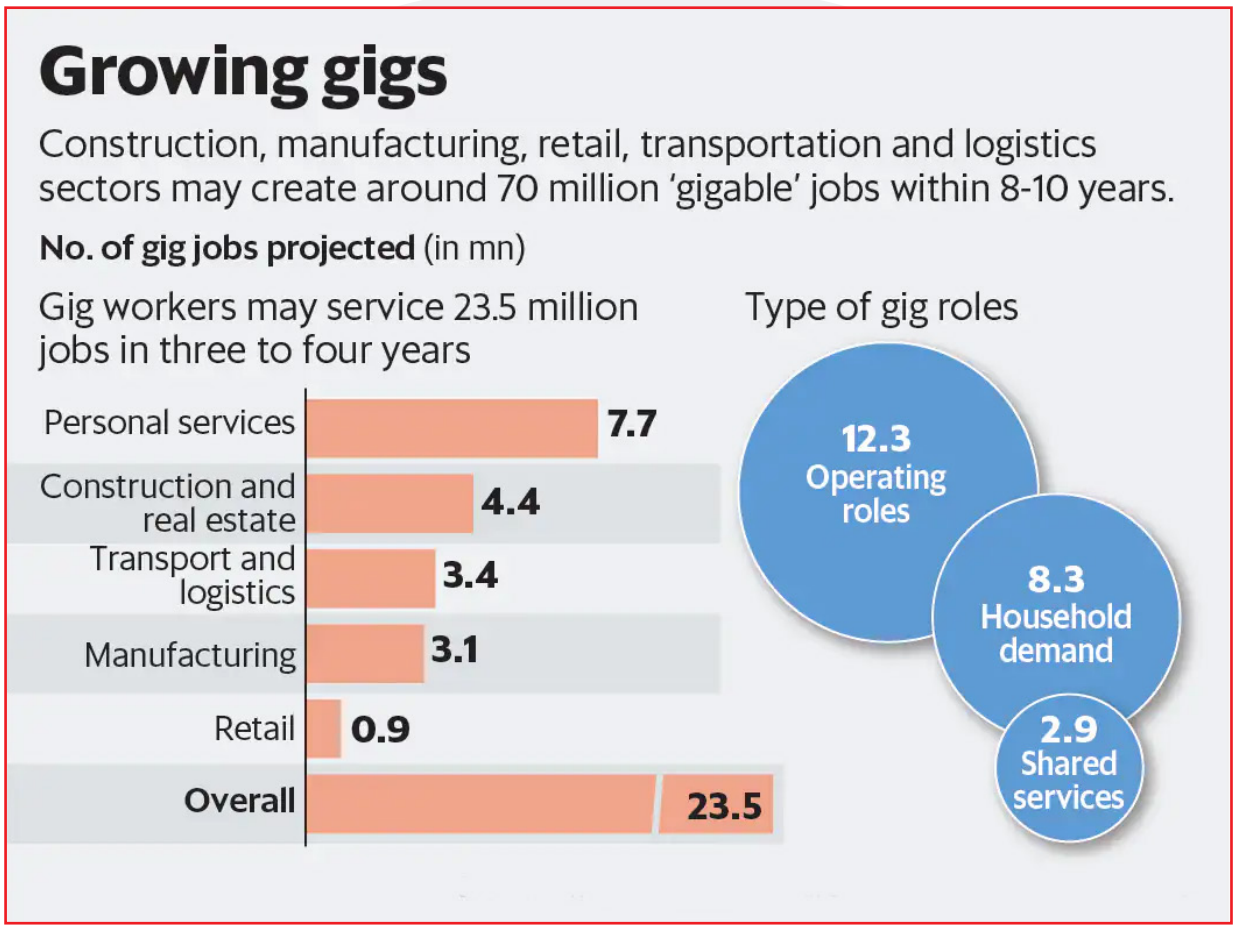

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

भारत की आर्थिक वृद्धि को गति देने में गिग इकॉनमी की क्या भूमिका है?

- **रोज़गार सृजन और रोज़गार लचीलापन:** गिग इकॉनमी लचीले, **अल्पकालिक रोज़गार के अवसर** प्रदान करके **भारत के रोज़गार संकट को दूर करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका** निभाती है।
  - औपचारिक क्षेत्र में ठहराव के बीच, गिग कार्य क्षेत्र **लाखों लोगों, विशेषकर युवाओं को कार्यबल में भाग लेने का अवसर** प्रदान करता है।
    - NITI आयोग के आँकड़ों का अनुमान है कि भारत में गिग वर्कर्स की संख्या वर्ष 2020 में 7.7 मिलियन से **बढ़कर सत्र 2029-30 तक 23.5 मिलियन** हो जाएगी। यह उछाल इस क्षेत्र की **अल्प-रोज़गार आबादी के एक बड़े हिस्से को समाहित करने की क्षमता** को दर्शाता है।
- **अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का समर्थन:** गिग इकॉनमी **अनौपचारिक क्षेत्र से अधिक संरचित रोज़गार मॉडल में परिवर्तन** करने वाले श्रमिकों के लिये एक सेतु के रूप में कार्य करती है तथा सुरक्षा संजाल और संरचित आय प्रदान करती है।
  - उदाहरण के लिये, भारत के गिग कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा, जैसे **ड्राइवर और डिलीवरी कर्मचारी, कृषि एवं अकुशल श्रम** जैसे अनौपचारिक क्षेत्रों से आते हैं।
  - **ज़ोमैटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म** के उदय के साथ, लाखों अनौपचारिक श्रमिकों को खाली समय में काम करने के लिये अतिरिक्त स्थान मिल गया है, NITI आयोग ने **ऐसे कार्यबल की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुमान** लगाया है।
- **नवप्रवर्तन और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना:** गिग प्लेटफॉर्म श्रमिकों को स्वतंत्र ठेकेदारों के रूप में काम करने के लिये सशक्त बनाते हैं, जिससे **लाखों लोगों में उद्यमशीलता की मानसिकता** विकसित होती है।
  - यह लचीलापन परिवहन, खाद्य वितरण और फ्री-लांसिंग जैसे क्षेत्रों में **नवीन सेवा मॉडल** के विकास को प्रेरित करता है।
  - गिग कार्य ***"अपना मालिक स्वयं बनें"*** का पर्याय बन गया है, उबर और अर्बनक्लैप जैसी कंपनियाँ श्रमिकों को अपनी व्यावसायिक सूझबूझ विकसित करने के अवसर प्रदान कर रही हैं।
    - इन **प्लेटफॉर्मों पर 80% से अधिक गिग वर्कर्स स्व-नियोजित** हैं, जो इस मॉडल द्वारा प्रेरित उद्यमशीलता विकास को दर्शाता है।
- **डिजिटल परिवर्तन और आर्थिक विकास को बढ़ावा:** गिग इकॉनमी भारत में डिजिटल एक्सेस का एक महत्त्वपूर्ण चालक है, जो **स्मार्टफोन, डिजिटल भुगतान और अन्य ऑनलाइन सेवाओं** के उपयोग को बढ़ावा दे रही है।
  - **डिजिटल प्लेटफॉर्म,** मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था में **गिग वर्क** को एकीकृत करके, **भारत के तकनीक-संचालित आर्थिक विस्तार में योगदान** करते हैं।
  - भारत का **बढ़ता ई-कॉमर्स क्षेत्र** इस बदलाव का प्रमाण है, जैसा कि **त्यौहारों के दौरान वर्ष 2023 में गिग-आधारित डिलीवरी में हुई वृद्धि** से स्पष्ट हुआ है।
    - ब्लिंकिट और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म ने **ऐसी अवधि के दौरान 40-50% तक आय में वृद्धि दर्ज की,** जो **आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने में गिग वर्कर की भूमिका** को दर्शाता है।
- **कर राजस्व सृजन में योगदान:** गिग प्लेटफॉर्म **भारत के कर राजस्व में योगदान** करते हैं, विशेष रूप से **डिजिटल भुगतान के कार्यान्वयन और नियामक कार्यढाँचे के उदय** के साथ।
  - भुगतान और कार्य को औपचारिक बनाकर, गिग प्लेटफॉर्म **सरकारों को पहले से कर-मुक्त आर्थिक गतिविधियों का लाभ उठाने में सक्षम** बनाते हैं।
  - वर्ष 2024 में, **भारत सरकार ने ई-श्रम पोर्टल के तहत गिग वर्कर्स के पंजीकरण** के लिये रूपरेखा पेश की, जिसका उद्देश्य उद्योग को ट्रैक एवं विनियमित करना है।
    - आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) जैसे **सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के तहत गिग वर्कर** को शामिल करने से इस क्षेत्र के विस्तार के लिये नए रास्ते खुलेंगे।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **समावेशिता को बढ़ाना और सीमांत समूहों को सशक्त बनाना:** गिग इकॉनमी **सीमांत समूहों**, विशेष रूप से महिलाओं और ग्रामीण आबादी **को स्वतंत्र रूप से धनार्जन का अवसर** प्रदान करती है, जिससे उनकी **वित्तीय स्वायत्तता एवं सामाजिक गतिशीलता में सुधार** होता है।
  - कई गिग जॉब्स की **घर से काम करने की प्रकृति महिलाओं को** कम प्रतिबंधात्मक वातावरण में **कार्यबल में प्रवेश करने में सहायक सिद्ध** हुई है।
  - रिपोर्टों से पता चलता है कि **भारत के गिग इकॉनमी वर्कर्स में लगभग 28% महिलाएँ** हैं और कई **महिलाएँ घर-आधारित सेवाओं के लिये अर्बनक्लैप जैसे प्लेटफॉर्म की ओर रुख** कर रही हैं।

भारत में गिग इकॉनमी से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **सामाजिक सुरक्षा और लाभों का अभाव:** भारत की गिग इकॉनमी में एक प्रमुख मुद्दा **सामाजिक सुरक्षा का अभाव** है, जिसमें **स्वास्थ्य बीमा, पेंशन योजना और सवेतन अवकाश** शामिल हैं। गिग वर्कर को प्राय: **स्वतंत्र श्रमिकों के रूप में वर्गीकृत** किया जाता है, जिससे **उन्हें कोई औपचारिक लाभ नहीं** मिलता। इससे **वित्तीय असुरक्षा** होती है, विशेषकर बीमारी या दुर्घटना के मामले में।
  - **भारत की गिग और प्लेटफॉर्म इकॉनमी पर NITI आयोग की रिपोर्ट- (2024)** में बताया गया है कि **90% गिग वर्कर के पास बचत की कमी** है और **वे आपात स्थितियों के प्रति अत्यधिक असुरक्षित** हैं।
    - हाल ही में **AB-PMJAY में गिग वर्कर को शामिल करना एक कदम** आगे है, **लेकिन व्यापक सामाजिक सुरक्षा एक चुनौती** बनी हुई है।
- **आय अस्थिरता और कम वेतन:** लचीली आय के वादे के बावजूद, गिग वर्कर्स को आय अस्थिरता और **राष्ट्रीय न्यूनतम मानक से कम वेतन** का सामना करना पड़ता है। कई कर्मचारी बुनियादी जीवनयापन के खर्चों को पूरा करने हेतु भी पर्याप्त धनार्जन के लिये संघर्ष करते हैं और कम वेतन पर लंबे समय तक काम करने को विवश होते हैं।
  - **फेयर वर्क इंडिया स्टडी- 2023** में पाया गया कि **डिलीवरी सेवाओं और राइड-हाइलिंग प्लेटफॉर्मों में** गिग वर्कर्स प्रति माह 15,000-20,000 रुपए कमाते हैं, जो उनके **काम के घंटों के लिये न्यूनतम मज़दूरी से कम** है।
    - **70% से अधिक गिग वर्कर** ने अनियमित आय के कारण घरेलू खर्चों को प्रबंधित करने में कठिनाई की बात कही, उनकी **आय का एक बड़ा हिस्सा प्लेटफॉर्म कमीशन को** चला जाता है।
- **शोषण और अनुचित कार्य स्थितियाँ:** गिग वर्कर को **प्राय: शोषणकारी स्थितियों का सामना** करना पड़ता है, जिसमें **पर्याप्त पारिश्रमिक या नौकरी की सुरक्षा के बिना लंबे समय तक काम करना** शामिल है।
  - इन श्रमिकों पर **उच्च निष्पादन लक्ष्य पूरा करने का दबाव** होता है, जिसके कारण कभी-कभी उन्हें **शारीरिक और मानसिक थकावट** का सामना करना पड़ता है।
  - **'प्रिज़नर्स ऑन व्हील्स'** रिपोर्ट में पाया गया कि **78% गिग वर्कर प्रतिदिन 10 घंटे से अधिक कार्य करते हैं।**
    - इतने लंबे समय तक काम करने से **गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ** उत्पन्न होती हैं। साथ ही, **10 मिनट डिलीवरी** की दौड़ गिग वर्कर्स के लिये रोज़ाना की भागदौड़ बन जाती है, जिससे उनकी **सुरक्षा ख़तरे में** पड़ जाती है क्योंकि उन्हें **उपभोक्ता सुविधा का खामियाज़ा** भुगतना पड़ता है।
- **कानूनी सुरक्षा और मान्यता का अभाव:** भारत में गिग वर्कर को पारंपरिक श्रम कानूनों के तहत मान्यता नहीं दी जाती है, जिससे उन्हें **न्यूनतम मज़दूरी, ओवरटाइम या विवाद समाधान तंत्र जैसी कानूनी सुरक्षा नहीं** मिलती है।
  - मान्यता का अभाव निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने के प्रयासों को जटिल बनाता है।
  - **सामाजिक सुरक्षा संहिता- 2020** गिग वर्कर का समावेशन तो करती है, लेकिन **न्यूनतम मज़दूरी की गारंटी और विनियमित कार्य घंटे** जैसे पूर्ण **श्रम अधिकार प्रदान करने में विफल** रहती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **डिजिटल अपवर्जन और तकनीकी निर्भरता:** यद्यपि डिजिटल प्लेटफॉर्म गिग कार्य के अवसर प्रदान करते हैं, **प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता पर्याप्त डिजिटल कौशल या प्रौद्योगिकी तक अभिगम के बिना श्रमिकों को अपवर्जित** कर देती है।
  - इंटरनेट कनेक्टिविटी और प्लेटफॉर्म की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण **ग्रामीण श्रमिकों को प्राय: उच्च वेतन वाले गिग अवसरों तक पहुँच की कमी** (NITI आयोग, 2022) होती है।
  - इसके अलावा, दैनिक कार्यों के लिये मोबाइल ऐप्स पर निर्भरता से **तकनीकी या एल्गोरिदम संबंधी त्रुटियाँ** बढ़ जाती हैं, जिससे ये श्रमिक और अधिक हाशिये पर चले जाते हैं।
- **मनमाना निष्क्रियण और ग्राहक दुर्व्यवहार:** गिग वर्कर के समक्ष आने वाली एक प्रमुख समस्या खातों को **मनमाने ढंग से निष्क्रियण करना और ग्राहकों द्वारा उत्पीड़न** है।
  - **प्लेटफॉर्म** प्राय: बिना किसी स्पष्ट कारण के **श्रमिकों के खातों को ब्लॉक या निष्क्रिय** कर देते हैं, जिससे **आय की हानि और नौकरी की असुरक्षा** उत्पन्न होती है।
  - एक सर्वेक्षण में **83% कैब ड्राइवरों और 87% डिलीवरी कर्मियों** ने बताया कि निष्क्रियता से उन **पर नकारात्मक प्रभाव** पड़ा है।
    - इसके अतिरिक्त, **72% ड्राइवरों और 68% डिलीवरी कर्मचारियों ने ग्राहकों के दुर्व्यवहार को प्रमुख तनाव का कारण बताया,** जिससे पर्याप्त शिकायत निवारण तंत्र की कमी पर ज़ोर दिया गया।

गिग इकॉनमी को मज़बूत और अनुकूलतम बनाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **गिग वर्कर्स के लिये व्यापक कानूनी कार्यढाँचा:** भारत को एक सख्त कानूनी कार्यढाँचा पेश करना चाहिये जो गिग वर्कर्स के **अधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित** करता हो।
  - इस कार्यढाँचे में न्यूनतम मज़दूरी मानकों, कार्य घंटों और अनुचित बर्खास्तगी के विरुद्ध सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिये।
    - इस कार्यढाँचे में **सामूहिक सौदाकारी के प्रावधान** भी शामिल हो सकते हैं, जिससे गिग वर्कर को प्लेटफॉर्मों के साथ सौदाकारी में एकीकृत समर्थन मिल सकेगा।
- **पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा लाभ: पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा लाभ की एक प्रणाली** स्थापित की जानी चाहिये, जहाँ गिग वर्कर जिस भी प्लेटफॉर्म के लिये काम करते हैं, उन्हें लाभ (जैसे: बीमा और सवेतन अवकाश) मिल सकें।
  - इससे **एक से अधिक नियोक्ताओं का मुद्दा हल** हो जाएगा तथा **कल्याणकारी प्रावधानों की निरंतरता** सुनिश्चित होगी।
  - इससे **यदि कोई कर्मचारी विभिन्न प्लेटफॉर्म या परियोजनाओं के बीच स्थानांतरित होता है तो उसे मिलने वाले लाभों का अंतरण आसान हो जाएगा** तथा उसे अपनी सामाजिक सुरक्षा पात्रताओं को भी नहीं खोना पड़ेगा।
    - ऐसा मॉडल **गिग वर्कर को स्थिरता और वित्तीय सुरक्षा** प्रदान करेगा, जो उनके दीर्घकालिक कल्याण के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **डिजिटल साक्षरता और समावेशन कार्यक्रम:** डिजिटल डिवाइड को समाप्त करने के लिये, भारत को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गिग वर्कर पर लक्षित **बड़े पैमाने पर डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम** लागू करना चाहिये।
  - इन कार्यक्रमों में उनके तकनीकी कौशल को बढ़ाने और उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से काम करने के लिये **डिजिटल ज्ञान से लैस करने पर ध्यान** केंद्रित किया जाना चाहिये।
  - डिजिटल साक्षरता में सुधार करके, श्रमिकों को **अधिक रोज़गार के अवसरों तक पहुँच,** अपने प्रदर्शन में सुधार करने और तकनीकी त्रुटियों या शोषण के प्रति संवेदनशीलता को कम करने में सक्षम बनाया जाएगा।
    - सरकार **गिग वर्कर की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण मॉड्यूल** बनाने के लिये **डिजिटल प्लेटफॉर्मों के साथ साझेदारी** कर सकती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करना:** भारत को यह अनिवार्य करना चाहिये कि गिग प्लेटफॉर्म **पारदर्शी और सुलभ शिकायत निवारण तंत्र** को लागू करें।
  - इन प्रणालियों से श्रमिकों को **अनुचित व्यवहार, मनमाने ढंग से निष्क्रियता या शोषण के बारे में स्पष्ट एवं कुशल तरीके से शिकायत दर्ज करने की सुविधा** मिलनी चाहिये।
  - इन **शिकायतों का समय पर निपटान** के लिये **प्लेटफॉर्म को कानूनी रूप से बाध्य** होना चाहिये तथा **श्रम प्राधिकारियों द्वारा निगरानी की व्यवस्था** होनी चाहिये।
- **कल्याणकारी कानूनों के साथ प्लेटफॉर्म अनुपालन को प्रोत्साहन:** भारत एक ऐसी नीति अपना सकता है जो **कल्याणकारी कानूनों के साथ प्लेटफॉर्म अनुपालन** को प्रोत्साहन देती है, जैसे कि **सामाजिक सुरक्षा** योजनाओं के तहत श्रमिकों को शामिल करना एवं **उचित भुगतान** प्रथाओं का पालन करना।
  - इससे उन **प्लेटफॉर्मों को प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ** मिलेगा जो श्रमिक कल्याण को प्राथमिकता देते हैं तथा **अन्य प्लेटफॉर्मों को भी ऐसा करने के लिये प्रोत्साहित** किया जाएगा।
  - इन प्रोत्साहनों में **कर छूट, सब्सिडी या सरकारी निविदाओं में तरजीही व्यवहार** शामिल हो सकते हैं।
    - ऐसे उपायों से प्लेटफॉर्म को स्वैच्छिक रूप से कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करने तथा **अधिक संधारणीय गिग इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहन** मिलेगा।
- **ई-श्रम पोर्टल एकीकरण के माध्यम से गिग कार्य का औपचारिकीकरण:** भारत गिग वर्कर को व्यापक रूप से शामिल करने के लिये **ई-श्रम पोर्टल का विस्तार** करके औपचारिक अर्थव्यवस्था में गिग वर्कर के एकीकरण को सुदृढ़ कर सकता है।
  - पोर्टल को **अधिक उपयोगकर्त्ता-अनुकूल** बनाया जाना चाहिये तथा श्रमिकों को एक **डिजिटल पहचान** प्रदान की जानी चाहिये जो उन्हें कल्याणकारी योजनाओं और रोज़गार के अवसरों से जोड़े।
  - इस एकीकरण से **न केवल गिग वर्कर पर नज़र रखने में मदद मिलेगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि उन्हें स्वास्थ्य कवरेज, पेंशन योजना और रोज़गार बीमा जैसे लाभ मिलें।**
- **गिग वर्कर के कल्याण के लिये राज्य स्तरीय पहल को प्रोत्साहन:** राज्यों को **क्षेत्र-विशिष्ट नीतियाँ** विकसित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये जो उनके क्षेत्रों में गिग वर्कर की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करें।
  - स्थानीय संदर्भों के अनुरूप समाधान तैयार करके, जैसे **कौशल विकास के लिये सब्सिडी** प्रदान करना, **श्रमिकों के लिये किफायती आवास** बनाना, या **श्रमिक सहायता केंद्रों की स्थापना** करना, राज्य लाभों का अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित कर सकते हैं।
  - यह विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण विभिन्न क्षेत्रों में **गिग वर्कर के समक्ष आने वाली स्थानीय चुनौतियों का समाधान** करते हुए **राष्ट्रीय नीतियों के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन** को भी सक्षम करेगा।
    - **राजस्थान का प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स अधिनियम एक महत्त्वपूर्ण कदम** है, अन्य राज्य भी इससे सीख ले सकते हैं।

निष्कर्ष:

भारत की गिग इकॉनमी में **रोज़गार सृजन, नवाचार को बढ़ावा देने और डिजिटल परिवर्तन का समर्थन करने की अपार संभावनाएँ** हैं। गिग वर्क की पूरी क्षमता का सदुपयोग करने के लिये, भारत को **सख्त कानूनी कार्यढाँचे, पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा और विस्तृत शिकायत निवारण प्रणाली** जैसे व्यापक उपायों को लागू करने की आवश्यकता है। केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत विस्तारित सामाजिक सुरक्षा उपाय सही दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।

भारत और पश्चिम एशिया

यह एडिटोरियल 06/05/2025 को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित "Link West marks India's strategic pivot in West Asia" लेख पर आधारित है। यह लेख

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

"लिंक वेस्ट" नीति के माध्यम से भारत की पश्चिम एशिया भागीदारी के परिधीय से रणनीतिक स्तर में परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें IMEEC, चाबहार पोर्ट और रक्षा संबंधों जैसी प्रमुख साझेदारियाँ और पहल शामिल हैं।

भारत ने पश्चिम एशिया के साथ अपने संबंधों को एक सीमित सहभागिता से रणनीतिक प्रभाव में बदल दिया है, जो व्यावहारिक **"लिंक वेस्ट" दृष्टिकोण** पर आधारित है। यह कूटनीतिक बदलाव **संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब** के साथ मज़बूत साझेदारी पर आधारित है, जिनके साथ भारत का **द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2023-24 में क्रमशः 84 अरब अमेरिकी डॉलर और 43 अरब अमेरिकी डॉलर** तक पहुँच गया है। भारत की रणनीतिक पहलों में खाड़ी के माध्यम से भारत को यूरोप से जोड़ने वाला **IMEC गलियारा,** इज़रायल के साथ रक्षा सहयोग मज़बूत करना और INSTC के माध्यम से ईरान के **चाबहार बंदरगाह** का विकास शामिल है। यह दृष्टिकोण जटिल भू-राजनीतिक तनावों को दूर करते हुए **ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी हितों और क्षेत्रीय संपर्क** को संतुलित करता है।

समय के साथ पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंध कैसे विकसित हुए हैं?

- **स्वतंत्रता-पूर्व: प्रारंभिक व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान**
  - पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंध प्राचीन काल से हैं, जो **व्यापार** और **सांस्कृतिक** आदान-प्रदान पर आधारित हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- प्रमुख व्यापार मार्ग भारत को **अरब प्रायद्वीप, फारस** और अन्य स्थानों से जोड़ते थे, जिससे वस्तुओं, विचारों एवं धार्मिक प्रभावों का आदान-प्रदान सुगम होता था।

- **स्वतंत्रता के बाद (1947-1990 का दशक): स्वतंत्रता के बाद, पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंध उसके गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM)** के रुख से प्रभावित हुए।
  - **सऊदी अरब, इराक और ईरान** जैसे देशों के साथ तटस्थ संबंध बनाए रखते हुए भारत ने **फिलिस्तीनी मुद्दे** का भी समर्थन किया।
    - **1970 और 1980** के दशक में भारत ने **तेल समृद्ध देशों के साथ मज़बूत संबंध** बनाए रखे, लेकिन आर्थिक भागीदारी **ऊर्जा आयात और श्रम प्रवास** तक ही सीमित थी।

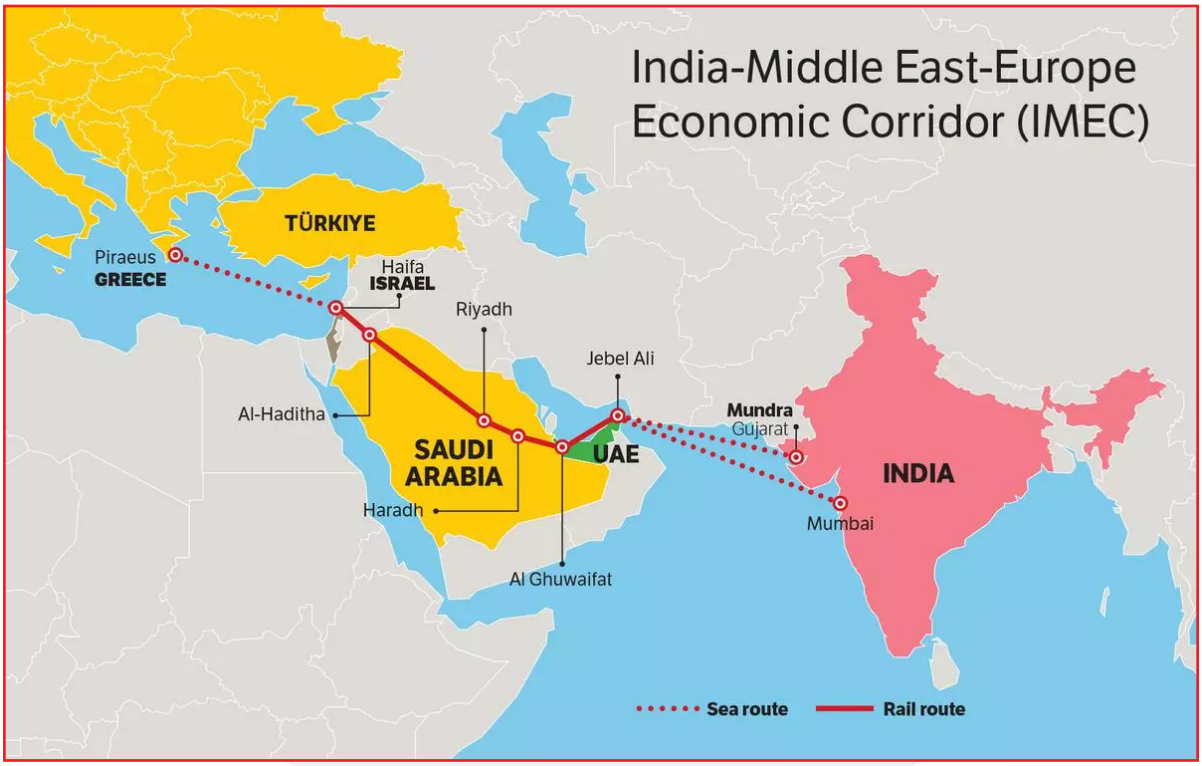

- **उदारीकरण और आर्थिक विकास (वर्ष 1991-2000): आर्थिक संबंधों का विस्तार**
  - वर्ष 1990 के दशक में भारत के **आर्थिक उदारीकरण** ने पश्चिम एशिया के साथ मज़बूत वाणिज्यिक और कूटनीतिक संबंधों के लिये नए द्वार खोल दिये हैं।
    - खाड़ी क्षेत्र भारत की **ऊर्जा सुरक्षा** और **धन प्रेषण** के लिये महत्त्वपूर्ण बन गए हैं।
    - भारत के बढ़ते **आईटी क्षेत्र ने खाड़ी देशों** की भी रुचि आकर्षित करना शुरू कर दिया, जिससे आर्थिक संबंध मज़बूत हुए हैं।
- **रणनीतिक पुनर्विन्यास (वर्ष 2000 से वर्तमान तक): रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग को मज़बूत करना**
  - भारत ने अधिक **सक्रिय विदेश नीति अपनाई**, जिसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से **सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात** और **इज़रायल के साथ सुरक्षा और रक्षा संबंध में वृद्धि हुई है**।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **यह क्षेत्र ऊर्जा विविधीकरण, प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान** और **रक्षा सहयोग** में प्रमुख साझेदार बन गया है।
  - I2U2 (भारत, इज़रायल, यूएई, अमेरिका) और **IMEC (भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा)** जैसी नई पहलें, क्षेत्रीय भू-राजनीतिक ढाँचे में भारत के बढ़ते एकीकरण को रेखांकित करती हैं।

वर्तमान स्थिति: क्षेत्रीय नेतृत्व और भागीदारी

- वर्तमान में, पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंध **रणनीतिक साझेदारी, सह-विकास परियोजनाओं** और **सतत् विकास के लिये साझा** दृष्टिकोण द्वारा चिह्नित हैं।
  - भारत का **"पश्चिम की ओर देखो"** दृष्टिकोण **बहुआयामी जुड़ाव को बढ़ाने, आर्थिक सहयोग, सुरक्षा सहयोग एवं सांस्कृतिक** आदान-प्रदान को प्राथमिकता देने पर केंद्रित है।

भारत के लिये पश्चिम एशिया का क्या महत्त्व है?

आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी: पश्चिम एशिया के साथ भारत का आर्थिक जुड़ाव महत्त्वपूर्ण है, जो **हाइड्रोकार्बन, बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों में व्यापार से प्रेरित है।**

- भारत की **पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था** के रूप में, यह क्षेत्र महत्त्वपूर्ण ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति के साथ-साथ आकर्षक निवेश अवसर भी प्रदान करता है।
- भारत के **तीसरे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार** यूएई ने **वर्ष 2023-24 में 84 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार** किया, जो इस क्षेत्र के आर्थिक महत्त्व को दर्शाता है।
  - भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) का लक्ष्य वर्ष 2030 तक गैर-तेल व्यापार को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाना है।
  - इसके अतिरिक्त, **खाड़ी सहयोग परिषद क्षेत्र वर्ष 2022-23 में भारत के कुल व्यापार का 15.8%** हिस्सा होगा, जो दोनों क्षेत्रों के बीच अन्योन्याश्रितता पर ज़ोर देता है।

ऊर्जा सुरक्षा: पश्चिम एशिया भारत की ऊर्जा सुरक्षा (विशेष रूप से तेल और गैस क्षेत्र में, जो भारत की बढ़ती औद्योगिक मांगों को पूरा करता है।) का आधार बना हुआ है।

- विविधीकरण के बावजूद, **भारत का 50% से अधिक कच्चे तेल का आयात** अभी भी खाड़ी देशों से होता है।
- **सऊदी अरब और इराक भारत के शीर्ष तेल आपूर्तिकर्त्ता** हैं। भारत के ऊर्जा विविधीकरण प्रयासों को कतर के साथ फरवरी 2024 में हस्ताक्षरित 20-वर्षीय LNG सौदे जैसी साझेदारियों से बल मिला है, जो **भारत के LNG आयात का 38%** प्रदान करता है।

भू-राजनीतिक और सामरिक महत्त्व: मध्य पूर्व भारत की व्यापक **भू-राजनीतिक रणनीति के लिये महत्त्वपूर्ण है, जो यूरोप, अफ्रीका और मध्य एशिया** के लिये प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।

- **सऊदी अरब और इजरायल** जैसी प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों के साथ भारत के गहरे होते संबंध, तथा बढ़ते रक्षा और सुरक्षा सहयोग, इसके क्षेत्रीय प्रभाव को मज़बूत करते हैं।
- **I2U2 (भारत, इजराइल, यूएई, अमेरिका)** जैसी पहलों में भारत की भागीदारी, भारत की रणनीतिक गणना में इस क्षेत्र की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है।
  - इसके अलावा, **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा** खाड़ी के माध्यम से संपर्क बढ़ाने के लिये एक परिवर्तनकारी परियोजना है।

सुरक्षा और रक्षा सहयोग: पश्चिम एशिया भारत के सुरक्षा हितों के लिये महत्त्वपूर्ण है, विशेष रूप से अरब सागर और हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में समुद्री सुरक्षा के संबंध में।

- **यमन के हूती विद्रोहियों** की ओर से बढ़ते मिसाइल और ड्रोन खतरे क्षेत्र की सुरक्षा कमज़ोरियों को उजागर करते हैं (जैसा कि हाल ही में लाल सागर संकट में देखा गया है)।
- **ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात** जैसे देशों के साथ भारत का विस्तारित नौसैनिक सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता (विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण व्यापार मार्गों की सुरक्षा में) सुनिश्चित करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **वर्ष 2023** में **भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस** के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास क्षेत्रीय रक्षा सहयोग में एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगा।

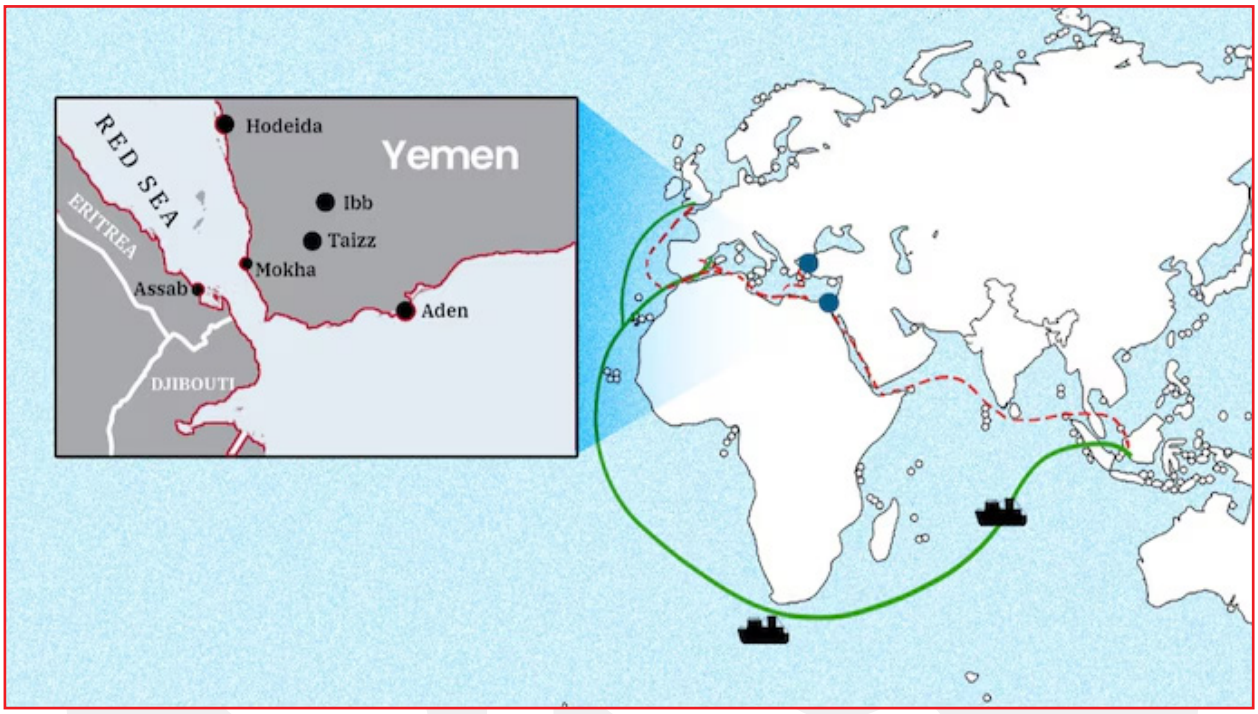

- **जन-जन संबंध और प्रवासी भारतीय समुदाय (डायस्पोरा) के संपर्क:** भारत के विदेश मंत्री ने ठीक ही कहा है कि – ***"खाड़ी क्षेत्र में हमारी उपस्थिति व्यापक और महत्त्वपूर्ण दोनों है। यहाँ 90 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं व कार्यरत हैं और खाड़ी क्षेत्र, मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका (MENA) तथा भूमध्यसागरीय क्षेत्र के लिये एक प्रवेशद्वार के रूप में भी कार्य करता है।"***
  - 9 मिलियन की संख्या वाले भारतीय प्रवासी समुदाय प्रतिवर्ष अरबों डॉलर की महत्त्वपूर्ण धनराशि अपने घर भेजते हैं, जिससे द्विपक्षीय संबंध मज़बूत होते हैं।
    - अकेले **संयुक्त अरब अमीरात में 3.5 मिलियन** से अधिक भारतीय रहते हैं, जो देश की श्रम शक्ति और आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।

भारत-पश्चिम एशियाई संबंधों को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **भू-राजनीतिक अस्थिरता और बदलते गठबंधन:** पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक अस्थिरता, जिसमें **इज़रायल-हमास और सऊदी-ईरान** तनाव जैसे संघर्ष शामिल हैं, भारत के कूटनीतिक प्रयासों को जटिल बनाती है।
  - यद्यपि भारत एक संतुलित दृष्टिकोण चाहता है, फिर भी **चीन द्वारा मध्यस्थता किये गए सऊदी-ईरान संबंधों में हालिया बदलाव** इसकी तटस्थता को चुनौती देते हैं।
  - दोनों देशों के साथ भारत के हित, जैसे **सऊदी अरब के साथ ऊर्जा सहयोग और ईरान** के साथ चाबहार बंदरगाह तक पहुँच, एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **ऊर्जा परिवर्तन और स्रोतों का विविधीकरण:** नवीकरणीय ऊर्जा के लिये भारत का प्रयास तनाव उत्पन्न करता है, क्योंकि **पश्चिम एशियाई हाइड्रोकार्बन** पर इसकी निर्भरता बनी हुई है, जो अभी भी **इसके कच्चे** तेल की 50% से अधिक आपूर्ति करते हैं।
  - यद्यपि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिये खाड़ी देशों के साथ संपर्क बनाए हुए है, तथापि हरित ऊर्जा की ओर संक्रमण से दीर्घकालिक संबंध जटिल हो रहे हैं।
    - **भारत को खाड़ी क्षेत्र में प्रमुख साझेदारियों को अस्थिर किये बिना** ऊर्जा सुरक्षा और हरित ऊर्जा महत्त्वाकांक्षाओं की इस दोहरी चुनौती से निपटना होगा।
- **वैश्विक शक्तियों और सामरिक गठबंधनों से प्रतिस्पर्द्धा: चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI)** ने पश्चिम एशिया में अपनी आर्थिक उपस्थिति बढ़ा दी है, जिससे बुनियादी अवसंरचना और व्यापार में भारत के प्रभाव को चुनौती मिल रही है।
  - यद्यपि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ भारत के आर्थिक संबंध मज़बूत हुए हैं, तथापि **अन्य क्षेत्रों में चीन का प्रभुत्व** भारत के लक्ष्यों को जटिल बनाता है।
  - वर्ष 2023 में, सऊदी अरब के साथ चीन का व्यापार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाएगा, जिससे उसकी आर्थिक उपस्थिति और अधिक विस्तारित होगी।
    - **भारत ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC)** जैसी पहलों का लाभ उठाकर प्रतिक्रिया व्यक्त की है, लेकिन प्रभाव के लिये प्रतिस्पर्द्धा (विशेष रूप से बंदरगाहों और बुनियादी अवसंरचना में), जिसमें **ग्वादर बंदरगाह (पाकिस्तान), जिबूती बंदरगाह (जिबूती), अकाबा बंदरगाह (जॉर्डन) और प्रस्तावित ईरान-चीन व्यापार गलियारा** शामिल हैं।
- **सुरक्षा खतरे और समुद्री चुनौतियाँ:** लाल सागर में **हूती विद्रोहियों द्वारा बढ़ते मिसाइल और ड्रोन हमले भारत के समुद्री सुरक्षा प्रयासों को जटिल बनाते हैं,** जिससे महत्त्वपूर्ण व्यापार मार्ग प्रभावित होते हैं।
  - पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों के कारण रसद और बीमा लागत बढ़ने की आशंका है, जिससे **तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि जैसे क्षेत्रों में भारत के व्यापार को नुकसान** पहुँचेगा।
  - **बाब अल-मन्देब जलडमरूमध्य और अन्य अवरोधक बिंदु** भारत के ऊर्जा आयात एवं व्यापार के लिये महत्त्वपूर्ण बने हुए हैं, जिससे **रक्षा संबंधों को जारी रखना आवश्यक** हो गया है।
- **बहुध्रुवीय क्षेत्र में कूटनीतिक संतुलन:** भारत के समक्ष **इज़रायल और खाड़ी अरब देशों के साथ अपने गहरे होते संबंधों को संतुलित करने की चुनौती** है, साथ ही उसे **फिलिस्तीन के प्रति अपने पारंपरिक समर्थन को कायम रखना** है।
  - हालाँकि, भारत ने रक्षा, साइबर सुरक्षा एवं नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में **इज़रायल और UAE दोनों के साथ अपने संबंधों का लाभ उठाया** है, जिससे उसकी कूटनीतिक चपलता का प्रदर्शन हुआ है। हालाँकि, फिलिस्तीनी राज्य के लिये भारत के दीर्घकालिक समर्थन के साथ इन संबंधों को संतुलित करना **एक कठिन कार्य** है।
- **श्रम अधिकार और प्रवासी संबंधी मुद्दे: खाड़ी देशों में** 9 मिलियन से अधिक भारतीय कार्यरत हैं, अत: **प्रवासी कल्याण** सुनिश्चित करना भारत-पश्चिम एशिया संबंधों में **एक महत्त्वपूर्ण चिंता का विषय** बना हुआ है।
  - हाल के सुधारों के बावजूद, जैसे कि **संयुक्त अरब अमीरात द्वारा वित्तीय एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिये RuPay कार्ड का अंगीकरण,** श्रम अधिकारों के मुद्दे संबंधों में तनाव उत्पन्न कर रहा हैं।
  - हाल ही में **कुवैत** में हुई अग्नि त्रासदी, जिसमें कई भारतीय प्रवासी श्रमिकों की जान चली गई, ने उनकी सुरक्षा और कल्याण के महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर पुन: ध्यान आकर्षित किया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

भारत अपने पश्चिम एशियाई दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने के लिये क्या उपाय अपना सकता है?

- **बहुपक्षीय कूटनीतिक जुड़ाव को गहन करना:** भारत को क्षेत्रीय बहुपक्षीय कार्यढाँचों में अपनी कूटनीतिक उपस्थिति को सुदृढ़ करना चाहिये, जैसे कि **भारत-खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) रणनीतिक वार्ता** और **I2U2 (भारत, इज़रायल, UAE, US)** साझेदारी।
  - ये मंच भारत को **क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और तकनीकी नवाचार** में बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं।
  - **समुद्री सुरक्षा, जलवायु अनुकूलन और ऊर्जा परिवर्तन** जैसे रणनीतिक मुद्दों पर नियमित वार्ता करके भारत पश्चिम एशिया के उभरते भू-राजनीतिक परिदृश्य में एक **विश्वसनीय भागीदार** के रूप में उभर सकता है।
- **आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी का विस्तार:** भारत को प्रमुख खाड़ी देशों के साथ अपने **द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को मज़बूत** करना चाहिये तथा **पारंपरिक हाइड्रोकार्बन से परे नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य सेवा नवाचार** जैसे क्षेत्रों को लक्ष्य बनाना चाहिये।
  - बुनियादी अवसंरचना, **स्मार्ट शहरों और विनिर्माण में सह-विकास पहल** को बढ़ावा देकर, भारत **संधारणीय आर्थिक विकास को बढ़ावा** दे सकता है तथा दीर्घकालिक अंतर-निर्भरताएँ स्थापित कर सकता है।
  - **रणनीतिक वाणिज्यिक कूटनीति** द्वारा समर्थित आर्थिक सहयोग के प्रति समग्र दृष्टिकोण, पश्चिम एशिया के लिये एक केंद्रीय आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की स्थिति को मज़बूत करेगा।
- **सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी सहयोग को मज़बूत करना:** भारत को **संयुक्त आतंकवाद-रोधी अभियानों, खुफिया-साझाकरण प्लेटफॉर्म और रणनीतिक रक्षा साझेदारी** के माध्यम से खाड़ी देशों के साथ **सुरक्षा सहयोग को तीव्र करना** चाहिये।
  - **सामूहिक रक्षा और साइबर सुरक्षा** को प्राथमिकता देने वाले **क्षेत्रीय सुरक्षा कार्यढाँचे का निर्माण** करके, भारत महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा करते हुए क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ा सकता है।
  - **आतंकवाद-रोधी तंत्र** और **सीमा सुरक्षा पहलों को गति देने** से यह सुनिश्चित होगा कि भारत एवं उसके पश्चिम एशियाई साझेदार सामूहिक रूप से उग्रवाद से बढ़ते खतरों का समाधान कर सकें।
    - **ऑपरेशन सिंदूर सटीकता और रणनीतिक संकल्प के साथ** आतंकवाद के खतरे से **निपटने की भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता एवं क्षमता** को रेखांकित करता है।
- **लोगों के बीच आपसी संपर्क और सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देना:** भारत को सांस्कृतिक समन्वय, **शैक्षिक साझेदारी और श्रम कल्याण कार्यक्रमों** के माध्यम से लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाकर **सॉफ्ट पावर कूटनीति का लाभ** उठाना चाहिये।
  - पश्चिम एशिया में **भारतीय प्रवासियों की भूमिका** को मज़बूत करने से **सामाजिक-सांस्कृतिक बंधन गहरे होंगे** तथा विश्वास और साझा मूल्यों की नींव तैयार होगी।
  - **शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों, सहयोगात्मक अनुसंधान पहलों** और **सांस्कृतिक कूटनीति** को सुविधाजनक बनाकर भारत **मानव पूंजी विकास** में **स्वयं को अग्रणी के रूप में स्थापित कर सकता है।**
- **रणनीतिक क्षेत्रीय अवसंरचना परियोजनाओं को बढ़ावा देना:** भारत को पश्चिम एशिया में **अवसंरचना सह-विकास परियोजनाओं का नेतृत्व** करना चाहिये तथा **कनेक्टिविटी गलियारों** एवं **बंदरगाह विकास पर ध्यान** केंद्रित करना चाहिये।
  - **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEEC)** जैसी पहल **क्षेत्रीय व्यापार एकीकरण को बढ़ाने** और **बहुविधीय संपर्क को बढ़ावा देने** में सहायक होगी।
  - **सीमा पार बुनियादी अवसंरचना और सतत् विकास को प्राथमिकता** देकर भारत आर्थिक अंतरनिर्भरता एवं रणनीतिक क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा दे सकता है।
    - इससे न केवल व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि दीर्घावधि में **क्षेत्रीय सहयोग** और **भू-राजनीतिक स्थिरता के लिये उत्प्रेरक** का काम भी होगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **डिजिटल और तकनीकी सहयोग का लाभ उठाना:** भारत को पश्चिम एशिया के साथ **साइबर सुरक्षा सहयोग, डिजिटल वित्तीय समावेशन** और **AI-संचालित साझेदारी को बढ़ावा** देकर अपनी डिजिटल कूटनीति को तीव्र करना चाहिये।
  - **प्रौद्योगिकी अंतरण** की पेशकश और **संयुक्त नवाचार केंद्र स्थापित** करके, भारत क्षेत्र के **डिजिटल परिवर्तन** एवं **स्मार्ट गवर्नेंस** पहलों का समर्थन कर सकता है।
  - **फिनटेक, ब्लॉकचेन** और **AI** जैसे क्षेत्रों में **प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटरों** एवं **उद्यमशीलता साझेदारी** को बढ़ावा देने से भारत व पश्चिम एशिया दोनों **भविष्य-सुरक्षित अर्थव्यवस्थाओं का सह-विकास** करने में सक्षम होंगे।

निष्कर्ष:

भारत की **पश्चिम एशिया नीति अब एक परिपक्व और भविष्य-उन्मुख रणनीतिक सहभागिता के रूप में विकसित** हो चुकी है— जिसकी बुनियाद **ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विविधीकरण एवं क्षेत्रीय संपर्क** पर आधारित है। व्यापार, प्रौद्योगिकी एवं रक्षा के क्षेत्रों में बढ़ती सहभागिता यह संकेत देती है कि **भारत अब एक** निष्क्रिय सहयोगी नहीं, बल्कि एक **सक्रिय व प्रभावशाली क्षेत्रीय भागीदार की भूमिका में उभर रहा है।**

आगे बढ़ते हुए, भारत को इस गति को बनाए रखने के लिये **समावेशी कूटनीति, अवसंरचनात्मक नेतृत्व और जनकेंद्रित भागीदारी को प्राथमिकता** देनी होगी।

■■■

भारत की रक्षा का आधुनिकीकरण

यह एडिटोरियल 06/05/2025 को लाइवमिंट में प्रकाशित "भारत की रक्षा नीति को 3.5-फ्रंट सुरक्षा चुनौती के लिये तैयार रहना चाहिये" पर आधारित है। यह लेख भारत के लिये घातक आतंकी हमले के बाद अपनी रक्षा रणनीति में सुधार करने की तत्काल आवश्यकता को सामने लाता है, आधुनिकीकरण, स्वदेशीकरण और उन्नत अनुसंधान एवं विकास पर ज़ोर देता है।

भारत वर्तमान में **पाकिस्तान के साथ एक गंभीर सैन्य गतिरोध में उलझा हुआ है** , जिसकी शुरुआत **पहलगाम** कश्मीर में हुए एक आतंकवादी हमले से हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप 26 नागरिक हताहत हुए थे। जवाबी कार्रवाई में, भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कथित आतंकवादी बुनियादी ढाँचे को निशाना बनाते हुए " ऑपरेशन सिंदूर " शुरू किया। यह स्थिति भारत के लिये अपनी रक्षा रणनीति का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है , **जिसमें उभरते खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये आधुनिकीकरण, स्वदेशीकरण और सुधारों पर ज़ोर दिया जाता है। रक्षा खर्च को बढ़ाना, विशेष रूप से अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना राष्ट्रीय सुरक्षा को** मज़बूत करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम हैं ।

भारत के रक्षा क्षेत्र में प्रमुख घटनाक्रम क्या हैं?

- **स्वदेशी रक्षा उत्पादन में वृद्धि: भारत ने** रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता **प्राप्त करने , आयात पर निर्भरता कम करने** में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है, जिसका उदाहरण सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची **है।**
  - इस प्रयास ने राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास दोनों में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
  - **वित्त वर्ष 2023-24** में, भारत का स्वदेशी रक्षा उत्पादन **1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गया, जो 2022-23 से 16.7% अधिक है**।
    - इसके अतिरिक्त, **अब 65% रक्षा उपकरण भारत में ही निर्मित** होते हैं, जो मेक इन इंडिया पहल की प्रभावशीलता को दर्शाता है।
- **रक्षा निर्यात विस्तार:** भारत के रक्षा निर्यात क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, **जिससे देश वैश्विक हथियार बाजार में एक प्रमुख अभिकर्त्ता के रूप में स्थापित** हो गया है।
  - भारत अब **100 से अधिक देशों को निर्यात** करता है, जिनमें **अमेरिका, फ्राँस और आर्मेनिया** प्रमुख खरीदार हैं।
  - वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपए तक पहुँच गया, जो **पिछले दशक की तुलना में निर्यात में 30 गुना वृद्धि दर्शाता है।**
    - सरकार ने वर्ष **2029 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपए तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है,** जिससे उसका आर्थिक और सामरिक प्रभाव मजबूत होगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **रक्षा अनुसंधान एवं विकास में तकनीकी प्रगति:** iDEX **(रक्षा उत्कृष्टता के लिये नवाचार)** और **प्रौद्योगिकी विकास निधि (TDF)** के माध्यम से तकनीकी नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने से भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है।
  - ये कार्यक्रम स्टार्टअप्स और एमएसएमई को रक्षा अनुसंधान में संलग्न होने में सक्षम बनाते हैं, जिससे तेजी से स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिलता है।
  - फरवरी 2025 तक, **549 समस्या विवरण जारी किये गए, जिनमें 619 स्टार्टअप रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के साथ सहयोग** कर रहे हैं।
- **रक्षा औद्योगिक गलियारे (DIC) का विकास: भारत ने** स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिये **उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में** दो **रक्षा औद्योगिक गलियारे** स्थापित किये हैं।
  - ये गलियारे उद्योगों को महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, जिससे रक्षा विनिर्माण के लिये अनुकूल वातावरण तैयार होता है।
  - इन कॉरिडोर में पहले ही 8,658 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा चुका है। इन कॉरिडोर का लक्ष्य 53,439 करोड़ रुपए का संभावित निवेश आकर्षित करना है, जो इन्हें **भारत के रक्षा औद्योगिक विस्तार के लिये महत्त्वपूर्ण** बनाता है।
- **नवीनतम खरीद के साथ सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण: भारत उच्च तकनीक अधिग्रहण के साथ अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें** हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (LCH) और **उन्नत टोड आर्टिलरी गन सिस्टम (ATAGS)** की खरीद शामिल है।
  - मार्च 2025 में **156 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टरों के लिये 62,700 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किये गए**, जिससे भारत की हवाई क्षमताएँ मज़बूत होंगी।
  - भारतीय वायु सेना (IAF) ने उच्च परिशुद्धता वाले हथियारों को भी एकीकृत किया है, जैसे कि स्कैल्प क्रूज़ मिसाइल, हैमर प्रिसिज़न-गाइडेड बम,और लोइटरिंग म्यूनिशन, **जिनका उपयोग ऑपरेशन सिंदूर** में सटीक हमलों के लिये किया गया था, जिससे उच्च सटीकता और न्यूनतम संपार्श्विक क्षति सुनिश्चित हुई।
- **सामरिक रक्षा साझेदारी और वैश्विक कूटनीति:** वैश्विक रक्षा निर्यातक के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका को अमेरिका, फ्राँस और रूस जैसे देशों के साथ सामरिक साझेदारी का समर्थन प्राप्त है।
  - इंडोनेशिया को 3,800 करोड़ रुपए मूल्य का ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात सौदा मिसाइल प्रणालियों में भारत की तकनीकी दक्षता को दर्शाता **है** ।
  - इसके अतिरिक्त, **जापान, फिलीपींस और मलेशिया जैसे देशों के साथ बहुपक्षीय रक्षा अभ्यासों में भारत की भागीदारी** वैश्विक सुरक्षा में एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में इसकी स्थिति को और मज़बूत करती है।
- **महत्त्वपूर्ण रक्षा प्लेटफार्मों का स्वदेशीकरण:** भारत महत्त्वपूर्ण प्रणालियों के स्वदेशीकरण के माध्यम से विदेशी सैन्य प्लेटफार्मों पर अपनी निर्भरता को काफी हद तक कम कर रहा है।
  - एक महत्त्वपूर्ण विकास आईएनएस विक्रांत है, जो भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है, जिसे वर्ष 2022 में नौसेना में शामिल किया जाएगा। जिसमें **76% स्वदेशी सामग्री है,** जटिल नौसैनिक प्लेटफार्मों को डिज़ाइन और निर्माण करने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करता है।
  - इसके अतिरिक्त, भारतीय सेना द्वारा **टी-90 भीष्म टैंक का ओवरहाल,** अपने मौजूदा बेड़े के जीवन चक्र को बढ़ाने के लिये राष्ट्र की प्रतिबद्धता को उजागर करता है।
- **रक्षा परीक्षण अवसंरचना:** भारत स्वदेशी प्रणालियों की विश्वसनीयता और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिये रक्षा उपकरणों के लिये अपने परीक्षण अवसंरचना को तेजी से बढ़ा रहा है।
  - **रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना (DTIS)** का उद्देश्य पूरे भारत में अत्याधुनिक परीक्षण और प्रमाणन सुविधाएँ स्थापित करना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- फरवरी 2025 तक, **7 परीक्षण केंद्रों को मंज़ूरी** दी गई, जो मानव रहित हवाई प्रणालियों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है।
  - बुनियादी ढाँचे में यह **वृद्धि भारत को उन्नत परीक्षण करने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में सक्षम बनाएगी, जिससे** देश के आत्मनिर्भरता लक्ष्यों को समर्थन मिलेगा।

भारत के रक्षा क्षेत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ कौन-सी हैं?

- **प्रौद्योगिकीय अंतराल और आयात पर निर्भरता:** स्वदेशीकरण में प्रगति के बावजूद, भारत का रक्षा क्षेत्र अभी भी **स्वदेशी रूप से उच्च तकनीक प्रणालियों को विकसित करने में चुनौतियों** का सामना कर रहा है।
  - यह निर्भरता भारत के रक्षा क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य में बाधा डालती है। वर्ष 2023 तक, **भारत के रक्षा खरीद बजट का 36% अभी भी विदेशी आयातों** के लिये आवंटित किया जाता है, जिससे तकनीकी क्षमताओं में अंतर पर प्रकाश पड़ता है।
- **रक्षा खरीद में नौकरशाही विलंब:** भारत की रक्षा खरीद प्रक्रिया की अक्सर नौकरशाही अकुशलताओं के कारण धीमी गति के कारण आलोचना की जाती है, जिससे सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में काफी विलंब होता है।
  - **अनुबंधों के अनुमोदन और उपकरणों की डिलीवरी** के बीच लंबी समयावधि, परिचालन तत्परता और रणनीतिक योजना में बाधक है।
  - इसने भारत की रक्षा खरीद को प्रभावित किया है तथा **राफेल लड़ाकू विमानों और स्कॉर्पीन पनडुब्बियों जैसे पिछले सौदों** में विलंब हुआ है।
- **आधुनिकीकरण के लिये रक्षा बजट आवंटन अपर्याप्त:** यद्यपि रक्षा बजट में वृद्धि देखी गई है, फिर भी आधुनिक युद्ध की उभरती ज़रूरतों और रक्षा उद्योग के विकास को पूरा करने के लिये आवंटन अपर्याप्त है।
  - रक्षा अनुसंधान एवं विकास के लिये प्रावधान बहुत कम है, **डीआरडीओ को कुल रक्षा बजट का केवल 3.94%** ही प्राप्त होता है।
  - वर्ष 2025-26 में रक्षा मंत्रालय ने ₹6.81 लाख करोड़ आवंटित किये हैं लेकिन केवल ₹1.8 लाख करोड़ सेना के आधुनिकीकरण के लिये है, जिससे आधुनिकीकरण की ज़रूरतों और उपलब्ध धन के बीच अंतराल पर प्रकाश पड़ता है।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी और सार्वजनिक-निजी सहयोग:** यद्यपि रक्षा विनिर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है, फिर भी **सार्वजनिक और निजी संस्थाओं के बीच मज़बूत सहयोग** को बढ़ावा देने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
  - रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र अभी भी अप्रभावी बना हुआ है, जिसमें **सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ प्रभावी** हैं जबकि निजी क्षेत्र के हितधारकों को प्रमुख रक्षा परियोजनाओं तक पहुँचने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
  - **तेलंगाना में JSW डिफेंस के ड्रोन निर्माण** जैसे हालिया निवेश उत्साहजनक हैं, लेकिन कुल उत्पादन का केवल **21%** ही निजी क्षेत्र से आता है, जो सीमित है।
- **सीमित निर्यात बाज़ार और प्रतिस्पर्द्धात्मकता:** रक्षा निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, भारत को **संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन जैसे स्थापित हितधारकों से प्रतिस्पर्द्धा** के कारण प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में प्रवेश करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
  - भारत का रक्षा निर्यात बढ़ रहा है, लेकिन मात्रा और प्रौद्योगिकी दोनों के मामले में यह अभी भी वैश्विक हितधारकों से कम है।
  - फरवरी 2025 में इंडोनेशिया को ब्रह्मोस **मिसाइल निर्यात सौदा** एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, लेकिन भारत का समग्र रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपए है, जो अमेरिका और रूस जैसे प्रमुख निर्यातकों से काफी कम है।
    - **तेजस लड़ाकू विमान** जैसी प्रणालियों के लिये प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध हासिल करने की धीमी गति, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करने में भारत के संघर्ष को दर्शाती है।
- **साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में भेद्यता:** जैसे-जैसे युद्ध विकसित हो रहा है, साइबर सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं की आवश्यकता भी बढ़ गई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- चीन जैसे प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में **भारत का वर्तमान साइबर सुरक्षा ढाँचा और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध** प्रणाली अविकसित है।
- भारत की **साइबर सुरक्षा रणनीति**, अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है।
  - इसका एक प्रमुख उदाहरण **वर्ष 2020 में मुंबई में भारत के पावर ग्रिड पर हुआ साइबर हमला** है, जिसका श्रेय चीन समर्थित समूह को दिया जाता है।

- **बाधित आंतरिक सुरक्षा और उग्रवाद का खतरा:** भारत को आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें **उग्रवाद और सीमापार आतंकवाद** शामिल है, **विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर** जैसे क्षेत्रों में।
  - हाल **ही में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले** के साथ-साथ पूर्वोत्तर में जारी उग्रवाद के मुद्दे (जैसे **मणिपुर में कुकी-मैती संघर्ष**), भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को रेखांकित करते हैं।
    - ये सुरक्षा मुद्दे उन संसाधनों को सीमित कर देते हैं जिन्हें **अन्यथा पारंपरिक युद्ध के क्रम में सेना के आधुनिकीकरण** के लिये समर्पित किया जा सकता था।
- **एकीकृत रक्षा रणनीति का अभाव:** भारत की रक्षा योजना, तीनों सशस्त्र बलों के बीच एकीकरण के अभाव से ग्रस्त है, जो अलग-अलग कार्य करते हैं।
  - **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद** के सृजन के बावजूद **सेना, नौसेना और वायु सेना की रणनीतियों, संसाधनों और क्षमताओं में सामंजस्य** स्थापित करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
  - इन एकीकरण चुनौतियों का एक उल्लेखनीय उदाहरण **एकीकृत थिएटर कमांड का विलंबित कार्यान्वयन** है, जो सेवाओं के बीच संयुक्तता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया एक प्रमुख सुधार है।

भारत अपने रक्षा क्षेत्र को और उन्नत करने के लिये क्या उपाय अपना सकता है?

- **रक्षा प्रौद्योगिकी नवाचार पर अधिक बल:** भारत को **अपनी सैन्य क्षमताओं के आधुनिकीकरण के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग और स्वायत्त प्रणालियों** जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिये।
  - समर्पित अनुसंधान केंद्रों की स्थापना करके तथा **अग्रणी वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ सहयोग को बढ़ावा देकर**, भारत प्रमुख रक्षा प्रौद्योगिकियों में स्वदेशी विकास को गति दे सकता है।
  - इससे विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं पर निर्भरता कम होगी और साइबर युद्ध, निर्देशित युद्ध सामग्री और अगली पीढ़ी की रडार प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में भारत की प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ेगी।
- **सामरिक रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र सहयोग:** रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू), निजी कंपनियों तथा शिक्षाविदों के बीच निर्बाध एकीकरण, नवाचार को बढ़ावा देने और उत्पादन दक्षता सुनिश्चित करने के लिये अत्यंत आवश्यक है।
  - सार्वजनिक-निजी नवाचार प्रयोगशालाओं जैसे सहयोगी मंचों की स्थापना से नये रक्षा उत्पादों के विकास में तेजी लाई जा सकती है।
  - साथ ही, **खरीद अनुबंधों और प्रारंभिक वित्तपोषण** तक आसान पहुँच के माध्यम से रक्षा स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, जिससे जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
- **व्यापक रक्षा कौशल विकास कार्यक्रम:** स्वदेशी रक्षा उत्पादन में निरंतर वृद्धि के लिये उच्च-स्तरीय कुशल कार्यबल का विकास अत्यंत आवश्यक है।
  - भारत को विशेष रक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने चाहिये तथा कौशल विकास के लिये वैश्विक रक्षा निगमों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिये।
  - शीर्ष स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी में एक समर्पित "रक्षा प्रतिभा अकादमी" की स्थापना, रक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप **इंजीनियरों, तकनीशियनों एवं साइबर विशेषज्ञों** की एक सशक्त श्रृंखला तैयार कर सकती है।
    - ऐसी पहल उन्नत कौशल में अंतर को दूर करेगी तथा अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं को बढ़ाएगी।
- **कुशल रक्षा खरीद:** भारत को **सशस्त्र बलों के समयबद्ध आधुनिकीकरण** में बाधा बनने वाली देरी और अकुशलता को दूर करने हेतु **अपनी खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित** करना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- यह लक्ष्य तीव्र एवं अधिक पारदर्शी अनुमोदन तंत्र लागू करने से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सम्पूर्ण खरीद चक्र को डिजिटल बनाना।
- साथ ही, **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी)** में **"वैश्विक खरीद"** की अपेक्षा "भारतीय खरीद" को प्राथमिकता देने से घरेलू रक्षा उद्योग को प्राथमिकता मिल सकेगी, जिससे डिलीवरी की समयसीमा में सुधार तथा गुणवत्ता नियंत्रण बेहतर होगा।।

- **रक्षा निर्यात चैनलों और कूटनीति को सशक्त करना:** भारत को नये बाज़ारों की पहचान कर, राजनयिक संबंधों को मजबूत बनाकर एवं अंतर्राष्ट्रीय रक्षा निविदाओं तक आसान पहुँच सुनिश्चित करके अपनी रक्षा निर्यात रणनीति को सुदृढ़ बनाना चाहिये।
  - **अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका के** देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाने से भारत के रक्षा उत्पादों के लिये नए रास्ते खुल सकते हैं।
  - भारत बहुपक्षीय रक्षा मंचों का लाभ उठाकर स्वयं को उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकियों के एक विश्वसनीय निर्यातक के रूप में स्थापित कर सकता है, जिससे उसका भू-राजनीतिक प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा।
- **रक्षा नवाचार क्षेत्रों की स्थापना: भारत को उच्च तकनीक सैन्य नवाचारों पर केंद्रित समर्पित रक्षा नवाचार क्षेत्र (Defence Innovation Zones - DIZ) की स्थापना करनी चाहिये।।**
  - ये क्षेत्र अगली पीढ़ी की प्रणालियों—जैसे ड्रोन, साइबर रक्षा समाधान एवं उपग्रह प्रौद्योगिकियों—के विकास हेतु केंद्रित केन्द्र के रूप में कार्य करेंगे।
  - ये स्टार्टअप्स एवं स्थापित कंपनियों को संयुक्त समाधानों पर कार्य करने हेतु प्रेरित करेंगे, क्षेत्रीय नवाचार को बढ़ावा देंगे तथा अनुसंधान परियोजनाओं हेतु कर प्रोत्साहन एवं वित्तपोषण प्रदान करेंगे।
- **उन्नत साइबर सुरक्षा और डिजिटल रक्षा ढाँचा:** बढ़ते साइबर खतरों से निपटने के लिये भारत को सैन्य नेटवर्क एवं महत्वपूर्ण ढाँचों की रक्षा हेतु एक समर्पित राष्ट्रीय रक्षा साइबर कमांड (NDCC) की स्थापना करनी चाहिये।
  - यह कमान अनुकूलित **साइबर सुरक्षा उपायों के निर्माण**, एआई-आधारित रणनीतियों के एकीकरण और वैश्विक साइबर सुरक्षा फर्मों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी।
  - साथ ही, **भारत को सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में साइबर युद्ध सिमुलेशन** को शामिल करना चाहिये ताकि कर्मियों को वास्तविक समय के साइबर हमलों से निपटने हेतु प्रशिक्षित किया जा सके।
- **अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ रक्षा-औद्योगिक सहयोग को मजबूत करना: भारत को रक्षा प्रणालियों**, विशेष रूप से एयरोस्पेस, जहाज़ निर्माण और उन्नत मिसाइल प्रौद्योगिकियों के सह-विकास में तेजी लाने के लिये विदेशी रक्षा कंपनियों के साथ अपने सहयोग को गहन बनाना चाहिये।
  - **अंतर्राष्ट्रीय OEMs (मूल उपकरण निर्माताओं)** के साथ संयुक्त उद्यम, न केवल महत्त्वपूर्ण तकनीकी विशेषज्ञता लायेंगे बल्कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों के माध्यम से भारत को अत्याधुनिक तकनीकों तक पहुँच भी प्रदान करेंगे।

निष्कर्ष:

भारत की उभरती रक्षा स्थिति महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों और दबावपूर्ण चुनौतियों दोनों को दर्शाती है। **आतंकवाद जैसे बाहरी खतरों की तात्कालिकता और** समन्वय एवं प्रौद्योगिकी में आंतरिक अंतराल साहसिक सुधारों की मांग करते हैं। **त्वरित स्वदेशीकरण, सुव्यवस्थित खरीद प्रक्रिया और एकीकृत रणनीतिक योजना** अब अनिवार्य हैं। भविष्य के लिये तैयार सेना को नवाचार, आत्मनिर्भरता और वैश्विक साझेदारी पर आधारित होना चाहिये।

■■■

भारत की वैश्विक उपस्थिति को आकार देते मुक्त व्यापार समझौते (FTAs)

यह एडिटोरियल 09/05/2025 को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित लेख "India-UK FTA could be a template for other deals" पर आधारित है। यह लेख भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों में एक मील के पत्थर के रूप में प्रस्तुत करता है, जो वैश्विक

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

व्यापार चुनौतियों के बीच प्रमुख बाज़ार पहुँच प्रदान करता है। यह श्रम अधिकारों जैसे गैर-व्यापार मुद्दों को समायोजित करके भारत की नीति में बदलाव को उजागर करता है।

हाल ही में संपन्न हुआ **भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता** द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक कदम का प्रतिनिधित्व करता है, जो वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं के बीच महत्त्वपूर्ण बाज़ार पहुँच प्रदान करता है। विशेष रूप से, भारत ने श्रम अधिकारों जैसे गैर-व्यापारिक तत्त्वों को शामिल करके अभूतपूर्व लचीलापन दिखाया है, जो नीतिगत विकास की एक महत्त्वपूर्ण दिशा को दर्शाता है। **हाल के वर्षों में FTA पर भारत के समग्र रुख में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है।** कभी व्यापार उदारीकरण को लेकर संशय रखने वाला भारत अब सक्रिय रूप से रणनीतिक व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ा रहा है जैसा कि **FTA, यूएई और ऑस्ट्रेलिया** के साथ समझौतों से स्पष्ट है।

मुक्त व्यापार समझौते भारत के सामरिक और आर्थिक हितों को कैसे बढ़ाते हैं?

- **भारतीय वस्तुओं के लिये बाज़ार पहुँच में वृद्धि:** FTA टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करके विदेशी बाज़ारों तक पहुँच को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ाते हैं।
  - उदाहरण के लिये, **भारत-यूएई CEPA भारत के 90% से अधिक निर्यातों तक शुल्क मुक्त पहुँच सुनिश्चित करता है,** जिसमें वस्त्र, रत्न और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं।
  - यह महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इससे भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्द्धात्मकता (विशेष रूप से श्रम-प्रधान क्षेत्रों में) हासिल करने में मदद मिलेगी।
    - CEPA को अपनाने के बाद पहले वर्ष में, संयुक्त अरब अमीरात को भारत के निर्यात में 12% की वृद्धि हुई।
- **निवेश के बेहतर अवसर:** FTA निवेशकों के लिये स्थिर और पूर्वानुमानित वातावरण प्रदान करके **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को प्रोत्साहित करते हैं।**
  - **भारत -ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA)** प्रमुख क्षेत्रों पर टैरिफ में पर्याप्त छूट प्रदान करता है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ता है।
  - व्यापार बाधाओं को कम करके, **भारत अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** आकर्षित कर रहा है, जो प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और बुनियादी ढाँचे जैसे क्षेत्रों के लिये महत्त्वपूर्ण है।
    - वर्ष 2024 तक, **ऑस्ट्रेलिया से FDI प्रवाह में 25% की वृद्धि** हुई है, जो निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने में ECTA के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।
- **भारतीय व्यवसायों की बेहतर प्रतिस्पर्द्धात्मकता:** FTA के तहत व्यापार उदारीकरण प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देता है, जिससे भारतीय कंपनियों को नवाचार करने और दक्षता में सुधार हेतु मजबूर होना पड़ता है।
  - वस्त्र जैसे क्षेत्रों में, **भारत-आसियान FTA ने परिधान जैसे प्रमुख उत्पादों पर टैरिफ कम करके भारतीय निर्यात** को बढ़ावा दिया है।
  - उदाहरण के लिये, **FTA के बाद आसियान देशों को भारत के कपड़ा निर्यात में 15% की वृद्धि हुई,** जिससे इस क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार हुआ। इससे भारतीय उद्योगों के लिये दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित होता है।
- **सेवा क्षेत्र को मज़बूती:** FTA, विशेष रूप से विकसित देशों के साथ, **सूचना प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा** सहित भारतीय सेवाओं के लिये बेहतर पहुँच प्रदान करते हैं।
  - उदाहरण के लिये **भारत-यूके FTA** भारतीय पेशेवरों के लिये विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में, यूके के श्रम बाज़ार तक आसान पहुँच सुनिश्चित करता है।
  - ऐसे प्रावधानों से न केवल विदेशों में भारतीय पेशेवरों के लिये **रोज़गार उत्पन्न होगा, बल्कि धन** प्रेषण में भी वृद्धि होगी।
    - **भारत के आईटी निर्यात, जो कुल सेवा निर्यात का लगभग 25%** है, में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसमें FTA के बाद ब्रिटेन का हिस्सा 17% होगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लाभ:** साझेदार देशों के साथ FTA से भारतीय कृषि निर्यात के लिये नए बाज़ार खुलते हैं, जिससे ग्रामीण आय के स्तर में सुधार होता है।
  - **भारत-मॉरीशस CECPA** ने चीनी और चाय जैसे उत्पादों पर शुल्क में कटौती करके **भारत के** कृषि निर्यात को बढ़ाया है।
  - कृषि-केंद्रित व्यापार को बढ़ावा देकर, FTA किसानों को निर्यात के नए अवसर प्रदान करते हैं।
- **प्रौद्योगिकी और ज्ञान हस्तांतरण:** एफटीए विशेष रूप से विनिर्माण, हरित ऊर्जा और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करते हैं।
  - **भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA भारत को नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में उन्नत ऑस्ट्रेलियाई प्रौद्योगिकी** तक पहुँच प्रदान करता है, जो भारत के ऊर्जा परिवर्तन के लिये महत्त्वपूर्ण है।
    - ECTA **से भारत में कार्बन उत्सर्जन** में कमी आने की भी उम्मीद है, जिससे पर्यावरणीय और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।
- **लघु एवं मध्यम उद्यमों (SME) के लिये समर्थन:** FTA SME के लिये वैश्विक बाज़ार हैं, जिससे उन्हें अपने परिचालन को बढ़ाने का अवसर प्राप्त होता है।
  - **भारत-सिंगापुर CECA ने विशेष रूप** से इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भारतीय SME को सिंगापुर के बाज़ार तक पहुँच प्राप्त करने में मदद की है, जो आसियान के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।
  - यह पहुँच भारतीय SME को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVC) में शामिल होकर आगे बढ़ने में मदद करती है, जो उनके उत्पादों के लिये व्यापक बाज़ार उपलब्ध कराती है।
- **विनियामक सामंजस्य और व्यापार बाधाएँ:** FTA विभिन्न देशों के बीच विनियमों को सुसंगत बनाने में मदद करते हैं, जिससे साझेदार बाज़ारों में व्यवसायों के लिये परिचालन आसान हो जाता है।
  - उदाहरण के लिये **वर्ष 2024** में हस्ताक्षरित **भारत-EFTA TEPA,** भारत और यूरोपीय देशों में उत्पाद मानकों और प्रमाणपत्रों को संरेखित करके वस्तुओं और सेवाओं की आसान आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है।
  - यह नियामक संरेखण अनुपालन और व्यापार व्यवधान की लागत को कम करता है।

भारत के मुक्त व्यापार समझौतों से जुड़ी प्रमुख चिंताएँ क्या हैं?

- **व्यापार घाटा और असंतुलित लाभ:** भारत के FTA से संबंधित प्रमुख चिंताओं में से एक है कई साझेदार देशों, **विशेष रूप से आसियान और संयुक्त अरब अमीरात** के साथ बढ़ता व्यापार घाटा।
  - जबकि भारत को संयुक्त अरब अमीरात जैसे बाजारों तक पहुँच प्राप्त है, वहीं **उसे विशेष रूप से आसियान से आयात की बढ़ती तीव्रता** का सामना करना पड़ रहा है।
  - भारत-आसियान FTA के कारण आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो **वित्त वर्ष 2013 के 8 बिलियन डॉलर की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में 44 बिलियन डॉलर हो गया है।**
    - जबकि आसियान के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी स्थिर बनी रही, जिससे ऐसे समझौतों के असंतुलित लाभ सामने आए।
- **विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सीमित बाज़ार पहुँच:** टैरिफ में कटौती के बावजूद, भारत को कड़े नियामक मानकों जैसे गैर-टैरिफ बाधाओं के कारण विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बाज़ारों तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
  - उदाहरण के लिये भारत-यूरोपीय संघ FTA को **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) और डेटा स्थानीयकरण जैसे मुद्दों पर** देरी का सामना करना पड़ा है, जिससे यूरोपीय बाज़ार तक पूर्ण पहुँच प्रतिबंधित हो गई है।
  - भारत के समग्र वस्तु निर्यात में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी वर्ष 2001 में 18% से घटकर वर्ष 2020 में 14% हो गई, जो सिर्फ टैरिफ कटौती से परे बाधाओं का संकेत प्रदान करती है।
    - ये **गैर-टैरिफ बाधाएँ अक्सर कम टैरिफ के लाभों को नकार देती हैं।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **छोटे किसानों और असंगठित क्षेत्रों की भेद्यता:** FTA भारतीय किसानों और लघु उद्योगों को तीव्र वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने के लिये मज़बूर करते हैं, विशेष रूप से कृषि और श्रम-प्रधान क्षेत्रों में।
  - उदाहरण के लिये **भारत-आसियान FTA ने भारत के घरेलू कृषि क्षेत्र को प्रभावित किया है**, विशेष रूप से दक्षिण भारत के रबर किसानों को, जिन्हें आसियान देशों से सस्ते आयात के कारण मूल्य दबाव का सामना करना पड़ता है।
    - जैसे-जैसे **बाज़ार आयात** से भरता जा रहा है, असुरक्षित क्षेत्रों में छोटे उत्पादकों की आजीविका खतरे में पड़ती जा रही है।
- **कुछ क्षेत्रों में नौकरियों का नुकसान:** हालाँकि FTA कई क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देते हैं, लेकिन इनके परिणामस्वरूप उन उद्योगों में नौकरियों का नुकसान भी होता है जो सस्ते आयातों के साथ पर्तिस्पर्द्धा नहीं कर सकते।
  - उदाहरण के लिये, **भारत-यूएई CEPA**, वस्त्र निर्यात के लिये लाभकारी तो है, लेकिन इससे **कुछ विनिर्माण क्षेत्रों में रोज़गार भी प्रभावित हुए** हैं, जो यूएई और अन्य देशों से सस्ते आयात के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने में संघर्ष कर रहे हैं।
  - कपड़ा उद्योग में बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा के कारण घरेलू उत्पादन क्षमता में गिरावट देखी गई है **(हालाँकि हाल ही में इसमें सुधार हुआ है)**। यह विशिष्ट क्षेत्रों में घरेलू रोज़गार खोने के जोखिम को उजागर करता है।
- **पर्यावरण और श्रम मानकों से संबंधित चिंताएँ:** भारत के कई मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) में, जैसे कि यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ, श्रम अधिकारों और पर्यावरण मानकों से संबंधित प्रावधान शामिल किये गए हैं।
  - हालाँकि, इन मानकों को पूरी तरह अपनाने में भारत की अनिच्छा अक्सर सतत् व्यापार को बढ़ावा देने में ऐसे समझौतों की प्रभावशीलता को सीमित कर देती है।
  - **भारत-ब्रिटेन FTA में श्रम अधिकारों** के प्रावधान शामिल हैं, फिर भी भारत ने घरेलू नीति स्वायत्तता पर नकारात्मक प्रभाव के डर से पूरी तरह बाध्यकारी श्रम प्रावधानों का विरोध किया है।
  - इसके अलावा, **कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) जैसे पर्यावरणीय प्रावधानों के कारण स्टील और सीमेंट** जैसे कार्बन-गहन उत्पादों पर कर लगाने की धमकी दी गई है, जिससे प्रतिस्पर्द्धात्मक नुकसान की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- **एकाधिकार और बाज़ार शक्ति संबंधी चिंताएँ:** भारत के FTA अक्सर एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं के मुद्दों को हल करने में विफल रहते हैं, जिससे छोटे व्यवसायों की तुलना में बड़ी कंपनियों को अनुपातहीन रूप से लाभ प्राप्त होता है।
  - उदाहरण के लिये भारत-यूएई सीईपीए में **बड़ी कंपनियों के बाज़ार प्रभुत्व को रोकने के लिये प्रावधानों** (विशेष रूप से कपड़ा और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में) का अभाव है।
  - **भारत के फार्मास्यूटिकल निर्यात में वृद्धि देखी गई है**, लेकिन वर्ष 2018 की CCI जाँच में पाया गया कि भारतीय फार्मा कंपनियों को प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी प्रथाओं का सामना करना पड़ रहा है, जो कि उचित रूप से विनियमित नहीं होने पर FTA के तहत और भी बदतर हो सकती हैं।
    - ये अनियमित प्रथाएँ भारतीय व्यवसायों के लिये प्रतिस्पर्द्धात्मक माहौल को कमज़ोर कर सकती हैं।
- **प्रभावी विवाद समाधान तंत्र का अभाव:** FTA में अक्सर विवादों को सुलझाने के लिये मज़बूत तंत्र का अभाव होता है, विशेष रूप से व्यापार बाधाओं के मामले में जो एक पक्ष पर अनुचित प्रभाव डालते हैं।
  - **आसियान मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** के साथ भारत के अनुभव से यह स्पष्ट हुआ है कि जब व्यापारिक बाधाएँ सामने आती हैं — जैसे कृषि निर्यात पर प्रतिबंध या मशीनरी पर अत्यधिक शुल्क, तो मौजूदा विवाद निवारण तंत्र अक्सर समय पर समाधान देने में असमर्थ रहते हैं।
  - उदाहरण के लिये, पाम ऑयल निर्यात पर भारत-आसियान विवाद। भारत का तर्क है कि FTA रियायतों, गैर-टैरिफ बाधाओं, आयात विनियमों और कोटा में गैर-पारस्परिकता ने आसियान को उसके निर्यात में बाधा उत्पन्न की है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **वैश्विक व्यापार एकीकरण के लिये FTA पर रणनीतिक निर्भरता:** आलोचकों का तर्क है कि FTA पर हस्ताक्षर करने की भारत की जल्दबाजी वैश्विक बाज़ारों तक पहुँच के लिये इन समझौतों पर रणनीतिक निर्भरता को जन्म दे सकती है, जो **WTO जैसे बहुपक्षीय प्रयासों को कमज़ोर** कर सकती है।
  - भारत एक साथ एक दर्जन से अधिक मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) पर बातचीत कर रहा है, जिससे बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं में उसकी सौदेबाजी की क्षमता कमज़ोर होने का जोखिम बढ़ जाता है।

भारत अपने FTA को और मज़बूत करने के लिये क्या उपाय अपना सकता है?

- **क्षमता निर्माण के माध्यम से घरेलू प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाना:** भारत को अपने घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को मज़बूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये, **विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो FTA के तहत वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा के संपर्क में हैं।**
  - इसे प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास तथा कौशल विकास कार्यक्रमों में **लक्षित निवेश के माध्यम से प्राप्त** किया जा सकता है।
  - घरेलू आपूर्ति शृंखला को मज़बूत करना, विशेष रूप से **इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और वस्त्र जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों** में, यह सुनिश्चित करेगा कि भारतीय व्यवसाय वैश्विक बाज़ारों में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्द्धा कर सकें।
- **विवाद समाधान तंत्र को मज़बूत बनाना:** भारत को व्यापार मुद्दों का निष्पक्ष व्यवहार और समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिये अपने FTA के भीतर अधिक मज़बूत, अधिक **कुशल विवाद समाधान तंत्र का समर्थन** करना चाहिये।
  - व्यापार विवादों को सुलझाने के लिये एक मज़बूत और पारदर्शी ढाँचा स्थापित करने से **अनावश्यक देरी को रोकने और व्यापार संबंधों में भारत के हितों की रक्षा** करने में मदद मिल सकती है।
  - इसमें स्पष्ट समयसीमा, गैर-अनुपालन के लिये दंड और भारतीय निर्यातकों एवं व्यवसायों के लिये अधिक सुलभ कानूनी उपाय शामिल होंगे।
- **सतत् व्यापार प्रावधानों को शामिल करना:** वैश्विक व्यापार स्थिरता की ओर बढ़ रहा है, इसलिये भारत को ऐसे FTA पर ज़ोर देना चाहिये जिसमें पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और सतत् प्रथाओं पर **स्पष्ट और बाध्यकारी प्रावधान** शामिल हों।
  - व्यापार समझौतों में इन पहलुओं को शामिल करने से न **केवल हरित प्रौद्योगिकियों और सतत् उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा**, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि भारत के उद्योग पर्यावरण के प्रति जागरूक उत्पादों के लिये बढ़ते वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धी बने रहेंगे।
- **श्रम और सामाजिक मानकों को सुदृढ़ बनाना:** भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न रहते हुए श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिये अपने FTA के भीतर उचित श्रम मानकों और सामाजिक सुरक्षा को एकीकृत करने की दिशा में कार्य करना चाहिये।
  - ये प्रावधान **कपड़ा और कृषि जैसे क्षेत्रों में शोषण से बचने में मदद** कर सकते हैं, जो मूल्य में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हैं।
  - श्रम कल्याण के साथ आर्थिक हितों को संतुलित करके, भारत कार्य स्थितियों में सुधार कर सकता है तथा अधिक समावेशी व्यापार नीतियों को बढ़ावा दे सकता है।
- **व्यापार साझेदारों और उत्पाद क्षेत्रों का विविधीकरण: भारत को कुछ बाज़ारों या उद्योगों पर अत्यधिक निर्भरता** कम करने के लिये FTA के तहत अपने व्यापार साझेदारों और उत्पाद क्षेत्रों में विविधता लाने की आवश्यकता है।
  - विभिन्न देशों के साथ समझौते करके तथा **डिजिटल सेवाओं, हरित ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण जैसे गैर-परंपरागत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके** भारत नए अवसर उत्पन्न कर सकता है तथा यह सुनिश्चित कर सकता है कि वह वैश्विक व्यापार गतिशीलता में बदलावों के प्रति लचीला बना रहे।
- **डिजिटल व्यापार और ई-कॉमर्स एकीकरण को बढ़ावा देना: FTA के भीतर डिजिटल व्यापार ढाँचे को** शामिल करना तेज़ी से बढ़ते वैश्विक ई-कॉमर्स पारिस्थितिकी तंत्र में भारत की भागीदारी के लिये महत्त्वपूर्ण है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- भारत को ऐसे प्रावधानों पर बातचीत करनी चाहिये जो **डेटा प्रवाह, डिजिटल व्यापार और सीमा पार ई-कॉमर्स को सुविधाजनक बनाएँ**, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारतीय व्यवसाय, विशेष रूप से SME, आसानी से वैश्विक डिजिटल बाज़ारों तक पहुँच सुनिश्चित कर सकें।
- इसमें डेटा स्थानीयकरण, बौद्धिक संपदा संरक्षण और डिजिटल वस्तुओं एवं सेवाओं हेतु विनियामक सामंजस्य के प्रावधान शामिल होंगे।

- **निवेश संरक्षण और सुविधा को बढ़ावा देना:** भारत को विदेशी निवेशकों को अधिक सुरक्षा प्रदान करने और द्विपक्षीय निवेश प्रवाह को बढ़ाने के लिये **अपने FTA के साथ-साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों (BIT)** पर भी बातचीत करनी चाहिये।
  - इसमें **निवेशकों के प्रति निष्पक्ष एवं पारदर्शी व्यवहार सुनिश्चित करना, विवाद समाधान तंत्र** तथा अधिग्रहण के विरुद्ध सुरक्षा शामिल है।
  - एक मज़बूत निवेश संरक्षण ढाँचा रणनीतिक क्षेत्रों में विदेशी पूंजी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और रोज़गार सृजन को प्रोत्साहित करेगा।
- **बदलती वैश्विक गतिशीलता के आधार पर व्यापार समझौतों की निगरानी और अनुकूलन:** भारत को FTA के परिणामों की निरंतर निगरानी करने और उभरते वैश्विक रुझानों एवं घरेलू आवश्यकताओं के आधार पर नीतियों को समायोजित करने के लिये एक समर्पित तंत्र स्थापित करना चाहिये।
  - इसमें **समय-समय पर समीक्षा, सार्वजनिक परामर्श और उद्योग हितधारकों के साथ सहयोग शामिल** हो सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि FTA प्रासंगिक और उभरते आर्थिक परिदृश्य के अनुकूल बने रहें।
    - अनुकूल और उत्तरदायी बने रहकर भारत अपने व्यापार समझौतों के दीर्घकालिक लाभ को अधिकतम कर सकता है।

निष्कर्ष:

भारत के FTA **बाज़ार पहुँच** को बढ़ाते हैं, **निर्यात को बढ़ावा** देते हैं, **FDI को आकर्षित करते हैं तथा वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में सुधार करते हैं।** वे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सक्षम करते हुए सेवाओं, कृषि और MSE जैसे प्रमुख क्षेत्रों का समर्थन करते हैं। FTA को मज़बूत करने के लिये, भारत को घरेलू क्षमता का निर्माण, निष्पक्ष विवाद समाधान सुनिश्चित तथा सतत्, समावेशी व्यापार को बढ़ावा देना चाहिये।

■■■

सतत् कृषि के लिये कदन्न (मिलेट्स)

यह एडिटोरियल 05/05/2025 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित "The paddy pivot: Rethinking subsidies to drive sustainable farming" पर आधारित है। लेख में वर्तमान सरकारी व्यय को पुनर्निर्देशित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, ताकि गहन धान उत्पादन से हटकर कदन्न जैसी अधिक सतत् फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके।

भारत की धान की खेती, जिसने लंबे समय से लाखों लोगों की आजीविका का सहारा दिया है, अब **देश की पर्यावरणीय और आर्थिक स्थिरता के लिये एक बाधा के रूप में देखी जा रही है। वर्ष 2023-24 तक**, धान खाद्यान्न उत्पादन के तहत **कुल क्षेत्रफल का 36%** हिस्सा है, **जो लगभग 47.82 मिलियन हेक्टेयर** है। यह कृषि उच्च पर्यावरणीय लागत पर होती है, **जिसमें मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में योगदान तथा जल संकट** को बढ़ावा देना शामिल है।

इसके अलावा, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में धान की खेती का लंबा इतिहास होने के बावजूद अब कृषि विकास दर में गिरावट देखी जा रही है। इसने कदन्न उत्पादन जैसे सतत् कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर बहस शुरू कर दी है।

सतत् कृषि क्या है?

- **सतत् कृषि:** सतत् कृषि से तात्पर्य **ऐसी कृषि पद्धतियों** से है, जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से **समझौता किये बिना वर्तमान खाद्य और वस्त्र आवश्यकताओं** को पूरा करती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **उद्देश्य:** इन पद्धतियों का उद्देश्य कृषि उत्पादकता, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, आर्थिक लाभप्रदता और सामाजिक समानता के मध्य संतुलन स्थापित करना है।
  - सतत् कृषि **गैर-नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग को न्यूनतम करने,** जैव विविधता और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाने तथा पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव को कम करने पर केंद्रित है।
- **मुख्य विशेषताएँ:**
  - **जल संरक्षण:** ड्रिप सिंचाई, वर्षा जल संचयन और जल-कुशल फसल प्रबंधन जैसी **कुशल सिंचाई तकनीकों** को अपनाकर पानी की बर्बादी को कम करना।
  - **मृदा स्वास्थ्य: फसल चक्र (क्रॉप रोटेशन),** एग्रोफॉरेस्ट्री, कम जुताई (रिड्यूस्ड टिलेज) और जैविक उर्वरकों का उपयोग करके **मिट्टी की उर्वरता और संरचना को बनाए रखना।**
- **जैविक खेती: कृत्रिम कीटनाशकों और उर्वरकों** से बचना, स्वस्थ मिट्टी और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिये जैविक विकल्पों पर निर्भर रहना।
- **एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM):** जैविक, सांस्कृतिक और यांत्रिक नियंत्रण विधियों को मिलाकर कीटों का प्रबंधन करना तथा रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम करना।
- **जलवायु-सहनशील फसलें (Climate-Resilient Crops):** सूखा, बाढ़, कीटों और बीमारियों के प्रति **अधिक प्रतिरोधी फसलें** उगाना, जिससे किसान जलवायु परिवर्तन के अनुकूल हो सकें।
  - **पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड** को अवशोषित करने के लिये पेड़ लगाना जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहायक होगा।
  - धान की खेती जैसी **उच्च मीथेन उत्सर्जन वाली पद्धतियों को कम** करना और **कम-कार्बन कृषि तकनीकों** को अपनाना।

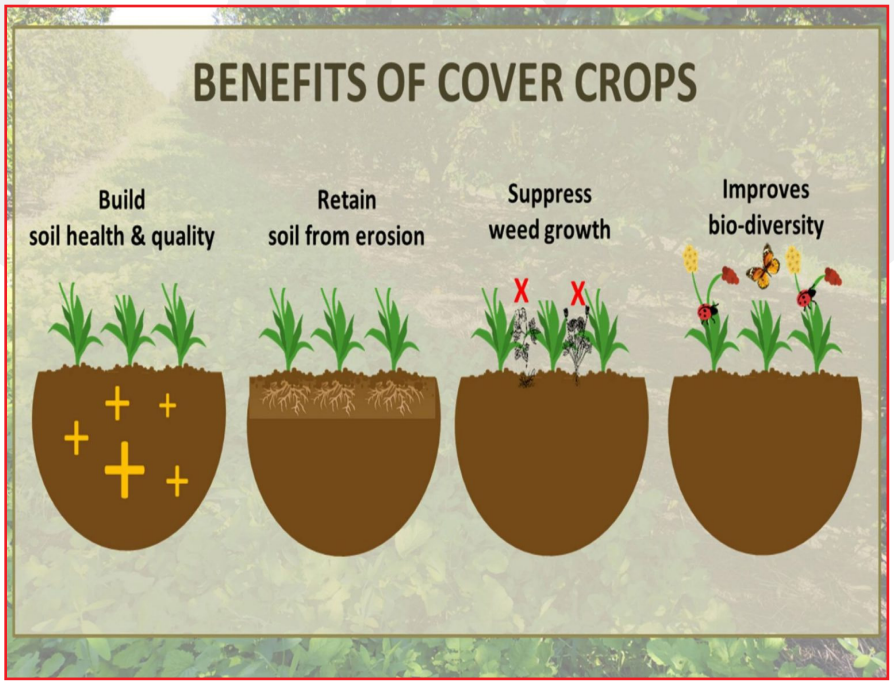

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

कदन्न (MILLETS)

कदन्न/ मिलेट्स/ मोटा अनाज:

- **छोटे-बीज वाली फसलों को** मिलेट्स के रूप में जाना जाता है
- अक्सर इन्हें **'सुपरफूड'** के रूप में भी जाना जाता है
- इन **अनाजों के प्रमाण सबसे पहले सिंधु सभ्यता में** पाए गए और ये **भोजन के लिये उगाए गए पहले पौधों में से** थे।

जलवायु संबंधी स्थिति:

- भारत में मुख्य रूप से **खरीफ की फसल**
- **तापमान:** 27°C–32°C
- **वर्षा:** लगभग 50–100 सेमी
- **मिट्टी का प्रकार:** अवर जलोढ़ या दोमट मिट्टी

भारत और कदन्न:

- **विश्व का सबसे बड़ा कदन्न उत्पादक:**
  - वैश्विक उत्पादन का 20%, एशिया के उत्पादन का 80%
- **सामान्य कदन्न:**
  - **रागी** (Finger millet), **ज्वार** (Sorghum), समा (Little millet), बाजरा (Pearl millet), और चेना /पुनर्वा (Proso millet)
  - स्वदेशी किस्में (छोटे बाजरा)–कोदो, कुटकी, चेना और साँवा
- **शीर्ष कदन्न उत्पादक राज्य:**
  - राजस्थान > कर्नाटक > महाराष्ट्र > मध्य प्रदेश > उत्तर प्रदेश
- **सरकार की पहलें:**
  - 'गहन कदन्न संवर्द्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल' (INSIMP)
  - **इंडियाज वेल्थ, मिलेट्स फॉर हेल्थ**
  - मिलेट्स स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज
  - कदन्न के लिये **एमएसपी में वृद्धि**
  - कृषि मंत्रालय ने 2018 में कदन्न को **"पोषक अनाज"** के रूप में घोषित किया

अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष वर्ष 2023

भारत द्वारा प्रस्तावित, UNGA द्वारा घोषित

MILLET MAP OF INDIA

महत्त्व

- कम महंगा, पोषण की दृष्टि से बेहतर
- उच्च प्रोटीन, फाइबर, खनिज, लोहा, कैल्शियम और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स
- जीवनशैली की समस्याओं और स्वास्थ्य (मोटापा, मधुमेह आदि) से निपटने में मददगार
- फोटो-असंवेदनशील, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीला, जल गहन

कदन्न उत्पादन के प्रमुख लाभ क्या हैं?

- **बढ़ी हुई खाद्य सुरक्षा: कदन्न** अत्यधिक पौष्टिक, प्रोटीन, फाइबर और आवश्यक खनिजों से भरपूर होता है, जो एक स्वस्थ विकल्प प्रदान करता है साथ ही मधुमेह के प्रबंधन में सहायता और बेहतर **पाचन एवं हृदय स्वास्थ्य** को बढ़ावा देता है।
- **पर्यावरणीय स्थिरता:** कदन्न **सूखा-सहिष्णु है, इसे कम-से-कम पानी, उर्वरक और कीटनाशकों** की आवश्यकता होती है, जिससे यह शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में खेती के लिए आदर्श है। इससे पानी का संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा करने में मदद मिलती है।
- **किसानों के लिये आर्थिक व्यवहार्यता:** बाजरे की **उत्पादन लागत** कम होती है, **जिससे किसानों को अधिक लाभ मिलता है**। वे विविधीकरण भी प्रदान करते हैं, जिससे एकल फसल से जुड़े आर्थिक जोखिम कम हो जाते हैं।
- **ग्रामीण आजीविका सहायता:** बाजरे की खेती ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर शुष्क भूमि क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर प्रदान करती है तथा खाद्य उत्पादन एवं पशु चारे के माध्यम से आय में सुधार कर सकती है।
- **वैश्विक बाज़ार विस्तार:** भारत कदन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, जिसके बाद नाइज़र और चीन का स्थान आता है। **वर्ष 2020 में वैश्विक कदन्न उत्पादन 28 मिलियन मीट्रिक टन रहा**, जिसकी प्रमुख खपत अफ्रीका और एशिया में है।
- **सतत् विकास लक्ष्यों के लिये समर्थन:** कदन्न उत्पादन को बढ़ावा देना **जीरो हंगर, जलवायु कार्रवाई और स्वच्छ जल जैसे वैश्विक लक्ष्यों** के साथ संरेखित है, जो सतत् कृषि और जलवायु अनुकूलता में योगदान प्रदान करता है।

भारत में धान की खेती के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- **आर्थिक कारक: धान की खेती** की पर्यावरणीय और **संसाधन-गहन प्रकृति के बावजूद, यह किसानों के लिये आर्थिक रूप से लाभदायक बनी हुई है। उदाहरण के लिये, वर्ष 2023-24 के आँकड़ों** के अनुसार **पंजाब** जैसे राज्यों में धान की खेती से सकल लाभ उल्लेखनीय रूप से अधिक है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- दूसरी ओर, **मोटे अनाज** (जैसे, कदन्न और ज्वार) कम पानी और उर्वरक की आवश्यकता के कारण पर्यावरण की दृष्टि से अधिक अनुकूल हैं, लेकिन वे धान जितने लाभदायक नहीं हैं।
- **सरकार द्वारा धान उत्पादन के लिये** दी जाने वाली पर्याप्त सब्सिडी, जिसमें सिंचाई और उर्वरक के लिये ईंधन और बिजली सब्सिडी भी शामिल है, इसे किसानों के लिये आर्थिक रूप से आकर्षक विकल्प बनाती है।

- **किसानों में बदलाव के प्रति प्रतिरोध:** किसान फसल बदलने के मामले में स्वाभाविक रूप से जोखिम से बचते हैं। कृषि मौसम की स्थिति, उत्पादन में उतार-चढ़ाव और बाज़ार मूल्यों पर अत्यधिक निर्भर होने के कारण, यहाँ एक महत्त्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक बाधा उत्पन्न होती है।
- किसानों को यह विश्वास नहीं होता कि पर्यावरणीय लाभ के बावजूद कदन्न जैसी फसलों में बदलाव से उन्हें समान या अधिक मुनाफा होगा, खासकर जब कदन्न की कीमतों में प्रति वर्ष काफी भिन्नता होती है।
- वर्तमान कृषि परिस्थितियों में कदन्न, धान की तुलना में प्रति हेक्टेयर कम उपज प्रदान कर सकता है, हालाँकि यह अधिक अनुकूल और संसाधन-कुशल है।
- **बुनियादी ढाँचा और जानकारी का अभाव:** कदन्न प्रसंस्करण और विपणन के लिये बुनियादी ढाँचे की कमी (विशेष रूप से धान की तुलना में) है।
- **धान के लिये आपूर्ति शृंखला और प्रसंस्करण बुनियादी ढाँचा** तो स्थापित है, लेकिन बाजरे को अभी भी भंडारण, परिवहन और बाजार तक पहुँच से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे बाजरे की व्यावसायिक व्यवहार्यता बाधित होती है।
- **पंजाब और हरियाणा जैसे पारंपरिक चावल उगाने वाले राज्यों** में कई किसानों के पास कदन्न उगाने की तकनीकी जानकारी का अभाव है। इस ज्ञान की कमी को सरकारी पहलों और कृषि विस्तार सेवाओं के माध्यम से दूर करने की आवश्यकता है।

- **सांस्कृतिक और सामाजिक कारक:** पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में खेती सांस्कृतिक और पारंपरिक पद्धतियों में गहराई से अंतर्निहित है, जहाँ धान की खेती पीढ़ियों से चली आ रही है।
- फसल बदलने का विचार न केवल एक आर्थिक निर्णय है, बल्कि एक सांस्कृतिक निर्णय भी है।
- इस सामाजिक जड़ता पर काबू पाने के लिए बाजरे की खेती के लाभों के बारे में किसानों की मानसिकता बदलने के लिए ठोस प्रयास की आवश्यकता है।
- **नीतिगत कमियाँ और विनियामक बाधाएँ:** हालांकि सरकार ने **अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष (2023)** जैसे अभियानों के माध्यम से कदन्न के प्रति जागरूकता बढ़ाई है, लेकिन बड़े पैमाने पर कदन्न खेती को प्रोत्साहित करने वाली नीतिगत संरचना में अभी कमियाँ हैं।
  - धान और गेहूँ जैसी मुख्य फसलों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा पर ही मुख्य ध्यान दिया गया है, जबकि **कदन्न को सरकारी खरीद, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और सब्सिडी** के मामले में अक्सर अनदेखा किया जाता रहा है।

सतत् कृषि पद्धतियों से संबंधित भारत की पहल क्या हैं?

- सतत् कृषि पर राष्ट्रीय मिशन
- परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)
- कृषि वानिकी पर उप-मिशन (SMAF)
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
- प्राकृतिक खेती हेतु राष्ट्रीय मिशन
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

सतत् कृषि को बढ़ावा देने के लिये क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

- **धान उत्पादन को संसाधन-प्रचुर क्षेत्रों में स्थानांतरित करना:** छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों में भूमि और जल संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं, जो उन्हें धान उत्पादन बढ़ाने के लिये आदर्श बनाते हैं।
  - दूसरी ओर, **पंजाब और हरियाणा,** जो राष्ट्रीय खाद्यान्न भंडार में केवल **8.8% और 3.8 % का योगदान** प्रदान करते हैं, खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाले बिना धान उत्पादन को कम कर सकते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **सतत् पद्धतियों के लिये वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना:** किसानों को पर्यावरण की दृष्टि से लाभकारी पद्धतियों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन महत्त्वपूर्ण हैं।
  - वर्तमान प्रोत्साहन तंत्र में सुधार किया जाना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक कल्याण और खाद्य सुरक्षा को बनाए रखते हुए धान किसानों को पर्याप्त समर्थन मिले।
  - अध्ययनों से पता चलता है कि प्रोत्साहन राशि को दोगुना करके **35,000 रुपए प्रति हेक्टेयर करने से, जिसे केंद्र और राज्य सरकारों** द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा, कदन्न जैसी सतत् फसलों की ओर रुख अधिक आकर्षक हो जाएगा।
- **सरकारी व्यय का पुनर्नियोजन:** सरकार धान उत्पादन और खरीद पर महत्त्वपूर्ण व्यय करती है।
  - वर्ष 2023-24 में, पंजाब और हरियाणा ने धान सब्सिडी पर क्रमशः ₹1,55,004 और ₹83,836 प्रति हेक्टेयर खर्च किये, जो किसानों द्वारा **अर्जित सकल लाभ** का लगभग तीन गुना अधिक है।
  - इस व्यय को कदन्न उत्पादन की ओर पुनर्निर्देशित करने से सरकार पर राजकोषीय बोझ कम हो सकता है, जिससे अधिक संसाधन-कुशल फसलों की ओर रुख को बढ़ावा मिलेगा।
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से निधि स्थापित करना:** DBT प्रणाली उन किसानों को नकद प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है, जो धान की खेती नही करते हैं तथा उन्हें कदन्न जैसी सतत् फसलों की खेती करने या भूमि को खाली छोड़ने के लिये प्रोत्साहित कर सकती है।
  - सरकारें संयुक्त रूप से धान किसानों के सकल लाभ के बराबर या उससे अधिक नकद प्रोत्साहन प्रदान कर सकती हैं, **जो 53,479 रुपये प्रति हेक्टेयर है।**
- **राजकोषीय बचत और पुनर्निवेश:** धान सब्सिडी और खरीद पर सरकारी व्यय को आधा करके, सरकार अगले दशक में **पंजाब और हरियाणा में ₹6 लाख करोड़** से अधिक की बचत कर सकती है।
  - इन बचतों को बाजरे के लिये मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाने, बाजरे के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये बुनियादी ढाँचे के निर्माण और पर्यावरण कायाकल्प में पुनर्निवेश किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

भारतीय कृषि को स्थिरता की दिशा में अपनी पद्धतियों पर पुनर्विचार करने की तत्काल आवश्यकता है तथा गहन धान उत्पादन से हटकर कदन्न उत्पादन की ओर बढ़ने की ज़रूरत है। **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) जैसी पहलों के माध्यम से किसानों को नकद प्रोत्साहन प्रदान करके** इसे संभव बनाया जा सकता है और इस तरह के प्रोत्साहन न केवल किसानों को नई प्रथाओं को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करेंगे, बल्कि वे अधिक कृषि स्थिरता को भी बढ़ावा देंगे।

■■■

HDR- 2025 और AI-संचालित मानव विकास

यह एडिटोरियल 08/05/2025 को बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित "Signals from HDI ranking: Public delivery of social infra is key weakness" पर आधारित है। लेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्ष 2023 में भारत का HDI रैंक 133 से बेहतर होकर 130 हो गया है, फिर भी असमानता, लैंगिक असमानता और स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर अपर्याप्त सार्वजनिक व्यय प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

भारत ने वर्ष 2022 में अपने **मानव विकास सूचकांक (HDI)** की रैंकिंग में 133 से वर्ष 2023 में 130 तक सुधार किया है, जो निरंतर प्रगति को दर्शाता है। मध्यम **मानव विकास श्रेणी में** रहते हुए भी, भारत का HDI मूल्य हाल के दशकों में **53% से अधिक बढ़ गया** है, जो वैश्विक और दक्षिण एशियाई औसत से आगे है। वर्ष 2025 की HDI रिपोर्ट **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)** को भविष्य के विकास के लिये एक प्रमुख चालक के रूप में उजागर करती है, विशेष रूप से **स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और शासन** में। हालाँकि, यह **समावेशी, मानव-केंद्रित AI नीतियों की आवश्यकता पर ज़ोर** देता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक **समान रूप से और प्रभावी रूप से पहुँचे।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मानव विकास सूचकांक (HDI) क्या है?

- HDI के संदर्भ में: मानव विकास सूचकांक (**HDI**) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा विकसित एक समग्र सूचकांक है जो मानव विकास के तीन प्रमुख आयामों के आधार पर देशों का आकलन कर उनकी रैंकिंग करता है।
  - मानव विकास सूचकांक (HDR) को वर्ष **1990 में UNDP** द्वारा प्रकाशित प्रथम मानव विकास रिपोर्ट (HDR) के भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया था।
  - इसकी संकल्पना पाकिस्तानी अर्थशास्त्री **महबूब उल हक** और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता **अमर्त्य सेन** द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य विकास के विशुद्ध आर्थिक उपायों से ध्यान हटाकर मानव कल्याण की अधिक समावेशी समझ पर ध्यान केंद्रित करना था।
- **HDI के पैरामीटर:**
  - **स्वास्थ्य आयाम:**
    - **संकेतक:** जन्म के समय जीवन प्रत्याशा।
    - यह एक नवजात शिशु के जीवित रहने की अपेक्षित औसत वर्षों की संख्या का आकलन करता है, यह मानते हुए कि वर्तमान मृत्यु दर स्थिर रहेगी।
  - **शिक्षा आयाम:**
    - **संकेतक:**
- **स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष:** 25 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों द्वारा प्राप्त शिक्षा के औसत वर्षों की संख्या।
- **स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष:** शिक्षा प्रणाली में प्रवेश करने वाले बच्चे को स्कूली शिक्षा के कुल वर्षों की संख्या।
  - यह विकास के लिये आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की क्षमता को दर्शाता है।
  - **जीवन स्तर आयाम:**
    - **संकेतक: प्रति व्यक्ति** सकल राष्ट्रीय आय (GNI) (PPP समायोजित)।
    - यह नागरिकों की औसत आय को दर्शाता है, जिसे जीवन-यापन की लागत और मुद्रास्फीति दर में अंतर के लिये समायोजित किया जाता है।

मानव विकास सूचकांक (HDI) का क्या महत्त्व है?

- **विकास का समग्र मापक:** HDI आर्थिक विकास से परे **विकास पर एक व्यापक परिप्रेक्ष्य** प्रदान करता है, जिसमें **स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर** पर ज़ोर दिया जाता है।
  - GDP केवल आर्थिक उत्पादकता मापता है, जबकि HDI व्यक्ति की जीवन गुणवत्ता और **समग्र गुणवत्ता और कल्याण का मूल्यांकन** करता है तथा राष्ट्रीय प्रगति की अधिक समावेशी तस्वीर पेश करता है।
- **नीति निर्माण और लक्षित हस्तक्षेप:** सरकारें **नीतिगत अंतरालों का अभिनिर्धारण करने** और सामाजिक एवं आर्थिक संकेतकों में सुधार के लिये रणनीति बनाने हेतु HDI का उपयोग करती हैं।
  - यह नीति निर्माताओं को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आय वितरण जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है, जिससे **लक्षित** कल्याणकारी योजनाएँ बनाई जा सकती हैं जो विकास संबंधी असमानताओं को दूर कर सकती हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय तुलना और बेंचमार्किंग:** मानव विकास सूचकांक (HDI) **देशों के बीच विकासात्मक प्रगति की तुलना** करने में सहायता करता है तथा वैश्विक असमानताओं एवं सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है।
  - देश दूसरों के मुकाबले अपने प्रदर्शन का मानक तय कर सकते हैं, जिससे **प्रतिस्पर्द्धी विकास को प्रोत्साहन** मिलता है और उच्चतर मानव विकास मानकों को प्राप्त करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलता है।
- **मानव कल्याण और जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना:** यह फोकस को मात्र आर्थिक समृद्धि से हटाकर **मानव कल्याण और जीवन की गुणवत्ता** पर केंद्रित करता है।
  - स्वास्थ्य और शिक्षा संकेतकों को एकीकृत करके, HDI इस बात पर ज़ोर देता है कि सतत् विकास में लोगों का कल्याण भी शामिल होना चाहिये, न कि केवल आर्थिक मापदंड।
- **सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के लिये संकेतक: HDI** संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) **को** प्राप्त करने की दिशा में प्रगति की निगरानी के लिये एक महत्त्वपूर्ण

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

उपकरण है, विशेष रूप से **स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन** जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति का मूल्यांकन करने हेतु।

- HDI यह दर्शाने का उपकरण है कि राष्ट्र कितने **प्रभावी रूप से समावेशी और सतत् विकास सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य** कर रहे हैं।

- **अंतर्राष्ट्रीय सहायता और निवेश के लिये मार्गदर्शन:** विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और संयुक्त राष्ट्र (UN) जैसे वैश्विक संगठन प्राय: **सहायता आवंटन और निवेश रणनीतियों को निर्धारित करने के लिये HDI रैंकिंग पर भरोसा** करते हैं।
  - उच्चतर मानव विकास सूचकांक रैंकिंग **बेहतर प्रशासन और मानव पूंजी का प्रतीक** है, जो **अधिक अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण एवं सहयोग** को आकर्षित करती है।
- **सिविल सोसाइटी और जनपक्षीय समर्थन:**
  - HDI **नागरिक समाज एवं जनहित में कार्यरत संगठनों के लिये एक प्रभावी साधन** के रूप में कार्य करता है, जिसके माध्यम से वे सरकारों का उत्तरदायित्व तय कर सकते हैं।
  - यह विकास संबंधी पारदर्शी आँकड़े उपलब्ध कराता है, जिससे **सामाजिक-आर्थिक विषमताओं पर जनचर्चा को बल** मिलता है तथा **जननीति में सुधार हेतु सामाजिक आंदोलनों को प्रेरणा** मिलती है।

मानव विकास रिपोर्ट 2025 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **वैश्विक मुख्य बिंदु:**
  - **मानव विकास में अवरुद्ध प्रगति:** वैश्विक मानव विकास सूचकांक (HDR) में वर्ष 2020-2021 के संकट वर्षों को छोड़कर, वर्ष 1990 के बाद से सबसे न्यूनतम वृद्धि हुई है।
    - यदि **कोविड-पूर्व रुझान जारी रहे होते, तो अधिकांश देश वर्ष 2030** तक बहुत उच्च मानव विकास हासिल कर सकते थे।
- यह अनुमान अब दशकों तक विलंबित हो चुका है।
  - **शीर्ष और निम्नतम रैंक: आइसलैंड 0.972 के HDI** के साथ **सूची में शीर्ष स्थान पर** है, जबकि **दक्षिण सूडान 0.388 के HDI के साथ अंतिम स्थान पर** है।
    - शीर्ष 10 में यूरोपीय राष्ट्रों का प्रभाव कायम रहा, जो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आय स्तर के उच्च मानकों को दर्शाता है।
  - **बढ़ती असमानता:** सबसे अमीर और सबसे गरीब देशों के बीच असमानता बढ़ती जा रही है। उच्च-HDI वाले देश लगातार प्रगति कर रहे हैं, जबकि **कम-HDI वाले देश ठहराव और असफलताओं का सामना कर रहे हैं।**
  - **AI और कार्य का भविष्य:** रिपोर्ट में **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)** के तेज़ी से प्रसार पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें वैश्विक स्तर पर **5 में से 1 व्यक्ति** पहले से ही AI उपकरण का उपयोग कर रहा है।
    - वैश्विक स्तर पर लगभग **60% उत्तरदाताओं** का मानना है कि AI से रोज़गार के नए अवसर उत्पन्न होंगे, जबकि **50% को नौकरी के विस्थापन या परिवर्तन का भय** है।
    - वर्ष 2025 का HDR सकारात्मक मानव विकास के लिये AI की क्षमता का दोहन करने हेतु **समावेशी, मानव-केंद्रित AI नीतियों की आवश्यकता** पर ज़ोर देता है।
- **भारत-विशिष्ट मुख्य अंश:**
  - **भारत की HDI रैंकिंग:** भारत वर्ष 2022 में **133वें स्थान** से वर्ष 2023 में 130वें स्थान पर पहुँच गया, इसका HDI मूल्य **0.676 से बढ़कर 0.685** हो गया।
    - यह **'मध्यम मानव विकास' श्रेणी में बना हुआ** है, जो **उच्च मानव विकास (HDI ≥ 0.700) की सीमा के निकट** है।
  - **क्षेत्रीय तुलना:**
    - पड़ोसियों में **चीन (78वें), श्रीलंका (89वें)** और **भूटान (125वें)** भारत से ऊपर हैं।
    - **बांग्लादेश 130वें स्थान पर** है, जबकि **नेपाल (145वें), म्याँमार (150वें)** और **पाकिस्तान (168वें) उससे नीचे** हैं।
  - **प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति:**
    - **जीवन प्रत्याशा:** वर्ष 1990 में 58.6 वर्ष से **बढ़कर वर्ष 2023 में 72 वर्ष** हो गई, जो अब तक का उच्चतम रिकॉर्ड है, जिसका मुख्य कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत, जननी सुरक्षा योजना और पोषण अभियान जैसे कार्यक्रम हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

LEADERBOARD

HDI ranking and value (2023)

Rank	Country	HDI value
1	Iceland	0.972
2	Norway	0.970
2	Switzerland	0.970
4	Denmark	0.962
5	Germany	0.959
5	Sweden	0.959
7	Australia	0.958
8	Hong Kong, China (SAR)	0.955
8	Netherlands	0.955
17	United States	0.938
130	India	0.685

HDI: Human Development Index
Source: UNDP Human Development Report 2025

- **शिक्षा:** स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष 1990 में 8.2 वर्ष से बढ़कर **वर्ष 2023 में 13 वर्ष** हो गए। प्रमुख पहलों में **शिक्षा का अधिकार अधिनियम- 2009**, **राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020** और **समग्र शिक्षा अभियान** शामिल हैं।
- **राष्ट्रीय आय:** भारत की **प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय** वर्ष 1990 में **2,167 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर** (चार गुना से अधिक) **वर्ष 2023 में 9,046 अमेरिकी डॉलर** (PPP समायोजित) हो गयी।
- **गरीबी में कमी: वर्ष 2015-16 और 2019-21** के दौरान लगभग **135 मिलियन भारतीय बहुआयामी गरीबी** से बच गए।

AI की भूमिका: भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी शक्ति के रूप में उभर रहा है, जहाँ AI कौशल का सेल्फ-रिपोर्टेड प्रसार विश्व में सर्वाधिक है।

- **20% भारतीय AI शोधकर्त्ता** अब घरेलू स्तर पर ही काम करते हैं, जो वर्ष 2019 में **लगभग शून्य से उल्लेखनीय वृद्धि** है।
- उदाहरण के लिये, भारत में, AI कई स्रोतों से डेटा को एकीकृत करके किसानों को वास्तविक काल में सहायता प्रदान कर रहा है— जैसे कि उनकी स्थानीय भाषाओं में बीमा और सब्सिडी तक पहुँच।

भारत के मानव विकास को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **उच्च असमानता से मानव विकास सूचकांक का मूल्य कम होता है:** असमानता से भारत का मानव विकास सूचकांक **30.7% कम** हो जाता है, जो इस क्षेत्र में सबसे अधिक नुकसानों में से एक है।
  - यह आय, सेवाओं तक पहुँच और अवसरों में गहन असमानताओं को दर्शाता है, जो समग्र मानव विकास प्रगति को कमज़ोर करता है।
- **सतत् लैंगिक असमानताएँ:** भारत में महिला श्रम शक्ति भागीदारी केवल **41.7%** है तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी सीमित है, जिससे समावेशी विकास की संभावना बाधित हो रही है।
  - यद्यपि **106ठे संविधान संशोधन में विधायिकाओं में महिलाओं के लिये एक-तिहाई आरक्षण** का प्रस्ताव है, फिर भी इसका **कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण** बना हुआ है।
- **डिजिटल कौशल की कमी और तकनीकी असमानता:** भारत सहित **निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों में 5% से भी कम छात्रों के पास नई प्रौद्योगिकियों से जुड़ने के लिये आवश्यक बुनियादी कौशल** हैं।
  - डिजिटल कौशल का यह अंतर आर्थिक परिवर्तन और रोज़गार सृजन के लिये AI एवं डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने की भारत की क्षमता को सीमित करता है।
- **स्वास्थ्य और शिक्षा में कम सार्वजनिक निवेश:** **आर्थिक सर्वेक्षण (2024-25)** के अनुसार, वित्त वर्ष 2022 में भारत का कुल स्वास्थ्य व्यय ₹9,04,461 करोड़ था, जो **सकल घरेलू उत्पाद का 3.8%** और वर्तमान मूल्यों पर ₹6,602 प्रति व्यक्ति था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

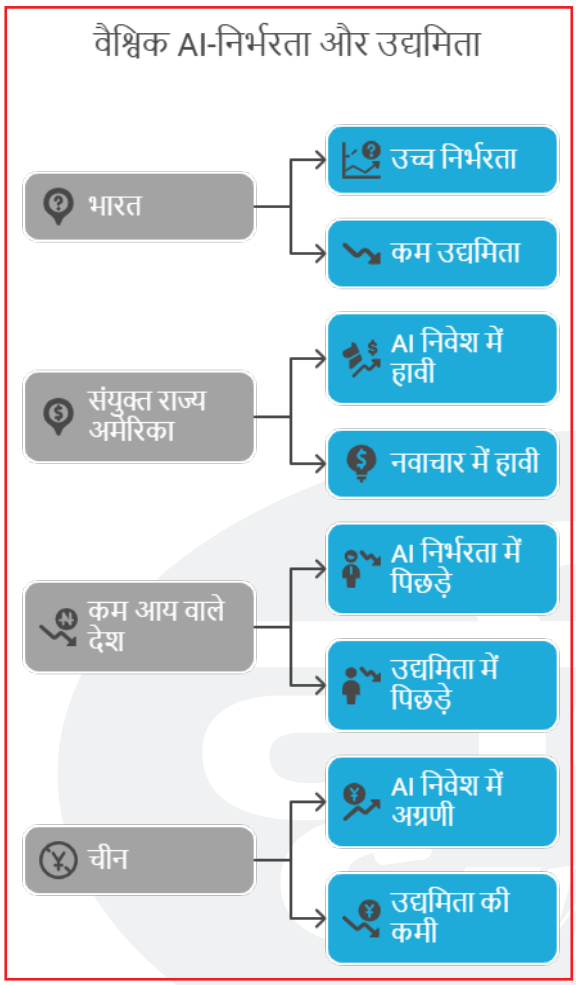

- यद्यपि **वित्त वर्ष 2019 से प्रति व्यक्ति व्यय में लगातार वृद्धि** हुई है, फिर भी वैश्विक मानकों की तुलना में सार्वजनिक स्वास्थ्य निवेश कम बना हुआ है।
- इसी प्रकार, **शिक्षा पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 4.6%** तक पहुँच जाता है, फिर भी यह उन देशों से पीछे है, जिन्होंने मानव पूंजी में अधिक निवेश के माध्यम से उच्च मानव विकास सूचकांक रैंकिंग हासिल की है।
- इस अपर्याप्त वित्तपोषण के कारण गुणवत्तापूर्ण सेवाओं तक पहुँच बाधित होती है, जिससे जीवन प्रत्याशा और अधिगम के परिणाम कम हो जाते हैं।

- **सीमित आर्थिक विविधीकरण:** अन्य मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों की तरह भारत भी अभी भी **कृषि और निम्न-तकनीकी क्षेत्रों पर बहुत अधिक निर्भर** है, जिससे अर्थव्यवस्था झटकों के प्रति संवेदनशील हो जाती है।
  - विविधीकरण का अभाव उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रतिबंधित करता है तथा उत्पादकता वृद्धि में बाधा डालता है।
- **टेक्नो-सोल्यूशनिज़्म और कमज़ोर संस्थान:** कमज़ोर संस्थागत क्षमताओं के साथ डिजिटल समाधानों का शीघ्रता से अंगीकरण की प्रवृत्ति एक प्रकार के 'प्रौद्योगिकीय समाधानवाद' (Technosolutionism) को जन्म देती है, जो स्थानीय सामाजिक-आर्थिक संदर्भों की उपेक्षा करता है और इस कारण गहरी सामाजिक विषमताओं को दूर करने में विफल रहता है।
  - यह विचार प्रशासनिक सुधार, ई-गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, और नीति निर्माण जैसे विषयों में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहाँ तकनीक को प्राय: समाधान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन संस्थागत संरचना एवं स्थानीय ज़रूरतों की उपेक्षा की जाती है।

भारत में मानव विकास के लिये प्रमुख योजनाएँ:

- **स्वास्थ्य और पोषण:**
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)
- पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन)
- मिशन इंद्रधनुष
- **शिक्षा और कौशल विकास:**
- समग्र शिक्षा अभियान
- PM e-Vidya
- DIKSHA प्लेटफॉर्म
- कौशल भारत मिशन (प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना - PMKVY)
- **लिंग सशक्तीकरण और सामाजिक कल्याण:**
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)
- वन स्टॉप सेंटर योजना
- **गरीबी उन्मूलन और सामाजिक संरक्षण:**
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)
- **डिजिटल इन्क्लूज़न और AI गवर्नेंस:**
- MuleHunter.AI (RBI द्वारा)
- भाषिणी (राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन)
- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम

समावेशी मानव विकास को आगे बढ़ाने के लिये AI का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है?

- **मानव विकास के लिये परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में AI:** AI को **स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और शासन में एक शक्तिशाली प्रवर्तक** के रूप में मान्यता प्राप्त है।
  - HDR- 2025 इस बात पर बल देता है कि यद्यपि AI कल्याण को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है, लेकिन सभी के लिये समान परिणाम सुनिश्चित करने के लिये इसका उपयोग मानव-केंद्रित और जोखिम-सचेत होना चाहिये।
- **कृत्रिम बुद्धि मानव क्षमताओं को बढ़ाएगी, प्रतिस्थापित नहीं करेगी:** मानव अप्रचलन की आशंकाओं के विपरीत, HDR- 2025 AI को एक पूरक उपकरण के रूप में प्रस्तुत करता है जो नियमित कार्यों को स्वचालित करता है, जिससे लोग रचनात्मकता, नवाचार एवं अभिव्यक्ति पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं।
  - यह बदलाव मानव क्षमता के नए आयामों को खोल सकता है और समग्र विकास को गति दे सकता है।
- **बेहतर स्वास्थ्य सेवा पहुँच और परिणामों के लिये AI:** स्वास्थ्य सेवा में AI अनुप्रयोग सेवा वितरण को अनुकूलित कर सकते हैं, निदान को बढ़ा सकते हैं और कम सेवा वाले क्षेत्रों में पहुँच का विस्तार कर सकते हैं।
  - उदाहरण के लिये, **HDR- 2025** के अनुसार सिएरा लियोन में **AI-सहायता प्राप्त शिक्षण उपकरणों ने लागत में 90% की कमी की,** जो आवश्यक सेवाओं में स्मार्ट तकनीक की लागत-प्रभावशीलता को दर्शाता है।
- **शिक्षा को वैयक्तिकृत करने और अधिगम को बढ़ाने के लिये AI:** AI-संचालित शिक्षण प्रणालियाँ व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप निर्देश तैयार कर सकती हैं, जिससे साक्षरता और संख्यात्मकता में सुधार हो सकता है, विशेष रूप से कम संसाधन वाले स्थानों में।
  - **HDR- 2025 के अनुसार, AI में शिक्षकों को पूरक बनाने,** पहुँच का विस्तार करने और समावेशी शिक्षण वातावरण बनाने की क्षमता है।
- **पारदर्शी और कुशल शासन के लिये AI:** सरकारें बेहतर सेवा वितरण और धोखाधड़ी का पता लगाने के लिये AI का उपयोग कर रही हैं।
  - HDR- 2025 **डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी का पता लगाने के लिये भारत के MuleHunter.AI** और **बहुभाषी संचार के लिये भाषिनी पहल** पर प्रकाश डालता है, जो दर्शाता है कि AI किस प्रकार शासन के अभिगम में सुधार कर सकता है।
- **समावेशी AI के साथ डिजिटल डिवाइड को समाप्त करना:** रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि पहुँच असमान रही तो AI वैश्विक असमानताओं को बढ़ा सकता है।
  - वैश्विक आबादी के केवल 15% लोग ही 90% AI नवाचार से लाभान्वित हो रहे हैं, इसलिये HDR- 2025 डिजिटल बुनियादी अवसंरचना और प्रशिक्षण में निवेश करने का आग्रह करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीमांत समूह वंचित न रह जाएं।
- **AI अनुसंधान में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना:** HDR- 2025 चीन-सिंगापुर साझेदारी जैसे उदाहरणों का हवाला देते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने का आह्वान करता है, जो **सीमा पार AI नवाचार को बढ़ावा** देता है।
  - साझा अनुसंधान एजेंडा और एकत्रित संसाधन **वैश्विक लाभ के लिये न्यायसंगत तकनीकी विकास** को गति दे सकते हैं।
- **मानव-केंद्रित AI नीति दृष्टिकोण का अंगीकरण:** यह सुनिश्चित करने के लिये कि AI HDI लक्ष्यों में सकारात्मक रूप से योगदान दे, रिपोर्ट नीति निर्माताओं से **AI लाभों के समावेश, नैतिकता और न्यायसंगत वितरण को प्राथमिकता देने का आग्रह** करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- AI का उपयोग न केवल नवाचार के लिये किया जाना चाहिये, बल्कि निष्पक्षता, अवसर और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने के लिये भी किया जाना चाहिये।

भारत अपने मानव विकास परिणामों को किस प्रकार बेहतर बना सकता है?

- **समावेशी डिजिटल अवसंरचना का निर्माण:** निम्न और मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों में तकनीकी विभाजन को समाप्त करने के लिये डिजिटल अवसंरचना का विस्तार करना आवश्यक है।
  - मानव विकास सूचकांक- 2025 इस बात पर ज़ोर देता है कि **सीमांत समुदायों के लिये डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट कनेक्टिविटी तक समान पहुँच** समावेशी मानव विकास के लिये आधारभूत है।
- **मानव क्षमताओं और कौशल में निवेश करना:** बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता को सुदृढ़ करना आबादी को विकसित हो रही AI-संचालित अर्थव्यवस्था के लिये तैयार करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - जैसा कि HDR- 2025 में उजागर किया गया है, इसके लिये **अनुकूलन और उर्ध्वगामी गतिशीलता को सक्षम करने के लिये मानव पूंजी में निरंतर निवेश** की आवश्यकता है।
- **प्रासंगिक प्रौद्योगिकी अंगीकरण सुनिश्चित करना:** प्रौद्योगिकीय नवाचारों को स्थानीय सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप ढालना अनिवार्य है, ताकि **'एक ही समाधान सबके लिये' जैसी विफलताओं से बचा जा सके।**
  - मानव विकास रिपोर्ट- 2025 (HDR, 2025) यह अनुशंसा करती है कि **तकनीकी हस्तक्षेपों को स्थानीय क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप संरेखित किया जाए,** जिससे नवाचार समावेशन की बजाय सशक्तीकरण को बढ़ावा दें।
- **आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा देना:** कृषि और प्राथमिक वस्तुओं पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना कम HDI अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक जटिलता को बढ़ाने की कुंजी है।
  - HDR के अनुसार, आर्थिक विविधीकरण देशों को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में बेहतर तरीके से एकीकृत करने और नई तकनीकों से उत्पादकता लाभ उठाने की अनुमति देता है।
- **संस्थागत क्षमता और शासन को सुदृढ़ करना:** सार्वजनिक संस्थानों को AI-नेतृत्व वाले बदलावों को प्रभावी ढंग से निर्देशित और विनियमित करने के लिये सुसज्जित किया जाना चाहिये।
  - HDR- 2025 प्रशासनिक क्षमता और नियामक कार्यढाँचे के निर्माण पर ज़ोर देता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तकनीकी अंगीकरण से मानव विकास परिणामों का समर्थन हो।
- **एथिकल AI गवर्नेंस को लागू करना:** मौजूदा असमानताओं को गहरा होने से रोकने के लिये AI परिनियोजन के लिये सुदृढ़ नैतिक दिशा-निर्देश स्थापित करना महत्त्वपूर्ण है।
  - HDR- 2025 के अनुसार, समावेशी प्रगति की सुरक्षा के लिये **निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को सभी AI-संबंधित नीतियों और अनुप्रयोगों का आधार होना चाहिये।**

निष्कर्ष:

यद्यपि **HDI रैंकिंग में भारत की लगातार प्रगति सराहनीय** है, रिपोर्ट भविष्य के मानव विकास को आयाम देने में **AI की महत्त्वपूर्ण भूमिका** को रेखांकित करती है। AI की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिये, **भारत को समावेशी, नैतिक नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये** जो समान पहुँच और लाभ सुनिश्चित करते हैं। मानव पूंजी और बुनियादी अवसंरचना में निरंतर निवेश के साथ, भारत मानव विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने के करीब पहुँच सकता है।

■■■

एक न्यायसंगत और समावेशी वैश्विक व्यापार प्रणाली की ओर

यह संपादकीय 11/05/2025 को बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित "अमीरों का बदला: वैश्विक व्यापार स्क्रिप्ट पर पुनर्विचार और

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

पुनर्लेखन का समय *" पर आधारित है* **। लेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि विश्व व्यापार संगठन द्वारा स्थापित वैश्विक व्यापार प्रणाली ने असंतुलन को जन्म दिया है, जिससे औद्योगिक देशों को लाभ हुआ है जबकि भारत जैसे विकासशील देशों को चुनौती मिली है, जिससे वैश्विक व्यापार में समानता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।**

1990 के दशक से **वैश्विक व्यापार व्यवस्था** विकसित हुई है, जिसमें विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने आर्थिक संबंधों को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाई है। हालाँकि, इस प्रणाली में परिवर्तन के परिणाम भी रहे हैं, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिये, जिन्हें अवसरों के साथ-साथ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। भारत, जो सुधार का मुखर समर्थक रहा है, ने लगातार निष्पक्ष व्यापार नियमों की वकालत की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्लोबल साउथ के हितों को प्रतिनिधित्व मिले। जैसे-जैसे वैश्विक व्यापार प्रणाली नए चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसमें बढ़ता संरक्षणवाद और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं, भारत की भूमिका एक अधिक समावेशी, न्यायसंगत और सतत् व्यापारिक वातावरण की वकालत करने में महत्त्वपूर्ण है।

वर्तमान वैश्विक व्यापार परिदृश्य और भारत की स्थिति क्या है?

- **वर्ष 2025 के लिये वैश्विक व्यापार परिदृश्य:** विश्व व्यापार संगठन के वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी 2025 के अनुसार, 2025 में वैश्विक वस्तु व्यापार में **0.2%** गिरावट का अनुमान है ।
  - **यह गिरावट** अमेरिका-चीन टैरिफ तनाव के कारण है , यदि तनाव बढ़ता है तो इसमें **1.5% की गिरावट** की संभावना है ।
  - यह वर्ष 2024 में **2.9% की वृद्धि के विपरीत** है, जो वर्तमान वैश्विक व्यापार वातावरण की **अस्थिरता और अप्रत्याशितता को दर्शाता** है।
- **सेवा व्यापार में मामूली वृद्धि:** जबकि **वस्तु व्यापार** चुनौतियों का सामना कर रहा है, **वैश्विक सेवा व्यापार में** 2025 में 4.0% की वृद्धि होने की आशा है।
  - **हालाँकि,** टैरिफ-संबंधी व्यापार **बाधाओं** के कारण उत्पन्न व्यवधानों के कारण यह वृद्धि अनुमान से धीमी है ।
  - वैश्विक सेवा क्षेत्र **परिवहन और यात्रा सेवाओं में देरी से प्रभावित हुआ** है, तथा व्यापक अनिश्चितता निवेश-संबंधी सेवाओं पर भी अंकुश लगा रही है।
  - **फिर भी, सेवा व्यापार वैश्विक आर्थिक विकास** का एक महत्त्वपूर्ण चालक बना हुआ है ।
- **क्षेत्रीय व्यापार प्रदर्शन:** क्षेत्रीय व्यापार प्रदर्शन अलग-अलग है, उत्तरी अमेरिका के **12.6%** निर्यात में गिरावट ने वैश्विक व्यापार प्रवाह को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है।
  - इसके विपरीत, एशिया के निर्यात में **1.6%** और यूरोप के निर्यात में **1.0% की वृद्धि होने का अनुमान** है।
  - ये क्षेत्रीय रुझान दुनिया भर में **व्यापार वृद्धि में असमानता को उजागर** करते हैं।
  - जबकि कुछ क्षेत्रों में गिरावट आ रही है, अन्य क्षेत्र, विशेषकर एशिया और यूरोप, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद वृद्धि प्रदर्शित कर रहे हैं।
- **वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति: वैश्विक वस्तु निर्यातकों** में भारत **14वें** स्थान पर है, तथा **वैश्विक व्यापार में** इसकी हिस्सेदारी 2.2% है ।
  - वस्तु आयात में **भारत** 3.4% हिस्सेदारी के साथ **7वें स्थान** पर है ।
  - वाणिज्यिक सेवाओं में **भारत 6वें स्थान** पर है, यद्यपि इसका निर्यात हिस्सा 5.4% से थोड़ा कम होकर 5.3% हो गया है।
  - इन बदलावों के बावजूद, भारत वैश्विक स्तर पर **वस्तुओं और सेवाओं के** व्यापार में एक प्रमुख अभिकर्त्ता बना हुआ है।
- **ग्लोबल साउथ व्यापार में भारत की भूमिका: ग्लोबल साउथ** के भीतर भारत का व्यापार प्रदर्शन मज़बूत बना हुआ है, जो **क्षेत्र के कृषि और सेवा निर्यात** में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहा है ।
  - ग्लोबल साउथ में अग्रणी के रूप में, भारत ऐसे सुधारों की वकालत करता रहा है जो वैश्विक व्यापार से समान लाभ सुनिश्चित करें।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- ग्लोबल साउथ में भारत की स्थिति उसे बहुपक्षीय व्यापार और वैश्विक आर्थिक शासन के भविष्य को आकार देने में **महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने की अनुमति** देता है।

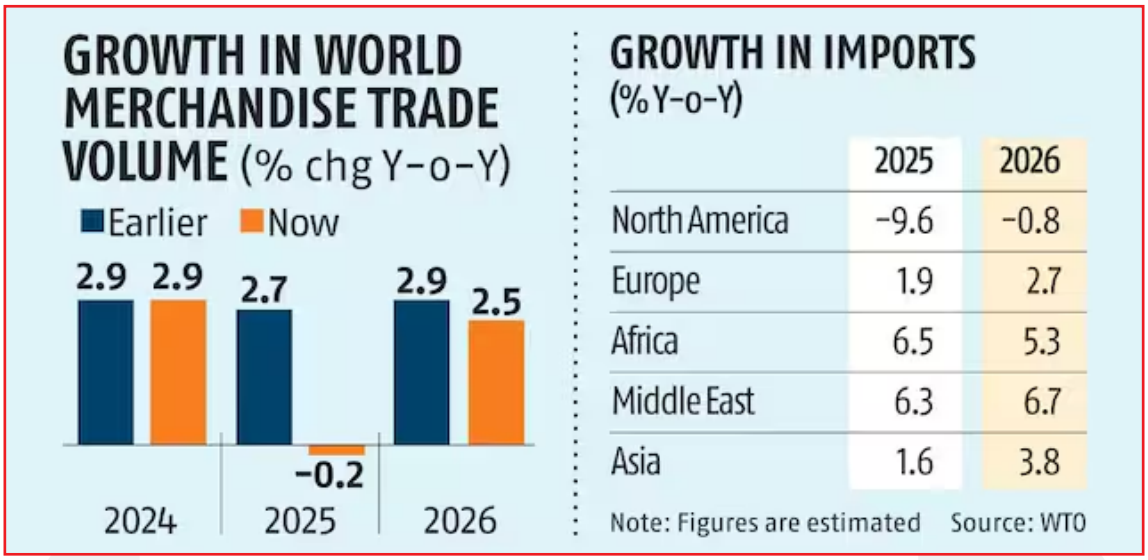

वैश्विक व्यापार ढाँचे में सुधार की मांग क्यों बढ़ रही है?

- **विवाद निपटान प्रणाली पक्षाघात:** विश्व व्यापार संगठन का अपीलीय निकाय, जो व्यापार विवादों के लिये अंतिम न्यायालय के रूप में कार्य करता है, दिसंबर 2019 से **गैर-कार्यात्मक** है।
  - **अमेरिका द्वारा** नये सदस्यों की नियुक्ति में बाधा उत्पन्न करने के कारण उत्पन्न इस अक्रियाशीलता ने विश्व व्यापार संगठन की विश्वसनीयता को कमज़ोर कर दिया है।
  - **भारत ने** विश्व व्यापार संगठन में सुधारों के लिये सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में **अपीलीय निकाय की बहाली** का आह्वान किया है ।
  - कार्यशील विवाद निपटान प्रणाली के अभाव ने वैश्विक व्यापार नियमों को लागू करने की **WTO की क्षमता को कम कर दिया** है, जिससे नियम-आधारित व्यवस्था कमज़ोर हो गई है।
- **चल रहे व्यापार युद्ध और संरक्षणवाद:** अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध वैश्विक व्यापार में व्यवधान का एक प्रमुख स्रोत रहा है।
  - **अमेरिका द्वारा चीनी वस्तुओं पर** लगाए गए टैरिफ के कारण कई **जवाबी कदम उठाए गए हैं**, जिससे वैश्विक तनाव बढ़ गया है।
  - राष्ट्रीय सुरक्षा शुल्क सहित संरक्षणवादी उपायों **ने विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों को कमज़ोर** कर दिया है।
  - संरक्षणवाद में यह वृद्धि **वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिये एक बड़ा खतरा** बन गई है।
- **AoA सब्सिडी नियमों पर भारत का विरोध: विश्व व्यापार संगठन के** कृषि पर समझौते (AoA) के प्रति भारत का प्रतिरोध खाद्य सुरक्षा के लिये **सार्वजनिक भंडारण** पर प्रतिबंधों से उपजा है ।
  - अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे विकसित देश बड़े पैमाने पर सब्सिडी प्रदान करते हैं, जिससे प्रतिस्पर्द्धा का क्षेत्र असमान हो जाता है।
  - ये सब्सिडी और टैरिफ **कृषि बाज़ारों को विकृत** करते हैं, **बाज़ार तक पहुँच में बाधा उत्पन्न करते हैं** और व्यापार असंतुलन को जन्म देते हैं, विशेष रूप से कृषि निर्यात के मामले में।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **मत्स्यपालन सब्सिडी नियम एक बाधा: विश्व व्यापार संगठन के मत्स्यपालन सब्सिडी नियम** ऐसे प्रतिबंध लगाते हैं, जो **भारत के लघु-स्तरीय मत्स्यपालन उद्योग को हानि** पहुँचा सकते हैं, तथा स्थानीय आजीविका को समर्थन देने की इसकी क्षमता को सीमित कर सकते हैं।
  - ये नियम भारत जैसे विकासशील देशों के लिये बाधा उत्पन्न करते हैं, तथा उन्हें मत्स्य पालन क्षेत्र में अपनी विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने से रोकते हैं।
- **व्यापार बाधा के रूप में बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR): विकसित देश व्यापार बाधा** के रूप में सख्त **IPR नियमों का उपयोग करते हैं,** जिससे भारत जैसे विकासशील देशों के लिये **सस्ती दवाओं और प्रौद्योगिकियों** तक पहुँच सीमित हो जाती है ।
  - उच्च पेटेंट मानकों को लागू करके, ये देश विकासशील देशों को **महत्त्वपूर्ण नवाचारों तक पहुँचने से रोकते हैं**, जिससे उनके लिये अपने स्वयं के उद्योगों को विकसित करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन हो जाता है।
  - उदाहरण के लिये, बौद्धिक संपदा अधिकार के कथित उल्लंघन के कारण भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि (USTR's) की **'प्रायोरिटी वॉच लिस्ट'** में बना हुआ है।
- **डिजिटल व्यापार बाधाएँ:** डिजिटल व्यापार पर कोई व्यापक वैश्विक नियम नहीं हैं, जिससे सीमा पार डेटा प्रवाह लगातार जटिल होता जा रहा है।
  - ई-कॉमर्स **और डिजिटल सेवाओं** के तेज़ी से विकास के साथ, देश डेटा स्थानीयकरण **और साइबर सुरक्षा नियमों** सहित डिजिटल व्यापार बाधाएँ प्रस्तुत कर रहे हैं ।
  - **डिजिटल व्यापार को विनियमित करने में** विश्व व्यापार संगठन की असमर्थता वैश्विक सेवा व्यापार के विकास में बाधा उत्पन्न करती है।
  - **इससे सीमा पार डेटा प्रवाह** और **डिजिटल वाणिज्य** में शामिल व्यवसायों के लिये अनिश्चितता उत्पन्न होती है , जिससे **वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था** की विकास क्षमता सीमित हो जाती है ।
- **विकासशील देशों के लिये बढ़ती असमानताएँ:** ग्लोबल साउथ के अंतर्गत आने वाले विकासशील देशों को वैश्विक बाज़ारों तक पहुँचने में गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
  - **विकसित देश** अक्सर **ऊँचे शुल्क (टैरिफ) और सब्सिडी** लागू करते हैं, जो वैश्विक कृषि बाज़ारों को विकृत कर देते हैं।
  - भारत, **एक प्रमुख कृषि निर्यातक** के रूप में, इन चुनौतियों का सामना करता आ रहा है, विशेष रूप से चावल की कृषि वाले क्षेत्रों में, जहाँ अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) की सब्सिडियाँ बाज़ार में प्रवेश के लिये महत्त्वपूर्ण बाधाएँ उत्पन्न करती हैं।
  - वैश्विक व्यापार प्रणाली में व्याप्त असमानताएँ विकासशील देशों की वैश्विक स्तर पर निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा की क्षमता को बाधित करती हैं।
- **मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के कारण व्यापार नियमों का विखंडन:** मुक्त व्यापार समझौतों (Free Trade Agreements - FTA) की बढ़ती संख्या ने वैश्विक व्यापार नियमों में विखंडन उत्पन्न कर दिया है।
  - हालाँकि FTA सहभागी देशों को बाज़ार तक पहुँच प्रदान करते हैं, लेकिन ये विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र (Most-Favoured-Nation - MFN) सिद्धांत को दरकिनार कर देते हैं, जिससे बहुपक्षीय व्यापार प्रयासों को नुकसान पहुँचता है।
  - क्षेत्रीय और द्विपक्षीय समझौतों की बढ़ोत्तरी ने विभिन्न और असंगत व्यापार नियमों को जन्म दिया है, जिससे वैश्विक व्यापार शासन और जटिल होता जा रहा है।
  - यह विखंडन वैश्विक व्यापार नियमों को एकीकृत करने की WTO की क्षमता को खतरे में डालता है और इन समझौतों से बाहर रहने वाले देशों को नुकसान की स्थिति में पहुँचा देता है।
- **व्यापार ढाँचे की स्थिरता और आधुनिकीकरण: विश्व व्यापार संगठन** (WTO) के पुराने नियम आज के प्रमुख उभरते क्षेत्रों जैसे डिजिटल व्यापार, हरित तकनीकें और पर्यावरणीय सततता को शामिल करने में विफल रहे हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

भारत के प्रमुख व्यापार समझौते

मुक्त व्यापार समझौता देशों के बीच एक व्यापक समझौता है, जो विशिष्ट उत्पादों और सेवाओं को छोड़कर एक नकारात्मक सूची (negative list) के साथ अधिमान्य व्यापार शर्तों और टैरिफ रियायतों की पेशकश करता है।

पड़ोसी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता (FTA)

- भारत-श्रीलंका FTA
- भारत-नेपाल व्यापार संधि
- व्यापार, वाणिज्य और पारगमन पर भारत-भूटान समझौता

भारत के क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते (FTA)

- **भारत आसियान वस्तु व्यापार समझौता (11):** 10 आसियान देश + भारत
- **दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता (7):** भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव
- **व्यापार प्राथमिकताओं की वैश्विक प्रणाली** (41 देश + भारत)

भारत का CECA और CEPA

CECA/CEPA मुक्त व्यापार समझौते से अधिक व्यापक है, जो नियामक, व्यापार एवं आर्थिक पहलुओं को व्यापक रूप से संबोधित करता है, CEPA में सेवाओं, निवेश आदि समेत व्यापक क्षेत्र है, जबकि CECA मुख्य रूप से टैरिफ और TQR दरों के समझौते पर केंद्रित है।

- **संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया, जापान** के साथ CEPA
- **सिंगापुर, मलेशिया** के साथ CECA

Drishti IAS

- **अन्य:**
  - भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA)
  - भारत-थाईलैंड अर्ली हार्वेस्ट स्कीम (EHS)
  - भारत-मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता (CECPA)

एक अर्ली हार्वेस्ट स्कीम (EHS) FTA/CECA/CEPA से पहले होता है, जहाँ समझौता करने वाले देश टैरिफ उदारीकरण के लिये उत्पादों का चयन करते हैं, व्यापक व्यापार समझौतों का मार्ग प्रशस्त करते हैं और आत्मविश्वास को बढ़ावा देते हैं।

अधिमान्य व्यापार समझौते (PTA)

PTA में भागीदार सहमत टैरिफ सीमाओं पर शुल्क कम करके, कम या शून्य टैरिफ के लिये पात्र उत्पादों की एक सकारात्मक सूची बनाए रखते हुए विशिष्ट उत्पादों तक अधिमान्य पहुँच प्रदान करते हैं।

- **एशिया प्रशांत व्यापार समझौता (APTA):** बांग्लादेश, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, लाओ PDR, श्रीलंका और मंगोलिया
- **SAARC अधिमान्य व्यापार समझौता (SAPTA):** SAFTA के समान
- **भारत-MERCOSUR PTA:** ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे और भारत
- **चिली, अफगानिस्तान** के साथ भारत का PTA

- **भारत** ने आह्वान किया है कि **वैश्विक व्यापार प्रणाली** को आधुनिक चुनौतियों के अनुरूप ढालने के लिये हरित व्यापार नियमों का एकीकरण किया जाये और **डिजिटल व्यापार** तथा जलवायु से संबंधित अवरोधों को नियंत्रित करने के लिये एक समग्र ढाँचा तैयार किया जाये।

भारत एक न्यायसंगत और भविष्य के लिये सक्षम व्यापार व्यवस्था के निर्माण में कैसे योगदान दे सकता है?

- **विश्व व्यापार संगठन (WTO) सुधारों में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका:** भारत ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में सुधारों की माँग का नेतृत्व किया है, विशेषकर अपील प्राधिकरण (Appellate Body) की पुनर्स्थापना के लिये, ताकि विवाद निपटान प्रक्रिया न्यायसंगत और प्रभावी बन सके।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- वैश्विक व्यापार शासन में विश्व व्यापार संगठन (WTO) की **विश्वसनीयता और निष्पक्षता** बनाए रखने में **भारत की भूमिका** अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

- **विकासशील देशों के लिये अधिक न्यायपूर्ण व्यापार नियमों की माँग:** भारत WTO के विशेष और विभेदकारी उपचार (Special and Differential Treatment - SDT) प्रावधानों में सुधार का पक्षधर है, जिससे विकासशील देशों को अधिक लचीलापन मिल सके।
  - इससे यह सुनिश्चित होगा कि **ग्लोबल साउथ** (Global South) को **वैश्विक व्यापार वार्ताओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व** और लाभ मिल सके।
- **मत्स्यपालन सब्सिडी:** भारत, **जो मत्स्य क्षेत्र में कम सब्सिडी देने वाला देश** है, ने विकासशील देशों के निर्धन मछुआरों को उनके विशेष आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zones - EEZs) के भीतर संचालन के लिये सब्सिडी की अनुमति दिये जाने का समर्थन किया।
  - भारत ने यह भी प्रस्ताव रखा कि विकसित देश अपनी औद्योगिक मत्स्यग्रह वाली नौकाओं को EEZ से बाहर, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों (high seas) में सब्सिडी देना बंद करें।
- **डिजिटल व्यापार और हरित व्यापार नियमों की वकालत:** जैसे-जैसे वैश्विक व्यापार डिजिटल स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा है, भारत सीमापार डेटा प्रवाह, ई-कॉमर्स और साइबर सुरक्षा से जुड़े नियमों को भावी समझौतों में शामिल करने की वकालत कर रहा है।
  - इसके अतिरिक्त, भारत वैश्विक व्यापार ढाँचों में सततता सुनिश्चित करने हेतु हरित व्यापार नियमों के एकीकरण का भी समर्थन करता है।

एक लचीली और न्यायसंगत वैश्विक व्यापार प्रणाली के निर्माण के लिये आगे की राह क्या है?

- **विवाद निपटान प्रणाली में सुधार:** विश्व व्यापार संगठन (WTO) के अपील प्राधिकरण (Appellate Body) की पुनर्स्थापना अत्यंत आवश्यक है, ताकि विवादों का प्रभावी समाधान हो सके और नियम-आधारित व्यापार प्रणाली को बनाए रखा जा सके।
- **व्यापार बाधाओं का समाधान:** इन व्यापार बाधाओं के समाधान के लिये ऐसी अधिक न्यायसंगत वैश्विक व्यापार प्रणाली की आवश्यकता है, जो विभिन्न देशों के समक्ष आने वाली विशिष्ट चुनौतियों को ध्यान में रखे।
  - इसमें निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा के लिये **कृषि सब्सिडी** पर WTO नियमों में सुधार, स्थानीय उद्योग को समर्थन देने के लिये **मत्स्य पालन सब्सिडी नियमों को आसान बनाना तथा** सस्ती दवाओं और प्रौद्योगिकियों तक पहुँच में सुधार के लिये **बौद्धिक संपदा अधिकार ढाँचे में संशोधन करना शामिल है।**
    - विश्व व्यापार संगठन को अपना ध्यान आर्थिक और व्यापारिक हितों से आगे बढ़ाकर **सामाजिक कल्याण को शामिल करना चाहिये** तथा राष्ट्रों के बीच **असमानता को दूर करना चाहिये।**
- **समावेशी और न्यायसंगत व्यापार नियमों को बढ़ावा देना:** वैश्विक व्यापार सुधारों में प्राथमिकता यह होनी चाहिये कि WTO को विकासशील देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जाए।
  - भारत द्वारा **विशेष और विभेदकारी उपचार** (Special and Differential Treatment) में सुधार का समर्थन इसी दिशा में है, ताकि सभी WTO सदस्य देशों के लिये समान अवसर सुनिश्चित किये जा सकें।
- **सतत् और हरित व्यापार पद्धतियों को प्रोत्साहित करना:** जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये वैश्विक व्यापार नियमों में सततता का एकीकरण आवश्यक है।
  - WTO ढाँचों में सतत पद्धतियों को शामिल करने से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म (Carbon Border Adjustment Mechanism) जैसे दमनकारी हरित उपायों पर नियंत्रण हो सकता है, जिससे विकासशील देशों पर पड़ने वाला भार कम होगा।
- **बहुपक्षीय सहयोग को मज़बूत करना:** एक मज़बूत और लचीला वैश्विक व्यापार तंत्र विकसित करने के लिये सशक्त बहुपक्षीय सहयोग आवश्यक है, ताकि व्यापार असंतुलनों का समाधान किया जा सके, न्यायपूर्ण विकास सुनिश्चित हो और ऐसी समावेशी नीतियाँ अपनाई जा सकें जो सभी देशों, विशेष रूप से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के हित में हों।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- G20 और WTO में भारत का नेतृत्व वैश्विक व्यापार प्रथाओं को विकास लक्ष्यों के अनुरूप ढालने में सहायक होगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि व्यापार निष्पक्ष, पारदर्शी और समावेशी बना रहे।

विश्व व्यापार संगठन (WTO)

- **विश्व व्यापार संगठन के बारे में:** विश्व व्यापार संगठन (WTO) एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है।
  - **WTO** (विश्व व्यापार संगठन) **GATT** (जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड) का उत्तराधिकारी है, जिसकी स्थापना वर्ष 1947 में हुई थी।
  - GATT के **उरुग्वे दौर (1986-94)** के परिणामस्वरूप **WTO का निर्माण** हुआ, जिसने 1 जनवरी 1995 से अपना कार्य शुरू किया।
  - WTO की स्थापना से जुड़ा समझौता, जिसे **"मारकेश समझौता"** भी कहा जाता है, 1994 में मोरक्को के माराकेश शहर में हस्ताक्षरित किया गया था।
  - विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय **ज़िनेवा, स्विटज़रलैंड** में स्थित है।
- **सदस्य:** विश्व व्यापार संगठन के 164 सदस्य (यूरोपीय संघ सहित) और 23 पर्यवेक्षक सरकारें हैं।
- **भारत GATT (1947) और इसके उत्तराधिकारी WTO का संस्थापक सदस्य है।**
- **शासन संरचना:**

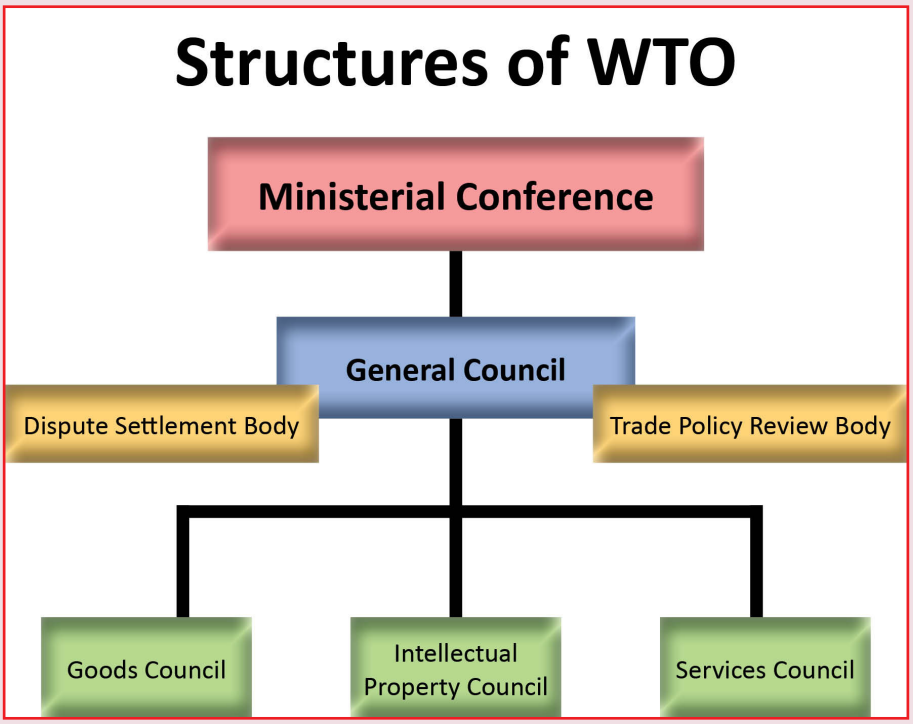

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

निष्कर्ष

वर्तमान में वैश्विक व्यापार अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें वस्तु व्यापार (merchandise trade) में गिरावट और निरंतर जारी टैरिफ संबंधी तनाव शामिल हैं। न्यायसंगत वैश्विक व्यापार सुधारों का समर्थन करके भारत ने स्वयं को एक ऐसे प्रमुख साझेदार के रूप में स्थापित किया है, जो न्यायपूर्ण और सतत् भविष्य के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। समावेशिता, सततता और संतुलित व्यापार नियमों को प्रोत्साहित करते हुए, भारत एक लचीले और समृद्ध वैश्विक व्यापार तंत्र के निर्माण में मार्गदर्शक बन सकता है, जो सभी देशों के हितों की रक्षा करता हो।

■■■

भविष्य के लिये कुशल कार्यबल हेतु कौशल विकास

यह एडिटोरियल 12/05/2025 को 'द इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित "ITI upscaling project: Plugging the skill gap" पर आधारित है। लेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत में पारंपरिक कार्यशालाओं से आधुनिक विनिर्माण की ओर बदलाव के लिये कुशल कार्यबल की आवश्यकता है, जिसके कारण सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए की उन्नयन योजना के माध्यम से कौशल अंतर को कम करने और उद्योग संरेखण को बढ़ाने के लिये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) का पुनर्गठन किया है।

भारत एक ऐसे महत्त्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जहाँ उसके युवा कार्यबल को आधुनिक अर्थव्यवस्था की मांगों को पूरा करने के लिये कौशल से सुसज्जित करना आवश्यक है। जहाँ **पारंपरिक कार्यशालाओं का स्थान कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रोबोटिक्स और सतत् प्रौद्योगिकियों में विशेषज्ञता की मांग वाले उद्योग ले रहे हैं, वहीं कौशल की कमी बनी हुई** है। सरकार की हालिया पहलें, जैसे **औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) का उन्नयन और स्किल इंडिया मिशन,** इन अंतरालों को कम करने का लक्ष्य रखते हैं। उद्योग-अनुरूप प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने और सार्वजनिक-निजी साझेदारी को बढ़ावा देकर, ये प्रयास एक ऐसे कार्यबल का निर्माण करना चाहते हैं जो भारत की आर्थिक वृद्धि एवं वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा को गति दे सके।

भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश के लिये कौशल विकास क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- **वर्तमान रोज़गार दरें: भारत के स्नातक कौशल सूचकांक 2025** के अनुसार, भारत बढ़ते कौशल अंतराल का सामना कर रहा है, वर्ष 2024 में स्नातक रोज़गार दर सिर्फ **42.6%** होगी।
  - यह अंतर शैक्षिक परिणामों और उद्योगों की आवश्यकताओं, विशेष रूप से कार्यबल में प्रवेश करने वाले नए स्नातकों के बीच गंभीर असंतुलन को दर्शाता है।
- **युवा कौशल अंतराल:** भारत की **65% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु** की है, फिर भी उनमें से अनेक में आवश्यक, उद्योग-प्रासंगिक कौशल का अभाव है।
  - **जबकि, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24** के अनुसार, भारत के युवा कार्यबल का केवल **4.4% औपचारिक रूप से तथा 16.6% अनौपचारिक** रूप से प्रशिक्षित है।
  - **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)** जैसी पहल इन अंतरालों को दूर करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन जो पढ़ाया जाता है और उद्योग की मांग के बीच का अंतर अभी भी महत्त्वपूर्ण बना हुआ है।
- **भारत का जनसांख्यिकीय लाभ:** भारत की **28 वर्ष की औसत आयु** आर्थिक विकास के लिये एक स्पष्ट लाभ है, जो एक युवा और गतिशील कार्यबल प्रदान करती है।
  - हालाँकि, इस **जनसांख्यिकीय लाभांश** का लाभ उठाने के लिये, यह महत्त्वपूर्ण है कि युवाओं को तेजी से विकसित हो रहे रोज़गार बाज़ार की मांगों को पूरा करने के लिये सही कौशल से लैस किया जाए।
- **आर्थिक विकास के बीच कौशल अंतराल:** सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बावजूद, भारत को **कौशल की भारी कमी का सामना** करना पड़ रहा है जो इसकी विकास क्षमता में बाधा डाल रही है।
  - **लगभग 65% कंपनियाँ कौशल अंतराल** की रिपोर्ट करती हैं, जो उन्हें प्रभावी ढंग से विस्तार और नवाचार करने से रोकता है, जिससे भारत की आर्थिक प्रतिस्पर्द्धात्मकता बाधित होती है।
- **अल्प-रोज़गार और बेरोज़गारी दर:** भारत के शिक्षित कार्यबल का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा कौशल असंतुलन के कारण अल्प-रोज़गार या बेरोज़गार बना हुआ है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 50% से अधिक स्नातक और 44% **स्नातकोत्तर निम्न कौशल** वाली नौकरियों में कार्य कर रहे हैं, जिससे उनके करियर की वृद्धि और आर्थिक गतिशीलता सीमित हो रही है।

- **वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता:** वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी प्रतिस्पर्द्धात्मकता बनाए रखने के लिये भारत को अत्यधिक **कुशल कार्यबल** की आवश्यकता है।
  - कुशल श्रम शक्ति वाले देश अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करते हैं तथा **कौशल विकास कार्यक्रम** यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि भारत के युवा वैश्विक बाज़ारों में योगदान देने के लिये तैयार हों।
  - भारत में कौशल अंतर के कारण प्रमुख क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के लिये **चीनी तकनीशियनों** के लिये अल्पकालिक वीज़ा स्वीकृत करने हेतु एक पोर्टल की आवश्यकता है।
- **कौशल विकास का आर्थिक प्रभाव:** कुशल श्रम उत्पादकता को बढ़ाता है, जो प्रत्यक्ष रूप से सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में योगदान प्रदान करता है।
  - कौशल विकास में निवेश करके भारत **श्रम शक्ति भागीदारी** में सुधार कर सकता है, उत्पादकता बढ़ा सकता है तथा विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति दे प्रदान कर सकता है, जिससे उच्च मज़दूरी और बेहतर रोज़गार सुरक्षा प्राप्त हो सकती है।
- **क्षेत्रीय विकास और कौशल मांग:** भारत **कौशल रिपोर्ट 2025 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, इंजीनियरिंग और** नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय प्रतिभा के लिये उच्च मांग वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया है।
  - **क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा विज्ञान और स्वचालन** जैसी उभरती प्रौद्योगिकियाँ भारत के कार्यबल विकास प्रयासों के लिये केंद्रीय हैं।
- **भारतीय श्रमिकों के लिये अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता:** कौशल विकास कार्यक्रम, विशेष रूप से गतिशीलता साझेदारी समझौते (MPA), भारतीय श्रमिकों के लिये वैश्विक रोज़गार बाज़ारों तक पहुँच को सुगम बनाते हैं।
  - **फ्राँस और जर्मनी** जैसे देशों के साथ ये समझौते यह सुनिश्चित करते हैं कि भारतीय श्रमिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कौशल हासिल करें, जिससे वे वैश्विक श्रम बाज़ार में अधिक प्रतिस्पर्द्धी बन सकें।

भारत में प्रभावी कौशल विकास में बाधा उत्पन्न करने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **प्रशिक्षण की गुणवत्ता:** भारत के कौशल विकास कार्यक्रम **संस्थानों में निरंतर गुणवत्ता की कमी** से ग्रस्त हैं।
  - प्रशिक्षण केंद्रों (ITI) में बुनियादी ढाँचे, प्रशिक्षकों और संसाधनों के मामले में काफी भिन्नता होती है, जिससे कौशल विकास पहलों की प्रभावशीलता कम हो जाती है।
- **उद्योग-अकादमिक संबंधों का अभाव:** शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के बीच पर्याप्त सहयोग का अभाव है, जिसके कारण कौशल असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
  - **PMKVY और स्किल इंडिया** जैसी पहलों के अंतर्गत कई पाठ्यक्रम वर्तमान उद्योग की मांग के अनुरूप नहीं हैं, जिससे स्नातक कार्यबल के लिये तैयार नहीं हो पाते।
  - **उद्योग साझेदारी के अभाव** में, भारतीय संस्थान **परीक्षाओं और पाठ्यक्रम** पूरा करने पर अधिक ध्यान देते हैं तथा गुणात्मक कौशल विकास की उपेक्षा करते हैं।
    - इसके विपरीत, अमेरिका में **नेशनल साइंस फाउंडेशन और यूरोपीय संघ** में **होराइज़न यूरोप** जैसे मॉडल शिक्षा जगत और उद्योग के बीच **सहयोग को बढ़ावा** देते हैं।
- **कौशल विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की कम भागीदारी:** सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं और अपर्याप्त सहायता प्रणालियों के कारण **कौशल विकास कार्यक्रमों** में महिलाओं की भागीदारी सीमित बनी हुई है।
  - यद्यपि PMKVY जैसे कार्यक्रमों से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, फिर भी **उच्च कौशल वाले क्षेत्रों में लैंगिक असमानता** बनी हुई है।
- **बुनियादी ढाँचे की कमी:** आधुनिक बुनियादी ढाँचे की कमी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण तक पहुँच को सीमित करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- दूरदराज के क्षेत्रों में प्रशिक्षण केंद्रों में अक्सर आवश्यक संसाधनों की कमी होती है, जिससे इन क्षेत्रों के युवाओं के लिये **प्रभावी कौशल विकास** प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है।

- **मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन:** प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान किये जाने वाले कौशल और उद्योगों द्वारा अपेक्षित कौशल के बीच एक बड़ा अंतर है।
  - **AI, साइबर सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा** जैसे क्षेत्रों में विशेष कौशल की आवश्यकता होती है, जिसे मौजूदा कार्यक्रम प्रभावी ढंग से पूरा करने में विफल रहते हैं।
    - इसके अलावा, बड़ी संख्या में ITI में आवश्यक मशीनरी चलाने के लिये प्रशिक्षित प्रशिक्षकों का अभाव है।
- **अनौपचारिक कौशल की अपर्याप्त मान्यता:** भारत के अनौपचारिक कार्यबल में कुशल होने के बावजूद, उनकी विशेषज्ञता को औपचारिक मान्यता नहीं मिल पाती है।
  - **पूर्व शिक्षण की मान्यता (RPL) कार्यक्रम**
  - पूर्व शिक्षण की मान्यता (RPL) जैसी पहल अनौपचारिक कौशल को प्रमाणित करने के लिये कार्य कर रही हैं, लेकिन पहुँच और कार्यान्वयन सीमित है।
- **प्रशिक्षुता और कार्यस्थल पर प्रशिक्षण का अभाव:** जर्मनी जैसे अन्य देशों की तुलना में भारत में प्रशिक्षुता मॉडल अविकसित है।
  - जबकि **राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्द्धन योजना (NAPS)** जैसे कार्यक्रम प्रशिक्षुता के लिये वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने में उद्योग की अनिच्छा समग्र प्रभाव को सीमित करती है।

प्रमुख कौशल विकास योजनाएँ और पहल

- कौशल भारत मिशन
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (PM-NAPS)
- इंडिया स्किल्स एक्सेलेरेटर (ISA)
- जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना
- प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (PMKK)
- PM विश्वकर्मा योजना
- SANKALP (आजीविका संवर्द्धन हेतु कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता)
- STRIVE (औद्योगिक मूल्य संवर्द्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण)
- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)
- पूर्व शिक्षण को मान्यता (RPL)

कौशल विकास को बढ़ावा देने में सरकारी पहल कितनी प्रभावी रही हैं?

- **सरकारी हस्तक्षेप और पहल:** भारत सरकार ने कौशल की कमी से निपटने के लिये **स्किल इंडिया और PMKVY सहित कई पहल शुरू की हैं।**
  - इन कार्यक्रमों का लक्ष्य अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण दोनों हैं, जिनका उद्देश्य कार्यबल को उद्योग-प्रासंगिक कौशल से सुसज्जित करना है।
  - हालाँकि, उनकी **समग्र प्रभावशीलता** खराब उद्योग संरेखण और असंगत प्रशिक्षण गुणवत्ता जैसी चुनौतियों से सीमित है।
- **पुनर्गठित कौशल भारत कार्यक्रम: भारत की कौशल विकास प्रणाली को एकाकी दृष्टिकोण** के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिससे कार्यक्रमों का प्रभाव सीमित हो गया है।
  - उद्योग-अकादमिक क्षेत्र में समन्वय की कमी के कारण प्रभावी कौशल और रोज़गारपरकता में बाधा उत्पन्न हुई है, जिसके कारण अधिक एकीकृत और उद्योग-संरेखित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
  - **कौशल भारत कार्यक्रम** के पुनर्गठन में **PMKVY 4.0, PM-NAPS और JSS** जैसे प्रमुख घटकों को शामिल किया गया है।
  - इस **समग्र योजना का उद्देश्य प्रशिक्षण** को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना तथा संरचित कौशल विकास और अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता पहलों के माध्यम से रोज़गार क्षमता को बढ़ाना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **निम्न प्लेसमेंट दर:** PMKVY और कौशल भारत मिशन ने पूरे भारत में लाखों व्यक्तियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है।
  - हालाँकि, **31.55 मिलियन** उम्मीदवारों के नामांकन के बावजूद, **PMKVY-प्रशिक्षित व्यक्तियों** में से केवल **18%** को ही रोज़गार मिल पाया है।
  - यह **निम्न प्लेसमेंट दर** प्रशिक्षण कार्यक्रमों और वास्तविक उद्योग आवश्यकताओं के बीच बेहतर संरेखण की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
- **प्रशिक्षुता प्रशिक्षण और DBT:** PM-NAPS के तहत प्रशिक्षुता कार्यक्रमों में वृद्धि हुई है, वित्त वर्ष 2024-25 में 2,77,036 प्रशिक्षुओं को शामिल किया गया है। जुलाई 2024 तक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं की कुल संख्या **7.46 लाख** है।
  - प्रत्यक्ष **लाभ अंतरण (DBT)** प्रणाली में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसके तहत DBT के माध्यम से प्रशिक्षुओं को 122.36 करोड़ रुपये वितरित किये गए।
  - **हालाँकि, उच्च प्रशिक्षण लागत और संभावित** क्षति की चिंता के कारण उद्योग प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने में हिचकिचाते हैं।
  - यह सीमित भागीदारी युवाओं के लिये वास्तविक रूप से विश्व के प्रशिक्षण अवसरों को बढ़ाने में योजना की समग्र प्रभावशीलता को कम करती है।
- **महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि:** PMKVY और JSS जैसे सरकारी कार्यक्रमों ने कौशल विकास पहलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है।
  - यद्यपि प्रशिक्षित **महिलाओं की संख्या में** वृद्धि हुई है, फिर भी लैंगिक समावेशिता एक चुनौती बनी हुई है, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और विनिर्माण जैसे उच्च-कौशल क्षेत्रों में, जहाँ महिलाओं की भागीदारी अभी भी कम है।
- **क्षेत्र-विशिष्ट पहल:** सरकार का ध्यान क्षेत्र-विशिष्ट कौशल कार्यक्रमों जैसे **पीएम विश्वकर्मा**, पर है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक कौशल का आधुनिकीकरण करना है।
  - ये कार्यक्रम उभरती प्रौद्योगिकियों को शामिल करते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि श्रमिक कृत्रिम बुद्धि, नवीकरणीय ऊर्जा तथा हरित प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में विरासत कौशल और **भविष्य के लिये तैयार क्षमताओं** से सुसज्जित हों।
- **कौशल विकास का डिजिटलीकरण:** स्किल इंडिया डिजिटल हब ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण तक पहुँच में काफी सुधार किया है।
  - 60 लाख से अधिक शिक्षार्थियों के पंजीकृत होने के साथ, यह पहल कौशल विकास के लिए विस्तार योग्य समाधान प्रदान करती है, विशेष रूप से दूरदराज और वंचित समुदायों को लाभान्वित करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच को सर्वसुलभ बना रही है।
- **गुणवत्ता आश्वासन और मान्यता: राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF)** के साथ प्रमाणपत्रों को संरेखित करने से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अर्जित कौशल की औपचारिक मान्यता सुनिश्चित होती है।
  - हालाँकि यह एक कदम आगे है, लेकिन **इन प्रमाणपत्रों के महत्त्व को बढ़ाने के लिये और अधिक कार्य** करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिये, जहाँ मान्यता एक चुनौती बनी हुई है।
- **निजी क्षेत्र की भूमिका:** कौशल विकास प्रयासों को बढ़ाने में निजी क्षेत्र की भागीदारी महत्त्वपूर्ण रही है, विशेष रूप से **CSR कार्यक्रमों** के माध्यम से।
  - सरकार के साथ सहयोग से प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और यह सुनिश्चित किया गया है कि यह उद्योगों की मांगों को पूरा करे। इससे एक अधिक प्रभावी कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हो रहा है।
- **कौशल विकास में तकनीकी नवाचार:** स्वयं और कौशल भारत जैसे तकनीकी प्लेटफार्मों ने पूरे भारत में कौशल प्रशिक्षण तक पहुँच का विस्तार किया है।
  - ये प्लेटफॉर्म व्यक्तिगत शिक्षण पथ बनाने के लिये **AI और डेटा एनालिटिक्स का लाभ** उठाते हैं, जिससे विविध पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के लिये आज के रोज़गार हेतु प्रासंगिक कौशल हासिल करना आसान हो जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **वैश्विक मानकों पर भारत को कुशल बनाना:** वैश्विक कौशल मानकों को पूरा करने के लिये भारत के प्रयासों को **कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों और फ्राँस और जर्मनी** जैसे देशों के साथ रणनीतिक समझौता ज्ञापनों में देखा जाता है।
  - NSDC ने **131 से अधिक उद्योग साझेदारियाँ** की हैं, जिससे 3.10 लाख से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।
  - **स्किल इम्पैक्ट बॉण्ड** जैसी पहलों ने प्रशिक्षण और नौकरी के लिये निजी क्षेत्र से धन आकर्षित किया है।

कौशल अंतर को कम करने और रोज़गार क्षमता बढ़ाने हेतु कौन-से सुधार आवश्यक हैं?

- **बाज़ार की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल का बेहतर मानचित्रण:** भारत के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को रोज़गार बाज़ार की आवश्यकताओं के साथ कौशल के बेहतर संरेखण की आवश्यकता है।
  - **क्षेत्र कौशल परिषदें (SSC)** बाज़ार की मांग के अनुरूप कौशल का मानचित्रण करने में मदद कर सकती हैं, लेकिन प्रासंगिक प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिये सभी क्षेत्रों में अधिक समन्वित प्रयास की आवश्यकता है।
    - **राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)** द्वारा स्वायत्त, उद्योग-नेतृत्व वाली संस्थाओं के रूप में स्थापित SSS, **NSQF** के साथ संरेखित होते हैं तथा संबद्धता, मान्यता और प्रमाणन प्रक्रियाओं को मानकीकृत करते हैं।
- **उन्नत उद्योग-अकादमिक सहयोग:** उद्योगों और शैक्षिक संस्थानों के बीच गहन सहयोग से यह सुनिश्चित होगा कि **कौशल कार्यक्रम** वर्तमान मांगों को पूरा करेंगे।
  - **उद्योगों और शिक्षा जगत** के बीच संयुक्त प्रयासों से ऐसे पाठ्यक्रम तैयार होंगे, जो छात्रों को कार्यबल के लिये बेहतर ढंग से तैयार करेंगे।
- **प्रशिक्षुता और कार्य-आधारित शिक्षा का विस्तार:** वास्तविक दुनिया का अनुभव प्रदान करने के लिये प्रशिक्षुता के अवसरों का विस्तार करना महत्त्वपूर्ण है।
  - **प्रशिक्षुता अधिनियम** में सुधारों से नियोक्ताओं को प्रशिक्षुता में संलग्न होने के लिये प्रोत्साहित **(विशेष रूप से AI, नवीकरणीय ऊर्जा एवं साइबर सुरक्षा जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों में)** किया जाना चाहिये।
- **लैंगिक समावेशिता पर ध्यान:** महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये, कौशल कार्यक्रमों को उन सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करना होगा, जो प्रशिक्षण तक महिलाओं की पहुँच को सीमित करती हैं।
  - **लिंग-संवेदनशील प्रशिक्षण केंद्र,** कुशल कार्यक्रम और बाल देखभाल सुविधाएँ महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद करेंगी।
- **डिजिटल कौशल और बुनियादी ढाँचे का विकास: भारत को AI और** ब्लॉकचेन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये डिजिटल शिक्षण बुनियादी ढाँचे का विस्तार करना चाहिये।
  - स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को और बेहतर बनाया जाए ताकि यह स्थानीय भाषाओं में, क्षेत्रीय ज़रूरतों के अनुरूप और अधिक आकर्षक शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा सके।
- **अनौपचारिक कौशल की मान्यता: सुधारों को अनौपचारिक क्षेत्र के कौशल को औपचारिक बनाने तथा मौजूदा विशेषज्ञता के लिये प्रमाणन प्रदान** करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
  - इससे श्रमिकों को बेहतर नौकरियों तक पहुँच प्राप्त करने तथा उनकी वेतन संभावनाओं में सुधार करने में मदद मिलेगी, विशेष रूप से निर्माण जैसे क्षेत्रों में, जहाँ अनौपचारिक कौशल प्रचलित हैं।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी: कर प्रोत्साहन, अनुदान** और उद्योग-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  - ये साझेदारियाँ यह सुनिश्चित करेंगी कि कौशल कार्यक्रम सतत् और वास्तविक समय की उद्योग आवश्यकताओं के अनुरूप हों।
- **सॉफ्ट स्किल्स और व्यावसायिक तत्परता: व्यावसायिक शिक्षा** में **संचार, नेतृत्व और समस्या समाधान** जैसे सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण को एकीकृत करना आवश्यक है।
  - ये कार्यक्रम यह सुनिश्चित करेंगे कि स्नातक स्तर के रोज़गार के लिये तैयार हों और आधुनिक कार्यस्थल पर उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें, जिससे उनकी रोज़गार क्षमता बढ़ सके।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

निष्कर्ष:

भारत की कौशल विकास पहल उभरते उद्योग की मांगों के साथ कार्यबल को संरेखित करने में महत्त्वपूर्ण हैं। सरकार के रणनीतिक सुधार, निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के साथ, **कौशल अंतराल को कम और रोज़गार क्षमता को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक हैं।** ये प्रयास भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को साकार करने और सतत् आर्थिक विकास सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान देंगे।

■■■

आर्थिक स्थिरता में पारिस्थितिकी की भूमिका

यह एडिटोरियल 14/05/2025 को द हिंदू में प्रकाशित "Ecology is the world's permanent economy" पर आधारित है। यह लेख इस विचार पर प्रकाश डालता है कि पारिस्थितिकी स्थायी आर्थिक समृद्धि की नींव है तथा यह रेखांकित करता है कि सच्ची स्थिरता तभी संभव है जब हम पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करें

पर्यावरणविद् सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा लोकप्रिय कहा गया यह गूढ़ कथन **"पर्यावरण ही स्थायी अर्थव्यवस्था है"** हमें स्मरण कराता है कि मानव समृद्धि मूल रूप से पारिस्थितिकीय स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। आर्थिक विकास और स्थिरता तब तक संभव नहीं हैं, जब तक **हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के साथ-साथ उनका संरक्षण** भी न करें। जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन और जैव-विविधता की हानि बढ़ती जा रही है, **पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक वृद्धि के बीच उचित संतुलन खोजना अत्यावश्यक हो गया है। यही संतुलन वास्तविक सततता का प्रतिनिधित्व करता है** — जहाँ न तो पारिस्थितिक तंत्र का त्याग किया जाता है और न ही आर्थिक प्रगति का।

पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर किस प्रकार निर्भर हैं?

- **आर्थिक संपदा के आधार के रूप में प्राकृतिक पूंजी:** आर्थिक गतिविधियाँ मूल रूप से **प्राकृतिक पूँजी पर निर्भर** करती हैं, **पारिस्थितिक तंत्र उत्पादन और उपभोग के लिये आवश्यक कच्चा माल, ऊर्जा और सेवाएँ प्रदान करते हैं।**
  - **पारिस्थितिक सीमाओं की अनदेखी से संसाधनों के क्षरण और आर्थिक अस्थिरता का खतरा उत्पन्न** होता है। सतत् अर्थव्यवस्थाओं को पारिस्थितिकीय स्वास्थ्य को एक मुख्य संपत्ति के रूप में अपनाना चाहिये।
  - विश्व आर्थिक मंच **(World Economic Forum) की वर्ष 2020 की रिपोर्ट "नेचर रिस्क राइजिंग"** के अनुसार, वैश्विक GDP का 50% से अधिक लगभग $44 ट्रिलियन — प्रकृति और उसकी सेवाओं पर निर्भर है।
- **जलवायु परिवर्तन से पारिस्थितिकी-आर्थिक जोखिम बढ़ता है: पारिस्थितिक असंतुलन** द्वारा प्रेरित तीव्र होता **जलवायु संकट चरम मौसम, संसाधनों की कमी तथा स्वास्थ्य पर प्रभावों के माध्यम से आर्थिक क्षेत्रों के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहा है।**
  - जो आर्थिक विकास मॉडल जलवायु जोखिमों की अनदेखी करते हैं, वे भारी वित्तीय क्षति और सामाजिक अव्यवस्था का सामना कर सकते हैं। आर्थिक स्थिरता के लिये जलवायु-संवेदनशील विकास अनिवार्य है।
  - **विश्व आर्थिक मंच (WEF)** का अनुमान है कि **प्रत्येक 1°C तापमान वृद्धि पर वैश्विक GDP में लगभग 12% की हानि** होती है। IPCC की 2023 रिपोर्ट इंगित करती है कि जलवायु जनित आपदाओं के कारण प्रतिवर्ष ट्रिलियनों डॉलर की वैश्विक आर्थिक हानि हो रही है।
- **जैव विविधता की हानि से आजीविका और खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है:** जैव-विविधता **पारिस्थितिकीय लचीलापन, कृषि उत्पादकता और औषधीय संसाधनों** को सहारा देती है, जो मानव कल्याण एवं आर्थिक स्वास्थ्य के लिये अत्यंत आवश्यक हैं।
  - इसका तीव्र क्षरण **खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आय को संकट में डालता है, जिससे सतत विकास को गंभीर चुनौती मिलती** है। जैव-विविधता का संरक्षण आर्थिक भविष्य को सुरक्षित रखने के लिये अनिवार्य है।
  - IPBES ग्लोबल असेसमेंट के अनुसार, लगभग 10 लाख प्रजातियाँ विलुप्ति के कगार पर हैं — यह आँकड़ा मानवीय गतिविधियों के कारण जैव-विविधता पर पड़ने वाले गहन प्रभाव को दर्शाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME | IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- यह खतरा केवल प्रजातियों की हानि तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सेवाओं को भी प्रभावित करता है जो पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करते हैं, **जिससे 1.6 अरब से अधिक लोगों की आजीविका और जीवन-स्तर पर** प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

- **हरित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन से नये आर्थिक अवसर सृजित करता है:** पारिस्थितिक स्थिरता **नवीकरणीय ऊर्जा, चक्रीय अर्थव्यवस्था (circular economy) और हरित प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देती है**, जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक विविधीकरण को बल मिलता है।
  - प्रकृति-आधारित समाधानों में निवेश से **पारिस्थितिक पुनरुद्धार और आर्थिक वृद्धि — दोनों को बढ़ावा मिलता है,** जिससे स्थिरता एक बाधा नहीं, बल्कि एक उत्प्रेरक बन जाती है।
  - **विश्व आर्थिक मंच** (World Economic Forum) का अनुमान है कि प्रकृति-आधारित समाधानों में निवेश को 2030 तक वास्तविक रूप में कम-से-कम तीन गुना करना आवश्यक है।
- **मानव कल्याण और आर्थिक उत्पादकता: स्वच्छ हवा, जल और प्राकृतिक पर्यावरण सीधे जनस्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं,** जिससे स्वास्थ्य-सेवा लागत में कमी आती है और उत्पादकता में वृद्धि होती है।
  - पारिस्थितिकीय क्षरण रोगों का बोझ बढ़ाता है और आर्थिक हानि का कारण बनता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि **पर्यावरणीय संरक्षण का सीधा संबंध मानव संसाधन और आर्थिक उत्पादन से** है। पारिस्थितिकीय स्वास्थ्य में निवेश करना वास्तव में मानव और आर्थिक पूँजी में निवेश करना है।
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, **वातावरणीय और घरेलू वायु प्रदूषण के संयुक्त प्रभावों** से प्रति वर्ष लगभग **70 लाख लोगों की असमय मृत्यु** होती है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को अरबों डॉलर की उत्पादकता हानि होती है।

पारिस्थितिकी संरक्षण भारत के आर्थिक विकास में किस प्रकार योगदान दे रहा है?

- **नवीकरणीय ऊर्जा से सतत् आर्थिक विकास को बढ़ावा:** भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेज़ी से हो रहा विस्तार ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करता है, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को घटाता है, और हरित निवेश को आकर्षित करता है, जिससे GDP में वृद्धि को बल मिलता है।
  - वित्त वर्ष 2024–25 में **भारत ने 23.83 GW सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी, जिससे कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 130 GW से अधिक हो गई** है, यह वर्ष 2030 तक 500 GW के लक्ष्य की दिशा में एक मज़बूत कदम है।
  - 19 अरब डॉलर की गुजरात **हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा** परियोजना बड़े पैमाने पर सतत् अवसंरचना का उदाहरण है, जो रोज़गार सृजन और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देती है।
- **वन संरक्षण से कार्बन अवशोषण और आजीविका को बढ़ावा:** भारत का वन एवं वृक्ष आच्छादन (Forest and Tree Cover) भूमि क्षेत्र का 25.17% हो गया है (भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार), जो कार्बन सिंक को मज़बूत करता है और जलवायु शमन तथा पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के लिये आवश्यक है।
  - **सतत् वानिकी (Sustainable Forestry) के माध्यम से एग्रोफॉरेस्ट्री एवं गैर-काष्ठ वानिकी उत्पादों (Non-Timber Forest Products) से आजीविका के साधन मिलते हैं,** जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैव विविधता संरक्षण और दीर्घकालिक पारिस्थितिक एवं आर्थिक स्थायित्व में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **पर्यावरण अनुकूल खनन से संसाधन स्थिरता बढ़ती है:** भारत का खनन क्षेत्र अब कठोर पर्यावरणीय मानदंडों और हरित तकनीकों को अपना रहा है, जिससे भूमि क्षरण और प्रदूषण को न्यूनतम किया जा रहा है।
  - भारतीय खान ब्यूरो (Indian Bureau of Mines) द्वारा लगभग **68 खानों को पाँच-सितारा ईको-रेटिंग प्रदान की गयी है। सतत् खनन यह सुनिश्चित करता है कि खनिज आपूर्ति श्रृंखलाएँ, जो**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

अवसंरचना और विनिर्माण के लिये आवश्यक हैं, सुरक्षित रहें। साथ ही, यह राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 के स्थायित्व लक्ष्यों के अनुरूप है।

- **शहरी हरियाली से सार्वजनिक स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार होता है:** शहरी वनीकरण (urban afforestation) और हरित अधोसंरचना (green infrastructure) प्रदूषण को कम करते हैं, जलवायु सहनशीलता बढ़ाते हैं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं, जिससे कार्यबल की उत्पादकता में वृद्धि होती है।
  - **उत्तर प्रदेश के मियावाकी वन और प्लास्टिक सड़क परियोजनाएँ** "अपशिष्ट से संसाधन" (waste-to-resource) की नवीनतम अवधारणाओं का उदाहरण हैं, **जो तेज़ी से विकसित हो रहे शहरों में जीवन-योग्यता (urban livability) को बढ़ा रही हैं — ये शहर भारत की सेवा-प्रधान अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।**
- **जैव-विविधता संरक्षण पारिस्थितिक पर्यटन और ग्रामीण आय को बढ़ावा देता है:** भारत की समृद्ध जैव-विविधता पारिस्थितिक पर्यटन (ecotourism) के लिये एक उभरती हुई संपत्ति है, जो ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाती है तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करती है।
  - **काज़ीरंगा** जैसे पर्यटन स्थलों में वन्यजीव पर्यटन, **जहाँ 2024-25 में 4.06 लाख से अधिक पर्यटकों का अब तक का उच्चतम आगमन दर्ज किया गया, स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।**
  - **बस्तर के धुरवा जनजाति के लोग कायकिंग, बेम्बू राफ्टिंग और ट्रेकिंग जैसी पर्यावरण-अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा** देकर न केवल अपनी आजीविका को सतत् बना रहे हैं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत का भी संरक्षण कर रहे हैं।

भारत में आर्थिक विकास और पारिस्थितिकी संरक्षण के बीच संतुलन बनाने में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **तीव्र औद्योगिकीकरण के कारण संसाधनों का ह्रास:** भारत के औद्योगिक विकास से सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर असहनीय दबाव पड़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप वनों की कटाई, जल-संकट और मृदा अपरदन हो रहा है।
  - **विकास की मांगों और संरक्षण के बीच संतुलन बनाना कठिन है क्योंकि संसाधन निष्कर्षण GDP को बढ़ावा देता है, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाता है।** अस्थिर खनन और अवसंरचना परियोजनाएँ अक्सर पर्यावरण सुरक्षा मानदंडों की उपेक्षा कर जाती हैं।
    - उदाहरण के लिये, केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) की 2023 की रिपोर्ट में कहा गया है कि **भारत के 60% से अधिक कुओं में जल स्तर में गिरावट के संकेत मिले हैं, जो दर्शाता है कि कई क्षेत्रों में भूजल निष्कर्षण पुनर्भरण से अधिक हो रही है।**
    - एक हालिया विश्लेषण में बताया गया कि **ओड़िशा के नबरंगपुर, पुरी, कंधमाल और कालाहांडी ज़िलों में खनन के कारण वन क्षेत्र का 20% से अधिक हिस्सा समाप्त हो गया है।**
- **शहरीकरण के कारण पर्यावरणीय तनाव:** तीव्र शहरी विस्तारण से आवासीय स्थल नष्ट होते हैं, प्रदूषण बढ़ता है और अपशिष्ट प्रबंधन में चुनौतियाँ आती हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव पड़ता है।
  - **संयुक्त राष्ट्र आवास कार्यक्रम (UN Habitat)** के अनुसार, **विश्व की कुल ऊर्जा खपत का 78% शहरों में होता है और 60% से अधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन भी वहीं होता है।**
    - **भारत के प्रमुख महानगर** जैसे **दिल्ली, मुंबई और कोलकाता** में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के कारण देश के शहरी पारिस्थितिकी तंत्र संकट की स्थिति में हैं। शहरी नियोजन में हरित अवसंरचना को शामिल करना अभी भी अपर्याप्त है।
- **भूमि उपयोग की परस्पर विरोधी प्राथमिकता:** कृषि, उद्योग, शहरी विकास और संरक्षण सीमित भूमि के लिये प्रतिस्पर्द्धा करते हैं, जिससे संघर्ष उत्पन्न होते हैं जो सतत् नियोजन में बाधा डालते हैं।
  - **अल्पकालिक आर्थिक लाभ को प्राथमिकता देने के कारण अक्सर जंगलों पर अतिक्रमण और वेटलैंड्स (आर्द्रभूमि) के विनाश की घटनाएँ बढ़ जाती हैं।** समन्वित भूमि उपयोग नीति की कमी इन तनावों को और बढ़ा देती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- उदाहरण के लिये, वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ-एशिया (WISA) के अनुमान के अनुसार, भारत में **पिछले चार दशकों में लगभग 30%** प्राकृतिक आर्द्रभूमि शहरीकरण, अवसंरचना निर्माण, कृषि विस्तार और प्रदूषण के कारण नष्ट हो चुकी है।

- **अपर्याप्त पर्यावरणीय शासन और प्रवर्तन:** पर्यावरण नियमों का कमज़ोर क्रियान्वयन और विभिन्न एजेंसियों के बीच अधिकार क्षेत्र का अतिव्यापन संरक्षण प्रयासों को कमज़ोर करता है।
  - पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) में विलंब और भ्रष्टाचार जवाबदेही को बाधित करते हैं। विकास और पारिस्थितिकी के बीच संतुलन स्थापित करना प्रशासनिक अक्षमताओं के कारण चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **गरीबी और आजीविका की प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता:** भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों लोग जीविका के लिये सीधे वनों, जल निकायों और भूमि पर निर्भर हैं, जिससे संरक्षण और आजीविका की आवश्यकताओं के बीच तनाव उत्पन्न होता है।
  - कठोर संरक्षण नीतियाँ समुदायों को हाशिये पर डाल सकती हैं, जिससे विरोध और अस्थायी शोषण की प्रवृत्ति बढ़ती है।
  - **275 मिलियन से अधिक लोग वन संसाधनों पर निर्भर हैं (भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023)।**
    - झारखंड में किये गए एक अध्ययन में पाया गया कि वन-आधारित आजीविकाएँ **ग्रामीण आय का 12% से 42% तक योगदान करती हैं, जिससे संरक्षण का सख्त क्रियान्वयन जटिल हो जाता है।**
- **जलवायु परिवर्तन पारिस्थितिकीय कमज़ोरियों को बढ़ा रहा है:** जलवायु परिवर्तन चरम मौसमी घटनाओं को तीव्र करता है, जिससे कृषि, जल उपलब्धता और जैव-विविधता प्रभावित होती है और विकास-संरक्षण के संतुलन को जटिल बनाता है। कमज़ोर क्षेत्रों में अनुकूलन क्षमता कम होने के कारण सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय जोखिम बढ़ जाते हैं।
  - वर्ष 2024 में **भारत ने 536 हीटवेव दिन अनुभव किये,** जो पिछले 14 वर्षों में सबसे अधिक हैं। **हिमालय की ग्लेशियरों का पिघलना 100 मिलियन से अधिक लोगों** के जल सुरक्षा को निचले इलाकों को प्रभावित करता है।

आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच प्रभावी संतुलन हेतु भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **भूदृश्य-स्तरीय एकीकृत संसाधन प्रबंधन:** क्रॉस-सेक्टोरल, भूदृश्य-स्तरीय शासन ढाँचे को लागू करना चाहिये जिससे वन, जल, कृषि एवं जैवविविधता प्रबंधन को समन्वित किया जा सके।
  - जल उपयोग दक्षता को अनुकूलित करने, मृदा स्वास्थ्य को बेहतर करने, पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने तथा जलवायु अनुकूलन एवं धारणीय आजीविका को बढ़ावा देने के क्रम में **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) और राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम** के बीच समन्वय का लाभ उठाना चाहिये।
- **बहुस्तरीय पर्यावरण विनियामक तंत्र को मज़बूत करना:** पारदर्शी निगरानी तथा प्रवर्तन के लिये AI-संचालित रिमोट सेंसिंग एवं ब्लॉकचेन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों से युक्त मज़बूत, विकेंद्रीकृत पर्यावरण विनियामक निकायों की स्थापना करनी चाहिये।
  - **गतिशील पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA)** को बढ़ावा देना चाहिये, जिसमें संचयी तथा दीर्घकालिक पारिस्थितिकी-आर्थिक प्रभावों को शामिल किया जाए, साथ ही स्थानीय समुदायों एवं हितधारकों को शामिल करते हुए भागीदारीपूर्ण निर्णय लेने को सुनिश्चित किया जाए।
- **उद्योग में सर्कुलर और जैव-अर्थव्यवस्था का अनुकरण:** अपशिष्ट निगरानी के साथ पारिस्थितिकी अनुरूप डिज़ाइन और बंद-लूप प्रणालियों पर बल देते हुए सर्कुलर औद्योगिक मॉडल में परिवर्तन को अपनाना चाहिये।
  - **MSME के लिये** ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट (ZED) को **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) ढाँचे** के साथ एकीकृत करने के साथ निर्माताओं को धारणीय सामग्री अपनाने, प्रदूषण को कम करने एवं पर्यावरण-नवाचार समूहों को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये, जिससे विकास बाधित न हो।
- **प्रकृति-आधारित जलवायु समाधान (NbCS) को मुख्यधारा में शामिल करना:** पारिस्थितिकी तंत्र के उन्नयन,

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

शहरी हरित गलियारे, ब्लू कार्बन पहल और कृषि वानिकी को राष्ट्रीय जलवायु रणनीतियों में शामिल करने के साथ NbCS को बढ़ावा देना चाहिये।

- **पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिये भुगतान (PES)** जैसे उपकरणों का उपयोग करके पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मौद्रिक मूल्यांकन को संस्थागत बनाने के साथ बाज़ार आधारित प्रोत्साहनों के माध्यम से संरक्षण वित्त को सक्षम करना चाहिये, जिससे आर्थिक विकास को जैवविविधता संरक्षण अनिवार्यताओं के साथ संरेखित किया जा सके।

- **धारणीय आजीविका के साथ समुदाय-केंद्रित संरक्षण: वन अधिकार अधिनियम (FRA) को मनरेगा समर्थित पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापन परियोजनाओं के साथ जोड़कर,** अधिकार-आधारित भागीदारी के साथ स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना चाहिये।
  - गैर-लकड़ी वन उत्पादों, पारिस्थितिकी पर्यटन तथा नवीकरणीय ऊर्जा उद्यमिता में कौशल विकास के माध्यम से जलवायु-अनुकूल आजीविका को बढ़ावा देना चाहिये, जिससे संरक्षण और समावेशी आर्थिक सशक्तीकरण का एक बेहतर चक्र निर्मित हो सके।
- **ग्रीन शहरी अवसंरचना और सतत् गतिशीलता: प्रकृति आधारित अवसंरचना (पारगम्य सतहें, शहरी आर्द्रभूमि, हरित छतें)** को अपनाने के साथ स्मार्ट सिटी मिशन और AMRUT (अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन) योजना के तहत एकीकृत शहरी नियोजन को बढ़ावा देना चाहिये।
  - इससे शहरी ताप द्वीप प्रभाव, वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में कमी आने के साथ जीवन-गुणवत्ता और आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि होगी।
- **सहक्रियात्मक नीतियों के साथ स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में तेज़ी लाना: राष्ट्रीय सौर मिशन और परफॉर्म अचीव ट्रेड (PAT)** को उभरती हुई बैटरी भंडारण एवं स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों के साथ जोड़कर नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने पर ध्यान देना चाहिये।
  - **ग्रीन हाइड्रोजन और जैव ऊर्जा नवाचारों** को प्रोत्साहित करने के क्रम में **सार्वजनिक-निजी भागीदारी** को बढ़ावा देने एवं भारत को वैश्विक स्वच्छ-प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित करने के साथ ऊर्जा सुरक्षा तथा औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन सुनिश्चित करना चाहिये।
- **बड़े पैमाने पर पर्यावरण साक्षरता तथा व्यवहार परिवर्तन: सभी स्तरों पर जागरूकता** के क्रम में स्थानीय पारिस्थितिकी ज्ञान प्रणालियों के साथ अनुभवात्मक शिक्षा को एकीकृत करना चाहिये।
  - **पर्यावरण अनुकूल व्यवहार,** ज़िम्मेदार उपभोग और जलवायु कार्रवाई प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के क्रम में सोशल मीडिया प्रभावकों एवं गेमीफिकेशन का लाभ उठाते हुए राष्ट्रव्यापी डिजिटल अभियान शुरू करना चाहिये, जिससे सामाजिक नेतृत्व को मज़बूत किया जा सके।
- **हरित वित्त पारिस्थितिकी तंत्र: प्रोत्साहनयुक्त हरित बॉण्ड, ESG-अनुरूप निवेश एवं सभी क्षेत्रों में अनिवार्य जलवायु-संबंधी वित्तीय व्यवस्था** के माध्यम से एक व्यापक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना चाहिये।
  - ऋण मूल्यांकन एवं निवेश संबंधी निर्णय लेने में पारिस्थितिकी जोखिमों को मुख्यधारा में लाने के क्रम में आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के साथ एकीकृत **राष्ट्रीय पर्यावरण जोखिम मूल्यांकन प्रोटोकॉल** स्थापित करना चाहिये।

निष्कर्ष:

पारिस्थितिकी तंत्र और अर्थव्यवस्था की परस्पर निर्भरता निर्विवाद है, क्योंकि सतत् आर्थिक समृद्धि हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। भारत की चुनौती **महत्त्वाकांक्षी विकास लक्ष्यों के साथ मज़बूत पर्यावरण संरक्षण** को एकीकृत करने में निहित है। जैसा कि **सर्वोच्च न्यायालय** ने पुष्टि की है कि **वन और प्राकृतिक संसाधन राष्ट्रीय संपत्ति** हैं जो देश की वित्तीय संपदा का अभिन्न अंग हैं। इस संतुलन को प्राप्त करना न केवल जैवविविधता और जलवायु की सुरक्षा के लिये बल्कि भारत के सतत् भविष्य को सुरक्षित करने के लिये भी आवश्यक है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

भारत-अफ्रीका साझेदारी का विकास

यह एडिटोरियल 15/05/2025 को बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित "Beyond the aid recipient: India's strategic shift in its Africa engagement" पर आधारित है। यह लेख विकासशील भारत-अफ्रीका साझेदारी को दर्शाता है, जो अफ्रीका के विकास लक्ष्यों तथा वर्ष 2030 तक 200 बिलियन डॉलर के व्यापार लक्ष्य के साथ रणनीतिक, निवेश-आधारित सहयोग की ओर इसके बदलाव को उजागर करता है।

अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी ऐतिहासिक संबंधों से आगे बढ़कर व्यापार, निवेश और विकास सहयोग को शामिल करते हुए **एक रणनीतिक, बहुआयामी संबंध में** विकसित हुई है। द्विपक्षीय व्यापार प्रत्येक वर्ष **100 बिलियन डॉलर तक पहुँचने** और 80 बिलियन डॉलर के संचयी निवेश के साथ, **भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 200 बिलियन डॉलर का महत्वाकांक्षी व्यापार लक्ष्य** हासिल करना है। गहन सहयोग के लिये प्रमुख क्षेत्रों में **विनिर्माण, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा और सुरक्षा सहायता शामिल** हैं। जैसे-जैसे अफ्रीका अपनी पारंपरिक सहायता-प्राप्तकर्त्ता स्थिति से आगे बढ़ता है, भारत को **निवेश-आधारित व्यापार की एक दीर्घकालिक रणनीति विकसित** करनी चाहिये, जो **स्व-निर्देशित विकास के लिये अफ्रीकी आकांक्षाओं** के साथ संरेखित हो।

समय के साथ भारत-अफ्रीका संबंध कैसे विकसित हुए हैं?

- **ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार: भारत-अफ्रीका संबंध प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, जब भारतीय व्यापारी हिंद महासागर** के रास्ते अफ्रीकी राज्यों के साथ मसालों, वस्त्रों और कीमती पत्थरों का व्यापार करते थे।
  - **केन्या, दक्षिण अफ्रीका और मॉरीशस** जैसे देशों में भारतीय प्रवासियों की उपस्थिति ने सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मज़बूत किया है।
  - दोनों क्षेत्रों ने **ब्रिटिश उपनिवेशवाद** के अनुभवों को भी साझा किया, जिससे स्वतंत्रता आंदोलनों के दौरान आपसी सहयोग को बढ़ावा मिला तथा **महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने नेल्सन मंडेला जैसे अफ्रीकी स्वतंत्रता सेनानियों** को प्रभावित किया।
- **स्वतंत्रता के बाद की अवधि (1947-1990):** स्वतंत्रता के बाद, भारत ने अफ्रीकी मुक्ति संघर्षों का दृढ़ता से समर्थन किया, **रंगभेद और उपनिवेशवाद का विरोध किया,** जिसका उदाहरण संयुक्त राष्ट्र में भारत की मुख्य भूमिका है।
  - भारत और कई अफ्रीकी देश **गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य** थे, जो शीत युद्ध के दबावों से मुक्त होकर संप्रभुता और विकास को बढ़ावा दे रहे थे।
  - भारत ने भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम के अंतर्गत अफ्रीकी छात्रों को तकनीकी सहायता और छात्रवृत्ति भी प्रदान की, जिससे दीर्घकालिक सहयोग की आधारशिला तैयार हुई।
- **शीत युद्ध के बाद से 2000 के दशक तक:** शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही भारत-अफ्रीका संबंध वैचारिक एकजुटता से व्यावहारिक सहयोग की ओर स्थानांतरित हो गए।
  - अफ्रीका के साथ भारत का विकास सहयोग उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, विशेष रूप से अवसंरचना परियोजनाओं के लिये रियायती ऋण के माध्यम से।
  - इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण **पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना है,** जिसकी परिकल्पना भारत के **पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम** ने की थी। इस परियोजना के तहत **अफ्रीकी देशों में सैटेलाइट-सक्षम टेलीमेडिसिन, टेली-एजुकेशन और डिजिटल कनेक्टिविटी** उपलब्ध कराने के लिए एक **फाइबर-ऑप्टिक नेटवर्क** स्थापित किया गया।
- **हालिया घटनाक्रम (2008-वर्तमान):** वर्ष 2008 में पहली बार आयोजित **इंडिया-अफ्रीका फोरम समिट (IAFS)** ने उच्च स्तरीय राजनीतिक संवाद को संस्थागत रूप प्रदान किया और व्यापार, सुरक्षा एवं विकास में साझेदारी को व्यापक बनाया।
  - भारत ने शांतिरक्षा, आतंकवाद-रोधी सहयोग, और क्षमतावर्द्धन क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाया है तथा ITEC व अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रतिवर्ष हज़ारों अफ्रीकी पेशेवरों को प्रशिक्षण देता है।
  - भारत ने अपनी **वर्ष 2023 की G20 अध्यक्षता** के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने में अग्रणी भूमिका निभाई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

भारत की विदेश नीति में अफ्रीका का सामरिक महत्त्व क्या है?

- **सामरिक और समुद्री सुरक्षा अनिवार्य:** हिंद महासागर क्षेत्र में अफ्रीका की भू-राजनीतिक स्थिति **भारत के समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा और नौसैनिक प्रभाव को बढ़ाने** के लिये महत्त्वपूर्ण है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- भारत द्वारा वर्ष 2024 में मॉरीशस में अपना पहला विदेशी नौसैनिक अड्डा स्थापित करना, जो कि उसकी "नेकलेस ऑफ डायमंड" रणनीति का हिस्सा है, समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने तथा समुद्री डकैती एवं आतंकवाद जैसे उभरते खतरों का मुकाबला करने के लिये रणनीतिक पहुँच का उदाहरण है।
- प्रमुख अफ्रीकी राज्यों में भारतीय रक्षा अताशे की तैनाती और **वर्ष 2023 में भारत-अफ्रीका सेना** प्रमुख सम्मेलन का उद्घाटन सैन्य सहयोग एवं क्षेत्रीय स्थिरता को और मज़बूत करेगा।

- **व्यापार और निवेश के माध्यम से आर्थिक विकास उत्प्रेरक:** अफ्रीका के विशाल प्राकृतिक संसाधन और विस्तारित बाज़ार भारत को अपनी विकास गति को बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण आगत और मांग प्रदान करते हैं।
  - भारत-अफ्रीका द्विपक्षीय व्यापार **वर्ष 2023-24 में बढ़कर 83.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया,** जो **वर्ष 2011-12 से 21% की वृद्धि** को दर्शाता है, जबकि भारतीय निवेश 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है, जो वर्ष 2030 तक दोगुना हो जाएगा।
- **महत्त्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा संसाधनों को सुरक्षित करना: कोबाल्ट, मैंगनीज और तांबे** जैसे महत्त्वपूर्ण खनिजों में अफ्रीका का प्रभुत्व भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं के लिये अपरिहार्य है।
  - कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अकेले **ही विश्व की 70% से अधिक खनन कोबाल्ट आपूर्ति को** नियंत्रित करता है, जो इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी और नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - इसके साथ ही, **नाइज़ीरिया और अंगोला जैसे अफ्रीकी तेल उत्पादक भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं** को तेजी से पूरा कर रहे हैं तथा वैश्विक आपूर्ति अस्थिरता के बीच भारत के कच्चे तेल आयात में अफ्रीकी देशों की हिस्सेदारी बढ़ रही है।
- **विकास साझेदारी और क्षमता निर्माण: 43 अफ्रीकी देशों में 206 परियोजनाओं** के लिये भारत की **12 बिलियन अमेरिकी डॉलर** से अधिक की ऋण सहायता से परे एक विकास साझेदार के रूप में इसकी भूमिका को रेखांकित करती है।
  - **भारत के ITEC कार्यक्रम, IIT मद्रास के जंजीबार परिसर जैसे शैक्षणिक संस्थानों और व्यावसायिक प्रशिक्षण** के माध्यम से क्षमता निर्माण **अफ्रीका के एजेंडा 2063 लक्ष्यों के** अनुरूप है।
  - ये पहल अफ्रीका के औद्योगिकीकरण और प्रौद्योगिकीय सशक्तिकरण के लिये महत्त्वपूर्ण मानव पूंजी विकास को बढ़ावा देती हैं तथा पारस्परिक विकास पर आधारित सुदृढ़ साझेदारी को बढ़ावा देती हैं।
- **कूटनीतिक लाभ और वैश्विक शासन: वर्ष 2023 में अफ्रीकी संघ** की G-20 की स्थायी **सदस्यता** के लिये भारत का समर्थन एक कूटनीतिक मील का पत्थर साबित हुआ, जिससे वैश्विक आर्थिक नीतियों को आकार देने में अफ्रीका की भूमिका बढ़ेगी।
  - **कोविड-19 टीकों और कृषि संबंधी ढाँचे के लिये बौद्धिक संपदा छूट पर विश्व व्यापार संगठन** में भारत और अफ्रीका की संयुक्त पहल, न्यायसंगत वैश्विक शासन के लिये उनके समन्वित प्रयास को दर्शाती है।
  - यह मज़बूत साझेदारी वैश्विक दक्षिण में भारत के नेतृत्व को आगे बढ़ाएगी, जबकि विश्व मंच पर अफ्रीका की आवाज को मज़बूत करेगी।
- **प्रौद्योगिकी सहयोग और नवाचार साझेदारी:** अफ्रीका का बढ़ता डिजिटल परिवर्तन और प्रौद्योगिकी अपनाना **भारत के लिये नवाचार-संचालित विकास क्षेत्रों में सहयोग करने के महत्त्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है।**
  - भारतीय IT कंपनियाँ और स्टार्टअप स्मार्ट सिटी परियोजनाओं, फिनटेक समाधानों और डिजिटल बुनियादी ढाँचे को **विकसित करने के लिये अफ्रीकी सरकारों** के साथ तेजी से साझेदारी कर रही हैं, **जिससे सतत् शहरीकरण और समावेशी आर्थिक विकास** में योगदान मिल रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **भारत ने** अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अपने नेतृत्व के माध्यम से **अफ्रीका में सौर परियोजनाओं के लिये 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर** देने की प्रतिबद्धता जताई है- जिससे उसके ऊर्जा सुरक्षा उद्देश्यों को बढ़ावा, साथ ही **पारस्परिक** रूप से लाभकारी ढाँचे में **अफ्रीका के सतत् विद्युतीकरण एजेंडे** में योगदान मिलेगा।

प्रभावी भारत-अफ्रीका सहयोग में बाधा डालने वाले प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **रणनीतिक और कूटनीतिक सहभागिता में अंतराल:** भारत की विलंबित राजनीतिक सहभागिता, जिसका उदाहरण **पिछले भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन** के बाद से नौ वर्षों का अंतराल है, रणनीतिक सहभागिता को दर्शाता है, जो महाद्वीप में नेतृत्व करने की इसकी क्षमता को कमज़ोर करता है।
  - जहाँ **चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ और रूस जैसे प्रतिस्पर्द्धी शक्तियाँ** कई शिखर सम्मेलनों के माध्यम से सक्रिय संवाद बनाए रखती हैं, वहीं भारत की अनुपस्थिति इस क्षेत्र को प्राथमिकता न देने का संकेत देती है तथा इसकी नीति-निर्धारण भूमिका को कमज़ोर करती है।
  - यह कूटनीतिक शून्यता, बदलती वैश्विक स्थितियों के बीच अफ्रीका के भविष्य के नीतिगत ढाँचे को आकार देने में भारत के प्रभाव को बाधित करती है।
- **जटिल सुरक्षा परिदृश्य और कमजोर शासन व्यवस्था:** अफ्रीका के बढ़ते सुरक्षा संकट - जो **2020-2023 तक 9 तख्तापलट** और लगातार सशस्त्र संघर्षों द्वारा उजागर हुए हैं - एक अस्थिर वातावरण बनाते हैं जो भारतीय निवेश को रोकता है तथा रक्षा सहयोग को जटिल बनाता है।
  - कमजोर शासन ढाँचे और बढ़ती उग्रवाद की प्रवृत्ति शांति स्थापना एवं आतंकवाद-रोधी प्रयासों में भारत की सार्थक भागीदारी को चुनौती देती है।
  - जब तक इन नाजुक राज्य स्थितियों का समाधान नहीं किया जाता, भारत की दीर्घकालिक सुरक्षा साझेदारियाँ कमजोर और अस्थायी बनी रहेंगी।
- **संरचनात्मक आर्थिक और अवसंरचना संबंधी बाधाएँ:** खंडित परिवहन और रसद अवसंरचना, जो **अंतर-महाद्वीपीय व्यापार के बजाय संसाधन निर्यात** के लिये डिज़ाइन किया गया एक **औपनिवेशिक प्रभाव है, जो भारत-अफ्रीका व्यापार महत्वाकांक्षाओं** को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करता है।
  - ये अवसंरचनात्मक कमियाँ लेन-देन की लागत को बढ़ाती हैं, क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं को अवरुद्ध करती हैं तथा भारतीय कंपनियों की बाज़ार पहुँच को बाधित करती हैं।
  - एकीकृत गलियारों की कमी से भारतीय विनिर्माण और निवेश विविधीकरण के लिये अफ्रीका का आकर्षण कम हो जाता है।
- **वित्तीय बाधाएँ और वैश्विक प्रणालीगत पूर्वाग्रह: उप-सहारा अफ्रीका का बढ़ता ऋण संकट, जिसमें एक दशक से भी कम समय में** ऋण-जीडीपी अनुपात **30% से दोगुना होकर 60% हो गया है,** वैश्विक वित्तीय संरचना में प्रणालीगत पूर्वाग्रहों को दर्शाता है जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को असमान रूप से प्रभावित करते हैं।
  - **भारत की ऋण सहायता (Lines of Credit), यद्यपि महत्वपूर्ण है, इन संरचनात्मक वित्तीय चुनौतियों को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है।**
  - यह ऋण संकट और वित्तीय अस्थिरता अफ्रीकी देशों की **दीर्घकालिक विकास परियोजनाओं और रणनीतिक साझेदारियों में भागीदारी की क्षमता** को सीमित करती है, जिससे भारत-अफ्रीका सहयोग बाधित होता है।
- **बहुध्रुवीय प्रतिस्पर्धा से भारत के प्रभाव में कमी:** अफ्रीका में चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ और रूस के बीच तीव्र होती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भारत की विशिष्ट और प्रभावशाली भूमिका स्थापित करने की क्षमता को चुनौती देती है।
  - चीन की विशाल **बेल्ट एंड रोड परियोजनाएं (जैसे जिबूती में पहला विदेशी सैन्य अड्डा) और अफ्रीका-केंद्रित वित्तपोषण** भारत की सीमित भागीदारी की तुलना में कहीं अधिक व्यापक हैं, जबकि पश्चिमी शक्तियाँ सहायता एवं सुरक्षा संबंधों का लाभ उठा रही हैं।
  - भारत की तुलनात्मक रूप से सतर्क कूटनीति और धीमी आर्थिक उपस्थिति, रणनीतिक क्षेत्रों में हाशिये पर जाने का खतरा उत्पन्न करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **स्वास्थ्य अवसंरचना की कमी और विनियामक चुनौतियाँ:** अफ्रीका की स्वास्थ्य प्रणाली अब भी संसाधनों की कमी से जूझ रही है। सीमित स्थानीय विनिर्माण क्षमता और खंडित नियामकीय ढाँचे भारत-अफ्रीका चिकित्सा सहयोग की स्थायित्वशीलता को बाधित करते हैं।
  - हालाँकि भारत ने 32 अफ्रीकी देशों में टीके और दवाइयों की आपूर्ति की हैं, **'फिल एंड फिनिश' वैक्सीन उत्पादन और किफायती दवा वितरण** को बढ़ाने में जटिल रसद और नीतिगत बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को मज़बूत करने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **एक मज़बूत बहु-हितधारक रणनीतिक वार्ता को संस्थागत बनाना: भारत** को निरंतर, अनुकूल सहभागिता के लिये सरकारों, निजी क्षेत्रों, शिक्षाविदों और नागरिक समाज को शामिल करते हुए एक वार्षिक **भारत-अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी मंच** की स्थापना करनी चाहिये।
  - इससे **संयुक्त रूप से एजेंडा का निर्धारण, वास्तविक समय नीति समन्वय** तथा खाद्य सुरक्षा और जलवायु जैसी चुनौतियों पर त्वरित प्रतिक्रिया संभव हो सकेगी।
    - उदाहरण के लिये, **व्यापार सुविधा पर समर्पित कार्य समूह बनाने** से प्रगति की निगरानी और बेहतर नीति संरेखण सुनिश्चित हो सकता है।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और नवाचार-संचालित क्षमता निर्माण में अग्रणी भूमिका: भारत** प्रमुख अफ्रीकी देशों में **क्षेत्रीय नवाचार केंद्र और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र** स्थापित कर सकता है, **जो कृषि-तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल शासन और स्वास्थ्य** सेवा पर ध्यान केंद्रित करेगा।
  - **ज़ांज़ीबार (2023) में IIT मद्रास परिसर** की सफलता शैक्षिक और तकनीकी इनक्यूबेशन केंद्रों के विस्तार के लिये एक स्केलेबल मॉडल प्रदान करती है।
  - **ड्रोन-सक्षम परिशुद्धता कृषि** या **टेलीमेडिसिन** पर सहयोग करने से स्थानीय समुदायों को सतत्, घरेलू समाधानों के साथ सशक्त बनाया जा सकता है।
- **PPP मॉडल के माध्यम से एकीकृत बुनियादी ढाँचे के विकास में सहायता करना: भारत को सार्वजनिक-निजी भागीदारी** के माध्यम से **क्षेत्रीय परिवहन गलियारों, ऊर्जा ग्रिडों और डिजिटल नेटवर्क** का सह-वित्तपोषण करना चाहिये, जिससे **अंतर-अफ्रीकी व्यापार और क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं** को बढ़ावा मिले।
  - दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे जैसी परियोजनाओं में भारत की विशेषज्ञता को अफ्रीका के संदर्भ में अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे निर्बाध संपर्क को बढ़ावा मिलेगा और **AfCFTA** लक्ष्यों के साथ संरेखित आर्थिक अनुपूरकताओं को बढ़ावा मिलेगा।
- **सह-वित्तपोषण और मिश्रित वित्त के माध्यम से वित्तीय साधनों का नवप्रवर्तन:** भारत अफ्रीकी विकास बैंक के साथ मिलकर **मिश्रित वित्तीय वाहन, प्रवासी बॉन्ड और ग्रीन बॉन्ड** जैसे उपकरण शुरू कर सकता है, जिससे बुनियादी ढाँचे और **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs)** के लिये निजी पूंजी जुटाई जा सके।
  - ये वित्तीय नवाचार जोखिम को विविध बनाएंगे और राजकोषीय स्थान को बढ़ाएंगे, ठीक उसी तरह जैसे भारत-अफ्रीका विकास कोष जैसे प्रयासों ने सतत परियोजनाओं का समर्थन किया।
- **अफ्रीकी नेतृत्व वाले ढाँचों के भीतर सुरक्षा साझेदारी को गहरा करना:** भारत को अफ्रीकी संघ की सुरक्षा संरचनाओं में अपनी भूमिका को सुदृढ़ करना चाहिये, जैसे कि **नई दिल्ली स्थित संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र** में विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना, खुफिया जानकारी साझा करना तथा साइबर सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना।
  - क्षेत्रीय सुरक्षा केंद्र और संयुक्त टास्क फोर्स की स्थापना से आतंकवाद से लड़ने और हिंद महासागर क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गों की रक्षा की क्षमताएँ मज़बूत होंगी।
- **युवा सशक्तीकरण और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को संस्थागत बनाना:** अफ्रीका के आर्थिक क्षेत्रों के साथ संरेखित महाद्वीप-व्यापी छात्रवृत्ति, व्यावसायिक प्रशिक्षण और नवाचार इनक्यूबेटर शुरू करने से युवा जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन होगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- भारतीय स्टार्ट-अप और नवाचार केंद्रों के साथ सहयोग से उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा, **रोजगार के अवसर सृजित होंगे** और कूटनीतिक संपर्क से परे **लोगों के बीच आपसी संबंध प्रगाढ़ होंगे।**

- **अफ्रीका के हरित परिवर्तन और जलवायु अनुकूलन के साथ संयुक्त पहल को जोड़ना:** भारत, भारत की रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना की तर्ज पर बड़े पैमाने पर सौर पार्कों का सह-विकास कर सकता है और अनुकूल बनाने के लिये जलवायु-स्मार्ट कृषि को बढ़ावा दे सकता है।
  - भारत की **जल-कुशल सिंचाई तकनीकों और सतत् शहरी परिवहन समाधानों** को साझा करके अफ्रीका की हरित वृद्धि को तीव्र किया जा सकता है, जो अफ्रीकी संघ की **एजेंडा 2063 के लक्ष्यों** के अनुरूप होगा।
- **अखिल अफ्रीकी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कंसोर्टियम की स्थापना: इंडिया स्टैक की सफलता** के आधार पर, भारत अफ्रीकी देशों के लिये अनुकूलित **अंतर-संचालनीय डिजिटल पहचान, ई-गवर्नेंस और फिनटेक प्लेटफॉर्म** बनाने हेतु एक कंसोर्टियम का नेतृत्व कर सकता है।
  - **केन्या या रवांडा में डिजिटल भूमि रिकॉर्ड** और भुगतान प्रणालियों की पायलट परियोजनाएँ शासन की पारदर्शिता और वित्तीय समावेशन में सुधार करेंगी, जिससे आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
- **परिणाम-आधारित विकास सहयोग की ओर संक्रमण:** भारत को अफ्रीकी साझेदारों के साथ मज़बूत निगरानी और मूल्यांकन रूपरेखाएँ लागू करनी चाहिये, ताकि जवाबदेही और प्रभाव सुनिश्चित करने के लिये डेटा-आधारित दृष्टिकोण अपनाया जा सके।
  - स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुरूप सफलता के मापदंडों का सह-विकास करने से पारस्परिक स्वामित्व मज़बूत होगा तथा सहायता को **मापने योग्य सामाजिक-आर्थिक विकास** में परिवर्तित किया जा सकेगा ।
  - प्रवासी नेतृत्व वाले **बिजनेस इनक्यूबेटरों और सलाहकार मंचों को समर्थन प्रदान करने से ज़मीनी स्तर पर कूटनीति** तथा अफ्रीका भर में भारत की **सॉफ्ट पावर को बढ़ावा मिलेगा।**

निष्कर्ष:

भारत-अफ्रीका संबंध एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर हैं, जो **आपसी सम्मान और साझा आकांक्षाओं पर आधारित रणनीतिक साझेदारी** को गहरा करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। नवाचार, समावेशी विकास और मजबूत बहुपक्षीय जुड़ाव को अपनाकर, **भारत अफ्रीका में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी भूमिका को सुदृढ़ कर सकता है।** परिणाम-संचालित पहलों के माध्यम से सहयोग को मज़बूत करने से न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि **सतत्, अनुकूल और न्यायसंगत प्रगति** को भी बढ़ावा मिलेगा।

■■■

भारत के ऊर्जा भविष्य में इथेनॉल की भूमिका

यह एडिटोरियल 07/05/2025 को द हिंदू बिज़नेस लाइन में प्रकाशित "Taking ethanol blending beyond E20" लेख पर आधारित है । यह लेख वर्ष 2025 तक E20 लक्ष्य की ओर भारत के इथेनॉल सम्मिश्रण पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम की प्रगति को दर्शाता है, साथ ही दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल और फीडस्टॉक विविधीकरण की आवश्यकता पर ज़ोर देता है।

भारत का इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम देश की हरित ऊर्जा संक्रमण में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसमें मिश्रण दरें 20% के करीब पहुँच गई हैं और भारत को **वर्ष 2025 तक अपने E20 लक्ष्य** को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर कर रही हैं। यह उपलब्धि महत्त्वपूर्ण है, लेकिन **E20 से आगे स्थायी प्रगति** के लिये कृषि अवशेषों का उपयोग करने वाली द्वितीय पीढ़ी की इथेनॉल तकनीकों का विकास आवश्यक है, ताकि खाद्य फसलों पर निर्भरता कम हो। भारत की **इथेनॉल अर्थव्यवस्था में चीनी उद्योग अभी भी प्रमुख भूमिका** निभा रहा है, लेकिन **फीडस्टॉक में विविधता लाना और फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों का विकास** अगला महत्त्वपूर्ण कदम है। **GST में सुधार,** भिन्नात्मक मूल्य निर्धारण और **फॉर्मूला-आधारित मूल्य निर्धारण मॉडल** जैसी नीतिगत सुधारों की आवश्यकता होगी ताकि इस क्षेत्र में निरंतर वृद्धि बनी रह सके।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

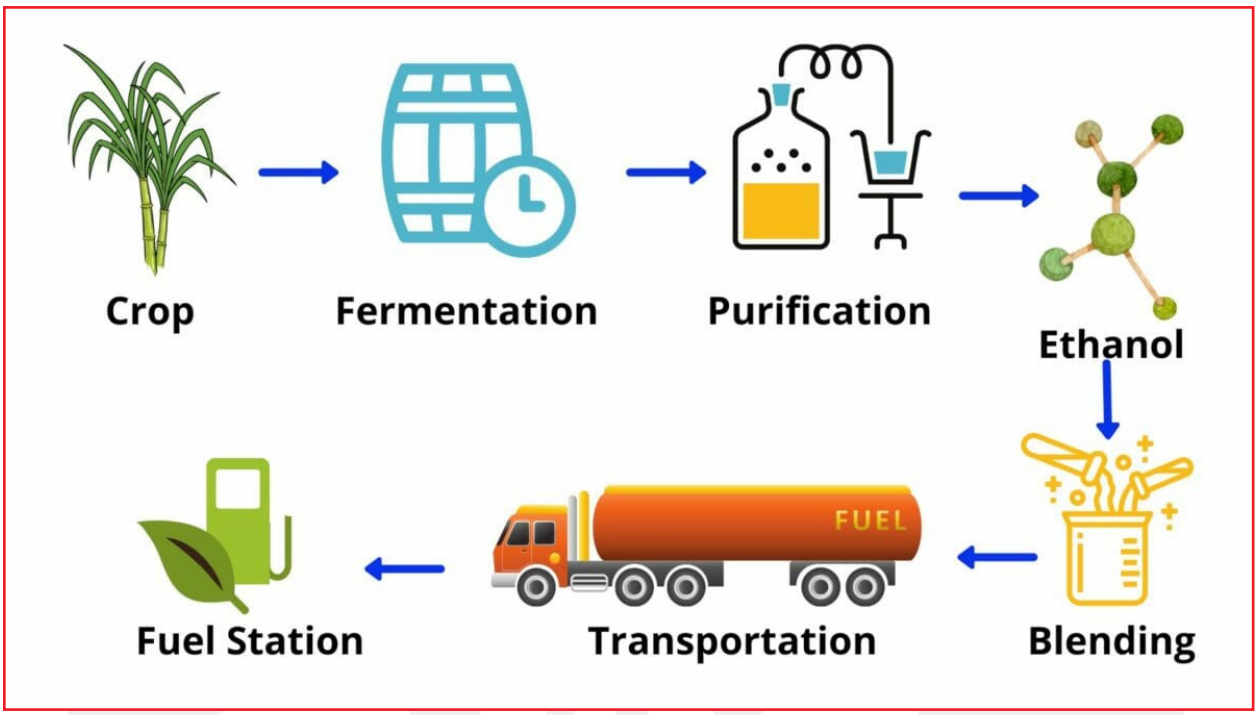

भारत के ऊर्जा परिवर्तन में इथेनॉल सम्मिश्रण की क्या भूमिका है?

- **तेल आयात को कम करके ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करना:** इथेनॉल मिश्रण से आयातित कच्चे तेल पर भारत की भारी निर्भरता कम हो जाती है, जिससे **ऊर्जा आत्मनिर्भरता** बढ़ती है और **अर्थव्यवस्था अस्थिर वैश्विक तेल कीमतों** से सुरक्षित रहती है।
  - इस प्रतिस्थापन से विदेशी कच्चे तेल की मांग कम हो जाती है, जिससे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भंडार की बचत होती है।
  - वर्ष 2014 से अगस्त 2024 के बीच, **भारत में 181 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल** के स्थान पर इथेनॉल मिश्रण का उपयोग करके लगभग **1 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा** की बचत की गई, जो ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- **निम्न कार्बन उत्सर्जन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को कम करना:** इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल का उपयोग करने से परिवहन क्षेत्र से **कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन** कम होता है, जो **पेरिस समझौते और इसके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC)** के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
  - इथेनॉल जीवाश्म ईंधन की तुलना में अधिक स्वच्छ तरीके से जलता है, जिससे वायु की गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार होता है।
  - इथेनॉल सम्मिश्रण पेट्रोल **(EBP) कार्यक्रम ने वर्ष 2014 से अब तक CO_2 उत्सर्जन में 544 लाख मीट्रिक** टन की कटौती की है, जिससे भारत के जलवायु लक्ष्यों को समर्थन प्राप्त हुआ साथ ही शहरी प्रदूषण में कमी आई है।
- **ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना और किसानों की आजीविका को समर्थन देना: इथेनॉल उत्पादन से पर्याप्त ग्रामीण आय उत्पन्न होती है, जो किसानों के लिये विशेष रूप से गन्ना और मक्का उत्पादक क्षेत्रों** में, एक वैकल्पिक राजस्व स्रोत प्रदान करती है।
  - यह जैव ईंधन अर्थव्यवस्था फसल विविधीकरण और कृषि-औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देकर कृषि स्थिरता को बढ़ाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- वर्ष 2014 से अब तक **तेल विपणन कंपनियों ने किसानों को प्रत्यक्ष रूप से 87,558 करोड़ रुपए का भुगतान किया है,** जिससे ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा तथा किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के लक्ष्य में योगदान मिला है।

- **तकनीकी नवाचार और फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल्स को अपनाना:** इथेनॉल मिश्रण रणनीति ऑटोमोटिव नवाचार को प्रोत्साहित करती है, जिससे फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स (FFV) के विकास और अपनाने को बढ़ावा मिलता है, जो **उच्च इथेनॉल मिश्रणों** पर भी चल सकते हैं।
  - ये वाहन प्रदर्शन और ईंधन दक्षता को बनाए रखते हुए स्वच्छ गतिशीलता की ओर संक्रमण को सुगम बनाते हैं।
  - उदाहरण के लिये **सरकार ने वर्ष 2024 में 100-105 की ऑक्टेन रेटिंग के साथ E100 ईंधन लॉन्च किया, जो उच्च प्रदर्शन वाले इंजनों के लिये आदर्श है,** जिससे अधिक अनुकूल और सतत् परिवहन क्षेत्र के लिये आधार तैयार होगा।
- **चक्रीय अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जैव-हब विकास को आगे बढ़ाना: इथेनॉल-एकीकृत जैव-हब जैव-विद्युत, बायोगैस और जैव-उर्वरकों** जैसे नवीकरणीय ऊर्जा धाराओं को समेकित करते हैं, संसाधन उपयोग को अधिकतम कर ग्रामीण चक्रीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देते हैं।
  - यह बहु-उत्पाद मॉडल ऊर्जा पहुँच और ग्रामीण रोज़गार को बढ़ाता है तथा सतत विकास लक्ष्यों को समर्थन प्रदान करता है।
  - **गन्ना-समृद्ध राज्यों में पहले से ही ऐसे जैव-हबों में निवेश किया जा रहा है,** जो इथेनॉल उत्पादन को व्यापक जैव-आधारित आर्थिक गतिविधियों के साथ एकीकृत कर रहे हैं।
- **नीति और मूल्य निर्धारण सुधारों के माध्यम से बाज़ार स्थिरता को बढ़ाना: इथेनॉल पर GST को घटाकर 5% करने, ब्याज अनुदान योजनाओं को शुरू करने तथा अंतर्राज्यीय आवागमन को नियंत्रण मुक्त** करने जैसे सरकारी हस्तक्षेपों द्वारा इथेनॉल बाज़ार को स्थिर और पूर्वानुमेय बनाया गया है।
  - ये सुधार इथेनॉल उत्पादन में निवेश और क्षमता विस्तार को प्रोत्साहित करते हैं।
  - **सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (OMC) ने वर्ष 2014 से 1.45 ट्रिलियन रुपए से अधिक मूल्य के इथेनॉल** की खरीद की है, जो निरंतर सरकारी प्रतिबद्धता और बाज़ार के विकास का संकेत है।

भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण से संबंधी प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **खाद्य बनाम ईंधन सुरक्षा संघर्ष: गन्ना, मक्का और अधिशेष चावल** जैसी खाद्य फसलों को इथेनॉल उत्पादन की ओर मोड़ने से खाद्य सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं, जिससे मुद्रास्फीति और आपूर्ति की कमी का खतरा उत्पन्न होता है।
  - यह ऊर्जा **लक्ष्यों को पूरा करने और किफायती खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित** करने के बीच संतुलन को और कठिन बना देता है।
  - उदाहरण के लिये **दशकों के निर्यात के बाद, भारत वर्ष 2024 में मक्के का शुद्ध आयातक बन गया,** जो इथेनॉल के लिये मक्के की बढ़ती मांग से प्रेरित था।
- **फीडस्टॉक की खेती से पर्यावरण और जल संबंधी तनाव: गन्ना आधारित इथेनॉल उत्पादन में अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है, जिससे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश** जैसे पहले से ही असुरक्षित राज्यों में भूजल की कमी और भी अधिक हो जाती है ।
  - यह पारिस्थितिक लागत दीर्घकालिक स्थिरता और जल उपलब्धता पर निर्भर ग्रामीण आजीविका के लिये खतरा उत्पन्न करती है।
  - **नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार,** गन्ने से उत्पादित एक लीटर इथेनॉल में **कम-से-कम 2,860 लीटर पानी की खपत** होती है, जो अनियमित मानसून और सूखे के वर्षों में जल संकट को और गंभीर बना देता है।
- **आपूर्ति शृंखला और फीडस्टॉक उपलब्धता की चुनौतियाँ:** गन्ना और भारतीय खाद्य निगम (FCI) चावल जैसे पारंपरिक फीडस्टॉक की अनियमित उपलब्धता आपूर्ति में बाधा डालती है, जिससे इथेनॉल उत्पादन लक्ष्यों और मिश्रण दरों पर असर पड़ता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- हाल ही में **कीट प्रकोप और देर से हुई वर्षा के कारण वर्ष 2024 में गन्ना उत्पादन में गिरावट** आई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि **इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य फीडस्टॉक की अनिश्चित आपूर्ति** पर अत्यधिक निर्भरता के कारण कितने संवेदनशील हैं।

- **वाहनों की ईंधन दक्षता और उपभोक्ता लागत पर प्रभाव: E20 जैसे उच्च इथेनॉल मिश्रण उन वाहनों में 6-7% तक ईंधन दक्षता** में गिरावट ला सकते हैं जो विशेष रूप से इसके लिये डिज़ाइन नहीं किए गए हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिये संचालन लागत बढ़ जाती है।
  - यह दक्षता हानि ईंधन मूल्य लाभ को प्रभावित कर सकती है, जब तक कि इसे **फ्लेक्स ईंधन वाहन रोलआउट के साथ** मिलान न किया जाए।
  - **उच्च इथेनॉल सांद्रता को कुशलतापूर्वक संभालने में सक्षम वाहनों को व्यापक रूप से अपनाए** बिना, उपभोक्ताओं को ईंधन की खपत में वृद्धि का अनुभव हो सकता है।
    - इसके अतिरिक्त, **इथेनॉल की उच्च मात्रा के कारण ईंधन भरने की बार-बार आवश्यकता पड़ सकती है,** जिससे वाहन चालकों पर कुल लागत का बोझ और बढ़ सकता है।

- **अवसंरचना और रसद संबंधी बाधाएँ: अपर्याप्त इथेनॉल भंडारण, मिश्रण सुविधाएं और आपूर्ति शृंखला अवसंरचना,** राज्यों में इथेनॉल के कुशल वितरण और मिश्रण को सीमित करती हैं।
  - इथेनॉल की आवाजाही पर राज्य स्तरीय विनियामक नियंत्रण अंतर्राज्यीय आपूर्ति में बाधा डालते हैं, जिससे मिश्रण कार्यक्रम का विस्तार जटिल हो जाता है, क्योंकि अधिकांश राज्य अपनी सीमाओं से बाहर और अंदर आने वाले **इथेनॉल पर 'निर्यात/आयात' शुल्क** लगा रहे हैं।
  - राज्यों के बीच इथेनॉल की मुक्त आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिये **उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम** में संशोधन हाल ही में उठाए गए कदम हैं, लेकिन **कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ** बनी हुई हैं।

- **पेट्रोल की कीमतों में कटौती के मार्ग में बाधाएँ:** सैद्धांतिक रूप से, **इथेनॉल मिश्रण से पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिये,** क्योंकि कम कर और उत्पादन लागत के कारण इथेनॉल की लागत पेट्रोल से कम होती है।
  - इसके बावजूद, **खुदरा पेट्रोल की कीमतें अभी तक इन बचतों को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं** कर पाई हैं, जिसका आंशिक कारण बाज़ार और कराधान संरचनाएँ हैं।
  - अध्ययनों का अनुमान है कि **15-20% मिश्रण से पेट्रोल की कीमतें 3.5 रुपए से 8 रुपए प्रति लीटर तक कम** हो सकती हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ कम हो सकता है तथा साथ ही स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

भारत अपने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम की स्थिरता और दक्षता बढ़ाने के लिये क्या उपाय अपना सकता है?

- **गैर-खाद्य बायोमास पर ज़ोर देते हुए फीडस्टॉक पोर्टफोलियो में विविधता लाना:** खाद्य फसलों पर निर्भरता कम करने और खाद्य बनाम ईंधन संघर्ष को कम करने के लिये कृषि अवशेषों, वानिकी अपशिष्ट और औद्योगिक उप-उत्पादों का उपयोग करके दूसरी पीढ़ी (2G) इथेनॉल प्रौद्योगिकियों को बड़े पैमाने पर अपनाने को बढ़ावा देना।
  - इसे **प्रधानमंत्री जी-वन योजना के विस्तारित दायरे के साथ एकीकृत** करने से सतत् फीडस्टॉक सोर्सिंग में निवेश और नवाचार में तेजी आ सकती है।

- **इनपुट लागत से संबंधित पारदर्शी, गतिशील मूल्य निर्धारण प्रणाली को लागू करना:** एक फार्मूला-आधारित इथेनॉल मूल्य निर्धारण प्रणाली स्थापित करना, जो वास्तविक समय में फीडस्टॉक कॉस्ट (लागत) और उत्पादन क्षमता को प्रतिबिंबित करती है, जिससे **लागत प्रतिस्पर्द्धात्मकता** बनाए रखते हुए उत्पादकों के लिये उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित होता है।
  - यह **स्थिर प्रशासकीय मूल्य निर्धारण** की जगह लेगा, जिससे उत्पादक संचालन में अनुकूलन और सतत् ढंग से उत्पादन का विस्तार कर सकेंगे।

- **नीतिगत प्रोत्साहनों के माध्यम से फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल (FFV) के प्रवेश में तेजी लाना:** वाहन निर्माताओं के लिये

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

लक्षित सब्सिडी, कर छूट और अनिवार्य **FFV उत्पादन कोटा पेश करना** ताकि उच्च इथेनॉल मिश्रण पर चलने वाले वाहनों की आपूर्ति और उपभोक्ता अपनाने को बढ़ावा मिल सके।

- पीएम ई-ड्राइव (जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दे रहा है) को पूरक बनाने से **भारत में एक सहक्रियात्मक स्वच्छ मोबिलिटी पारिस्थितिकी तंत्र** का निर्माण हो सकता है।

- **इथेनॉल भंडारण और वितरण बुनियादी ढाँचे का विस्तार और आधुनिकीकरण:** निर्बाध अंतर्राज्यीय आवागमन और निरंतर उपलब्धता को सक्षम करने के लिये विकेंद्रीकृत इथेनॉल भंडारण टैंक, मिश्रण टर्मिनल और मज़बूत आपूर्ति शृंखला रसद के निर्माण में निवेश करना।
  - **उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम** के माध्यम से विनियामक बाधाओं को संशोधित करने के साथ-साथ कुशल इन्वेंट्री प्रबंधन के लिये डिजिटल निगरानी प्रणालियों को भी जोड़ा जाना चाहिये।
- **जल-कुशल फीडस्टॉक खेती को बढ़ावा देना:** जल पदचिह्न और पर्यावरणीय तनाव को कम करने के लिये गन्ना और मक्का की खेती के लिये **सतत् कृषि, ड्रिप सिंचाई और सूखा प्रतिरोधी** फसल किस्मों को अपनाने को प्रोत्साहित करना।
  - इन प्रयासों को **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) जैसी योजनाओं से जोड़कर संसाधनों की दक्षता और कृषि स्तर पर सतत् को बढ़ाया जा सकता है।**
- **इथेनॉल-से-हाइड्रोजन और सतत् विमानन ईंधन में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना: हरित हाइड्रोजन और सतत् विमानन ईंधन का उत्पादन** करने के लिये इथेनॉल रूपांतरण प्रौद्योगिकियों में नवाचार का समर्थन करना तथा उन्नत ऊर्जा क्षेत्रों में मिश्रण से परे इथेनॉल की उपयोगिता का विस्तार करना।
  - **राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक-निजी भागीदारी** सफलता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता को उत्प्रेरित कर सकती है।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में चक्रीय जैव-अर्थव्यवस्था मॉडल को एकीकृत करना:** इथेनॉल-केंद्रित **बायो-हब विकसित करें, जो जैविक बिजली, बायोगैस और जैव-उर्वरक उत्पादन को अपशिष्ट** से जोड़कर संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित कर समुदायों के लिये विविध आय सृजन करें।
  - **यह दृष्टिकोण सरकार के ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों और ऊर्जा पहुँच पहलों के** अनुरूप है।
- **उपभोक्ता जागरूकता और बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये अभियान शुरू करना: इथेनॉल ईंधन** के पर्यावरणीय तथा **आर्थिक लाभों पर प्रकाश डालने वाले राष्ट्रव्यापी जागरूकता कार्यक्रमों** को लागू करना, शहरी एवं ग्रामीण बाज़ारों में इथेनॉल ईंधन भरने वाले स्टेशनों का विस्तार करना।
  - सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों और राज्य सरकारों के साथ सहयोग से बढ़ी हुई खपत को समर्थन देने हेतु बुनियादी ढाँचे की तैयारी सुनिश्चित की जा सकती है।
- **फसल विविधीकरण प्रोत्साहन के माध्यम से सतत् भूमि उपयोग को प्रोत्साहित करना: किसानों को अधिक पानी की आवश्यकता वाले गन्ने की जगह कसावा** जैसे **कम पानी की आवश्यकता वाले और अधिक उपज देने वाले फीडस्टॉक्स की खेती करने के लिये वित्तीय और तकनीकी सहायता** प्रदान करना, जिससे भूमि उपयोग को अनुकूलित किया जा सके और पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सके।
  - ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा लक्ष्यों में संतुलन स्थापित करने के लिये इसे राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन के साथ एकीकृत किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

भारत का इथेनॉल सम्मिश्रण पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु लक्ष्यों और ग्रामीण आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। **E20 से परे सतत् प्रगति सुनिश्चित करने के लिये, दूसरी पीढ़ी की इथेनॉल प्रौद्योगिकियों** में निवेश करना और फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के विकास को बढ़ावा देना महत्त्वपूर्ण है। **प्रधानमंत्री जी-वन योजना सतत्** बायोमास-आधारित इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देकर इन प्रयासों को गति प्रदान कर सकती है, जो **SDG 7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा), 13 (जलवायु कार्रवाई) तथा 8 (सभ्य कार्य और आर्थिक विकास) में** सीधे योगदान देती है।

■■■

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

भारत-GCC आर्थिक और सामरिक संबंध

यह संपादकीय 18/05/2025 को द इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित "ट्रेड के माध्यम से खाड़ी को सामरिक रूप से जोड़ना" पर आधारित है। लेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि GCC के साथ भारत के बढ़ते व्यापार और ऊर्जा संबंध आर्थिक स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा एवं निवेश के अवसरों के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, साथ ही खाड़ी आर्थिक विविधीकरण के बीच प्रवासी कल्याण को भी सुनिश्चित करते हैं।

भारत की खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के साथ भागीदारी उसकी पश्चिम एशिया नीति का एक मूल आधार बन चुकी है, जिसे गहन ऊर्जा संबंधों, विस्तारित व्यापार समझौतों, और रणनीतिक निवेशों द्वारा प्रेरित किया गया है। जैसे-जैसे भारत की ऊर्जा आवश्यकताएँ बढ़ रही हैं, GCC के विशाल भंडार भारत के लिये एक महत्त्वपूर्ण जीवनरेखा प्रदान करते हैं, वहीं संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और ओमान के साथ व्यापार समझौते आर्थिक संबंधों को मज़बूत बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त, खाड़ी देशों में रह रहे भारतीय प्रवासी समुदाय द्वारा भेजी जा रही विदेशी मुद्रा (remittances) भारत की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाती है, जो इस सामाजिक-आर्थिक परस्पर निर्भरता को दर्शाता है। इन संबंधों को मज़बूत बनाना केवल एक रणनीतिक विकल्प नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक लचीलापन (economic resilience) के लिये अत्यावश्यक है।

GCC क्या है?

- **गठन और सदस्य: खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)** की स्थापना वर्ष 1981 में छह अरब देशों द्वारा की गई थी, जो साझी विरासत साझा करते हैं।
  - GCC के सदस्य देश हैं – **सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), बहरीन, कतर, कुवैत और ओमान**, जो पश्चिम एशिया में स्थित हैं।
- **साझा दृष्टिकोण और उद्देश्य:** GCC का उद्देश्य राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समन्वय के माध्यम से सदस्य देशों के बीच एकता को बढ़ावा देना है।
  - **यह एकता सामान्य इस्लामी मूल्यों, जनजातीय संबंधों, तथा साझे सुरक्षा और विकास लक्ष्यों पर आधारित हैं।**
- **संस्थागत ढाँचा:** GCC तीन मुख्य निकायों के माध्यम से कार्य करता है — **सुप्रीम काउंसिल, मंत्री परिषद (Ministerial Council) और सचिवालय**, जिसका मुख्यालय रियाद, सऊदी अरब में स्थित है।
- **सामरिक स्थिति और महत्त्व:** GCC देश फारस की खाड़ी के तट पर स्थित हैं और यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका को समुद्री मार्गों के माध्यम से जोड़ते हैं।
  - यह स्थिति GCC को वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री मार्गों की सुरक्षा, तथा क्षेत्रीय कूटनीति के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण बनाती है।
- **आर्थिक महाशक्ति:** यह समूह **वैश्विक तेल भंडार के लगभग 30% भाग पर** नियंत्रण रखता है और **प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख निर्यातक** है।
- **आधुनिकीकरण और वैश्विक सहभागिता:** सऊदी विज़न 2030 और **UAE की राष्ट्रीय रणनीति** के तहत, GCC अब नवाचार और वैश्विक संपर्क की ओर अग्रसर है।
  - यह बदलाव भारत जैसे बाह्य साझेदारों के लिये बुनियादी ढाँचे और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में नए सहयोग के अवसर उत्पन्न करता है।

भारत-GCC संबंधों का क्या महत्त्व है?

- **प्रमुख ऊर्जा सुरक्षा साझेदार:** GCC देश भारत के कच्चे तेल **की 60%** और **प्राकृतिक गैस के 70% आयात** आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।
  - यह ऊर्जा साझेदारी **भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिये महत्त्वपूर्ण है**, जो विश्वसनीय हाइड्रोकार्बन आपूर्ति लाइनों पर निर्भर करती है।
- **भारत के लिये शीर्ष व्यापार ब्लॉक: वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत और** GCC के बीच द्विपक्षीय व्यापार 161 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा, **जिसमें UAE और सऊदी अरब की अग्रणी भूमिका रही।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- यह भारत के वैश्विक व्यापार का एक बड़ा हिस्सा है, जो भारत के निर्यात-आयात नेटवर्क में GCC की प्रमुख भूमिका को दर्शाता है।

- **व्यापक प्रवासी सहभागिता:** GCC देशों में लगभग 90 लाख भारतीय प्रवासी निवास करते हैं, जो प्रत्येक वर्ष **50 अरब डॉलर से अधिक** की विदेशी मुद्रा भेजते हैं।
  - यह प्रवासी समुदाय **राजनयिक, श्रम, सेवा और खुदरा क्षेत्र में** भारत के लिये एक महत्त्वपूर्ण सेतु का कार्य करता है।
- **सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंध:** भारतीय प्रवासी **संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और सऊदी अरब** जैसे GCC देशों में सबसे बड़ा समुदाय बनाते हैं।
  - ये दीर्घकालिक संबंध सांस्कृतिक परिचय, धार्मिक सद्भाव और क्षेत्रीय गतिशीलता में द्विपक्षीय विश्वास को बढ़ावा देते हैं।
  - **सांस्कृतिक उत्सव, श्रीनाथजी मंदिर (बहरीन), BAPS मंदिर - संयुक्त अरब अमीरात** में पहला पारंपरिक **हिंदू मंदिर** और 7,500 भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियाँ द्विपक्षीय पारिस्थितिकी तंत्र को समृद्ध करती हैं।
- **समुद्री एवं सामरिक भूगोल:** अरब **सागर और होर्मुज जलडमरूमध्य** प्रमुख शिपिंग मार्गों के माध्यम से भारतीय और खाड़ी बंदरगाहों को जोड़ते हैं।
  - यह GCC को भारत की इंडो-पैसिफिक समुद्री नीति और ऊर्जा परिवहन गलियारों के लिये अपरिहार्य साझेदार बनाता है।
  - ओमान का दूक्म बंदरगाह (Port of Duqm) भारत के लिये रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, विशेष रूप से उसकी समुद्री उपस्थिति और सहयोग के संदर्भ में।
- **संयुक्त रक्षा सहयोग:** भारत GCC सदस्यों के साथ नियमित रक्षा अभ्यास करता है, जिसमें **सऊदी अरब के साथ** अल मोहम्मद अल हिंदी जैसे नौसैनिक अभ्यास भी शामिल हैं।
- इस प्रकार के सहयोग से समुद्री सुरक्षा बढ़ती है तथा साझा जलक्षेत्र में समुद्री डकैती और आतंकवाद जैसे खतरों का सामना होता है।

- **निवेश के अवसर और पूंजी प्रवाह:** GCC सॉवरेन वेल्थ फंड भारतीय बुनियादी ढाँचे, तकनीकी स्टार्टअप और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में तीव्रता के साथ निवेश कर रहे हैं।
  - **सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश कोष** और संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी निवेश प्राधिकरण (ADIA) ने सामूहिक रूप से 30 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है।
  - कतर भारत की 48% से अधिक LNG आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है तथा ज़ायर-अल-बहर जैसे द्विपक्षीय समुद्री अभ्यासों की सह-अध्यक्षता करता है।
    - इसका सॉवरेन फंड वर्ष 2030 तक भारतीय बुनियादी ढाँचे, AI और नवीकरणीय ऊर्जा में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की योजना बना रहा है।
  - भारत बहरीन में छठा सबसे बड़ा निवेशक है, जो फिनटेक, रियल एस्टेट, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **डिजिटल और वित्तीय एकीकरण:** भारत की **UPI और रुपे कार्ड** प्रणालियों को UAE और ओमान के डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्मों के साथ एकीकृत किया जा रहा है।
  - इससे निर्बाध वित्तीय संपर्क को बढ़ावा मिलता है तथा दोनों पक्षों के लिये पर्यटन, खुदरा और व्यावसायिक लेन-देन को बढ़ावा मिलता है।
- **विज़न 2030 और भारत की ताकत:** सऊदी और UAE की **विविधीकरण रणनीतियाँ** भारत के **डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के** साथ संरेखित हैं।
  - भारत की IT और सौर प्रौद्योगिकी क्षमताएँ खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को आधुनिक बनाने और कार्बन मुक्त बनाने के प्रयासों का पूरक हैं।
- **कनेक्टिविटी परियोजनाएँ और IMEC: भारत,** भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) में एक प्रमुख हितधारक है, जो खाड़ी को यूरोप से जोड़ता है।
  - यह परियोजना चीन के BRI का सामना करती है और लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाती है, जिससे GCC और हिंद-प्रशांत दोनों को लाभ होगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **FTA और CEPA संभावनाएँ:** भारत और जीसीसी (GCC) मुक्त व्यापार समझौता (FTA) पर वार्ता कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य **वस्तुओं, सेवाओं और ई-कॉमर्स** को बढ़ावा देना है।
  - संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक **व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA)** पहले से ही मौजूद है, जो अन्य GCC देशों के साथ व्यापक व्यापार समझौतों के लिये रोडमैप प्रस्तुत करता है।
- **भू-राजनीतिक समीकरणों में संतुलन:** भारत के जीसीसी के साथ संबंध ईरान, इज़राइल और पाकिस्तान को लेकर क्षेत्रीय तनावों में संतुलन बनाए रखने में सहायक हैं, साथ ही तटस्थता को भी बनाए रखते हैं।
  - यह राजनयिक लचीलापन **भारत की छवि को पश्चिम एशिया और इंडो-पैसिफिक मामलों** में एक रचनात्मक भागीदार के रूप में मज़बूत करता है।
- **सऊदी अरब की रणनीतिक परिषद की रूपरेखा:** भारत-सऊदी संबंधों ने **रणनीतिक भागीदारी परिषद (SPC)** के माध्यम से एक नया स्वरूप लिया है, जिसकी **सह-अध्यक्षता दोनों देशों** के शीर्ष नेता करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- इस परिषद के तहत चार संस्थागत मंत्री स्तरीय समितियाँ गठित हैं, जिनमें रक्षा, ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी और संस्कृति जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

- **द्विपक्षीय आधुनिकीकरण में UAE की भूमिका:** UAE बंदरगाहों, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल वित्त में निवेश के माध्यम से भारत के बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देने का समर्थन करता है।
  - यह CEPA कार्यान्वयन, **GIFT सिटी में अबू धाबी निवेश प्राधिकरण (ADIA) के संचालन** और **UPI-AANI जैसे वित्तीय प्रणाली संबंधों का भी समर्थन करता है।**
- **रक्षा और समुद्री सहयोगी के रूप में ओमान:** ओमान भारत का सबसे पुराना रणनीतिक साझेदार और तीनों सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग के लिये एकमात्र खाड़ी देश बना हुआ है।
  - 6000 से अधिक भारत-ओमान संयुक्त उद्यम और **ओमान-भारत निवेश कोष** इसकी आर्थिक गहराई को दर्शाते हैं।
- **क्षेत्रीय स्थिरता के लिये संयुक्त कार्य योजना:** वर्ष 2024-2028 **भारत-GCC संयुक्त कार्य योजना ने स्वास्थ्य, ऊर्जा, सुरक्षा और शिक्षा** में सहयोग को संस्थागत बनाया।
  - यह हिंद-प्रशांत और विस्तारित पड़ोस में शांति, समृद्धि और प्रगति के साझा लक्ष्य को दर्शाता है।

भारत-GCC संबंधों से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?

- **विलंबित मुक्त व्यापार समझौता:** वर्ष 2004 से कई द्विपक्षीय वार्ताओं के बावजूद भारत और GCC के बीच FTA वार्ता अनिर्णायक रही है।
  - **नौकरशाही संबंधी बाधाओं, टैरिफ विवादों और भिन्न आर्थिक प्राथमिकताओं ने** इस महत्त्वपूर्ण समझौते को अंतिम रूप देने में विलंब किया है।
- **श्रम अधिकार और कल्याण संबंधी चिंताएँ:** रिपोर्टें भारतीय श्रमिकों के लिये अवैतनिक मजदूरी, खराब जीवन-स्थिति और सीमित गतिशीलता जैसी समस्याओं की ओर संकेत करती हैं।
  - **कफ़ाला प्रणाली अभी भी सऊदी अरब और बहरीन** जैसे देशों में श्रमिकों की स्वायत्तता को सीमित करती है, जिससे मानवाधिकारों पर सवाल उठते हैं।
- **ऊर्जा आयात पर अत्यधिक निर्भरता:** भारत GCC से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के जीवाश्म ईंधन का आयात करता है, जिससे व्यापार संतुलन असंतुलित हो जाता है।
  - **वैश्विक तेल की कीमतों में** वृद्धि और आपूर्ति में आघातों से भारत की असुरक्षा और द्विपक्षीय व्यापार घाटा और अधिक बढ़ जाता है।
- **बढ़ता व्यापार असंतुलन:** भारत का GCC को निर्यात, विशेषकर सऊदी अरब और कतर के साथ, आयात की तुलना में काफी कम है।
  - यह लगातार बना रहने वाला घाटा आर्थिक समरूपता को कमज़ोर करता है और व्यापार वार्ता में भारत की सौदेबाजी की शक्ति को प्रभावित करता है।
- **क्षेत्र में भू-राजनीतिक अस्थिरता: यमन युद्ध, इज़रायल-फिलिस्तीन तनाव** और **सऊदी-ईरान प्रतिद्वंद्विता** जैसे संघर्ष क्षेत्रीय शांति और सहयोग को प्रभावित करते हैं।
  - इस प्रकार की अस्थिरता भारत की राजनयिक संतुलन नीति को जटिल बनाती है, विशेष रूप से ईरान और इज़रायल दोनों के साथ संबंधों को देखते हुए।
- **GCC के आंतरिक मतभेद: वर्ष** 2017 में कतर की नाकेबंदी जैसे घटनाक्रमों ने GCC ढाँचे की आंतरिक कमज़ोरियों को उजागर किया।
  - ये आंतरिक तनाव, भारत जैसे बाहरी भागीदारों के लिये GCC को एक सामूहिक और प्रभावी साझेदार के रूप में कम प्रभावशाली बनाते हैं।
- **उभरता हुआ खाड़ी-चीन-पाकिस्तान गठजोड़:** सऊदी अरब के चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते संबंध भारत की खाड़ी क्षेत्र में पहुँच के लिये रणनीतिक चुनौती प्रस्तुत करते हैं।
  - यह बदलाव रक्षा, डिजिटल और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग के ढाँचों में भारत के प्रभाव को कमज़ोर कर सकता है।
- **जी.सी.सी. का आर्थिक स्थानीयकरण अभियान: सऊदीकरण और अमीरातीकरण** जैसी नीतियाँ स्थानीय लोगों को नौकरी देने को प्राथमिकता देती हैं, जिससे भारतीयों के लिये रोज़गार के अवसर घट रहे हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- यह स्थिति प्रवासी भारतीयों से आने वाले रेमिटेंस को प्रभावित कर सकती है और भारत लौटने वाले कामगारों की संख्या बढ़ाकर घरेलू रोज़गार व्यवस्था पर दबाव डाल सकती है।

- **सीमित अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार सहयोग:** तकनीकी सहयोग **कमज़ोर बौद्धिक संपदा व्यवस्था** और **GCC देशों में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के शुरुआती स्तर** के कारण सीमित है।
  - भारत तकनीकी हस्तांतरण को और गहरा करना चाहता है, लेकिन शोध क्षमताओं में आपसी अंतराल एक प्रमुख बाधा बना हुआ है।
- **पर्यावरणीय कमज़ोरियाँ:** GCC में जलवायु परिवर्तन, जैसे तापमान में वृद्धि और जल की कमी, भारतीय प्रवासी कामगारों की जीवन स्थितियों को प्रभावित करते हैं।
  - इस क्षेत्र में साझा पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिये सतत् अधोसंरचना सहयोग अत्यंत आवश्यक है।

भारत-GCC संबंधों को मज़बूत करने के लिये आगे की राह क्या होनी चाहिये?

- **GCC-भारत FTA को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाना:** त्वरित FTA से सेवाओं, डिजिटल प्लेटफॉर्मों और ऊर्जा निवेशों में **व्यापार की संभावनाएँ बढ़ेंगी।**
  - यह **टैरिफ विषमताओं को दूर** करेगा तथा **नियम-आधारित आर्थिक साझेदारी को संस्थागत रूप** देगा, जिससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होगा।
- **द्विपक्षीय निवेश को प्रोत्साहित करना:** भारत को GIFT सिटी और रणनीतिक **बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं में संप्रभु निधि प्रतिबद्धताओं के लिये प्रयास** करना चाहिये।
  - इसी प्रकार, भारतीय निजी क्षेत्र को खाड़ी पर्यटन, स्वास्थ्य और लॉजिस्टिक्स में अधिक निवेश करना चाहिये।
- **रणनीतिक वार्ता तंत्र का निर्माण:** एक स्थायी **भारत-GCC शिखर सम्मेलन की स्थापना** से रक्षा, प्रवासन और प्रौद्योगिकी में सहयोग की संरचित समीक्षा में सहायता मिलेगी।
  - नियमित उच्च-स्तरीय बैठकें **नीति निरंतरता, जवाबदेही और उभरती चुनौतियों के लिये भविष्य की योजना** सुनिश्चित करती हैं।
- **प्रवासी सुरक्षा और एकीकरण को बढ़ावा देना:** भारत को बेहतर शिकायत निवारण और कानूनी सुरक्षा प्रणालियों के साथ **व्यापक श्रम समझौतों** पर बल देना चाहिये।
  - कौशल प्रमाणन और सामाजिक सुरक्षा पोर्टेबिलिटी को सुदृढ़ करने से GCC देशों में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा हो सकती है।
- **हरित ऊर्जा साझेदारी को गहन बनाना: सौर और हाइड्रोजन के क्षेत्र** में भारत का नेतृत्व **GCC के विज़न- 2030** स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा कर सकता है।
  - अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अंतर्गत संयुक्त उद्यम अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा केंद्रों का विस्तार कर सकते हैं।
- **डिजिटल और AI सहयोग का विस्तार करना:** बेंगलुरु, दुबई या रियाद में **GCC-इंडिया AI और फिनटेक इनोवेशन लैब्स** स्थापित किये जाने चाहिये।
  - इससे **एशिया और मध्य पूर्व में अनुसंधान एवं विकास**, साइबर सुरक्षा कार्यढाँचे और वित्तीय नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
- **रक्षा और समुद्री संबंधों को मज़बूत करना:** भारत को GCC नौसेनाओं के साथ रक्षा अभ्यास का विस्तार करना चाहिये और **बंदरगाह-से-बंदरगाह-तक** रसद अवसंरचना में सुधार करना चाहिये।
  - इससे **पश्चिमी हिंद महासागर में समुद्री क्षेत्र जागरूकता** और **आतंकवाद-रोधी क्षमता** बढ़ेगी।
- **आतंकवाद निरोध के लिये GCC का लाभ उठाना:** भारत आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने तथा पाकिस्तान के भारत विरोधी विचारों को क्षेत्रीय स्तर पर अलग-थलग करने के लिये GCC के सहयोग का उपयोग कर सकता है।
  - GCC के साथ संयुक्त खुफिया जानकारी साझा करने और प्रत्यर्पण समझौते से आतंकवादी नेटवर्क को नष्ट करने में मदद मिल सकती है।
- **खाड़ी-भारत जलवायु-परिवर्तन कार्यबल का गठन:** भारत **जल संकट, अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु अनुकूल बुनियादी अवसंरचना के लिये कम लागत वाले समाधान** पेश कर सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- संयुक्त अनुसंधान केंद्र **संधारणीय मरुस्थलीय शहरीकरण** और **नवीकरणीय विलवणीकरण मॉडल** का अध्ययन कर सकते हैं।

- **भारत-पश्चिम एशिया रणनीति के लिये GCC का महत्त्व:** GCC मंच भारत के लिये पश्चिम एशिया में बहुपक्षवाद सुनिश्चित करते हुए **ईरान-इज़रायल तनाव को संतुलित करने में सहायता** कर सकता है।
  - GCC के माध्यम से समन्वित कूटनीति से लाल सागर और होर्मुज़ गलियारों में भारत की उपस्थिति भी बढ़ेगी।
- **सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधों को बढ़ावा देना:** खाड़ी विश्वविद्यालयों में **भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की नई पीठें, हिंदी विभाग** और **भारत अध्ययन केंद्र** स्थापित किये जाने चाहिये।
  - लोगों के बीच आपसी सामरिक समन्वय, सांस्कृतिक रूढ़िवादिता को कम कर सकती है तथा क्षेत्रीय सद्भावना को मज़बूत कर सकती है।

निष्कर्ष

भारत-GCC संबंध **क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास** के लिये महत्त्वपूर्ण हैं। व्यापार समझौतों, ऊर्जा सहयोग और भारतीय प्रवासियों के लिये सुरक्षा को मज़बूत करना इस साझेदारी को और गहरा कर सकता है। जैसे-जैसे खाड़ी क्षेत्र **तेल-आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर विविधीकरण की दिशा में अग्रसर** हो रहा है, भारत रणनीतिक निवेशों से लाभान्वित हो रहा है, जिससे यह संबंध आपसी समृद्धि एवं क्षेत्रीय सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण बन गया है।

■■■

भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास

यह एडिटोरियल 19/05/2025 को द हिंदू में प्रकाशित "Copyright's tryst with generative AI" पर आधारित है। लेख में यह प्रकाश डाला गया है कि तकनीक के साथ विकसित होता कॉपीराइट कानून अब जनरेटिव एआई द्वारा कॉपीराइट से संरक्षित कृतियों के उपयोग को विनियमित करने की चुनौती का सामना कर रहा है, जबकि सृजनकर्त्ताओं के अधिकारों और नवाचार के बीच संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अब कोई दूर की कल्पना नहीं रही— यह **भारत की विकास यात्रा को पुनर्परिभाषित करने वाली एक परिवर्तनकारी शक्ति बन चुकी** है। **कृषि में क्रांति लाने से लेकर सार्वजनिक सेवा वितरण को नए सिरे से परिभाषित करने तक, AI में आर्थिक समावेशन और शासन दक्षता को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएँ हैं।** इंडियाAI मिशन जैसी दूरदर्शी पहलों के साथ, भारत न केवल AI को अपना रहा है, बल्कि एक विशिष्ट स्वदेशी AI पारितंत्र (इकोसिस्टम) को सक्रिय रूप से आकार भी दे रहा है। हालाँकि, इन अवसरों के साथ-साथ बुनियादी ढाँचे, डाटा, विनियमन और समानता से जुड़ी चुनौतियों को समय रहते संबोधित करना भी उतना ही आवश्यक है।

भारत के विकास और शासन के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौन-से अवसर प्रस्तुत करती है?

- **रणनीतिक आर्थिक गुणक: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वर्ष 2035 तक भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 967 अरब डॉलर जोड़ने की संभावना है।**
  - **यह आँकड़ा NASSCOM और Accenture** द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो यह दर्शाता है कि इससे भारत के **सकल मूल्य वर्द्धन (GVA) में 15%** तक की परिवर्तनकारी वृद्धि हो सकती **है।**
- **आर्थिक परिवर्तन: AI को अपनाने से विभिन्न उद्योगों में उत्पादकता, गुणवत्ता और संचालन क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है।**
  - भारत के आईटी सेवा क्षेत्र को **वर्ष 2030 तक AI के एकीकरण से 500 अरब डॉलर** का आर्थिक लाभ होने की संभावना है।
  - इसके अतिरिक्त, एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार, जनरेटिव AI भारत के 254 अरब डॉलर के सॉफ्टवेयर क्षेत्र की उत्पादकता को **43-45% तक बढ़ा सकता** है, विशेष रूप से सॉफ्टवेयर विकास में, क्योंकि कंपनियाँ तेज़ी से AI को अपने कार्यों में शामिल कर रही हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **कृषि को सशक्त बनाना:** AI आधारित फसल निगरानी और पूर्वानुमान विश्लेषण कृषि उत्पादकता और जोखिम प्रबंधन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं।
  - उदाहरण के लिये, **माइक्रोसॉफ्ट के एआई सोइंग ऐप** ने **आंध्र प्रदेश में** मूँगफली की उपज में 30% की वृद्धि दर्ज की, जो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव दर्शाता है।
- **स्वास्थ्य उपचार में AI का उपयोग:** AI-सक्षम डायग्नोस्टिक उपकरण कमज़ोर और दूरदराज़ क्षेत्रों में **स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित समस्याओं को समाप्त करने में प्रभावी हैं।**
  - **Qure.ai** जैसे स्टार्टअप्स **AI की मदद से** क्षयरोग (TB) की प्रारंभिक पहचान करते हैं, जिससे उपचार की प्रक्रिया का समय काफी घट जाता है।
- **शिक्षा तक पहुँच में सुधार:** AI शिक्षा को व्यक्तिगत बनाता है, जहाँ विद्यार्थियों की ज़रूरतों और शिक्षण शैली के अनुसार सामग्री अनुकूलित की जाती है।
  - विभिन्न प्लेटफॉर्म्स AI का उपयोग कर भारत की विविध जनसंख्या के करोड़ों छात्रों के लिये सीखने का अनुभव व्यक्तिगत रूप से तैयार करते हैं।
- **ज्ञान और नवाचार का लोकतंत्रीकरण: AI** जानकारी और सस्ती तकनीकी अधोसंरचना तक व्यापक पहुँच सुनिश्चित करता है, जिससे **स्टार्टअप्स और शोधकर्त्ताओं** को लाभ होता है।
  - **इंडियाएआई मिशन** जैसे पहलें सब्सिडी वाले **ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट** (GPU) की सुविधा देकर प्रत्येक नवप्रवर्तक को बराबरी का अवसर देती हैं।
- **AI आधारित डेटा विश्लेषण द्वारा शासन:** AI सरकारी निर्णयों को वास्तविक समय में लेने में मदद करता है, क्योंकि यह **जनता से जुड़े बड़े डेटा सेट्स का त्वरित विश्लेषण कर सकता है।**
  - **सड़क परिवहन मंत्रालय** AI का उपयोग यातायात प्रवाह को अनुकूलित करने, **सड़क सुरक्षा बढ़ाने और भीड़भाड़ कम करने** में कर रहा है।
- **सार्वजनिक क्षेत्र की दक्षता:** AI सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति को आधुनिक बनाता है, जिससे गति, पारदर्शिता और नागरिक सहभागिता में सुधार होता है।
  - **दिल्ली पुलिस की क्राइम मैपिंग एनालिटिक्स प्रणाली AI** के ज़रिये क्राइम हॉटस्पॉट की पहचान करती है और प्रोऐक्टिव गश्त की रणनीति बनाती है।
- **वित्तीय समावेशन का विस्तार:** AI आधारित क्रेडिट स्कोरिंग प्रणाली उन लोगों को वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्रदान करती है, जो अब तक बैंकिंग सेवाओं से वंचित थे।
  - फिनटेक कंपनियाँ पारंपरिक डेटा के स्थान पर वैकल्पिक डेटा का उपयोग कर AI के माध्यम से पहली बार ऋण लेने वालों के लिये क्रेडिट स्कोर तैयार करती हैं।
- **MSME प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा देना:** AI सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को पूर्वानुमान विश्लेषण, स्वचालन और बेहतर ग्राहक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
  - **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)** की Google के साथ साझेदारी **MSME को AI अपनाने के लिये सशक्त बना रही** है, जिससे संचालन क्षमता और विकास दर में सुधार हो रहा है।
- **पर्यावरण प्रबंधन:** AI-संचालित **जलवायु मॉडल** प्रदूषण का पूर्वानुमान लगाने और शहरी पर्यावरणीय जोखिमों को कम करने में सहायता करते हैं।
  - **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)** AI का उपयोग वायु गुणवत्ता का पूर्वानुमान लगाने और समय पर जनता को चेतावनी जारी करने के लिये कर रहा है।
- **स्मार्ट सिटी पहल:** AI स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को यातायात, अपशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा दक्षता के अनुकूलन में समर्थन देता है।
  - **पुणे स्मार्ट सिटी में** AI आधारित **निगरानी प्रणाली और गतिशीलता विश्लेषण** का उपयोग बेहतर शहरी प्रशासन हेतु किया जा रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **AI-प्रेरित न्यायिक सुधार:** AI उपकरण मुकदमों के निर्धारण को सुव्यवस्थित करते हैं और न्यायालयों में कानूनी शोध की दक्षता में सुधार करते हैं।
  - सुप्रीम कोर्ट का "सुवास" (सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर) मंच AI-सक्षम अनुवाद सेवाएँ प्रदान करता है, जिससे बहुभाषी न्यायिक प्रक्रियाएँ सुलभ बनती हैं।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना:** AI सीमा निगरानी और साइबर सुरक्षा को मज़बूत बनाता है, जिससे उन्नत खतरा पहचान प्रणाली संभव हो पाती है।
  - DRDO द्वारा विकसित **AI आधारित फेस रिकग्निशन सिस्टम** संवेदनशील क्षेत्रों और महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं।
- **कौशल और रोज़गार को समर्थन:** अनुमान है कि AI 2025 तक 2 करोड़ रोज़गार उत्पन्न कर सकता है, बशर्ते मज़बूत कौशल विकास पहलें अपनाई जाएँ।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **NASSCOM का FutureSkills Prime** मंच पेशेवरों को AI, डेटा साइंस, और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर रहा है।

- **भारत को AI निर्यात केंद्र बनाना:** भारत अपनी AI प्रतिभा क्षमता के बल पर वैश्विक AI आउटसोर्सिंग और नवाचार का केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है।
  - 4 लाख से अधिक AI पेशेवरों के साथ भारत विश्व के अग्रणी AI प्रतिभा केंद्रों में शामिल है।

AI अंगीकरण के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **अपर्याप्त डेटा पारिस्थितिकी तंत्र:** भारत में AI प्रशिक्षण के लिये आवश्यक उच्च गुणवत्ता वाले, समन्वित एवं उचित रूप से एनोटेट किए गये डेटा की कमी है।
  - **नेशनल डेटा एवं एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म (NDAP)** जैसी पहलें डेटा को एकीकृत करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी भी कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
- **अनुसंधान एवं विकास (R&D) में कम निवेश:** भारत का AI अनुसंधान व्यय GDP का मात्र 0.1% से भी कम है, जो अमेरिका और चीन की तुलना में बेहद कम है।
  - इस सीमित निवेश के कारण स्थानीय AI प्रौद्योगिकियों और मूलभूत मॉडलों का विकास बाधित हो रहा है।
- **कुशल कार्यबल की कमी:** भारत के केवल **4% कार्यबल को ही AI और संबंधित डिजिटल तकनीकों** में औपचारिक रूप से प्रशिक्षित माना जाता है।
  - **नीति आयोग की AI पर राष्ट्रीय रणनीति** में 10 मिलियन युवाओं को तत्काल कौशल प्रदान करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।
- **क्षेत्रीय डिजिटल विभाजन:** AI का उपयोग IT और वित्त में केंद्रित है, जबकि **कपड़ा और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्र** पीछे हैं।
  - खराब डिजिटल बुनियादी ढाँचे और AI से संबंधित जागरूकता की कमी **MSME और कृषि क्षेत्र** की भागीदारी में बाधा डालती है।
- **नैतिक और गोपनीयता संबंधी चिंताएँ:** ज़िम्मेदार प्रशासन के बिना AI प्रणालियों से पूर्वाग्रह, भेदभाव और निगरानी को बढ़ावा मिलने का खतरा है।
  - **भारत में वर्तमान में AI नैतिकता, गोपनीयता और डेटा संरक्षण** को नियंत्रित करने के लिये व्यापक रूप से कानून का अभाव है।
- **कॉपीराइट से संबंधित चुनौतियाँ:** कॉपीराइट कानून प्रौद्योगिकी के साथ-साथ विकसित हुआ है, जो अभिव्यक्ति के नए रूपों को अपनाते हुए रचनाकारों की रक्षा करता है।
  - वर्तमान में, **जनरेटिव AI** प्रत्यक्ष पुनरुत्पादन के बिना प्रशिक्षण के लिये कॉपीराइट कार्यों का उपयोग करके कानून को चुनौती देता है।
- **सीमित उद्योग-अकादमिक सहयोग:** कमज़ोर साझेदारी के कारण अकादमिक AI अनुसंधान अक्सर उद्योग की ज़रूरतों से अलग रहता है।
- **बुनियादी ढाँचे का अंतराल:** वर्ष 2023 तक, लगभग 45% भारतीय आबादी के पास इंटरनेट तक पहुँच नहीं होगी, जिससे व्यापक रूप से AI को अपनाना सीमित हो जाएगा।
  - **भारतनेट** जैसी परियोजनाओं का उद्देश्य लास्ट-मील कनेक्टिविटी में सुधार करना है, लेकिन इनका क्रियान्वयन असमान है।
- **सार्वजनिक क्षेत्र के डेटा का कम उपयोग:** सरकारी डेटासेट अक्सर पुराने होते हैं और मशीन द्वारा पढ़े जाने योग्य नहीं होते हैं, जिससे AI की उपयोगिता कम हो जाती है।
  - ओपन **गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म** का उद्देश्य सार्वजनिक डेटा की पहुँच को मानकीकृत और बेहतर बनाना है।
- **विखंडित विनियामक परिदृश्य:** AI विनियमन एकीकृत राष्ट्रीय कानून के बिना विभिन्न क्षेत्रों में बिखरा हुआ है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।
  - बड़े पैमाने पर तैनाती और प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिये एक सुसंगत राष्ट्रीय AI कानून आवश्यक है।
- **स्टार्टअप्स का धीमा विकास:** भारत में **3,000+ AI स्टार्टअप्स** हैं, परंतु अधिकांश को पूंजी और मार्गदर्शन की कमी का सामना करना पड़ता है।
  - स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना प्रारंभिक चरण के उद्यमों को सहायता प्रदान करती है, लेकिन इसका क्रियान्वयन असमान है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

भारत समावेशी और नैतिक विकास के लिये AI के भविष्य को रणनीतिक रूप से कैसे संचालित कर सकता है?

- **अधिकार-आधारित AI फ्रेमवर्क अपनाना:** भारत को सभी AI परिनियोजनों में निष्पक्षता, जवाबदेही और गोपनीयता सुरक्षा को शामिल करना चाहिये।
  - नीति आयोग का "सभी के लिये उत्तरदायी AI" **समानता और नैतिकता** पर केंद्रित एल्गोरिथम शासन की वकालत करता है।
- **डेटा संरक्षण व्यवस्था को मज़बूत बनाना:** सहमति, शिकायत निवारण और प्रवर्तन सुनिश्चित करने वाले मजबूत डेटा गोपनीयता कानून महत्त्वपूर्ण हैं।
  - डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 एक आधार प्रदान करता है, लेकिन इसके लिये स्पष्ट प्रवर्तन की आवश्यकता है।
- **कौशल विभाजन को कम करना:** समावेशी AI विकास के लिये लक्षित कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण और हाशिये पर पड़े युवाओं को कौशल प्रदान करना आवश्यक है।
  - **फ्यूचरस्किल्स प्राइम** और स्किल इंडिया जैसी पहलों को व्यावसायिक प्रशिक्षण में AI मॉड्यूल को एकीकृत करना चाहिये।
- **स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देना:** विदेशी AI मॉडलों पर निर्भरता कम करने के लिये स्थानीय अनुसंधान एवं विकास में सार्वजनिक-निजी निवेश की आवश्यकता है।
  - **तेलंगाना में INAI (इंटेल AI)** सहयोगात्मक AI विकास भारतीय संदर्भों के लिये **अनुरूप समाधान** का उदाहरण है।
- **AI तक समान पहुँच सुनिश्चित करना:** इसकी तैनाती स्थानीय भाषा के साथ सामाजिक क्षेत्रों - स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा - पर केंद्रित होनी चाहिये।
  - AI फॉर ऑल पहल का उद्देश्य भाषाई और भौगोलिक विविधता को संबोधित करके AI तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाना है।
- **शासन में AI को ज़िम्मेदारीपूर्वक लागू करना:** सरकारी AI के उपयोग से सार्वजनिक सेवाओं में बहिष्कार, पूर्वाग्रह और पारदर्शिता की कमी से बचा जाना चाहिये।
  - नीति आयोग का ऐरावत प्लेटफॉर्म कुशल और नैतिक सेवा वितरण के लिये विश्वसनीय AI मॉडल को बढ़ावा देता है।
- **बहु-हितधारक शासन को बढ़ावा देना:** नागरिक समाज, शिक्षा जगत और उद्योग की भागीदारी के साथ समावेशी नियामक निकाय महत्त्वपूर्ण हैं।
  - नियामक निरीक्षण के साथ नवाचार को संतुलित करने के लिये एक **AI सलाहकार परिषद** की सिफारिश की गई है।
- **क्षेत्र-विशिष्ट विनियम बनाना:** विशिष्ट जोखिमों के प्रबंधन के लिये स्वास्थ्य सेवा और वित्त जैसे क्षेत्रों के लिये अनुरूप दिशानिर्देशों की आवश्यकता है।
  - इनमें **AI की व्याख्या,** उत्तरदायित्व और **नैतिक चुनौतियों** का प्रभावी ढंग से समाधान किया जाना चाहिये।

ज़िम्मेदार और प्रभावी AI विकास के लिये आगे की राह क्या है?

- **स्केलेबल कंप्यूटेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना:** भारत को AI की बढ़ती मांग के लिये क्लाउड कंप्यूटिंग, **डेटा सेंटर** और **वितरित नेटवर्क** को बढ़ाना होगा।
  - ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता देने से ग्रामीण-शहरी डिजिटल विभाजन को प्रभावी ढंग से कम करने में मदद मिलेगी।
- **समावेशी और वैश्विक AI विनियम लागू करना:** भारत को यूरोपीय संघ AI अधिनियम जैसे वैश्विक ढाँचे के अनुरूप AI नीतियाँ तैयार करनी चाहिये।
  - पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ जोखिम-आधारित विनियमन नैतिक AI परिनियोजन को बढ़ावा देगा।
- **AI शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण का लोकतंत्रीकरण:** युवाओं के लिये उत्तरदायी AI और **इंडियाAI फ्यूचरस्किल्स** जैसी पहलों का विस्तार करना अनिवार्य है।
  - इन कार्यक्रमों को विविध AI कार्यबल का निर्माण करने के लिये ग्रामीण और हाशिये पर स्थित समुदायों को लक्षित करना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **उच्च गुणवत्ता वाले डेटा अभिशासन को बढ़ावा देना:** डेटा सटीकता, गोपनीयता अनुपालन और एकीकृत पहुँच सुनिश्चित करने के लिये अभिशासन ढाँचे को लागू करना।
  - **इंडियाडेटासेट्स प्रोग्राम** जैसे प्लेटफॉर्म से AI की विश्वसनीयता और नागरिक विश्वास को बढ़ावा मिलेगा।
- **सहमति-आधारित डेटा साझाकरण को बढ़ावा देना:** सहमति-आधारित डेटा नीतियाँ पारदर्शिता को प्रोत्साहित करती हैं और AI शासन में नागरिकों को सशक्त बनाती हैं।
  - इस तरह की साझेदारी कुशल, वैयक्तिकृत सार्वजनिक सेवाओं को सक्षम बनाती है और डेटा-संचालित नीति-निर्माण को समर्थन प्रदान करती है।
- **समावेशी AI पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करना:** AI टूल्स को भारत भर में भाषाई विविधता और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को संबोधित करना होगा।
  - **स्थानीय AI अनुप्रयोगों** के विकास से पहुँच और सामाजिक समावेशन में वृद्धि होगी।
  - भारत ने GPAI शिखर सम्मेलन (वर्ष 2023) के दौरान बहु-हितधारक ढाँचे के महत्त्व पर ज़ोर दिया, जो सतत् वैश्विक विकास के लिये **सुरक्षित, समावेशी और ज़िम्मेदार AI को आगे बढ़ाने** के लिये सरकारों, उद्योग, शिक्षा और नागरिक समाज को एक साथ लाता है।
- **AI नीतियों की निगरानी, मूल्यांकन और अनुकूलन:** यह सुनिश्चित करने के लिये कि AI नीतियाँ प्रासंगिक और प्रभावी बनी रहें, वास्तविक समय प्रभाव आकलन स्थापित करना।
  - डेटा अंतर्दृष्टि का उपयोग करके निरंतर परिशोधन से उभरती हुई तकनीकी चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिलेगी।
- **साइबर सुरक्षा ढाँचे को उन्नत करना:** डिजिटल बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा के लिये AI-सक्षम खतरे का पता लगाने और पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण को लागू करना।
  - डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) सुरक्षा को मज़बूत करना राष्ट्रीय लचीलेपन के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का लाभ उठाना: अमेरिका-भारत AI पहल** जैसी वैश्विक साझेदारियाँ क्षेत्र-विशिष्ट AI अनुप्रयोगों को गति प्रदान करती हैं।
  - सहयोग से ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा तथा भारत की विशिष्ट विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान तैयार होंगे।
- **अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करना:** राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को शिक्षा-उद्योग-सरकार साझेदारी को बढ़ावा देना चाहिये।
  - इस तरह के सहयोग से स्थानीय चुनौतियों का समाधान करने वाले AI समाधानों के नवाचार और क्रियान्वयन में तेज़ी आती है।

निष्कर्ष

भारत की AI यात्रा एक निर्णायक मोड़ पर है, जो नवाचार को ज़िम्मेदारी के साथ मिश्रित कर रही है। चुनौतियों का समाधान करके तथा अपनी **जनसांख्यिकीय, भाषाई और डिजिटल शक्तियों** का लाभ उठाकर भारत **समावेशी AI** में विश्व का नेतृत्व कर सकता है। एक रणनीतिक, नैतिक और नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करेगा कि AI राष्ट्रीय परिवर्तन के लिये एक सच्चा उत्प्रेरक बन जाए।

■■■

भारत का राजकोषीय संघवाद

यह एडिटोरियल 19/05/2025 को बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित "A holistic assessment of states' performance across seven pillars" पर आधारित है। लेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि सतत् विकास को दिशा देने और विकसित भारत 2047 की दिशा में प्रतिस्पर्द्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिये 50 संकेतकों का उपयोग करके भारत के राज्यों को सात स्तंभों पर समग्र रूप रैंकिंग दी गई है।

जैसे-जैसे भारत 2047 **तक *विकसित भारत*** बनने की दिशा में अग्रसर है, राजकोषीय संघवाद की गतिशीलता पहले से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण हो गई है। विविधतापूर्ण और **प्रतिस्पर्द्धी संघीय ढाँचे में, राज्य समावेशी विकास, शासन और आर्थिक अनुकूलता** को आगे बढ़ाने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राज्यों के अलग-अलग विकास पथों पर चलने के साथ, उनकी राजकोषीय

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

क्षमता, स्वायत्तता और व्यय की गुणवत्ता का आकलन करना महत्त्वपूर्ण है। राजकोषीय विकेंद्रीकरण संघवाद के लिये एक मज़बूत ढाँचा न केवल समान संसाधन वितरण सुनिश्चित करता है, बल्कि राज्यों को राष्ट्रीय लक्ष्यों और स्थानीय आकांक्षाओं के अनुरूप नवाचार, निवेश एवं सार्वजनिक वस्तुओं को वितरित करने का अधिकार भी प्रदान करता है।

भारत में राजकोषीय विकेंद्रीकरण संघवाद को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक और नीतिगत प्रावधान क्या हैं?

- **कर आधार प्रभाग:** संविधान की सातवीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच अलग-अलग कराधान शक्तियों का वर्णन करती है।
  - **अनुच्छेद 246** के अंतर्गत यह संरचित विभाजन सरकार के दोनों स्तरों को विधायी और राजकोषीय स्पष्टता प्रदान करता है।
- **GST और समवर्ती कराधान: 101वें संविधान संशोधन अधिनियम** द्वारा सम्मिलित **अनुच्छेद 246A**, वस्तु एवं सेवा कर (GST) पर समवर्ती कराधान को सक्षम बनाता है।
  - यह विधेयक केंद्र को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) लगाने की अनुमति देता है, जबकि राज्य राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) लगा सकते हैं।
- **राजस्व हस्तांतरण: अनुच्छेद 270 वित्त आयोग** की सिफारिशों के आधार पर संघीय कर राजस्व को राज्यों के साथ साझा करने का प्रावधान करता है।
  - आयकर, CGST और निगम कर जैसे करों को साझा किया जाता है, जिससे **ऊर्ध्वाधर इक्विटी और वितरणात्मक न्याय** सुनिश्चित होता है।
- **सहायता अनुदान: अनुच्छेद 275** केंद्र को विशिष्ट विकासात्मक आवश्यकताओं वाले राज्यों को **सहायता अनुदान प्रदान** करने की अनुमति देता है।
  - ये अनुदान **वित्तीय असमानताओं को दूर** तथा सार्वजनिक सेवाओं का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करते हैं।
- **वित्त आयोग: अनुच्छेद 280** में अंतर-सरकारी संसाधन साझेदारी का आकलन करने और सिफारिश करने के लिये एक आवधिक **वित्त आयोग** का प्रावधान है।
  - यह हस्तांतरण सूत्रों और अनुदान सहायता का सुझाव देकर **ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों प्रकार के राजकोषीय असंतुलनों** का समाधान करता है।
- **विवेकाधीन अनुदान: अनुच्छेद 282** संघ और राज्यों को विधायी प्राधिकार से परे भी किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिये अनुदान देने की अनुमति प्रदान करता है।
  - संतुलन सुनिश्चित करते हुए, यह पारदर्शिता और राज्य की स्वायत्तता के संभावित क्षरण के संबंध में चिंताएँ उत्पन्न करता है।
- **ऋण लेने की शक्तियाँ: अनुच्छेद 293** राज्यों को घरेलू स्तर पर ऋण लेने की अनुमति प्रदान करता है, बशर्ते कि पहले से ही संघीय ऋण मौजूद हो।
  - यह केंद्रीय नियंत्रण दीर्घकालिक निवेश के लिये स्वतंत्र **राजकोषीय योजना** और **पूंजी एकत्रित करने पर** प्रतिबंध लगाता है।
- **स्थानीय राजकोषीय हस्तांतरण: ये राज्यों को** पंचायतों और नगर पालिकाओं को राजकोषीय अधिकार हस्तांतरित करने का अधिकार प्रदान करते हैं।
  - **राज्य वित्त आयोग** जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करने के लिये संसाधन-साझाकरण ढाँचे की सिफारिश करते हैं।
- **विभाज्य कोष से बहिष्करण: उपकर (cesses) और अधिशुल्क (surcharges),** यद्यपि ये संघ कर हैं, लेकिन अनुच्छेद 270 के अंतर्गत इन्हें विभाज्य कोष से बाहर रखा गया है।
  - इससे राज्यों की बढ़ती राजस्व धाराओं तक पहुँच सीमित हो जाती है तथा ऊर्ध्वाधर असंतुलन और राजकोषीय निर्भरता बढ़ जाती है।
- **CSS संबंधी शर्तें: राज्य और समवर्ती सूची डोमेन** में संचालित **केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSS)** राज्यों द्वारा आंशिक रूप से वित्तपोषित होती हैं, जबकि डिज़ाइन नियंत्रण केंद्रीय रूप से नियंत्रित होता है।
  - **यह सशर्त वित्तपोषण राजकोषीय सहायकता** के सिद्धांत को कमज़ोर करता है तथा स्थानीय विकास आवश्यकताओं में बाधा डालता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

Fiscal Federalism Provisions in India

Characteristic	Constitutional Provision	Policy Instrument
Tax Base Division	Article 246	Seventh Schedule
GST Taxation	Article 246A	101st Amendment Act
Revenue Sharing	Article 270	Finance Commission
Grants-in-Aid	Article 275	Addressing Fiscal Disparities
Finance Commission	Article 280	Vertical/Horizontal Balance
Discretionary Grants	Article 282	Flexibility Concerns
Borrowing Powers	Article 293	Central Control
Local Devolution	Empowering Articles	State Finance Commissions
Divisible Pool Exclusion	Article 270	Limited State Access
CSS Conditionality	State/Concurrent Lists	Fiscal Subsidiarity
Horizontal Criteria	Income, population, area	Multidimensional Formula

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **क्षैतिज मानदंड:** वित्त आयोग आय अंतर, जनसंख्या, क्षेत्र, वन क्षेत्र और कर प्रयास का उपयोग करके क्षैतिज शेयरों का आवंटन करता है।
  - यह बहुआयामी सूत्र **कार्यकुशलता और समानता** के बीच संतुलन स्थापित करता है, यद्यपि इसमें अंतर-राज्यीय असंतोष भी शामिल है।

भारत में राजकोषीय विकेंद्रीकरण संघवाद के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **ऊर्ध्वाधर असंतुलन:** संघ का राष्ट्रीय राजकोषीय संसाधनों में **63% का नियंत्रण है,** लेकिन कुल सार्वजनिक व्यय का केवल **38%** ही वहन करता है।
  - **केवल 37%** संसाधनों के साथ राज्य, **सार्वजनिक व्यय का 62% वहन करते हैं**, जिससे गंभीर राजकोषीय असंतुलन उत्पन्न होता है।
- **कर स्वायत्तता की हानि:** GST ने वैट और ऑक्ट्रोई जैसे महत्त्वपूर्ण राज्य करों को एकीकृत व्यवस्था के अंतर्गत समाहित कर दिया है।
  - राज्य अब मुख्य रूप से SGST पर निर्भर और **राजकोषीय नीति नवाचार तक सीमित हैं**।
- **राजस्व हिस्सेदारी में गिरावट:** संघ के सकल कर राजस्व में राज्यों की वास्तविक हिस्सेदारी 35% (2015-16) से घटकर 30% (2023-24) हो गई है।
  - **15वें वित्त आयोग की 41% अनुशंसा** से यह विचलन राज्यों की राजकोषीय क्षमता को कमज़ोर करता है।
- **उपकर और अधिभार:** उपकर और अधिभार वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक **133% बढ़ गए, जो** संघीय कर राजस्व का लगभग **25%** है।
  - विभाज्य पूल के बाहर होने के कारण, ये राजस्व **वित्त आयोग की सिफारिशों को दरकिनार कर** और राज्यों के आवंटन को कम कर देते हैं।
- **ऋण संबंधी सीमा:** राज्यों की उधार सीमा GSDP के 3% तक सीमित है, जिसमें बजट से इतर ऋण और सार्वजनिक खाता देयताएँ शामिल हैं।
  - इससे आर्थिक मंदी के दौरान **प्रति-चक्रीय राजकोषीय रणनीतियों** और बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश में गंभीर बाधा उत्पन्न होती है।
- **GST मुआवजा:** वर्ष 2017 के बाद GST मुआवजा भुगतान में देरी के कारण राज्यों में **नकदी संकट उत्पन्न हो गया** है साथ ही राजकोषीय योजना बाधित हुई है।
  - **राज्यों ने 19% से 33%** के बीच राजस्व में कमी की सूचना दी, जिससे सहकारी राजकोषीय तंत्र की कमज़ोरी उजागर हुई।
- **CSS पर निर्भरता:** सख्त दिशा-निर्देशों के साथ CSS व्यय ₹5.21 लाख करोड़ (2015-16) से बढ़कर ₹14.68 लाख करोड़ (2023-24) हो गया है।
  - राज्यों को अक्सर समनुदान (matching funds) प्रदान करने होते हैं और वे योजनाओं को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित नहीं कर सकते, जिससे उनकी राजकोषीय अनुकूलता कम हो जाती है।
- **अनुदान में गिरावट:** सहायता अनुदान ₹1.95 लाख करोड़ (2015-16) से घटकर ₹1.65 लाख करोड़ (2023-24) हो गया।
  - इस बदलाव से **सशर्त हस्तांतरण पर निर्भरता बढ़** जाती है, जिससे विकासात्मक स्वायत्तता सीमित हो जाती है।
- **क्षैतिज असंतुलन:** अधिक जनसंख्या वाले और गरीब राज्य आय दूरी (income distance) मानदंड के कारण अधिक हिस्सा प्राप्त करते हैं।
  - **कर्नाटक और केरल** जैसे राज्यों का मानना है कि इससे कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा क्षेत्रीय असंतोष बढ़ेगा।
- **असमान विकास:** बहु-स्तंभीय राज्य रैंकिंग में **बिहार और झारखंड** जैसे राज्यों का **बुनियादी ढाँचे और वित्तीय समावेशन** में खराब प्रदर्शन है।
  - ऐसी **असमानताएँ** आर्थिक अभिसरण को कमज़ोर करती हैं तथा राजकोषीय तंत्र के माध्यम से संतुलित क्षेत्रीय विकास के विचार को चुनौती देती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **ऑफ-बजट बारोइंग:** बजट के बाहर की देनदारियों (जैसे केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड) को कुल उधारी सीमा (Net Borrowing Ceiling) में शामिल करने से राजकोषीय गतिशीलता सीमित हो जाती है।
  - पारदर्शी मानदंडों की अनुपस्थिति अंतर-सरकारी राजकोषीय जवाबदेही और बजट की पारदर्शिता को जटिल बनाती है।
- **केंद्रीकृत व्यय:** बंधित अंतरण (tied transfers) सार्वजनिक व्यय में प्रमुख भूमिका निभाते हैं तथा 22% से भी कम हिस्सा असंबद्ध निधि के रूप में राज्यों को हस्तांतरित की जाती हैं।
  - यह केंद्रीकरण राज्यों की क्षेत्र-विशिष्ट विकास प्राथमिकताओं पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता को सीमित करता है।
- **पंचायतों को सशक्त बनाने संबंधी :** राज्यों में पंचायतों को सशक्त करने की स्थिति 2024 रिपोर्ट से पता चलता है कि **ग्यारहवीं अनुसूची के अंतर्गत 29** विषयों का हस्तांतरण असंगत रूप से किया गया है।
  - अधिकांश राज्य पंचायतों की स्वायत्तता को प्रतिबंधित करते हैं, जिससे स्थानीय निर्णय लेने और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है।
- **पंचायती राज संस्थाओं में संस्थागत अंतराल:** ज़िला योजना समितियाँ निष्क्रिय हैं तथा बार-बार सीटों के परिवर्तन से पंचायत के नेतृत्व की निरंतरता कमज़ोर होती है।
  - ये संस्थागत खामियाँ ज़मीनी स्तर पर जवाबदेही और शासन दक्षता को कम करती हैं।
- **स्थानीय स्तर पर वित्तीय स्वायत्तता का अभाव: राज्य वित्त आयोग (SFC)** की सिफारिशों का कार्यान्वयन न होना और GST केंद्रीकरण पंचायतों की वित्तीय स्वतंत्रता को सीमित करता है।
  - इससे नीचे से ऊपर की ओर की योजना प्रभावित होती है तथा पंचायतें सार्थक विकास नियंत्रण से वंचित हो जाती हैं।

भारत में राजकोषीय विकेंद्रीकरण संघवाद को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है?

- **विकेंद्रीकरण में वृद्धि:** 16 वें वित्त आयोग को राजकोषीय संतुलन बहाल करने के लिये राज्यों की भागीदारी को 41% से अधिक बढ़ाना चाहिये।
  - संवर्द्धित हस्तांतरण राज्यों को **कल्याणकारी योजनाओं**, बुनियादी ढाँचे और शासन सुधारों की स्वतंत्र रूप से योजना बनाने का अधिकार देता है।
- **उपकर को युक्तिसंगत बनाना:** संघ को उपकर और अधिभार को युक्तिसंगत बनाना चाहिये या उन्हें विभाज्य पूल में शामिल करना चाहिये।
  - इससे राज्यों में राजकोषीय हस्तांतरण में **समानता, पारदर्शिता और पूर्वानुमेयता सुनिश्चित होगी।**
- **GST में सुधार:** GST परिषद को समय पर मुआवज़े की गारंटी देनी चाहिये और **पेट्रोलियम तथा अल्कोहल को शामिल करने के लिये जीएसटी का विस्तार करने पर विचार करना चाहिये।**
  - इससे **राजस्व में वृद्धि होगी** तथा सी.एस.एस. और विवेकाधीन हस्तांतरण पर निर्भरता कम होगी।
- **समग्र सूचकांकों के साथ राज्यों को बेंचमार्क करना:** राजकोषीय, सामाजिक और पर्यावरणीय स्तंभों में भारित समग्र सूचकांकों का उपयोग करने से निष्पक्ष **राज्य निष्पादन बेंचमार्किंग संभव होती है।**
  - यह दृष्टिकोण संतुलित विकास को बढ़ावा देता है और राज्यों को बहुआयामी विकास रणनीतियों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करता है।
- **ऋण लेने की सीमा में शिथिलता: राज्यों को आर्थिक मंदी और प्राकृतिक आपदाओं** के दौरान अस्थायी ऋण लेने की छूट मिलनी चाहिये।
  - **लचीली ऋण सीमा पूंजी निवेश और आपातकालीन प्रतिक्रिया** के लिये राजकोषीय स्थान सुनिश्चित करती है।
- **स्थानीय निकायों को मज़बूत बनाना:** राज्यों को PRI को स्पष्ट कार्य, धन और पदाधिकारियों को सौंपकर अनुच्छेद 243G, 243H और 243X को पूर्ण रूप से लागू करना चाहिये।
  - **राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थित, 2024 की रिपोर्ट** के अनुसार, इससे स्थानीय शासन और सेवा वितरण में वृद्धि होगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **पंचायतों की क्षमता बढ़ाना:** स्थानीय नेताओं को शासन और योजना बनाने में प्रशिक्षित करने के लिये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जैसी योजनाओं का विस्तार करने की आवश्यकता है।
  - डिजिटल बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने से पारदर्शिता और **ग्रामसभा की** भागीदारी में भी सुधार होगा।
- **CSS का पुनर्गठन:** CSS को लचीले डिजाइन के साथ कुछ प्रभावशाली छत्र योजनाओं में समेकित किया जाने की आवश्यकता है।
  - इससे दोहराव से बचा जा सकेगा, राज्य की प्राथमिकताओं का सम्मान होगा और विकासात्मक परिणामों में सुधार होगा।
- **संवाद को संस्थागत बनाना:** अंतर-राज्यीय परिषद् को पुनर्जीवित करना और राजकोषीय योजना में **नीति आयोग की परामर्शदात्री भूमिका को मज़बूत करना।**
  - GST परिषद् **और वित्त आयोग** के साथ समन्वय से एकीकृत नीतिगत प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा मिलेगा।
- **मानव विकास सूचकांक मानदंड का उपयोग करना:** 16वें **वित्त आयोग को** संसाधन साझाकरण के पैरामीटर के रूप में मानव विकास सूचकांक को शामिल करना चाहिये।
  - इससे सामाजिक परिणामों को प्राथमिकता मिलेगी और कर हस्तांतरण में केवल जनसंख्या पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता कम होगी।
- **ऋण लेने में पारदर्शिता सुनिश्चित करना:** सभी ऑफ-बजट देनदारियों को उजागर करने की आवश्यकता है और पारदर्शी राजकोषीय उत्तरदायित्व ढाँचे के भीतर उनका प्रबंधन किया जाना चाहिये।
  - इससे अदृश्य ऋण से बचा जा सकता है और वित्तीय जवाबदेही में भी वृद्धि होती है।
- **राजकोषीय नियमों को संरेखित करना:** क्षेत्रीय आर्थिक विविधता के लिये लचीलेपन के साथ केंद्र तथा राज्यों के FRBM अधिनियमों को समन्वयित करना।
  - विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित एकसमान राजकोषीय लक्ष्य सतत् सार्वजनिक वित्त सुनिश्चित करेंगे।
- **राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक अंतर्दृष्टि:** राज्यों को पूंजीगत व्यय और ऋण प्रबंधन में सुधारों के मार्गदर्शन हेतु राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक का उपयोग करना चाहिये।
  - **आकांक्षी राज्यों को** राजकोषीय स्थिरता के लिये गुणवत्तापूर्ण व्यय और राजस्व एकत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को राज्य-विशिष्ट आकांक्षाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिये एक **लचीला और न्यायसंगत राजकोषीय विकेंद्रीकरण संघवाद ढाँचा आवश्यक है। विकेंद्रीकरण को मज़बूत करना, स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना और विकास लक्ष्यों के साथ राजकोषीय प्रोत्साहनों को जोड़ना न केवल सहकारी परिसंघवाद को सुदृढ़ करेगा बल्कि अमृत काल** में समावेशी, सतत् और प्रतिस्पर्द्धी विकास की ओर भारत की यात्रा को भी गति प्रदान करेगा।

■■■

भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय गतिशीलता

यह एडिटोरियल 21/05/2025 को द हिंदू में प्रकाशित "Trade diplomacy: on India-Bangladesh trade-related tensions" पर आधारित है। लेख में इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि भारत द्वारा हाल ही में बांग्लादेशी परिधानों पर लगाए गए व्यापारिक प्रतिबंध, दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों में गिरावट का संकेत देते हैं। यह स्थिति बांग्लादेश के बदलते रणनीतिक गठबंधनों के कारण है। आगामी अनिश्चित चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए भारत के लिये कूटनीतिक सहभागिता के साथ रणनीतिक चिंताओं को संतुलित करना आवश्यक हो गया है।

भारत और बांग्लादेश **के बीच बहुआयामी संबंध** हैं, जो व्यापक **ऐतिहासिक संबंधों, व्यापक आर्थिक सहयोग और रणनीतिक संपर्क** से चिह्नित हैं। हालाँकि, बांग्लादेश में हाल ही में हुए राजनीतिक परिवर्तन और क्षेत्रीय गठबंधनों में बदलाव से चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं, जिसका प्रभाव व्यापार एवं सुरक्षा क्षेत्रों पर भी पड़ा है। जैसे-जैसे भारत जटिल कूटनीतिक जलमार्गों पर आगे बढ़ रहा है,

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

आर्थिक हितों को भू-राजनीतिक चिंताओं के साथ संतुलित करना, स्थिर द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखना महत्त्वपूर्ण हो गया है। भारत के दृष्टिकोण में वर्तमान में **सजग कूटनीति, सक्रिय सहभागिता** और आपसी हितों की रक्षा के लिये दीर्घकालिक क्षेत्रीय स्थिरता पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

भारत-बांग्लादेश संबंधों का क्या महत्त्व है?

- **साझे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार:** भारत और बांग्लादेश के बीच गहरे संबंध हैं, जो **साझे इतिहास, भाषा और सांस्कृतिक विरासत** पर आधारित हैं।
  - ये समानताएँ **आपसी विश्वास को बढ़ावा** देती हैं और सीमा पार **लोगों के बीच जीवंत संबंधों को बढ़ावा** देती हैं।

- **मज़बूत द्विपक्षीय व्यापार संबंध:** बांग्लादेश **दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार** है, जो घनिष्ठ आर्थिक संबंधों को दर्शाता है।
  - वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान **द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा लगभग 14.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुँच गई।
- **व्यापक सुरक्षा और सीमा सहयोग:** दोनों देशों ने **पुलिस व्यवस्था, भ्रष्टाचार निरोधक, मानव तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी के मुद्दों पर सक्रिय सहयोग** बनाए रखा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- दोनों देशों द्वारा 4,096 किलोमीटर लंबी साझा **सीमा का शांतिपूर्ण प्रबंधन** संयुक्त निरीक्षणों एवं सीमांकन (बाड़बंदी) संबंधी पहलों के माध्यम से किया जाता है।

- **सफल सीमा विवाद समाधान: वर्ष 2015** के **भूमि सीमा समझौता** और समुद्री सीमांकन शांति पूर्ण समझौते के रूप में महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं।
  - ऐसे समझौते द्विपक्षीय संबंधों में **स्थिरता और सद्भावना बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण योगदान** देते हैं।
- **रणनीतिक समुद्री और ब्लू इकॉनमी साझेदारी: भारत-बांग्लादेश हरित साझेदारी** और समुद्री सहयोग पर समझौता ज्ञापन सतत् विकास प्रयासों को रेखांकित करते हैं।
  - यह सहयोग **ब्लू इकॉनमी और समुद्र विज्ञान तक विस्तारित** है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है।
- **बहुपक्षीय मंचों पर सहभागिता:** दोनों राष्ट्र **SAARC, BIMSTEC, BBIN** और **हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) क्षेत्रीय समूहों में सक्रिय रूप से भागीदारी** निभाते हैं।
  - ये मंच साझा चुनौतियों और **क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण पर समन्वय** को सुविधाजनक बनाते हैं।
- **उन्नत कनेक्टिविटी और पारगमन प्रोटोकॉल:** **अंतर्देशीय जलमार्ग व्यापार और पारगमन प्रोटोकॉल (PIWTT)** जैसे समझौते वस्तुओं के सुचारू परिवहन का समर्थन करते हैं।
  - **चटगाँव और मोंगला बंदरगाहों** तक भारत की पहुँच से पूर्वोत्तर भारत के लिये रसद लागत कम हो जाती है।
- **भारत की क्षेत्रीय नीतियों के लिये महत्त्व:** बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति भारत की **नेबरहुड फर्स्ट नीति** और **एक्ट ईस्ट** रणनीतियों के लिये केंद्रीय है।
  - **अखौरा-अगरतला रेल संपर्क** जैसी संपर्क परियोजनाएँ भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र तक पहुँच में सुधार करती हैं।
- **बांग्लादेश को प्रमुख विकासात्मक सहायता:** भारत ने बुनियादी अवसंरचना और क्षमता निर्माण के लिये लगभग **8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता** प्रदान की है।
  - यह वित्तीय सहायता परिवहन, ऊर्जा और संस्थागत सुदृढ़ीकरण में बांग्लादेश के विकास को बढ़ावा देगी।
- **सांस्कृतिक सहयोग और युवा सहभागिता:** ढाका में सांस्कृतिक केंद्र भारतीय शास्त्रीय कलाओं, भाषाओं और सांस्कृतिक उत्सवों को बढ़ावा देते हैं।
  - युवा प्रतिनिधिमंडल कार्यक्रम और छात्रवृत्तियाँ दीर्घकालिक सामाजिक और शैक्षिक संबंधों को बढ़ावा देती हैं।
- **ऊर्जा एवं वाणिज्यिक सहयोग:** भारत बांग्लादेश को 1,160 मेगावाट से अधिक बिजली की आपूर्ति करता है, जिससे उसके **विद्युत क्षेत्र के विस्तार में सहायता** मिलती है।
  - **मैत्री पाइपलाइन हाई-स्पीड डीज़ल का परिवहन** करती है, जिससे द्विपक्षीय ऊर्जा संबंध मज़बूत होते हैं।
- **डिजिटल और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सहयोग: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) और बांग्लादेश बैंक** के बीच एक महत्त्वपूर्ण समझौता ज्ञापन सीमा पार **UPI भुगतान को सक्षम** बनाता है।
  - **संयुक्त उपग्रह विकास** और प्रक्षेपण से गहन तकनीकी सहयोग एवं नवाचार संभव हुए हैं।

भारत-बाँग्लादेश संबंधों से संबद्ध चुनौतियाँ क्या हैं?

- **नदी जल बँटवारे से संबंधित अनसुलझे विवाद:** स्थायी, पारस्परिक रूप से स्वीकार्य तंत्र का अभाव अंतर-राज्यीय जल बँटवारे के मुद्दों को जटिल बनाता है।
  - विवादास्पद **तीस्ता नदी विवाद** द्विपक्षीय जल कूटनीति में एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है।
- **बांग्लादेश में चीन का बढ़ता प्रभाव:** चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा आयुध आपूर्तिकर्त्ता और रणनीतिक साझेदार है, जो अपनी क्षेत्रीय उपस्थिति का विस्तार कर रहा है।
  - हाल के सैन्य अभ्यास, जैसे कि **गोल्डन फ्रेंडशिप- 2024, चीन-बांग्लादेश रक्षा सहयोग** की गहनता को उजागर करते हैं।
- **सीमा पार सुरक्षा चिंताएँ: रोहिंग्याओं के आगमन** सहित अवैध प्रवासन, **भारत के पूर्वोत्तर की सुरक्षा एवं सामाजिक स्थिरता पर दबाव** डालता है।
  - ये **आवागमन सीमा प्रबंधन को जटिल बनाते हैं** तथा मानवीय एवं राजनीतिक **चुनौतियाँ** उत्पन्न करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **बढ़ती कट्टरता और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार:** बांग्लादेश में बढ़ता **धार्मिक उग्रवाद और अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार** आंतरिक एवं क्षेत्रीय **सुरक्षा के लिये खतरा** है।
  - ऐसी स्थितियों से बांग्लादेश में अस्थिरता उत्पन्न होने तथा **भारत के सुरक्षा वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव** पड़ने का खतरा है।
- **भारतीय घरेलू नीतियों का प्रभाव:** नागरिकता संशोधन अधिनियम **और** राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर ने बांग्लादेश के साथ राजनयिक संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया है।
  - इन नीतियों का उपयोग बांग्लादेश के भीतर **भारत विरोधी बयानबाज़ी को बढ़ाने के लिये** किया गया है।
- **व्यापार और पारगमन प्रतिबंध:** बांग्लादेश के **बंदरगाह प्रतिबंध और उच्च पारगमन शुल्क** पूर्वोत्तर **भारत की बाज़ार पहुँच को सीमित करते हैं**।
  - बांग्लादेशी परिधान आयात पर भारत द्वारा लगाए गए **पारस्परिक-प्रतिबंधों से दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव** बढ़ गया है।
- **बांग्लादेश में राजनीतिक अनिश्चितता:** अंतरिम सरकार की अस्पष्ट वैधता के कारण **द्विपक्षीय सहयोग और परियोजना क्रियान्वयन में विलंब** हो रहा है।
  - राजनीतिक अस्थिरता विकास पहलों और क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा डालती है।
- **जन-जन समन्वय में व्यवधान:** सार्वजनिक परिवहन का निलंबन और वीज़ा संबंधी जटिलताओं के कारण **सीमा पार सांस्कृतिक एवं सामाजिक आदान-प्रदान में कमी** आती है।
  - **चिकित्सा पर्यटन** और शैक्षिक संपर्कों में गिरावट आई है, जिससे ज़मीनी स्तर पर द्विपक्षीय संबंध कमज़ोर हुए हैं।
- **जल विज्ञान और पर्यावरण संबंधी चुनौतियाँ:** समन्वित जल संसाधन प्रबंधन के अभाव से बाढ़ और सूखे की संभावना बढ़ गई है।
  - ये पारिस्थितिकीय चिंताएँ **संवहनीय सीमापार नदी उपयोग के लिये तत्काल सहकारी तंत्र की मांग** करती हैं।

भारत-बाँग्लादेश संबंध कैसे मज़बूत किये जा सकते हैं?

- **CEPA वार्ता आरंभ करना: व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA)** पर शीघ्र वार्ता की शुरुआत व्यापार सुगमता को संस्थागत रूप देगी तथा आर्थिक संबंधों को मज़बूत करेगी।
  - CEPA टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं का समाधान कर सकता है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
- **विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) को क्रियाशील बनाना:** बाँग्लादेश के विशेष आर्थिक क्षेत्रों का शीघ्र विकास और संचालन भारतीय निवेश को आकर्षित करेगा तथा आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देगा।
  - SEZ औद्योगिक सहयोग तथा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देंगे।
- **जल-विभाजन संधियों को अंतिम रूप देना:** तीस्ता जल बँटवारा संधि को अंतिम रूप देना दीर्घकालिक जल-राजनीतिक विवादों के समाधान के लिये अत्यंत आवश्यक है।
  - संयुक्त नदी आयोग को अंतरिम ढाँचे स्थापित करने चाहिये, जो जल वितरण में समानता सुनिश्चित करें।
- **ऊर्जा और विद्युत सहयोग का विस्तार:** संयुक्त विद्युत परियोजनाओं और विद्युत व्यापार को व्यापक बनाना आवश्यक है ताकि बाँग्लादेश की तेज़ी से बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
  - **संयुक्त कार्य समूह** जैसे संस्थागत तंत्र को ग्रिड इंटरकनेक्शन और आपूर्ति की प्रक्रिया को तीव्र करना चाहिये।
- **संपर्क पहल को गति देना: रेल, सड़क और अंतर्देशीय जलमार्ग** परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना आवश्यक है ताकि व्यापार और जनसंपर्क को बढ़ावा मिल सके।
  - विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार बेहतर कनेक्टिविटी से **भारत के निर्यात में 172% की वृद्धि की संभावना** है।
- **क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय सहयोग को सशक्त करना:** बाँग्लादेश को **BIMSTEC, SAARC और IORA जैसे मंचों** में क्षेत्रीय धुरी के रूप में स्थापित किया जाना चाहिये।
  - यह साझा हितों को बढ़ावा देगा और **दक्षिण-दक्षिण सहयोग** को मज़बूत करेगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **विकास साझेदारी ढाँचे में सुधार:** भारत की विकास सहायता के दायरे, पहुँच और प्रभाव को बढ़ाने के लिये एक नया समझौता स्थापित किया जाना चाहिये।
  - निरंतर साझेदारी से सतत् और पारस्परिक रूप से लाभकारी परियोजनाएँ सुनिश्चित की जा सकती हैं।
- **सीमापार आव्रजन और सीमा प्रबंधन का डिजिटलीकरण:** स्थानीय स्तर पर पारदर्शी और कुशल आव्रजन प्रक्रियाओं के लिये डिजिटल उपकरणों को लागू किया जाना चाहिये।
  - यह सुरक्षा में सुधार, वैध आवागमन में आसानी और अनियमित प्रवासन में कमी लाने में सहायक होगा।
- **सांस्कृतिक और युवा आदान-प्रदान को बढ़ावा देना:** सांस्कृतिक केंद्रों, छात्रवृत्ति कार्यक्रमों और युवा प्रतिनिधिमंडलों का विस्तार किया जाना चाहिये ताकि आपसी संबंधों में गहराई आये।
  - **जनकेंद्रित पहलें** सरकारों की कूटनीति से परे सौहार्द और विश्वास को सुदृढ़ बनाती हैं।
- **अल्पसंख्यक अधिकारों और सामाजिक स्थिरता पर ध्यान देना:** आंतरिक शांति और द्विपक्षीय विश्वास बनाए रखने के लिये अल्पसंख्यक संरक्षण पर सक्रिय सहयोग आवश्यक है।
  - मानवाधिकारों का सम्मान लंबे समय तक सतत् और स्थिर द्विपक्षीय संबंधों के लिये अनिवार्य है।

निष्कर्ष

भारत-बांग्लादेश संबंधों को बनाए रखने के लिये **संतुलित कूटनीति, सक्रिय भागीदारी और व्यापार, सुरक्षा एवं कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता** है। लोगों के बीच संबंधों को गहरा करते हुए राजनीतिक अनिश्चितताओं और बाह्य प्रभावों से यथोचित रूप से निपटना आपसी विकास एवं क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करेगा। दक्षिण एशिया के उभरते परिदृश्य में साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिये रणनीतिक सहयोग आवश्यक है।

■■■

रसद दक्षता: भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति का आधार

यह एडिटोरियल 20/05/2025 को द फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित "A key driver of India's economic ambitions" पर आधारित है। यह लेख भारत की वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्द्धात्मकता को सुदृढ़ करने में लॉजिस्टिक्स/रसद क्षेत्र की दक्षता की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है, विशेष रूप से बदलते हुए अमेरिकी शुल्कों और वर्ष 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य की भारत की आकांक्षा की पृष्ठभूमि में।

भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है क्योंकि **देश एक वैश्विक विनिर्माण शक्ति में तब्दील होने और** वर्ष 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के अपने **महत्त्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने की आकांक्षा** रखता है। भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, बदलते व्यापार गतिशीलता और आपूर्ति श्रृंखला पुनर्गठन द्वारा परिवर्तित विश्व में, लॉजिस्टिक्स दक्षता व्यापार प्रतिस्पर्द्धा के लिये एक अपरिहार्य स्तंभ के रूप में उभरी है। तेज़ी से आधुनिकीकरण, बुनियादी अवसंरचना के एकीकरण और नीतिगत सुसंगतता के माध्यम से **भारत के लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने की आवश्यकता** बढ़ गई है, जो **घरेलू क्षमताओं को वैश्विक बाज़ार की मांगों के साथ संरेखित** करने की आवश्यकता से उत्प्रेरित है।

यद्यपि PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) **और** लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (LDB) जैसी पहलों ने एक मज़बूत नींव रखी है, फिर भी खंडित मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, अविकसित बंदरगाह-आधारित औद्योगिक क्षेत्र एवं तकनीक-संचालित **लॉजिस्टिक्स संचालन में कौशल अंतराल जैसी चुनौतियाँ** बनी हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल के लिये सेक्टर-विशिष्ट लॉजिस्टिक्स पार्क से लेकर AI-संचालित सीमा शुल्क प्रणालियों तक के रणनीतिक हस्तक्षेप **इन अंतरालों को समाप्त करने** और **उभरते वैश्विक व्यापार अवसरों का लाभ उठाने के लिये आवश्यक** हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

वैश्विक व्यापार में लॉजिस्टिक्स का रणनीतिक महत्त्व क्या है?

- **व्यापार प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा देना:** कुशल लॉजिस्टिक्स प्रणालियाँ लागत को कम करके, विश्वसनीयता में सुधार करके और डिलीवरी समय में तेज़ी लाकर सीधे तौर पर किसी **देश की व्यापार प्रतिस्पर्द्धात्मकता** को बढ़ाती हैं।
  - विश्व बैंक के अनुसार, **लॉजिस्टिक्स में सुधार से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार को 15% तक बढ़ाया जा सकता है।**
  - उदाहरण के लिये, **अबू धाबी का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र उसके सकल घरेलू उत्पाद में 10% से अधिक का योगदान** देता है और **100,000 से अधिक नौकरियों का सृजन** करता है, जो दर्शाता है कि किस प्रकार **सुदृढ़ लॉजिस्टिक्स** आर्थिक विकास एवं वैश्विक बाज़ार तक पहुँच को बढ़ावा देता है।
- **निर्यात वृद्धि को सक्षम बनाना:** जैसे-जैसे व्यापार की मात्रा बढ़ती है, क्षेत्र-विशिष्ट लॉजिस्टिक्स पार्क और उन्नत बंदरगाह परिचालन जैसी **लॉजिस्टिक्स क्षमता का निर्माण आवश्यक** हो जाता है।
  - भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र, जिसका मूल्य वर्ष 2023 में 338 बिलियन अमेरिकी डॉलर था तथा **वर्ष 2030 तक 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान** है, इसके निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये आधारशिला है।
  - मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट SEZ जैसी पहल, जो **भंडारण एवं परिवहन को एकीकृत करती है,** ने निर्यात प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है और समय को कम किया है।
- **उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** AI, IoT और **रियल टाइम ट्रैकिंग** जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने से गति, पारदर्शिता एवं दक्षता में वृद्धि करके लॉजिस्टिक्स में बदलाव आया है।
  - विश्व व्यापार संगठन (WTO) **का अनुमान** है कि **डिजिटल व्यापार सुविधा से व्यापार लागत में 14.3% की कमी** आ सकती है।
  - Amazon और JusLink जैसी कंपनियाँ इन्वेंट्री को अनुकूलित करने तथा विलंब को कम करने के लिये पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण एवं स्वचालन का उपयोग करती हैं, जिससे डिलीवरी तेज़ व अधिक विश्वसनीय हो जाती है।
- **बुनियादी अवसंरचना को मज़बूत करना: मल्टीमॉडल परिवहन नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स पार्क और बंदरगाह आधारित औद्योगिक क्षेत्रों** में निवेश लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने तथा विनिर्माण विकास को समर्थन देने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - भारत सरकार ने सत्र 2024-25 में लॉजिस्टिक्स बुनियादी अवसंरचना के लिये 132.85 बिलियन अमरीकी डॉलर आवंटित किये, जिसमें राजमार्गों, रेलवे और वेयरहाउसिंग पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  - **चीन के बंदरगाह-औद्योगिक क्लस्टर मॉडल,** जिसे **भारत के सागरमाला कार्यक्रम में दोहराया गया** है, ने दर्शाया है कि **बंदरगाहों** को विनिर्माण केंद्रों के साथ एकीकृत करने से निर्यात लागत कम हो सकती है तथा दक्षता में सुधार हो सकता है।
- **कुशल कार्यबल और नवाचार का निर्माण: आधुनिक, प्रौद्योगिकी-संचालित लॉजिस्टिक्स के प्रबंधन के लिये डिजिटल रूप से कुशल कार्यबल** और एक मज़बूत नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र आवश्यक है।
  - **पाँच वर्षों में 2 मिलियन युवाओं को लॉजिस्टिक्स में कुशल बनाने की भारत की पहल** का उद्देश्य डिजिटल एवं तकनीकी विशेषज्ञता की उद्योग की मांग को पूरा करना है।
  - वैश्विक स्तर पर, लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप और सार्वजनिक-निजी भागीदारी स्वचालन, पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण एवं आपूर्ति शृंखला अनुकूलन में नवाचार को बढ़ावा दे रही हैं।

भारत में लॉजिस्टिक्स के विकास की गति के उत्प्रेरक क्या हैं?

- **बढ़ता निर्यात-आयात व्यापार:** वैश्विक व्यापार में भारत की बढ़ती भूमिका स्पष्ट है, जिसमें सत्र 2022-23 में व्यापारिक आयात **16.51% बढ़कर 714.24 बिलियन अमरीकी डॉलर** और निर्यात 6.03% बढ़कर 447.46 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

भारत में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की स्थिति

- **आर्थिक महत्त्व और रोज़गार:** भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र **सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 14.4% का योगदान** देता है और 22 मिलियन से अधिक लोगों की **आजीविका का आधार** है।
- **बाज़ार का आकार और संरचना:** वर्ष 2019 में, **लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का मूल्य 15.1 लाख करोड़ रुपए (USD 190 बिलियन)** था, जिसमें से 99% असंगठित था, जिसमें छोटे ट्रक मालिक, दलाल, गोदाम मालिक और माल भाड़ा विक्रेता शामिल थे।
- **प्रगति और डिजिटलीकरण:** भारत के लॉजिस्टिक्स सुधार **डिजिटल और सतत् व्यापार सुविधा** पर **UNESCAP के वैश्विक सर्वेक्षण** में इसके बढ़ते स्कोर में परिलक्षित होते हैं, जो वर्ष 2015 में 63.4% से **बढ़कर वर्ष 2021 में 90.3% हो गया है,** जो बढ़ी हुई व्यापार सुविधा एवं प्रौद्योगिकी अंगीकरण का संकेत देता है।
- **क्षेत्र संरचना:** इस क्षेत्र **में 37 निर्यात संवर्द्धन परिषदें,** 40 सहभागी सरकारी एजेंसियाँ (PGA), 20 सरकारी एजेंसियाँ शामिल हैं, यह 10,000 वस्तुओं का प्रबंधन करता है तथा इसमें 500 प्रमाणन शामिल हैं।

  - भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे जैसी पहल उन्नत समुद्री और बहुविध रसद सेवाओं की मांग को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ा रही हैं।

- **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP):** सितंबर 2022 में **शुरू की गई NLP का लक्ष्य वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक्स लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 13-14% से घटाकर वैश्विक औसत 8% तक लाना** है।
  - इस नीति का उद्देश्य विनियमनों को सरल बनाना, सहयोग को बढ़ावा देना तथा पूरे क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अंगीकरण को बढ़ावा देना है।
- **बुनियादी अवसंरचना का विकास:** PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, समर्पित माल ढुलाई गलियारा (DFC) और राष्ट्रीय बुनियादी अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) (वित्त वर्ष 2020-25 के लिये 111 लाख करोड़ रुपए आवंटित) जैसी परियोजनाओं के तहत बड़े पैमाने पर निवेश ने राजमार्गों, रेलवे, बंदरगाहों एवं हवाई अड्डों में सुधार करके कनेक्टिविटी को बढ़ाया है, जिससे पारगमन समय व लागत कम हो गई है।
- **एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP):** ULIP एक **डिजिटल गेटवे** के रूप में कार्य करता है जो **30 से अधिक सरकारी लॉजिस्टिक्स प्रणालियों को एकीकृत करता है,** जिससे वास्तविक काल में वस्तु परिवहन की ट्रैकिंग और HSN कोड-स्तरीय वस्तु प्रवाह दृश्यता संभव होती है।
  - यह **मानकीकृत राष्ट्रव्यापी अनुप्रयोगों के विकास का समर्थन** करता है जो आपूर्ति श्रृंखला दक्षता, उत्पादन योजना और अंतिम-मील वितरण में सुधार करते हैं।
- **लॉजिस्टिक्स डाटा बैंक (LDB):** समर्पित माल गलियारों सहित प्रमुख सड़क और रेल मार्गों पर स्थापित लगभग 3,000 RFID रीडरों के साथ, **LDB विस्तृत कंटेनर आवागमन डेटा** एकत्र करता है।
  - LDB से प्राप्त विश्लेषण से **बंदरगाहों पर रुकने का समय, पारगमन गति और राज्यों में प्रदर्शन बेंचमार्किंग की जानकारी** मिलती है, जिससे बाधाओं की पहचान करने तथा बुनियादी अवसंरचना में सुधार के लिये मार्गदर्शन मिलता है।
- **ई-कॉमर्स बूम और लास्ट-माइल डिलीवरी: भारत का ई-कॉमर्स बाज़ार 27% CAGR से बढ़ने का अनुमान** है, जो **वर्ष 2026 तक 163 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच जाएगा,** जिससे कुशल लास्ट-माइल डिलीवरी की मज़बूत मांग बढ़ेगी।
- इस वृद्धि के कारण विशेषीकृत लॉजिस्टिक्स फर्मों और तकनीक-संचालित समाधानों का उदय हुआ है, जिसमें **कोविड-19 के बाद** ऑनलाइन शॉपिंग **के बढ़ते चलन के दौरान डेलीवरी जैसी कंपनियाँ विकसित** हो रही हैं।
- **प्रौद्योगिकी अंगीकरण और डिजिटल परिवर्तन: डिजिटलीकरण,** मार्ग अनुकूलन, पूर्वानुमानित रखरखाव और रियल टाइम ट्रैकिंग के लिये **AI, IoT, ब्लॉकचेन एवं डेटा एनालिटिक्स** के माध्यम से **दक्षता, पारदर्शिता व नवाचार को बढ़ावा देकर** भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को बदल रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **परिवहन, सीमा शुल्क और तकनीकी प्रबंधन में डिजिटल रूप से कुशल श्रमिकों की बढ़ती मांग, स्वचालन एवं आपूर्ति शृंखला दृश्यता में विशेषज्ञता रखने वाले** स्टार्टअप्स व IT प्रदाताओं के लिये विकास के अवसरों को बढ़ा रही है।

भारत के लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **बुनियादी अवसंरचना का अभाव:** भारत की लॉजिस्टिक्स व्यवस्था **अकुशल लास्ट माइल कनेक्टिविटी और अविकसित परिवहन नेटवर्क से ग्रस्त** है, जिसके कारण विलंब एवं उच्च लागत की स्थिति उत्पन्न होती है।
  - **डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर** और मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जैसी परियोजनाएँ **भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंजूरी** एवं प्रशासनिक विलंब के कारण धीमी प्रगति का सामना कर रही हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **सड़कें 66% माल ढुलाई का काम** संभालती हैं, जिससे **भीड़भाड़** होती है, जबकि अंतर्देशीय जलमार्ग जैसे सस्ते, हरित साधनों का उपयोग कम होता है।

- **विनियमन और अनुमोदन में विलंब:** कई मंत्रालयों में **जटिल और ओवरलैपिंग विनियमन** लॉजिस्टिक्स पार्क विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। व्यवसायों को कई अधिनियमों का अनुपालन करना पड़ता है तथा विभिन्न अंतर-राज्यीय नियमों का सामना करना पड़ता है, जिससे विलंब और लागत बढ़ती है।
  - यद्यपि **PM गति शक्ति का उद्देश्य समन्वय में सुधार करना** है, फिर भी **नियामक विखंडन के कारण 20-25% तक रसद में विलंब** होता है।

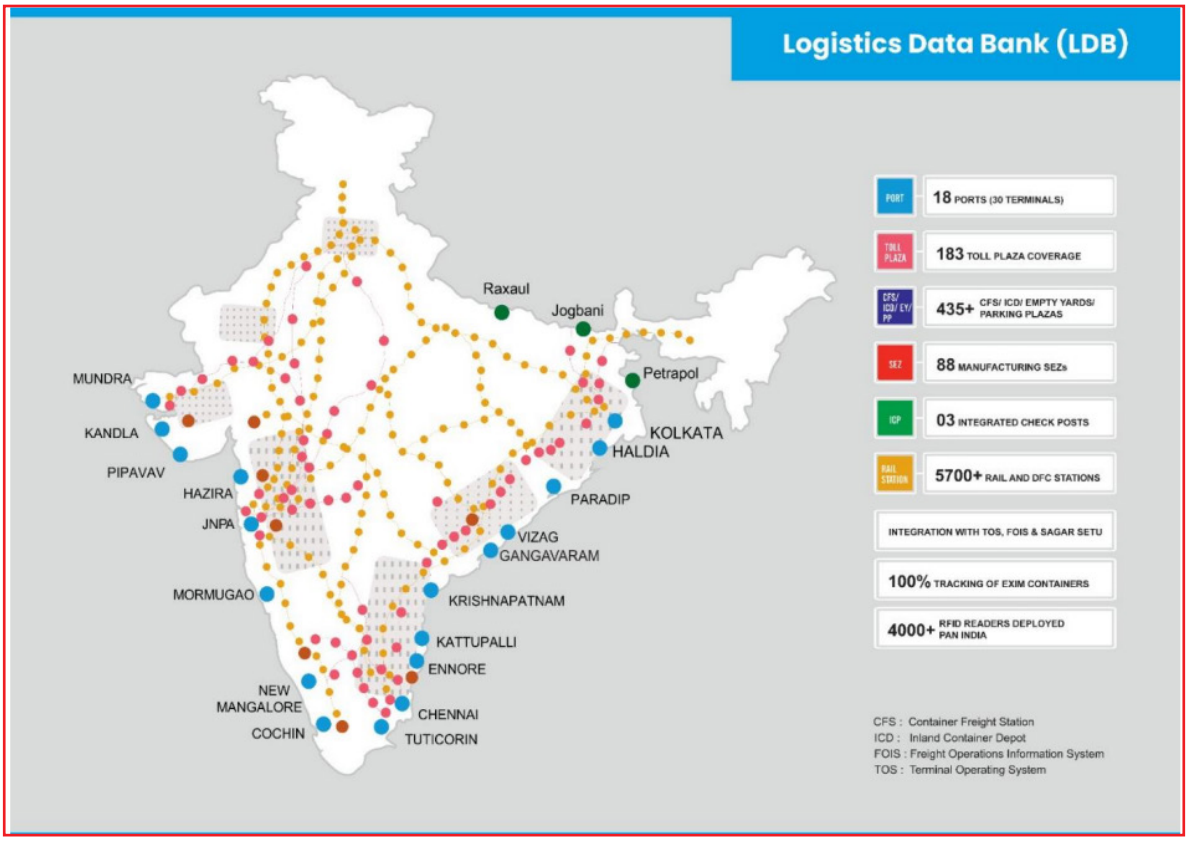

- **डिजिटल एकीकरण जटिलता:** एजेंसियों में डेटा और सिस्टम एकीकरण **खंडित** है, जिससे **वास्तविक काल दृश्यता** एवं आपूर्ति शृंखला दक्षता सीमित हो जाती है।
  - बाज़ार का केवल 5.5-6% हिस्सा ही संगठित और तकनीक-सक्षम है। **छोटे भागीदारों के पास RFID, IoT और ब्लॉकचेन जैसे उपकरणों तक एक्सेस नहीं** है, जिससे **समग्र उत्पादकता कम** हो जाती है।

- **कौशल की कमी:** अधिकांश लॉजिस्टिक्स **कार्यबल असंगठित** है और उनमें **आधुनिक प्रौद्योगिकियों एवं पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) प्रथाओं में प्रशिक्षण का अभाव** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- इससे उत्पादकता कम होती है और कार्यान्वयन स्थिति निम्नस्तरीय हो जाती है। इस क्षेत्र को **वर्ष 2030 तक 4.3 मिलियन अतिरिक्त कुशल श्रमिकों की आवश्यकता** है, खासकर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में।

- **खंडित आपूर्ति शृंखला समन्वय:** निर्माताओं, ट्रांसपोर्टरों, सीमा शुल्क और गोदामों के बीच अपर्याप्त समन्वय से **अकुशलता एवं विलंब** होता है।
  - **सड़कों पर अत्यधिक निर्भरता और मल्टीमॉडल एकीकरण की कमज़ोरी** लागत बचत एवं स्थिरता को सीमित करती है। उच्च रसद लागत और जटिल अनुपालन बोझ के कारण **MSME को सबसे ज़्यादा नुकसान** होता है।

लॉजिस्टिक्स सुधारों के माध्यम से निर्यात-आधारित विकास को बढ़ाने के उपाय क्या हैं?

- **लॉजिस्टिक्स पार्कों के विकास में तेज़ी लाना:** इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र और फुटवियर जैसे क्षेत्रों के लिये विनिर्माण केंद्रों के निकट **मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों (MMLP) के विकास में तेज़ी** लाने की आवश्यकता है।
  - इन **पार्कों में वेयरहाउसिंग, पैकेजिंग,** अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, सीमा शुल्क निकासी (**ICEGATE** जैसे **प्लेटफॉर्मों के माध्यम से**) और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी (रेल द्वारा फ्रेट कॉरिडोर एवं सड़क द्वारा भारतमाला) को एकीकृत किया जाना चाहिये।
  - यदि **औद्योगिक इकाइयों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों एवं माल ढुलाई ग्रामों** (जैसे, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण SEZ) **के समीप स्थापित किया जाए,** तो इससे वस्तुओं का कुशल संकेंद्रण संभव हो सकेगा, जिससे परिवहन लागत में कमी आएगी तथा **बड़े पैमाने पर उत्पादन और वितरण की आर्थिक लाभप्रदता** बढ़ेगी।
- **समर्थन और कौशल विकास को एकीकृत करना:** लॉजिस्टिक्स पार्कों के भीतर **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स कार्यबल विकास मिशन** के साथ जुड़े कौशल केंद्रों को शामिल किया जाना चाहिये।
  - डिजिटल लॉजिस्टिक्स, मल्टीमॉडल हैंडलिंग और ESG अनुपालन में मॉड्यूलर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिये ताकि **सक्षम कार्यबल का निर्माण किया जा सके,** विशेष रूप से **अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को कौशल** प्रदान किया जा सके। परिचालन उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिये व्यापार सुविधा और नवाचार केंद्रों को शामिल किया जाना चाहिये।
- **उन्नत प्रौद्योगिकी अंगीकरण: AI-संचालित सीमा शुल्क निकासी प्रणालियों को** लागू किया जाना चाहिये तथा ULIP और ई-लॉग जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लॉजिस्टिक्स परिचालन को डिजिटल बनाया जाना चाहिये।
  - रियल टाइम कार्गो ट्रैकिंग के लिये **एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म और लॉजिस्टिक्स सेवाओं के लिये एक राष्ट्रीय ई-मार्केटप्लेस** विकसित किया जाना चाहिये, जिससे लघु व मध्यम ऑपरेटरों को मार्गों का अनुकूलन करने तथा ONDC के माध्यम से शिपमेंट को समेकित करने में सक्षम बनाया जा सके।
  - हितधारकों का विश्वास बनाने और पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण को सक्षम करने के लिये मज़बूत **साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता सुनिश्चित** किया जाना चाहिये।
- **बुनियादी अवसंरचना और कनेक्टिविटी में सुधार: भारतमाला और सागरमाला परियोजनाओं का लाभ उठाते हुए** बंदरगाहों एवं हवाई अड्डों तक लास्ट-माइल कनेक्टिविटी में महत्त्वपूर्ण अंतराल को दूर किया जाना चाहिये।
  - **विद्युतीकरण और टर्मिनल विस्तार के माध्यम से रेल एवं अंतर्देशीय जलमार्ग माल ढुलाई क्षमता को बढ़ाना,** समर्पित माल और तटीय गलियारों का पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- इन उन्नयनों से **पारगमन समय में कमी आएगी तथा** मेक इन इंडिया और राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन को समर्थन मिलेगा।

- **बंदरगाह आधारित औद्योगिक क्षेत्रों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों को बढ़ावा देना:** सागरमाला के अंतर्गत बहु-उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्रों और बंदरगाह आधारित औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार किया जाना चाहिये, विनिर्माण, भंडारण एवं ट्रांसशिपमेंट गतिविधियों को सुविधाजनक बनाया जाना चाहिये।
  - **रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण स्थलों को प्राथमिकता** दी जानी चाहिये और उन्हें सार्वजनिक-निजी भागीदारी **(PPP) के माध्यम से विकसित** किया जाना चाहिये, विशेष रूप से उन स्थानों पर जहाँ वे **लॉजिस्टिक्स हब्स के साथ सह-स्थित हों ताकि पैमाने की अर्थव्यवस्था प्राप्त की जा सके।** नेटवर्क की योजना को बेहतर बनाने तथा भीड़-भाड़ के प्रबंधन हेतु ISRO, NIC और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के सहयोग से भू-स्थानिक विश्लेषण (geospatial analytics) का उपयोग किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

डिजिटल प्लेटफॉर्म, सेक्टर-विशिष्ट पार्क और कुशल कार्यबल विकास को एकीकृत करके, भारत वैश्विक मानकों के अनुरूप, **लॉजिस्टिक्स लागत को GDP के 14% से घटाकर 8% कर सकता है।** केंद्रित कार्यान्वयन के साथ, ये सुधार वैश्विक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक **में भारत की रैंकिंग** को बढ़ा सकते हैं और वर्ष 2047 तक 32 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था के विकसित भारत लक्ष्य **को आगे बढ़ा सकते हैं।**

■■■

पूर्वोत्तर भारत: परिधि से केंद्र तक

यह एडिटोरियल 26/05/2025 को द हिंदू में प्रकाशित "Frontier of progress: On the potential of the northeast" पर आधारित है। इस लेख में एक्ट ईस्ट नीति के तहत पूर्वोत्तर के रणनीतिक महत्त्व को रेखांकित किया गया है तथा इस क्षेत्र में जारी संघर्षों, सीमा विवादों और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बीच क्षेत्र-नेतृत्व वाले, समावेशी विकास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से राष्ट्र की विविधता का उदाहरण है। सरकार सेला सुरंग से लेकर पूर्वोत्तर गैस ग्रिड तक बड़े पैमाने पर बुनियादी अवसंरचना के निवेश के साथ इस क्षेत्र को बदल रही है। हालाँकि **महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं,** जिनमें **नगालैंड में अवरुद्ध शांति प्रक्रिया, अंतर-राज्यीय सीमा विवाद,** जलविद्युत परियोजनाओं पर पर्यावरण संबंधी चिंताएँ और आप्रवासन संबंधी बयानबाज़ी से उत्पन्न **सामाजिक तनाव शामिल** हैं। एक्ट ईस्ट **नीति को वास्तव में सफल** बनाने के लिये, भारत को पूर्वोत्तर को अपनी मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने की आवश्यकता है और **विकास के ऐसे मॉडल को प्राथमिकता** देनी चाहिये **जिसका नेतृत्व यह क्षेत्र स्वयं कर सके।**

भारत के विकासात्मक परिदृश्य में पूर्वोत्तर क्षेत्र का क्या महत्त्व है?

- **भारत की सुरक्षा और विदेश नीति के लिये रणनीतिक भू-राजनीतिक धुरी:** भारत की पूर्वी सीमा के रूप में **पूर्वोत्तर का भूगोल चीन, म्याँमार, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा** करता है, जो इसे **चीनी प्रभाव का मुकाबला** करने तथा देश की **क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने की दृष्टि से एक अग्रिम पंक्ति का रणनीतिक क्षेत्र** बनाती है।
  - ट्राई-जंक्शन के निकट डोकलाम गतिरोध- 2017 (ऑपरेशन जुनिपर) ने **चिकन्स नेक की भेद्यता** को रेखांकित किया।
  - इस प्रकार, इस **क्षेत्र की स्थिरता** सीधे तौर पर **भारत की हिंद-प्रशांत महत्त्वाकांक्षाओं और सीमा सुरक्षा अनिवार्यताओं से जुड़ी हुई** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **अप्रयुक्त हाइड्रोकार्बन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता:** पूर्वोत्तर का **विशाल प्राकृतिक संसाधन आधार** (जिसमें **जलविद्युत क्षमता के साथ-साथ पर्याप्त तेल और प्राकृतिक गैस भंडार** शामिल हैं), इसे **भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और ऊर्जा सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण** बनाता है।
  - उदाहरण के लिये, पूर्वोत्तर में अनुमानत: **7,600 मिलियन मीट्रिक टन तेल समतुल्य (MMTOE)** है, लेकिन अभी तक **केवल 2,000 MMTOE का ही अन्वेषण हो पाया** है।
    - अकेले अरुणाचल प्रदेश में **50,000 मेगावाट से अधिक जलविद्युत क्षमता** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **क्षेत्रीय एकीकरण के लिये उत्प्रेरक के रूप में सांस्कृतिक विविधता:** 135 से अधिक जनजातियों के साथ, **पूर्वोत्तर भारत की जातीय-सांस्कृतिक बहुलता इसकी विशिष्ट पहचान** को रेखांकित करती है और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ **सीमा पार सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा** देने में भारत को एक विशिष्ट लाभ प्रदान करती है।
  - पूर्वोत्तर महोत्सव जैसी पहलों के माध्यम से **स्वदेशी हस्तशिल्प, पारंपरिक त्योहारों और जनजातीय कला को बढ़ावा** देने से स्थानीय आजीविका में वृद्धि होती है तथा भारत के बहुलवादी चरित्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया जाता है।
  - उदाहरण के लिये, दिल्ली में **नॉर्थ-ईस्ट फेस्टिवल- 2022 में 100 MSME ने भाग लिया,** जिससे **हस्तशिल्प निर्यात और पर्यटन को काफी बढ़ावा** मिला।
- **पारिस्थितिक महत्त्व:** भारत-बर्मा जैव-विविधता हॉटस्पॉट में स्थित, पूर्वोत्तर का समृद्ध वन क्षेत्र (भारत की वन स्थिति रिपोर्ट- 2023 में वन क्षेत्र के मामले में अरुणाचल प्रदेश भारत में दूसरे स्थान पर है) और स्थानिक प्रजातियाँ **जैसे:** हूलॉक गिब्बन (भारत का एकमात्र वानर), एक सींग वाला गैंडा एवं **लुप्तप्राय रेड पांडा** पारिस्थितिक संतुलन व जलवायु अनुकूलन के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- इस **क्षेत्र में दुर्लभ ऑर्किड, 850 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ** पाई जाती हैं तथा यह प्रवासी वन्य जीवन के लिये एक महत्त्वपूर्ण गलियारे के रूप में कार्य करता है, जो **भारत की जैव-विविधता और कार्बन पृथक्करण प्रयासों में इसके महत्त्व** को रेखांकित करता है।

भारत की एक्ट ईस्ट नीति और क्षेत्रीय व्यापार के लिये आर्थिक प्रवेशद्वार: भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग **तथा कंबोडिया और वियतनाम तक प्रस्तावित विस्तार** जैसी पूर्वोत्तर की संपर्क परियोजनाएँ इसे **भारत को ASEAN बाज़ारों से जोड़ने वाले एक महत्त्वपूर्ण केंद्र** के रूप में स्थापित करती हैं, जो भारत के **5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था** बनने के दृष्टिकोण का समर्थन करती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- परिवहन और व्यापार संबंधों को मज़बूत करने से यह क्षेत्र पूर्वी एशिया के साथ वाणिज्य एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिये एक जीवंत गलियारे में परिवर्तित हो सकता है।

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **जातीय विखंडन और स्थायी उग्रवाद स्थिरता को कमज़ोर करते हैं:** लगातार **जातीय विखंडन हिंसक उग्रवाद और अंतर-समुदाय संघर्षों को बढ़ावा देता है,** शासन की वैधता को नष्ट करता है और विकास के प्रक्षेप पथ को बाधित करता है।
  - **प्रभावी सामंजस्य और राजनीतिक समायोजन का अभाव** अविश्वास और असुरक्षा के चक्र को कायम रखता है, जिससे निवेश और सामाजिक सामंजस्य में बाधा उत्पन्न होती है। **मणिपुर में चल रहा संघर्ष** इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार अनसुलझे जातीय शिकायतें क्षेत्र को अस्थिर बनाती हैं और आर्थिक प्रगति को अवरुद्ध करती हैं।
    - सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) का व्यापक स्तर पर क्रियान्वयन जारी है, जो लगातार सुरक्षा चुनौतियों को दर्शाता है।
- **बुनियादी अवसंरचना की कमी आर्थिक अलगाव को बढ़ाती है:** भौगोलिक चुनौतियों के साथ-साथ अपर्याप्त मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी **राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के साथ पूर्वोत्तर के एकीकरण में बाधा** डालती है।
  - **अविकसित सड़क, रेल, वायु तथा डिजिटल अवसंरचना** आपूर्ति शृंखला, स्वास्थ्य-सेवा सुगम्यता एवं आपदा प्रबंधन में बाधा डालती है, जिससे NLCPR व NESIDS जैसी रणनीतिक पहलों के बावजूद क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन और बढ़ रहा है।
  - **डिजिटल डिवाइड ग्रामीण आबादी** को मुख्यधारा के अवसरों से और अधिक हाशिये की ओर उत्प्रेरित करता है।
  - उदाहरण के लिये, **इंटरनेट एक्सेस 43% है, जो राष्ट्रीय औसत 55% से काफी कम** है। **राष्ट्रीय राजमार्ग विस्तार 4,950 किमी. (वर्ष 2014-23) तक पहुँच गया,** फिर भी रेल संपर्क अविकसित बना हुआ है।
- **संवेदनशील सीमाएँ सुरक्षा जोखिम को बढ़ाती हैं:** पूर्वोत्तर की 5,182 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ **संवेदनशील और अपर्याप्त निगरानी** वाली बनी हुई हैं, जिससे अवैध आव्रजन, हथियारों की तस्करी एवं विद्रोही गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।
  - अकुशल फेंसिंग एवं समन्वय अंतराल क्षेत्रीय संप्रभुता से समझौता करते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय विद्रोह को बढ़ावा देते हैं, जिससे **बांग्लादेश और म्याँमार के साथ राजनयिक संबंध जटिल** हो जाते हैं। यह कमज़ोरी भारत की आंतरिक सुरक्षा संरचना के लिये एक रणनीतिक चिंता बनी हुई है।
  - उदाहरण के लिये, **भारत-म्याँमार सीमा पर फेंसिंग का कार्य अपूर्ण** है, जिससे **सीमा पार आवागमन** (रोहिंग्याओं की तरह) **जारी** है।
- **पर्यावरणीय संघर्षों से उत्पन्न विसंगति:** आलोचकों का तर्क है कि **मज़बूत पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के बिना पनबिजली एवं खनन परियोजनाओं** के आक्रामक कार्यान्वयन से स्थानीय प्रतिरोध उत्पन्न हुआ है, जिससे आर्थिक विकास और पारिस्थितिकी संरक्षण के बीच तनाव उजागर हुआ है।
  - उदाहरण के लिये, सियांग नदी तट पर नियोजित मेगा जलविद्युत परियोजना ने स्थानीय समुदायों में आक्रोश उत्पन्न कर दिया है, जिससे उन्हें विस्थापन, पर्यावरणीय क्षरण और सांस्कृतिक अवमूल्यन का डर है।
- **भूमि की कमी और अंतर्राज्यीय सीमा विवाद:** जनसंख्या दबाव और **अस्पष्ट भूमि स्वामित्व के कारण तनाव एवं अंतर्राज्यीय सीमा विवाद बढ़ता है,** जिससे विकास परियोजनाओं तथा सामाजिक सद्भाव में बाधा उत्पन्न होती है।
  - विवादों को सुलझाने के लिये **विभिन्न आयोग** गठित किये गए हैं, लेकिन उनसे बहुत कम प्रगति हुई है।
    - उदाहरण के लिये, **असम-मेघालय विवाद में मेघालय ने न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ समिति की रिपोर्ट की सिफ़ारिशों को खारिज़ कर दिया,** जबकि असम ने उन्हें स्वीकार कर लिया था। इसी तरह, वर्ष 2014 में भी **असम ही प्रस्तावित समाधान से असहमत** था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **मानव तस्करी और मादक पदार्थों के दुरुपयोग का संकट:** पूर्वोत्तर क्षेत्र अपनी **भेद्य सीमाओं और रणनीतिक स्थान के कारण** मानव तस्करी, **विशेषकर महिलाओं और बच्चों की तस्करी का केंद्र** है।
  - तस्करी के नेटवर्क प्राय: **व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध सिंडिकेट** से जुड़े होते हैं। इसके अलावा, इस क्षेत्र में **मादक दवाओं के दुरुपयोग का संकट** बढ़ रहा है, जिसमें **ओपिओइड** (अफीम के पौधे में पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ) और **अन्य मादक पदार्थों की तस्करी भेद्य सीमाओं के पार** की जा रही है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी चिंताएँ बढ़ रही हैं।
    - मादक पदार्थों के दुरुपयोग का संकट **HIV के मामलों में भी वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है,** क्योंकि दूषित सुइयों के उपयोग और असुरक्षित दवा प्रथाओं से वायरस फैलता है।
  - उदाहरण के लिये, **मणिपुर राज्य में अफीम उत्पादन में खतरनाक वृद्धि देखी** जा रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर नशे की लत की समस्या और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियाँ दोनों बढ़ रही हैं।

आर्थिक प्रगति में पूर्वोत्तर को मुख्यधारा में लाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **शांति स्थापना को मज़बूत करना और स्वदेशी समुदायों के लिये मान्यता को औपचारिक बनाना:** संवाद, विकास और विश्वास निर्माण के माध्यम से उग्रवाद से निपटने के लिये **स्थानीय हितधारकों, सुरक्षा बलों एवं नागरिक समाज को शामिल करते हुए व्यापक शांति स्थापना पहल** को लागू किया जाना चाहिये।
  - **लोकुर समिति** की सिफारिशों के बाद स्वदेशी समुदायों की औपचारिक मान्यता में तेज़ी लाई गई, **जैसे सत्यापन के बाद योग्य जातीय समूहों (जैसे असम में मिसिंग, मोटोक और मोरन) को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा** दिया गया।
    - **लोकुर समिति** ने ऐसे समुदायों की पहचान के लिये पाँच मानदंड सुझाए थे: **आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े समुदाय के साथ संवाद स्थापित करने की अनिच्छा एवं समग्र सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन।**
- **मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और डिजिटल अवसंरचना को मज़बूत करना:** भौगोलिक अलगाव को दूर करने के लिये विस्तृत डिजिटल नेटवर्क के साथ **सड़कों, रेलवे, अंतर्देशीय जलमार्गों और हवाई अड्डों** के एकीकृत विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
  - क्षेत्र-विशिष्ट अवसंरचना गलियारों का क्रियान्वयन किया जाना चाहिये जो **स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को राष्ट्रीय और आसियान बाज़ारों से जोड़ते हैं,** आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बढ़ाते हैं तथा लेनदेन लागत को कम करते हैं।
    - निर्बाध परिवहन गलियारे बनाने के लिये राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) जैसी भौतिक संपर्क परियोजनाओं को PM गति शक्ति मास्टर प्लान के साथ एकीकृत किया जाना चाहिये।
  - शहरी-ग्रामीण अंतराल को दूर करने और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिये **ग्रामीण ब्रॉडबैंड एवं ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्मों** के माध्यम से **डिजिटल इन्क्लूज़न को तीव्र** किया जाना चाहिये।
- **समावेशी और सहभागी शासन मॉडल को बढ़ावा देना:** PM-DevINE **योजना के आधार पर** दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) **जैसी योजनाओं के साथ पंचायती राज संस्थाओं** के संवर्द्धित अभिसरण के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाकर विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  - इससे **समुदाय-आधारित विकास संभव होगा,** सामाजिक-सांस्कृतिक संवेदनशीलताओं का सम्मान सुनिश्चित होगा तथा मुख्यधारा की आर्थिक योजना में ज़मीनी स्तर के प्रतिनिधित्व को भी शामिल किया जा सकेगा।
- **संधारणीय और पर्यावरण-संवेदनशील औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना:** नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण-पर्यटन, जैविक कृषि और वन-आधारित सूक्ष्म उद्यमों जैसे हरित उद्योगों को

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, **जो जैवविविधता से समझौता किये बिना पूर्वोत्तर की पारिस्थितिक संपदा का लाभ** उठाते हैं।

- कठोर पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को संस्थागत बनाए जाने चाहिये और चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रथाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, ताकि विकास एवं संरक्षण के उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाते हुए संवहनीयता को आर्थिक विकास के साथ एकीकृत किया जा सके।

- **उभरते आर्थिक क्षेत्रों के अनुरूप कौशल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना: कृषि प्रसंस्करण और स्वास्थ्य सेवा** जैसी स्थानीय शक्तियों के अनुरूप विशेष व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र शुरू किये जाने चाहिये।
  - **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) को आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम के साथ** जोड़ते हुए कौशल केंद्र बनाए जाने चाहिये, जिसका ध्यान पूर्वोत्तर राज्यों पर केंद्रित हो, ताकि कृषि प्रसंस्करण, पर्यटन और डिजिटल कौशल में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।
  - कार्यबल को भविष्य के लिये तैयार आर्थिक भागीदारी के लिये तैयार करने हेतु डिजिटल साक्षरता और नवाचार-संचालित पाठ्यक्रम को शामिल किया जाना चाहिये।
- **सीमा पार आर्थिक गलियारों और उप-क्षेत्रीय सहयोग को संस्थागत बनाना:** सीमा शुल्क सुविधा, रसद केंद्रों और मुक्त व्यापार क्षेत्रों के माध्यम से ASEAN देशों के साथ व्यापार एवं सांस्कृतिक संबंधों को औपचारिक बनाकर पूर्वोत्तर की रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाया जाना चाहिये।
  - क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने, विदेशी निवेश को आकर्षित करने तथा स्थानीय विनिर्माण और सेवाओं को प्रोत्साहित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिये **बिम्सटेक एवं भारत-म्याँमार-थाईलैंड राजमार्ग परियोजनाओं** जैसे ढाँचे को मज़बूत किया जाना चाहिये।
- **सांस्कृतिक और विरासत-आधारित उद्यमशीलता को बढ़ावा देना: रचनात्मक उद्योगों - हस्तशिल्प, वस्त्र, संगीत और त्यौहारों** को बढ़ावा देकर पूर्वोत्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का लाभ उठाया जाना चाहिये तथा उन्हें वैश्विक मूल्य शृंखलाओं से जोड़ना चाहिये।
  - **इनक्यूबेशन सेंटर और डिजिटल मार्केटप्लेस** स्थापित किया जाना चाहिये, जो कारीगरों और सांस्कृतिक उद्यमियों को सशक्त बनाएं, स्थायी आजीविका का निर्माण करें और भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाएं। प्रामाणिकता बनाए रखने के लिये व्यावसायीकरण के साथ-साथ कौशल संरक्षण की सुविधा प्रदान की जानी चाहिये।
- **जलवायु-अनुकूल कृषि और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देना:** किसानों की आय तथा संधारणीयता बढ़ाने के लिये **परिशुद्ध कृषि, जलवायु-अनुकूल कृषि और बागवानी एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों में मूल्य संवर्द्धन** को अपनाया जाना चाहिये।
  - **फसलों की कटाई के बाद होने वाली हानि को कम करने के लिये कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स और बाज़ार तक पहुँच** जैसे ग्रामीण बुनियादी अवसंरचना को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।
  - शहरी प्रवास के दबाव को कम करने वाली लचीली ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करने के लिये पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान को आधुनिक कृषि-तकनीक के साथ एकीकृत किया जाना चाहिये।
- **मादक पदार्थ निषेध हेतु व्यापक जागरूकता और पुनर्वास कार्यक्रम शुरू करना: सामुदायिक जागरूकता, शिक्षा और तस्करी के विरुद्ध कठोर प्रवर्तन को मिलाकर** बहुआयामी रणनीतियाँ लागू करके पूर्वोत्तर में बढ़ती मादक पदार्थों के दुरुपयोग की चुनौती का समाधान किया जाना चाहिये।
  - **प्रभावित क्षेत्रों के सांस्कृतिक संदर्भ के अनुरूप पुनर्वास और नशामुक्ति केंद्रों** की स्थापना की जानी चाहिये तथा पारंपरिक उपचार को आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिये।
  - युवाओं को कौशल विकास, खेल और परामर्श के माध्यम से शामिल किया जाना चाहिये, ताकि उन्हें मादक पदार्थों के

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

उपयोग के विकल्प उपलब्ध कराए जा सकें तथा परिवारों और समुदायों पर मादक पदार्थों के प्रभाव को कम करने वाले संधारणीय सामाजिक ढाँचे का निर्माण किया जा सके।

निष्कर्ष:

पूर्वोत्तर की वास्तविक क्षमता को उजागर करने के लिये, भारत को केवल बुनियादी अवसंरचना और सुरक्षा-केंद्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़ना होगा। इस क्षेत्र के सतत् भविष्य का मार्ग इसकी विशिष्ट पहचान को अंगीकृत करने तथा **युवाओं को 3T—व्यापार** (Trade), **पर्यटन** (Tourism) और **प्रशिक्षण** (Training) के माध्यम से सशक्त बनाने में निहित है। पूर्वोत्तर को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में रखकर, न केवल एक सीमांत क्षेत्र के रूप में, बल्कि एक धुरी के तौर पर भारत अपनी **'एक्ट ईस्ट' (Act East) नीति** को साकार कर सकता है तथा एक **अधिक समावेशी, सुरक्षित और जीवंत राष्ट्र का निर्माण** कर सकता है।

■■■

भारत में शहरी विकास पर पुनर्विचार की आवश्यकता

यह एडिटोरियल 26/05/2025 को द हिंदू में प्रकाशित "Why India needs a national plan for building new cities" पर आधारित है। इस लेख के तहत भारत में ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड शहरी रणनीतियों के बीच विसंगति को सामने लाया गया है, जो सतत् विकास सुनिश्चित करने और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये एकीकृत राष्ट्रीय शहरी योजना की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

भारत की शहरी विकास रणनीति अमरावती जैसे **ग्रीनफील्ड शहरों और मौजूदा शहरी केंद्रों में ब्राउनफील्ड सुधारों के बीच द्वंद्व से ग्रस्त** है, जिससे **निवेश प्राथमिकताओं व नियोजन दृष्टिकोणों को लेकर भ्रम** उत्पन्न होता है। इन दो प्रतिमानों के बीच विसंगति के कारण **नियोजन विफलताएँ, अनियंत्रित शहरी विस्तार और शहरों को अपने विरासत के बुनियादी अवसंरचना को प्रबंधित करने में भी संघर्ष** करना पड़ रहा है, तीव्र विकास को समायोजित करना तो दूर की बात है। शहरी निवेश में आठ गुना वृद्धि की आवश्यकता है तथा शहरों का प्रबंधन करना लगातार कठिन होता जा रहा है। ऐसे में भारत को तत्काल एक राष्ट्रीय योजना की आवश्यकता है जो विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये **आवश्यक सुव्यवस्थित एकीकृत शहरी नेटवर्क** बनाए।

भारत के तीव्र शहरी विकास के प्रमुख चालक क्या हैं?

- **जनांकिकीय परिवर्तन और ग्रामीण-शहरी प्रवास:** भारत में **शहरी क्षेत्रों में वृद्धि,** बेहतर आजीविका संभावनाओं और बढ़ी हुई शहरी सुविधाओं के कारण **निरंतर ग्रामीण-से-शहरी प्रवास से उत्प्रेरित** है।
  - इस प्रवासन से शहरों पर नौकरियाँ, आवास और बुनियादी अवसंरचना उपलब्ध कराने का दबाव बढ़ रहा है, जिससे शहरी विस्तार में तेज़ी आ रही है, साथ ही शासन के लिये भी चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं।
  - वर्ष 2036 तक **भारत की शहरी आबादी बढ़कर 600 मिलियन** (कुल आबादी का 40%) **हो जाने की उम्मीद** है, जबकि वर्ष 2011 में यह 31% थी, जो **एक बड़े जनांकिकीय बदलाव का संकेत** है।
- **संरचनात्मक आर्थिक परिवर्तन और क्षेत्रीय बदलाव:** कृषि से उद्योग एवं सेवाओं की ओर बदलाव से आर्थिक गतिविधियाँ शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हो जाती हैं, जिससे शहर विकास और नवाचार के इंजन बन जाते हैं।
  - वर्तमान में, **शहरी केंद्र सकल घरेलू उत्पाद में 63% का योगदान** देते हैं, जिसके **वर्ष 2030 तक 75% तक बढ़ने की उम्मीद** है, जो तेज़ी से बढ़ते IT, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों द्वारा उत्प्रेरित है।
  - **स्मार्ट सिटीज़ मिशन** जैसी सरकारी योजनाओं **द्वारा समर्थित टियर-2 और टियर-3 शहरों का उदय**, बड़े शहरों से परे विकास को विकेंद्रित कर रहा है तथा क्षेत्रीय आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा दे रहा है।
- **सुदृढ़ सरकारी शहरी नीति कार्यढाँचे और पहल:** स्मार्ट सिटीज़ मिशन **(8,000 से अधिक परियोजनाएँ),** AMRUT **और** PMAY-U जैसी महत्त्वाकांक्षी योजनाएँ शहरी बुनियादी अवसंरचना, आवास एवं शासन को आधुनिक बनाने के लिये लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप का उदाहरण हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- ये पहल **संवहनीयता, जलवायु अनुकूलन और नागरिक केंद्रित डिजिटल सेवाओं** पर ज़ोर देती हैं, जो तेज़ी से हो रहे शहरीकरण के प्रबंधन के लिये आवश्यक हैं।
- उनका उद्देश्य शहरी स्थानों को आर्थिक गतिविधि और सामाजिक समावेशन के केंद्रों में बदलना है, जो बुनियादी अवसंरचना के निर्माण से लेकर जीवन की गुणवत्ता में सुधार की ओर बदलाव को दर्शाता है।

- **तकनीकी एकीकरण और स्मार्ट शहरी समाधान: AI, IoT और बिग डेटा एनालिटिक्स** जैसी उभरती प्रौद्योगिकियाँ शहरी प्रबंधन में क्रांति ला रही हैं, दक्षता, पारदर्शिता एवं संवहनीयता को बढ़ावा दे रही हैं।
  - **परिवहन के लिये** पुणे द्वारा 90% **स्वच्छ ईंधन चालित बस में रूपांतरण** तथा वडोदरा में 10.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से एकीकृत कमांड सेंटर की स्थापना यह दर्शाती है कि **प्रौद्योगिकी-आधारित शासन** नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने एवं **पर्यावरणीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध** हो सकता है।
  - डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट यातायात प्रणालियाँ तथा स्मार्ट जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन, तीव्र शहरी विकास की जटिलताओं से निपटने में महत्त्वपूर्ण हैं।

- **राष्ट्रीय विकास रणनीति के रूप में शहरीकरण:** शहरी विकास भारत की **वर्ष 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की महत्त्वाकांक्षा** का केंद्र है, जिसमें शहर नवाचार केंद्र और रोज़गार के स्रोत बनेंगे।
  - अनुमान है कि **दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की जनसंख्या** वर्ष 2011 में 53 से बढ़कर **वर्ष 2030 तक 87 हो जाएगी,** जो तीव्र शहरी एकीकरण को दर्शाता है।
  - **'वोकल फॉर लोकल'** जैसी पहल का उद्देश्य **शहरी आर्थिक गतिशीलता को स्वदेशी उद्यमशीलता के साथ सामंजस्य** स्थापित करना, आत्मनिर्भरता तथा संवहनीयता का समर्थन करना तथा जलवायु हेतु प्रतिबद्धताओं के साथ विकास को संतुलित करना है।

भारत के शहरी परिदृश्य से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **बुनियादी अवसंरचना की कमी और सेवा वितरण में बाधाएँ:** भारत का शहरी बुनियादी अवसंरचना विकास जनांकिकीय वृद्धि की तुलना में काफी पीछे है, जिसके परिणामस्वरूप **आवास, पेयजल, स्वच्छता, परिवहन और ऊर्जा सेवाओं की गंभीर कमी** हो रही है।
  - कई शहरों में बुनियादी अवसंरचना पुरानी हो चुकी है तथा बढ़ती मांग को पूरा करने में असमर्थ है, जिसके कारण लगातार भीड़भाड़, अपर्याप्त स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न हो रहे हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- वर्ष 2011-18 के दौरान शहरी बुनियादी अवसंरचना में निवेश **सकल घरेलू उत्पाद का औसतन केवल 0.6% था, जो आवश्यक 1.2% का आधा** था, जो निरंतर वित्त पोषण अंतराल को दर्शाता है।
- स्मार्ट सिटीज़ मिशन के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों के बावजूद, **IMD स्मार्ट सिटी सूचकांक में कोई भी भारतीय मेट्रो विश्व स्तर पर शीर्ष 100 में स्थान नहीं बना पाया है,** जो अवसंरचना संबंधी अपर्याप्तताओं को उजागर करता है।

- **खंडित शहरी विकास एवं नियोजन विफलताएँ:** अमरावती जैसे ग्रीनफील्ड शहरी परियोजनाओं का विकास और पारंपरिक नगरों में ब्राउनफील्ड उन्नयन की प्रक्रिया के सह-अस्तित्व से शहरी विकास की रणनीतियाँ असंगत हो जाती हैं, जिससे नगर विस्तार अकुशल एवं अप्रभावी बनता है।
  - यह खंडित विकास **भूमि-उपयोग संघर्षों को बढ़ाता है, परिवहन लागत को बढ़ाता है तथा** अनियंत्रित शहरी विस्तार के कारण **पर्यावरण क्षरण को तीव्र करता है।**
  - अनुमान है कि **भारत के दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या वर्ष 2011 में 53 से बढ़कर वर्ष 2030 तक 87 हो जाएगी,** जिससे समेकित महानगरीय नियोजन कार्यढाँचे के अभाव में शहरी प्रशासन और बुनियादी अवसंरचना पर दबाव बढ़ेगा।
- **राजकोषीय बाधाएँ और निजी पूंजी का कम उपयोग:** शहरी स्थानीय निकाय सीमित राजस्व स्वायत्तता, अकुशल कर संग्रह और राज्य व केंद्रीय अंतरण पर निर्भरता के कारण वित्तीय रूप से विवश रहते हैं, जिससे आवश्यक सेवाओं एवं बुनियादी अवसंरचना को वित्तपोषित करने की उनकी क्षमता कमज़ोर हो जाती है।
  - जहाँ **शहरी अवसंरचना का 72% वित्तपोषण सरकारों द्वारा** किया जाता है, वहीं **निजी क्षेत्र की भागीदारी केवल 5% तक सीमित** है, जो यह दर्शाता है कि **वाणिज्यिक वित्त जुटाने में संरचनात्मक बाधाएँ** मौजूद हैं।
  - **नगर निगम बॉण्ड बाज़ार और नवोन्मेषी वित्तीय उपकरण अभी प्रारंभिक अवस्था में** हैं। पुणे और वडोदरा जैसी कुछ गिनी-चुनी सफलताएँ तो देखने को मिली हैं, परंतु संस्थागत कमज़ोरियों एवं जोखिम की धारणा के कारण इनका व्यापक स्तर पर प्रसार नहीं हो सका है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2036 तक **शहरी बुनियादी अवसंरचना के क्षेत्र में लगभग 840 अरब डॉलर की भारी वित्तीय कमी** बनी हुई है।
- **पर्यावरणीय तनाव और संसाधन प्रबंधन चुनौतियाँ:** भारतीय शहर बढ़ते पर्यावरणीय संकटों— **प्रदूषण, अपशिष्ट कुप्रबंधन, जल की कमी** एवं **जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता**, से जूझ रहे हैं जो **शहरी संधारणीयता और स्वास्थ्य के लिये खतरा** हैं।
  - **NITI आयोग की वर्ष 2019 की 'समग्र जल प्रबंधन सूचकांक'** (Composite Water Management Index) **रिपोर्ट** के अनुसार, भारत में लगभग 60 करोड़ लोग **गंभीर से अत्यंत गंभीर जल संकट का सामना** कर रहे हैं। देश के **कई शहरों को 'जल-संकटग्रस्त' या 'गंभीर रूप से जल-अभावग्रस्त' की श्रेणी में रखा गया** है।
  - सूरत का बड़े पैमाने पर अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और **धरमपुरी का समग्र जल प्रबंधन अनुकरणीय मॉडल** प्रस्तुत करते हैं, फिर भी अधिकांश शहरी केंद्रों में एकीकृत पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों का अभाव है, जिससे अपरिवर्तनीय पारिस्थितिक क्षति एवं संसाधन ह्रास का खतरा बना रहता है।
- **बढ़ती शहरी असमानता और सामाजिक अपवर्जन:** शहरीकरण ने सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को बढ़ा दिया है, **सीमांत समुदाय** अपर्याप्त आवास, स्वच्छता और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा तक सीमित पहुँच से **असमान रूप से प्रभावित** हैं।
  - **अनौपचारिक बस्तियों या मलिन बस्तियों में लाखों लोग निम्न स्तर की परिस्थितियों में रह रहे हैं,** जिससे वहाँ के निवासियों को **स्वास्थ्य संबंधी खतरों और आर्थिक कमज़ोरियों का सामना** करना पड़ रहा है।
  - यद्यपि **PMAY-U** ने लाखों लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराने में मदद की है। वर्ष 2020 में भारत की झुग्गी-झोपड़ियों की आबादी अभी भी 236 मिलियन

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

होने का अनुमान (UN-हैबिटेट 2021) था, जो बताता है कि इसकी लगभग आधी शहरी आबादी झुग्गियों में रहती है।

- **अपूर्ण डेटा प्रणाली और प्रत्युत्तरहीन शासन:** शहरी प्रबंधन की प्रभावशीलता में एक प्रमुख बाधा यह है कि व्यापक और **वास्तविक काल पर आधारित डेटा का अभाव** है। इसके कारण **नीति निर्माण साक्ष्य-आधारित नहीं** हो पाता और **शासन तंत्र समयानुकूल ढलने में असमर्थ** रहता है।
  - वर्ष 2023 के एक अध्ययन के अनुसार, भारत के कम से कम 39% **राजधानी शहरों में सक्रिय स्थानिक योजनाओं का अभाव** है।
  - **वडोदरा का एकीकृत कमांड सेंटर** और **पुणे की स्मार्ट मोबिलिटी परियोजनाएँ** प्रौद्योगिकी-संचालित शासन के लाभों को प्रदर्शित करती हैं, लेकिन कई शहरी स्थानीय निकायों में ऐसे नवाचारों को देशव्यापी स्तर पर लागू करने के लिये संस्थागत क्षमता एवं तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव है।

सतत् शहरी विकास के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **रणनीतिक बहुकेंद्रित शहरीकरण एवं महानगरीय एकीकरण:** बहुविधीय पारगमन गलियारों के माध्यम से उभरते उपग्रह कस्बों और शहरी समूहों को मुख्य शहरों के साथ जोड़कर बहुकेंद्रित शहरी विकास को लागू किया जाना चाहिये।
  - यह स्थानिक रणनीति, ग्रीनफील्ड शहर कार्यढाँचे को ब्राउनफील्ड पुनरोद्धार के साथ सामंजस्य स्थापित करके, शहरी विस्तार को कम कर सकता है, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ा सकती है और भूमि उपयोग दक्षता को अनुकूलित कर सकती है।
  - स्मार्ट सिटी मिशन और AMRUT कार्यक्रमों के बीच तालमेल का लाभ उठाने से **पारगमन-उन्मुख विकास (TOD)** तथा **मिश्रित-उपयोग ज़ोनिंग मॉडल** पर आधारित एक सुसंगत, स्केलेबल महानगरीय शासन मॉडल सक्षम होगा।
- **गहन राजकोषीय विकेंद्रीकरण एवं राजस्व नवाचार: नगरीय स्थानीय निकायों को** संपत्ति कर सुधार, भूमि मूल्य अभिग्रहण तंत्र और गतिशील उपयोग शुल्क जैसे नगरपालिका राजस्व स्रोतों का विस्तार करके **व्यापक राजकोषीय विकेंद्रीकरण के साथ सशक्त** बनाया जाना चाहिये, जो राजकोषीय ढाँचे के अनुरूप हों।
  - **ESG-लिंक्ड उपकरणों के माध्यम से नगरपालिका बॉण्ड बाज़ार को प्रोत्साहित** किया जाना चाहिये तथा परिणाम-आधारित प्रदर्शन अनुदान विकसित किया जाना चाहिये, जिससे **राजकोषीय अनुशासन, पारदर्शिता और सार्वजनिक-निजी सहयोग को प्रोत्साहन** प्राप्त हो तथा **समुत्थानशील बुनियादी ढाँचे में निवेश के लिये पूँजी** को आकर्षित किया जा सके।
- **एकीकृत शहरी शासन के लिये समग्र संस्थागत सुधार:** भूमि उपयोग, परिवहन, आवास और पर्यावरण प्रबंधन पर एकीकृत अधिदेश के साथ महानगरीय विकास प्राधिकरणों को संस्थागत बनाकर खंडित शासन संरचनाओं को पुन: स्थापित किया जाना चाहिये।
  - **74वें संशोधन** के अनुरूप सहायकता (subsidiarity) एवं सहकारी संघवाद के सिद्धांतों को शामिल किया जाना चाहिये, ताकि सशक्त और जवाबदेह नेतृत्व सुनिश्चित हो सके। इससे ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज समन्वय को एकीकृत किया जा सकेगा, प्रशासनिक संबंधी बाधाओं को तोड़ा जा सकेगा और नीति क्रियान्वयन को तीव्र किया जा सकेगा।
  - शहरी विकास पर स्थायी समिति (सत्र 2020-2021) की सिफारिश के बाद, **स्मार्ट सिटी प्रशासन में समावेशी भागीदारी को अनिवार्य बनाया गया है:**
    - स्थानीय सांसदों और निर्वाचित प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से शामिल करते हुए **स्मार्ट सिटी सलाहकार मंच की बैठकों का नियमित आयोजन** सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
    - उत्तरदायी शहरी शासन के लिये जवाबदेहिता एवं बहु-हितधारक सहयोग को मज़बूत किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **जलवायु-अनुकूली अवसंरचना एवं पारिस्थितिकीय तंत्र-आधारित शहरी समुत्थानशक्ति:** हरित भवन प्रमाणन, विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा अंगीकरण और शहरी जल-संवेदनशील डिज़ाइनों के माध्यम से शहरी अवसंरचना में जलवायु जोखिम को मुख्यधारा में लाया जाना चाहिये।
  - सूक्ष्म जलवायु विनियमन, तूफानी जल प्रबंधन और कार्बन पृथक्करण को बढ़ाने के लिये **पर्यावरण प्रणाली आधारित अनुकूलन रणनीतियों के साथ शहरी आर्द्रभूमि पुनर्स्थापन, हरित गलियारे एवं जैवविविधता को** प्राथमिकता दी जानी चाहिये, शहरी विकास को भारत के NDC लक्ष्यों और शुद्ध-शून्य मार्गों के साथ संरेखित किया जाना चाहिये।
- **क्रॉस-स्कीम कन्वर्जेंस के माध्यम से समावेशी शहरी पुनरुत्थान:** पीएमएवाई-शहरी (PMAY-Urban) की किफायती आवास पर केंद्रित नीति को स्मार्ट सिटीज़ मिशन की डिजिटल शासन व्यवस्था एवं सेवा वितरण प्लेटफॉर्म्स के साथ जोड़कर एकीकृत शहरी पुनरुत्थान को संचालित किया जाना चाहिये।
  - मलिन बस्तियों के उन्नयन की सुविधा प्रदान किया जाना चाहिये, जिसमें **भौतिक अवसंरचना, स्वच्छता, आजीविका सहायता और डिजिटल समावेशन** शामिल हो, सामाजिक समानता को बढ़ावा मिले तथा भागीदारीपूर्ण नियोजन एवं वास्तविक काल निगरानी प्रणालियों के माध्यम से शहरी सीमांत समुदायों को सशक्त बनाया जा सके।
- **लैंगिक-संवेदनशील, बहु-मॉडल स्मार्ट मोबिलिटी नेटवर्क:** सतत्, विद्युत-चालित बहु-मॉडल परिवहन पारिस्थितिकीय तंत्र विकसित किया जाना चाहिये, जो लास्ट-माइल कनेक्टिविटी और गैर-मोटर चालित विकल्पों को प्राथमिकता देता हो।
  - महिलाओं और दिव्यांग जनों के लिये आवागमन की बाधाओं को दूर करने की दिशा में **लैंगिक-संवेदनशील शहरी डिज़ाइन— सुरक्षित गलियारे, निगरानी-सक्षम पारगमन केंद्र एवं सुलभ बुनियादी अवसंरचना** को शामिल किया जाना चाहिये, जिससे महिला श्रम भागीदारी और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले।
- **डेटा-संचालित शहरी शासन और पारदर्शी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र:** AI, IoT और जियोस्पेशियल एनालिटिक्स का उपयोग करके उन्नत शहरी डेटा पारिस्थितिकी तंत्र को संस्थागत बनाया जाना चाहिये, जिससे ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से रियल-टाइम मॉनिटरिंग, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस एवं नागरिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
  - यह **डिजिटल परिवर्तन साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देता है,** परिचालन दक्षता को बढ़ाता है तथा उत्तरदायी और अनुकूल शहरी प्रबंधन के लिये महत्त्वपूर्ण जवाबदेही तंत्र को मज़बूत करता है।
- **हरित वित्त एवं प्रभाव-संचालित निवेश मॉडल को गति:** स्थायी शहरी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं—नवीकरणीय ऊर्जा, हरित भवनों और अपशिष्ट-से-ऊर्जा पहलों के लिये पूंजी एकत्रित करने हेतु नगरपालिका ग्रीन बॉन्ड और ESG-संरेखित प्रभाव निवेशों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
  - **भारत की शहरी जलवायु प्रतिबद्धताओं और सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को गति** प्रदान करते हुए **वित्तपोषण अंतराल को समाप्त करने के लिये रियायती निधियों, निजी पूंजी और प्रदर्शन प्रोत्साहनों को जोड़कर मिश्रित वित्त मॉडल** निर्मित किये जाने चाहिये।
- **शहरी-ग्रामीण सहयोगात्मक विकास एवं क्षेत्रीय समुत्थानशक्ति:** एकीकृत क्षेत्रीय योजना ढाँचे को आगे बढ़ाया जाना चाहिये, जो साझा बुनियादी अवसंरचना, कृषि-लॉजिस्टिक्स गलियारों और संसाधनों के चक्रीय प्रवाह के माध्यम से शहरी-ग्रामीण आर्थिक संबंधों को मज़बूत करते हैं।
  - इस दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, विकेंद्रीकृत उत्पादन-उपभोग प्रणालियों एवं पर्यावरण-संवेदनशील शहरी विस्तार को अपनाया जा सकता है। यह जनांकिक दबावों को संतुलित करता है, समतामूलक विकास को बढ़ावा देता है और क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा तथा पारिस्थितिकीय संधारणीयता को सुदृढ़ करता है।

निष्कर्ष:

भारत का शहरी भविष्य समावेशी, समुत्थान और सतत् शहरों के निर्माण के लिये **ग्रीनफील्ड महत्त्वाकांक्षा और ब्राउनफील्ड व्यावहारिकता** के बीच सामंजस्य पर निर्भर है। **एक एकीकृत**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

राष्ट्रीय शहरी रणनीति में बहुकेंद्रित विकास, स्मार्ट शासन और जलवायु-अनुकूल बुनियादी अवसंरचना को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। **स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना** सेवा घाटे को कम करने तथा समान विकास सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण होगा। **यह SDG 11 (सतत् शहर एवं संतुलित समुदाय), SDG 13 (जलवायु परिवर्तन कार्रवाई) और SDG 9 (उद्योग, नवाचार एवं बुनियादी सुविधाएँ)** के साथ संरेखित है।

■■■

बहुपक्षीय संस्थाओं का निर्माण – भारतीय दृष्टिकोण

*यह एडिटोरियल 28/05/2025 को **बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित** "Reimagining India's role at multilaterals via votes, values, and vision" पर आधारित है। यह लेख बहुपक्षीय संस्थाओं में निहित पक्षपात को उजागर करता है, जैसा कि IMF द्वारा पाकिस्तान को दिये गये ऋण में देखा गया।*

भारत के साथ सक्रिय सैन्य तनाव के दौरान IMF द्वारा पाकिस्तान को दिये गये **विवादास्पद 2.4 अरब डॉलर के ऋण ने बहुपक्षीय संस्थाओं की उस स्थायी समस्या को उजागर कर दिया** है, जो उनकी **तटस्थता के दावों को कमज़ोर करती** है। जैसे-जैसे भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, उसे चाहिये कि वह अपनी प्रतिनिधित्व प्रणाली को अधिक पेशेवर बनाए, मतदान रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करे तथा ग्लोबल नॉर्थ के साथ मज़बूत साझेदारियाँ स्थापित करे, ताकि अपने रणनीतिक हितों की रक्षा सुनिश्चित कर सके। आज जब अनेक देश बहुपक्षीयता से हटकर लघु-गठबंधनों (minilateralism) की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे में भारत के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच रणनीतिक संतुलन बनाए रखे — एक ओर पारंपरिक बहुपक्षीय मंचों का लाभ उठाए और दूसरी ओर ऐसे केंद्रित गठबंधन (focused coalitions) बनाए जो तेज़ी से विखंडित होते वैश्विक परिदृश्य में राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर सकें।

वैश्विक शासन में बहुपक्षीय मंचों की क्या भूमिका है?

- **वैश्विक चुनौतियों पर सामूहिक कार्रवाई को सुविधाजनक बनाना: बहुपक्षीय मंच देशों को ऐसे अनिवार्य मंच प्रदान करते हैं,** जहाँ वे मिलकर जलवायु परिवर्तन, महामारी और वित्तीय संकट जैसे सीमापार मुद्दों का समाधान कर सकते हैं।
  - इनकी **संयोजक शक्ति (convening power)** संवाद, संसाधनों के साझा उपयोग और समन्वित नीतियों को संभव बनाती है, जिन्हें कोई एक राष्ट्र अकेले लागू नहीं कर सकता। यह **सामूहिक ढाँचा** वैश्विक **स्थिरता** और **सतत् विकास** को बढ़ावा देता है।
  - उदाहरण के लिये, **UNFCCC के तहत पेरिस समझौता जलवायु कार्रवाई में 196 देशों को एकजुट करता है,** जबकि **WHO की COVAX पहल ने कोविड-19 के दौरान वैक्सीन वितरण का समन्वय किया,** जिससे गरीब देशों तक भी पहुँच सुनिश्चित हो सकी।
- **नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देना:** बहुपक्षीय संस्थाएँ ऐसे मानदंड, कानून और प्रक्रियाएँ बनाये रखती हैं **जो राज्यों के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं, जिससे वैश्विक मामलों में अराजकता और एकतरफावाद में कमी आती है।**
  - ये संस्थाएँ **विवाद समाधान की व्यवस्था** तथा **व्यापार और सुरक्षा नियमों** के प्रवर्तन के जरिये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को **पूर्वानुमेय और शांतिपूर्ण** बनाने में योगदान देती हैं।
  - **विश्व व्यापार संगठन (WTO) की विवाद निपटान प्रणाली**, हाल की चुनौतियों के बावजूद, **वर्ष 1995 से अब तक 600 से अधिक व्यापार विवादों का समाधान कर चुकी** है, जिससे वैश्विक वाणिज्य को स्थिरता मिली है।
    - **संयुक्त राष्ट्र चार्टर** (UN Charter) आज भी **संप्रभु आचरण और संघर्ष समाधान** के लिये मार्गदर्शक बना हुआ है।
- **छोटे और विकासशील देशों की आवाज़ को सशक्त बनाना: समावेशी मंच** प्रदान करके **बहुपक्षीयता (Multilateralism)** कमज़ोर या छोटे देशों को **वैश्विक निर्णयों को प्रभावित करने** की शक्ति देती है, जिससे **न्याय और प्रतिनिधित्व** सुनिश्चित होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME | IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- यह **सामूहिक सौदेबाज़ी (Collective Bargaining)** द्विपक्षीय संबंधों में अंतर्निहित शक्ति विषमताओं को संतुलित करती है और **न्यायसंगत वैश्विक सहयोग** को बढ़ावा देती है।
- **"वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ" शिखर सम्मेलन में भारत के नेतृत्व ने** जलवायु न्याय और वित्त पर विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को ऊपर उठाने में बहुपक्षवाद की भूमिका पर प्रकाश डाला है।

- **आर्थिक सहयोग और सतत् विकास को सक्षम बनाना:** बहुपक्षीय मंच आर्थिक नीतियों का समन्वय करते हैं, मानकों को एकरूप बनाते हैं और विकास परियोजनाओं के लिये वित्तीय संसाधनों को जुटाते हैं।
  - ये मंच **विकसित और विकासशील देशों के बीच के विभाजन को समाप्त करते हैं**, जिससे **समावेशी विकास और गरीबी उन्मूलन** को बढ़ावा मिलता है।
  - **विश्व बैंक और IMF प्रतिवर्ष खरबों डॉलर के ऋण और अनुदान देते हैं; भारत की 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था (हाल ही में जापान से आगे)** को WTO के नियमों के माध्यम से व्यापार वृद्धि, विदेशी निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और G20 आर्थिक संवाद के जरिये स्थिरता और निवेश प्रवाह का लाभ मिलता है।
- **पारदर्शिता, जवाबदेही और वैश्विक शासन की वैधता को बढ़ाना:** बहुपक्षीय संस्थाएँ जन निगरानी, हितधारकों की भागीदारी और मूल्यांकन के मंच उपलब्ध कराती हैं, जो वैश्विक शासन में विश्वास को मज़बूत करते हैं।
  - **पारदर्शी निर्णय लेने और नियमित रिपोर्टिंग से** राज्य की जवाबदेही बढ़ती है और मनमाने नीतिगत बदलावों में कमी आती है।
  - **WTO का NGO की भागीदारी के प्रति खुलापन** और **संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य (SDG) की प्रगति रिपोर्टें** पारदर्शिता को बढ़ावा देती हैं और देशों को वैश्विक प्रतिबद्धताओं के अनुरूप नीति-निर्धारण के लिये प्रेरित करती हैं।
- **मानदंड प्रसार और सॉफ्ट पॉवर कूटनीति को प्रोत्साहित करना:** ये मंच मानवाधिकारों, पर्यावरणीय मानकों और लोकतांत्रिक शासन जैसे वैश्विक मानदंडों के प्रसार को बढ़ावा देते हैं।
  - यह ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच होते हैं जहाँ देश नेतृत्व प्रस्तुत करते हैं, गठबंधन बनाते हैं और सॉफ्ट पॉवर के माध्यम से वैश्विक एजेंडा को प्रभावित करते हैं।
  - **भारत की LiFE (पर्यावरण के लिये जीवनशैली)** पहल, जिसे COP26 ग्लासगो में प्रस्तुत किया गया था, ने **स्थायी जीवनशैली के मानकों** को वैश्विक स्तर पर प्रचारित किया, वहीं **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन** नवीकरणीय ऊर्जा में नेतृत्व को बढ़ावा दे रहा है।
- **सामूहिक उपायों के माध्यम से सुरक्षा चुनौतियों का समाधान: बहुपक्षीय मंच आतंकवाद, साइबर हमलों और महामारियों** जैसी चुनौतियों के खिलाफ सहयोग को सशक्त बनाते हैं—**सूचना साझा करना, कानून प्रवर्तन का समन्वय** और **विधिक ढाँचे का सामंजस्य** इनके प्रमुख उपकरण हैं। **सामूहिक सुरक्षा तंत्र** आक्रामकता को रोकते हैं और संघर्ष-प्रवण क्षेत्रों में स्थिरता लाते हैं।
  - **संयुक्त राष्ट्र शांति सेना और आतंकवाद-रोधी समिति** संयुक्त रणनीतियों को बढ़ावा देती है।
- **वैश्विक संकट प्रबंधन और पुनर्प्राप्ति के लिये ढाँचा उपलब्ध कराना: वित्तीय संकट या महामारियों** जैसे वैश्विक संकटों के दौरान, **बहुपक्षीय मंच प्रतिक्रियाओं का समन्वय करते हैं, बाज़ारों को स्थिर करते हैं**, और **सहायता** एकत्रित करते **हैं**। इनकी **वैधता और वैश्विक पहुँच** उन्हें पुनर्प्राप्ति और लचीलापन के लिये **तेज़ और सामूहिक हस्तक्षेप** सक्षम बनाती है।
  - **वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट** के समय **G-20 की प्रतिक्रिया** और हालिया **वैश्विक महामारी संधि (Global Pandemic Treaty)** इसका उत्कृष्ट उदाहरण है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

बहुपक्षीय मंचों की प्रासंगिकता में गिरावट के लिये कौन-से कारक ज़िम्मेदार हैं?

- **भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और सत्ता की राजनीति:** बहुपक्षीय मंचों पर संघर्ष होता है, क्योंकि उभरती शक्तियाँ प्राय: आम सहमति को दरकिनार करते हुए रणनीतिक हितों पर ज़ोर देती हैं।
  - **अमेरिका, चीन और रूस** जैसे प्रमुख भागीदारों के बीच परस्पर विरोधी एजेंडे विश्वास को समाप्त करते हैं तथा सामूहिक निर्णयों को बाधित करते हैं। यह शक्ति **प्रतियोगिता बहुपक्षवाद को सहयोग के बजाय प्रभाव के लिये युद्ध के मैदान** में बदल देती है।
  - उदाहरण के लिये, अनेक प्रस्तावों के बावजूद **संयुक्त राष्ट्र रूस-यूक्रेन संघर्ष में प्रभावी भूमिका निभाने में विफल** रहा, जिससे इसका सीमित प्रभाव उजागर होता है।
  - भारत-पाक तनाव के बीच **IMF द्वारा पाकिस्तान को दिया गया विवादास्पद 2.4 बिलियन डॉलर का ऋण,** कथित रूप से तटस्थ संस्थाओं को प्रभावित करने वाली भू-राजनीति को दर्शाता है।
- **द्विपक्षीयता और क्षेत्रवाद वैश्विक सहयोग में कमी:** देश **धीमी बहुपक्षीय वार्ताओं को दरकिनार करते हुए, त्वरित और अनुकूलित परिणामों के लिये द्विपक्षीय या क्षेत्रीय समझौतों को प्राथमिकता** दे रहे हैं।
  - यह व्यावहारिक बदलाव **वैश्विक मंचों के प्रभाव को कम करता है** क्योंकि राष्ट्र प्रत्यक्ष, रणनीतिक साझेदारी को प्राथमिकता देते हैं। **FTA और मुद्रा स्वैप** का प्रसार इस प्रवृत्ति का साक्ष्य है।
  - उदाहरण के लिये, **पिछले 5 वर्षों में भारत ने कई PTA पर हस्ताक्षर किये** हैं, जिनमें **भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता और UAE के साथ मुद्रा स्वैप समझौता** शामिल है, जबकि **दोहा दौर के बाद से WTO वार्ता रुकी** हुई है।
- **कमज़ोर प्रवर्तन तंत्र:** बहुपक्षीय समझौते प्राय: **स्वैच्छिक अनुपालन पर निर्भर** होते हैं तथा **अनुपालन न करने पर दंडात्मक उपायों का अभाव** होता है।
  - यह कमज़ोर जवाबदेही जलवायु परिवर्तन या व्यापार नियमों जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिये ऐसे मंचों के विश्वास और विश्वसनीयता को कमज़ोर करती है।
  - उदाहरण के लिये, **पेरिस समझौते के NDC स्वैच्छिक हैं; लक्ष्य पूरा न करने पर कोई दंड नहीं** लगाया जाता, जिससे **उत्सर्जन में लगातार वृद्धि** हो रही है। इसी तरह, **अमेरिका द्वारा अपने अपीलीय निकाय में नियुक्तियों को अवरुद्ध करने के बाद WTO विवाद निपटान कमज़ोर हो गया है।**
- **असमान शक्ति गतिशीलता:** निर्णय लेने में प्रमुख शक्तियों का प्रभुत्व अनुचितता की धारणा को बढ़ावा देता है तथा छोटे या विकासशील देशों को अलग-थलग कर देता है।
  - यह असंतुलन बहुपक्षीय मंचों की वास्तविक प्रतिनिधिक क्षमता के रूप में वैधता को चुनौती देता है तथा सुधारों या वैकल्पिक गठबंधनों की मांग को बढ़ावा देता है।
  - उदाहरण के लिये, **UNSC सुधारों के लिये भारत का निरंतर प्रयास उभरती शक्तियों को बाहर रखने को उजागर करता है।** सार्थक UN सुरक्षा परिषद पुनर्गठन में वर्षों का विलंब समावेशी शासन के खिलाफ संस्थागत जड़ता का संकेत देती है।
- **वैश्विक मुद्दों का विखंडन और संस्थाओं का एक दूसरे से ओवरलैप होना:** विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान देने वाले विशेष मंचों के प्रसार से **विखंडन, ओवरलैप और नीतिगत असंगति** उत्पन्न होती है, जिससे प्रमुख बहुपक्षीय संस्थाओं का प्रभाव कमज़ोर हो जाता है।
  - संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, G20, विश्व व्यापार संगठन तथा अन्य के बीच परस्पर विरोधी अधिदेश समन्वित कार्रवाई को जटिल बनाते हैं।
  - जलवायु शासन में **UNFCCC, IPCC, G20 जलवायु परिवर्तन कार्रवाई और क्षेत्रीय उत्सर्जन व्यापार प्रणाली शामिल हैं,** जिनकी प्राथमिकताएँ प्राय: असंगत होती हैं। यह विखंडन कार्बन मूल्य निर्धारण जैसे आवश्यक मुद्दों पर वैश्विक सहमति को धीमा कर देता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **तकनीकी और डिजिटल संप्रभुता संघर्ष:** डिजिटल राष्ट्रवाद में वृद्धि और डेटा संप्रभुता पर चिंताएँ एकीकृत डिजिटल व्यवस्था के लिये बहुपक्षीय प्रयासों को बाधित करती हैं। प्रतिस्पर्द्धी विनियमन और डेटा शेयरिंग पर अविश्वास साइबरस्पेस शासन के लिये वैश्विक कार्यढाँचे को अवरुद्ध करता है।
  - उदाहरण के लिये, **सीमा पार डेटा फ्लो पर भारत का सतर्क रुख अमेरिकी सिलिकॉन वैली के हितों के विपरीत** है, जो अलग-अलग प्राथमिकताओं को दर्शाता है। रुकी हुई WTO ई-कॉमर्स वार्ता डिजिटल व्यापार नियमों को संरेखित करने की चुनौती को दर्शाती है।
- **बढ़ता संरक्षणवाद सहकारी भावना को नष्ट करता है:** पुनरुत्थानशील **राष्ट्रवाद संरक्षणवादी नीतियों को बढ़ावा** देता है तथा मुक्त व्यापार एवं वैश्विक सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता को कमज़ोर करता है।
  - देश घरेलू हितों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे पारस्परिक लाभ और सामूहिक समस्या समाधान का बहुपक्षीय सिद्धांत कमज़ोर होता है।
  - उदाहरण के लिये, टैरिफ में वृद्धि (अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध) से वैश्विक व्यापार तनाव उत्पन्न हुआ है, जिससे WTO का प्रभाव कम हो गया है।

बहुपक्षीय मंचों में सुधार लाने में भारत क्या भूमिका निभा सकता है?

- **समावेशी वैश्विक शासन और संयुक्त राष्ट्र सुधार का समर्थन:** भारत बहुपक्षीय संस्थाओं के लोकतंत्रीकरण के प्रयासों का नेतृत्व कर सकता है तथा वर्तमान वैश्विक शक्ति परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करते हुए न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकता है।
  - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिये इसका प्रयास इसका उदाहरण है, जिसका उद्देश्य **ग्लोबल साउथ और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की आवाज़ को बढ़ाना** है। ऐसे सुधारों से वैश्विक शासन में वैधता एवं प्रभावशीलता बढ़ेगी।
- **विकसित और विकासशील देशों के हितों के बीच सेतु निर्माण:** एक बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्था एवं लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में अपनी अद्वितीय स्थिति के साथ, भारत विकसित और विकासशील देशों के बीच मध्यस्थता कर सकता है तथा **जलवायु वित्त एवं व्यापार जैसे विवादास्पद मुद्दों पर आम सहमति** को बढ़ावा दे सकता है।
  - विखंडन का सामना कर रहे बहुपक्षीय मंचों में सामंजस्य बनाए रखने के लिये यह भूमिका महत्त्वपूर्ण है।
  - **'ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधि' के रूप में भारत का नेतृत्व** तथा संवर्द्धित जलवायु वित्त एवं प्रौद्योगिकी अंतरण के लिये इसका समर्थन इसकी समन्वयकारी भूमिका को रेखांकित करती है।
- **सतत् विकास और जलवायु नेतृत्व को बढ़ावा देना:** वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और LiFE जैसी पहल उसे वैश्विक जलवायु शासन को समानता एवं जलवायु परिवर्तन कार्रवाई की दिशा में मार्गदर्शन करने की स्थिति में रखती है।
  - क्लाइमेट जस्टिस को बढ़ावा देकर **भारत कमज़ोर देशों को संतुलित वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने पर ज़ोर** दे सकता है, जिससे एक सुधारित, संधारणीय बहुपक्षीय व्यवस्था को आकार मिल सकता है।
- **साउथ-साउथ कोऑपरेशन और क्षेत्रवाद का सुदृढ़ीकरण:** भारत वैश्विक मंचों के पूरक के रूप में साउथ-साउथ पार्टनरशिप और क्षेत्रीय बहुपक्षवाद को मज़बूत कर सकता है तथा साझा विकास एवं भू-राजनीतिक संतुलन को बढ़ावा दे सकता है।
  - BIMSTEC और **भारत-अफ्रीका फोरम** जैसे मंचों के माध्यम से, यह विकासशील क्षेत्रों के सामूहिक समर्थन को बढ़ा सकता है।
  - **अफ्रीका को भारत की 10 बिलियन डॉलर की ऋण सहायता** तथा BIMSTEC में इसकी सक्रिय भूमिका, क्षेत्रीय आर्थिक और रणनीतिक सहयोग के निर्माण के लिये व्यावहारिक प्रयासों को दर्शाती है।
- **शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान और कूटनीति का प्रतिनिधित्व:** भारत की सैद्धांतिक गुटनिरपेक्षता और कूटनीति पर ज़ोर उसे वैश्विक संघर्षों में मध्यस्थ के रूप में स्थापित करता है तथा बहुपक्षीय शांति तंत्र को मज़बूत करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **यूक्रेन और अफगानिस्तान जैसे मुद्दों पर** इसका संतुलित रुख संप्रभुता और संवाद पर आधारित नेतृत्व का उदाहरण है।
- **इज़रायल-हमास संघर्ष में द्वि-राज्य समाधान के लिये भारत का आह्वान** तथा मानवता के विरुद्ध अपराधों की निंदा, बहुपक्षीय कार्यढाँचे के भीतर उसके कूटनीतिक प्रभाव को उजागर करती है।

भारत बहुपक्षवाद और लघु-गठबंधन में संतुलन किस प्रकार स्थापित कर सकता है?

- **मुद्दा-आधारित फोरम मैपिंग के माध्यम से रणनीतिक विभेदीकरण:** भारत को एक व्यापक, गतिशील **'फोरम-मैपिंग' तंत्र** विकसित करना चाहिये जो **जटिलता, तात्कालिकता और हितधारक संरचना के आधार पर वैश्विक मुद्दों को वर्गीकृत करता है,** जिससे संतुलित जुड़ाव को सक्षम बनाया जा सके।
  - इसमें जलवायु शासन जैसी **प्रणालीगत चुनौतियों के लिये बहुपक्षवाद का लाभ** उठाना तथा साइबर सुरक्षा या क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे सामरिक, उच्च-दाँव वाले क्षेत्रों के लिये लघु-गठबंधन का लाभ उठाना शामिल है।
  - यह सटीक कूटनीति प्रभाव को अधिकतम करती है और कूटनीतिक थकान को न्यूनतम करती है।
- **क्षेत्रीय बहुपक्षवाद को रणनीतिक गठबंधन के रूप में संस्थागत बनाना: भारत को क्रॉस-सेक्टरल फ्रेमवर्क** (आर्थिक, सुरक्षा, पर्यावरण) **को शामिल करके BIMSTEC और SAARC** जैसे क्षेत्रीय प्लेटफॉर्मों को **परिष्कृत बहुपक्षीय केंद्रों में बदलना** चाहिये, जो **वैश्विक कूटनीति के लिये आधारशिला के रूप में** कार्य करेंगे।
  - यह क्षेत्रीय बहुपक्षवाद एक रणनीतिक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि क्षेत्रीय प्राथमिकताएँ वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में सहजता से एकीकृत हो जाएँ।
- **समानांतर राजनयिक ट्रैक का संचालन:** भारत को एक बहु-ट्रैक कूटनीति प्रणाली को संस्थागत बनाना चाहिये, जहाँ आधिकारिक बहुपक्षीय वार्ता, लघुपक्षीय रणनीतिक संवाद और **ट्रैक-II कूटनीति तालमेल के साथ संचालित** हो तथा **फीडबैक लूप का निर्माण हो, जो सुसंगतता एवं लचीलेपन को बढ़ाए।**
  - यह समग्र दृष्टिकोण भारत को भिन्न-भिन्न हितों का प्रबंधन करने, आम सहमति बनाने तथा भू-राजनीतिक उतार-चढ़ाव के साथ शीघ्रता से अनुकूलन करने में सक्षम बना सकता है।
- **बहुपक्षीय और लघुपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने के लिये सांस्कृतिक कूटनीति का लाभ उठाना:** भारत को विभिन्न मंचों पर सांस्कृतिक, शैक्षिक और मूल्य-आधारित कूटनीति पहलों को बढ़ावा देकर, **मानवाधिकारों, लोकतंत्र एवं सतत् विकास पर मानक अभिसरण** को सुदृढ़ करते हुए, अपनी सॉफ्ट पावर का उपयोग करना चाहिये।
  - यह भावनात्मक सामंजस्य और दीर्घकालिक संरेखण को प्रोत्साहित करता है, जिससे लेन-देन आधारित कूटनीति से आगे बढ़कर सहयोग की स्थायी नींव तैयार होती है।
- **उभरते वैश्विक शासन क्षेत्रों में मानक उद्यमिता को बढ़ावा देना:** भारत बहुपक्षीय और एकपक्षीय स्थानों के भीतर **डिजिटल एथिक्स, अंतरिक्ष कानून एवं जलवायु अनुकूलन वित्तपोषण** जैसी उभरती हुई शासन व्यवस्थाओं को सक्रिय रूप से आकार देकर स्वयं को एक मानक उद्यमी के रूप में स्थापित कर सकता है।
  - सक्रिय रूप से नवीन कार्यढाँचे का प्रस्ताव करने से वैश्विक स्तर पर भारत के विचार नेतृत्व और मानक प्रभाव में वृद्धि होती है।

निष्कर्ष:

भारत वैश्विक शासन में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है, जहाँ इसकी **कूटनीतिक बुद्धिमता को इसके बढ़ते वैश्विक छवि के अनुरूप** बढ़ाने की आवश्यकता है। **बहुपक्षीय संस्थाओं में समावेशी सुधारों को बढ़ावा** देकर और रणनीतिक रूप से लघुपक्षीय समूहों में शामिल होकर, भारत वैश्विक समानता को बनाए रखते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकता है। सिद्धांत और व्यावहारिकता का संतुलित मिश्रण भारत को एक अधिक **प्रतिनिधि, समुत्थानशील और उत्तरदायी विश्व व्यवस्था** बनाने में सक्षम बनाएगा।

■■■

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति

यह एडिटोरियल 29/05/2025 को द फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित "In the race for exports, India's competitive edge missing" पर आधारित है। इस लेख में अमेरिका-चीन तनाव के बीच भारत के लिये नए व्यापार अवसर को सामने लाया गया है, साथ ही इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि गहन संरचनात्मक कमज़ोरियाँ और कम प्रतिस्पर्द्धात्मकता इसके लाभ में बाधा डालती हैं। इस अवसर का लाभ उठाने के लिये, भारत को साहसिक सुधारों को आगे बढ़ाने के साथ ही वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में प्रभावी रूप से एकीकृत होने की आवश्यकता है।

वैश्विक व्यापार को अमेरिकी टैरिफ नीतियों एवं **संभावित चीनी निर्यात डायवर्जन से अनिश्चितता का सामना** करना पड़ रहा है, भारत चुनौती और अवसर के बीच एक चौराहे पर खड़ा है। पिछले **अमेरिकी-चीन व्यापार** युद्ध का लाभ न उठाने के बावजूद, **भारत के पास अब वैश्विक व्यापार पैटर्न में बदलाव से लाभ उठाने का दूसरा मौका** है। हालाँकि, हाल ही में एक **प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक ने मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड** जैसे प्रमुख एशियाई समकक्षों में भारत को सबसे निचले स्थान पर रखा है, जो **गहरी संरचनात्मक कमज़ोरियों को उजागर** करता है। इसलिये, भारत को प्रतिक्रियात्मक उपायों से आगे बढ़ना चाहिये और व्यापक सुधारों को लागू करना चाहिये जो **प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देते हैं, लालफीताशाही को कम करते हैं तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ते हैं।**

भारत के निर्यात में वृद्धि के प्रमुख चालक क्या हैं?

- **रणनीतिक सरकारी पहल और नीति सुधार:** उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं और मेक इन इंडिया जैसी सुदृढ़ सरकारी नीतियों ने घरेलू विनिर्माण एवं निर्यात क्षमता में बहुत वृद्धि की है।
  - विदेश व्यापार नीति- 2023 **निर्यात प्रक्रियाओं को और सरल बनाती है तथा ई-कॉमर्स एवं उच्च तकनीक उत्पादों** जैसे उभरते क्षेत्रों को प्रोत्साहित करती है।
  - उदाहरण के लिये, **मोबाइल फोन निर्यात** वर्ष 2016 में लगभग शून्य से बढ़कर **वर्ष 2024 में 20 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया,** जो कि मुख्य रूप से PLI प्रोत्साहनों से प्रेरित है।
    - इसके अतिरिक्त, **सत्र 2023-24 में फार्मास्यूटिकल्स का निर्यात** बढ़कर 27.85 बिलियन डॉलर हो गया, जो **नीतिगत प्रभाव** को दर्शाता है।
- **निर्यात पोर्टफोलियो और बाज़ारों का विविधीकरण:** भारत का निर्यात क्षेत्र **पारंपरिक वस्तुओं से आगे बढ़कर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग गुड्स और सेवाओं** जैसे उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों तक विकसित हो गया है, जिससे **कुछ उत्पादों एवं बाज़ारों पर निर्भरता कम** हो गई है।
  - यह विविधीकरण **बाह्य झटकों के प्रति संवेदनशीलता** को कम करता है और **तेज़ी से बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करता है।**
  - सत्र 2013-14 के बाद से 115 से अधिक देशों को **भारत के वस्तु निर्यात में 67% की वृद्धि** हुई है, जिसमें **अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात एवं नीदरलैंड जैसे प्रमुख देशों का निर्यात 51%** रहा।
- **वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में विस्तार:** वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVC) में भारत की बढ़ती भागीदारी, उसे **उत्पादन के मूल्य-संवर्द्धित चरणों में विशेषज्ञता** प्राप्त करने, निर्यात गुणवत्ता और पैमाने को बढ़ाने में सक्षम बनाती है।
  - **अपेक्षाकृत कम GVC भागीदारी दर (लगभग 41.3%)** के बावजूद, रणनीतिक बुनियादी अवसंरचना और नीति सुधारों का उद्देश्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अग्रणी फर्मों एवं MSME को आकर्षित करते हुए, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को बढ़ावा देना है।
  - वित्त वर्ष 2024 में **चीन को भारत का निर्यात 8.7% बढ़कर 16.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर** हो गया, जो क्षेत्रीय एकीकरण में वृद्धि दर्शाता है, जबकि क्षेत्र-विशिष्ट योजनाएँ उच्च तकनीक विनिर्माण को लक्षित करती हैं।
    - इस **एकीकरण से उत्पादकता में वृद्धि** और **निर्यात विविधीकरण** का वादा किया गया है।
- **सेवा निर्यात का अनुकूलन और वृद्धि:** भारत के सेवा निर्यात, विशेष रूप से IT, दूरसंचार और व्यावसायिक सेवाओं में वृद्धि, अपेक्षाकृत उच्च मूल्य संवर्द्धन एवं वैश्विक मांग के साथ इसके निर्यात वृद्धि को दर्शाती है।
  - **वित्त वर्ष 2025 में सेवा निर्यात 12.45% बढ़कर** रिकॉर्ड 374 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया, जिससे व्यापारिक निर्यात में अस्थिरता एवं व्यापार घाटे की भरपाई हो गई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- डिजिटल सेवाओं में भारत की ताकत, **वैश्विक दूरस्थ कार्य प्रवृत्तियों के साथ मिलकर इस विस्तार का समर्थन** करती है। उदाहरण के लिये, दूरसंचार सेवाओं के निर्यात ने IT के साथ-साथ बढ़त हासिल की, जिससे ज्ञान-आधारित क्षेत्रों में भारत की प्रतिस्पर्द्धात्मक बढ़त पर प्रकाश डाला गया।

- **बुनियादी अवसंरचना और रसद आधुनिकीकरण:** बेहतर बंदरगाह सुविधाओं, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स और डिजिटल सीमा शुल्क प्लेटफॉर्मों ने लागत कम कर दी है, दक्षता बढ़ाई है तथा निर्यात प्रक्रियाओं में तेज़ी लाई है।
  - सागरमाला कार्यक्रम और PM गति शक्ति योजना जैसी पहलों का **उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत में कटौती** करना है, जो **निर्यात मूल्य का 14% तक** है, जिससे प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार होगा।
  - 35 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों की स्थापना और **राष्ट्रीय जलमार्गों के विस्तार से वस्तुओं के तीव्र आवागमन में योगदान** मिलेगा।
- **डिजिटलीकरण और व्यापार सुगमता: राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली और ट्रेड कनेक्ट** जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म अनुमोदन को सुव्यवस्थित करते हैं तथा निर्यातकों को सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे अनुपालन बोझ एवं समय कम होता है।
  - **स्वचालन और क्लाउड-आधारित कर सॉफ्टवेयर त्रुटि दर को कम करते हैं** तथा सीमा शुल्क निकासी में तेज़ी लाते हैं, जिससे SME को वैश्विक बाज़ारों तक कुशलतापूर्वक पहुँचने में मदद मिलती है।
  - डिजिटल प्रोत्साहन पारदर्शिता को बढ़ाकर और व्यापार लागत को कम करके निर्यात वृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से समर्थन देता है।
- **भू-राजनीतिक बदलाव और व्यापार पुनर्गठन:** बढ़ते अमेरिकी-चीन व्यापार तनाव और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान भारत को बदलते व्यापार प्रवाह को प्राप्त करने एवं निर्यात हिस्सेदारी बढ़ाने का एक विशिष्ट अवसर प्रदान करते हैं।
  - चुनौतियों के बावजूद, **भारत का निर्यात वित्त वर्ष 2025 में 5.5% बढ़कर 821 बिलियन डॉलर** हो गया, जो **अनिश्चितता के बीच वैश्विक औसत से बेहतर** प्रदर्शन था।
  - उदाहरण के लिये, कंपनियों द्वारा उत्पादन स्थानांतरित करने के कारण वर्ष 2024 में **अमेरिका को मोबाइल फोन निर्यात में 44% की वृद्धि** हुई। **UAE, ऑस्ट्रेलिया और EFTA देशों के साथ** चल रहे FTA बाज़ार अभिगम एवं विविधीकरण को बढ़ाते हैं।

- **बढ़ती घरेलू मांग से निर्यात प्रतिस्पर्द्धा को समर्थन:** मज़बूत और विस्तारित घरेलू बाज़ार **पैमाने की अर्थव्यवस्थाएँ बनाते हैं तथा नवाचार को बढ़ावा** देते हैं, जिससे **भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार** होता है।
  - वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद, मज़बूत घरेलू मांग के समर्थन से **भारत की विकास दर 6.5% पर स्थिर** बनी हुई है।
  - बढ़ते मध्यम वर्ग और मज़बूत उपभोग के साथ, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स एवं ऑटोमोटिव जैसे क्षेत्र स्थानीय मांग-आधारित क्षमता विस्तार से लाभान्वित होते हैं।
- **उन्नत वित्तीय सहायता और निर्यात ऋण: ब्याज समकरण योजना और MSME के लिये विस्तारित ऋण सुविधाएँ** जैसी योजनाएँ रियायती वित्त उपलब्ध कराती हैं, लागत कम करती हैं तथा निर्यात को बढ़ावा देती हैं।
  - इसके अतिरिक्त, EXIM बैंक **और SIDBI जैसी निर्यात ऋण एजेंसियाँ 'लाइन ऑफ क्रेडिट' प्रदान करती हैं,** जिससे बाज़ार में प्रवेश एवं विकास में सुविधा होती है। यह वित्तीय सहायता विशेष रूप से SME के लिये निरंतर निर्यात वृद्धि को सक्षम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत के एकीकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **सीमित बैकवर्ड लिंकेज और निम्न आयात एकीकरण:** भारत की वैश्विक मूल्य श्रृंखला (GVC) में भागीदारी मुख्यत: अग्रगामी संबद्धताओं पर केंद्रित है, जो कच्चे माल के निर्यात पर अत्यधिक निर्भर है, बजाय इसके कि वह निर्यात उत्पादों में आयातित इनपुट को एकीकृत करे।
  - इससे उच्च मूल्य-संवर्धित विनिर्माण में भारत की भूमिका सीमित हो जाती है तथा प्रतिस्पर्द्धात्मकता कम हो जाती है।
  - देश का **बैकवर्ड लिंकेज इंडेक्स** वर्ष 2008 में 47.6% से **घटकर वर्ष 2018 में 41.3% हो गया,** जो कमज़ोर एकीकरण का संकेत है।
    - इस बीच, **दूरसंचार जैसे उच्च तकनीक वाले घटकों के लिये चीन से आयात वित्त वर्ष 2024 में 101.7 बिलियन डॉलर के उच्च स्तर पर** बना हुआ है, जो **बाह्य इनपुट पर निर्भरता** को उजागर करता है।
- **अवसंरचना की कमी और रसद संबंधी अड़चनें: अपर्याप्त परिवहन अवसंरचना, बंदरगाह क्षमता संबंधी बाधाएँ और अकुशल रसद के कारण** निर्यात लागत बढ़ती है तथा शिपमेंट में विलंब होता है, जिससे **भारत की GVC प्रतिस्पर्द्धात्मकता कमज़ोर** होती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जैसे प्रमुख बंदरगाहों पर भीड़भाड़ तथा शीघ्र क्षयशील उत्पादों के लिये **सीमित कोल्ड चेन अवसंरचना** के कारण **निर्बाध आपूर्ति शृंखला एकीकरण में बाधा** उत्पन्न होती है।
- इन विलंबों के कारण लीड टाइम बढ़ जाता है, जिससे **लीड कंपनियाँ भारत से सोर्सिंग करने से हतोत्साहित** हो जाती हैं।

- **जटिल एवं असंगत व्यापार विनियमन:** भारत का विनियामक वातावरण, जटिल सीमा शुल्क प्रक्रियाओं, अलग-अलग टैरिफ और लगातार नीतिगत परिवर्तनों से चिह्नित है, जो वैश्विक फर्मों के लिये अनिश्चितता उत्पन्न करता है।
  - **उत्पादों का त्रुटीपूर्ण वर्गीकरण** और **अस्पष्ट HS कोड अनुपालन** लागत एवं विलंब को बढ़ाते हैं।
  - निर्यातक **विनियामक बाधाओं को मुख्य बाधा** बताते हैं, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा किया जाना आवश्यक है।
    - खंडित **टैरिफ संरचना और निर्यात प्रोत्साहनों का असंगत अनुप्रयोग** GVC में भारत के आकर्षण को सीमित करता है।
- **कौशल अंतराल और श्रम गुणवत्ता बाधाएँ:** यद्यपि **भारत में श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक** है, लेकिन विनिर्माण और उच्च तकनीक क्षेत्रों में **कुशल श्रमिकों की कमी GVC एकीकरण में बाधा** उत्पन्न करती है।
  - **सेमीकंडक्टर और फार्मास्यूटिकल्स** जैसे उच्च तकनीक वाले GVC **क्षेत्रों में विशेष कौशल की आवश्यकता** होती है, जो **वर्तमान में न्यूनतम** है।
  - वर्ष 2024 में केवल **42.6% भारतीय स्नातक ही रोज़गार योग्य** पाए गए। लक्षित कौशल विकास कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन **कार्यबल क्षमताओं में ठोस सुधार धीमी गति से** हो रहा है, जिससे **भारत की मूल्य शृंखला में अग्रणी बनने की क्षमता सीमित** हो रही है।
- **MSME और अग्रणी फर्मों के बीच कमज़ोर संबंध: MSME निर्यात में लगभग 50% का योगदान** करते हैं, लेकिन वैश्विक अग्रणी फर्मों के साथ सीमित एकीकरण से पीड़ित हैं, जिससे उनकी GVC भागीदारी सीमित हो जाती है।
  - **वित्त, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विशेषज्ञता तक पहुँच की कमी** जैसे मुद्दे MSME की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में बाधा डालते हैं।
  - उदाहरण के लिये, MSME को अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों द्वारा अपेक्षित **गुणवत्ता मानकों और प्रमाणन मानदंडों को पूरा करने में कठिनाई** का सामना करना पड़ता है।
    - इन संबंधों को मज़बूत करना, जैसा कि **वियतनाम की सैमसंग के नेतृत्व वाली आपूर्ति शृंखलाओं में देखा गया है, भारत के लिये एक तत्काल प्राथमिकता** बनी हुई है।
- **अपर्याप्त अनुसंधान एवं विकास तथा नवप्रवर्तन पारिस्थितिकी तंत्र:** अनुसंधान एवं विकास में भारत का कम निवेश (GDP का 0.6%) तथा **उद्योग एवं शिक्षा जगत के बीच कमज़ोर सहयोग,** नवप्रवर्तन करने तथा उच्च मूल्य वाले निर्यात करने की इसकी क्षमता को कम करता है।
  - इससे GVC **के डिज़ाइन और विकास चरणों में भागीदारी सीमित** हो जाती है तथा भारत मुख्यत: **असेंबल एवं निम्न-तकनीकी विनिर्माण तक ही सीमित** रह जाता है।
  - GVC को बढ़ाने तथा विदेशी अग्रणी कंपनियों को आकर्षित करने के लिये नवाचार क्षमताओं को बढ़ाना महत्त्वपूर्ण है।
- **उच्च घरेलू टैरिफ और संरक्षणवादी नीतियाँ:** मध्यवर्ती वस्तुओं पर उच्च टैरिफ और घरेलू सब्सिडी सहित संरक्षणवादी व्यापार नीतियाँ, **इनपुट लागत बढ़ाती हैं तथा GVC** भागीदारी के लिये आवश्यक आयात एकीकरण को हतोत्साहित करती हैं।
  - यह अंतर्मुखी दृष्टिकोण **कंपनियों को भारतीय परिचालन** को वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में शामिल करने से हतोत्साहित करता है।
  - हाल के बदलावों के बावजूद, भारत अभी भी **ASEAN समकक्षों की तुलना में अधिक टैरिफ** लगाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव जैसे क्षेत्र प्रभावित होते हैं।
    - आलोचकों का तर्क है कि इन बाधाओं को कम करने से **प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार आएगा और GVC** की अधिक भागीदारी आकर्षित होगी।
- **निर्यात गतिविधि का भौगोलिक संकेंद्रण:** निर्यात उत्पादन और GVC भागीदारी बेहतर बुनियादी अवसंरचना वाले **कुछ तटीय राज्यों तक ही केंद्रित** है, जिससे **विशाल क्षेत्र अविकसित एवं अपवर्जित** ही रह जाते हैं।
  - **छह राज्य निर्यात में 70% का योगदान** करते हैं, जो असमान औद्योगिक विकास को दर्शाता है। अंतर्देशीय राज्य अपर्याप्त रसद और विद्युत् आपूर्ति से जूझ रहे हैं, जिससे निवेश बाधित हो रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **बुनियादी अवसंरचना के विकास** और नीति समर्थन के माध्यम से क्षेत्रीय असमानताओं के अंतर को कम करना देश भर में GVC एकीकरण को व्यापक बनाने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में एकीकरण तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **समग्र निर्यातोन्मुख कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र: GVC आवश्यकताओं के अनुरूप क्षेत्र-विशिष्ट, उद्योग-आधारित कौशल विकास केंद्र** विकसित किया जाना चाहिये, जिसमें उन्नत विनिर्माण, डिजिटल प्रौद्योगिकियों एवं गुणवत्ता मानकों पर ज़ोर दिया जाए।
  - कौशल अंतराल को तेज़ी से अंतर को कम करने के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण को वास्तविक काल उद्योग अनुभव और प्रमाणन कार्यढाँचे के साथ एकीकृत किया जाना चाहिये।
  - **वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिये PPP मॉडल और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग** का लाभ उठाने की आवश्यकता है। इससे एक तैयार कार्यबल विकसित होगा जो GVC के भीतर उच्च **मूल्य-वर्द्धित गतिविधियों और नवाचार** में संलग्न होने में सक्षम होगा।
- **एकीकृत व्यापार सुविधा और डिजिटल सीमा शुल्क सुधार:** पारदर्शिता सुनिश्चित करने, निकासी के समय को कम करने और कागज़ी कार्रवाई की अनावश्यकता को खत्म करने के लिये ब्लॉकचेन-सक्षम प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सीमा शुल्क तथा रसद के लिये डिजिटलीकरण को लागू किया जाना चाहिये।
  - निरीक्षणों को सुव्यवस्थित करने के लिये **टैरिफ वर्गीकरण में सामंजस्य स्थापित** किया जाना चाहिये तथा AI-आधारित जोखिम प्रबंधन को अपनाया जाना चाहिये।
  - इसे **राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली** और **ट्रेड कनेक्ट पोर्टलों** के साथ जोड़ा जाना चाहिये, ताकि एक निर्बाध, एकल-स्रोत निर्यात सुविधा पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सके, जो अनुपालन एवं प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाए।
- **लक्षित MSME-GVC लिंकेज और नवाचार केंद्र:** समर्पित नवाचार क्लस्टर स्थापित किया जाना चाहिये जो MSME को वैश्विक अग्रणी फर्मों से जोड़ते हैं, प्रौद्योगिकी अंतरण, गुणवत्ता प्रमाणन सहायता तथा बाज़ार पहुँच प्रदान करते हैं।
  - निर्यातोन्मुख क्षेत्रों में MSME के लिये **PLI प्रोत्साहनों के साथ ECLGS जैसी योजनाओं के माध्यम से वित्त और क्षमता निर्माण** की सुविधा प्रदान की जानी चाहिये।
  - इन केंद्रों को MSME उत्पादकता को बढ़ावा देने और जटिल आपूर्ति शृंखलाओं में उनकी भूमिका बढ़ाने **के लिये स्थानीय निर्यात इनक्यूबेटर** के रूप में कार्य करना चाहिये।
- **टैरिफ का युक्तिकरण और व्यापार नीति के साथ संरेखण: निर्यात उत्पादन के लिये आवश्यक मध्यवर्ती वस्तुओं और कच्चे माल पर शुल्क कम करने** पर केंद्रित व्यापक टैरिफ युक्तिकरण को अपनाया जाना चाहिये।
  - नीतिगत विरोधाभासों से बचने और वैश्विक एकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिये टैरिफ सुधारों को निर्यात संवर्द्धन योजनाओं के साथ संरेखित किया जाना चाहिये।
  - इसके साथ सक्रिय व्यापार कूटनीति और ऐसे **मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs)** को अपनाना आवश्यक है, जो शुल्क रियायतें एवं गैर-शुल्क बाधाओं में कमी सुनिश्चित करें, जिससे बाज़ार तक पहुँच का विस्तार हो सके, साथ ही रणनीतिक सुरक्षा उपाय भी बनाए रखे जा सकें।
- **मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी पर ज़ोर देने के साथ बुनियादी अवसंरचना का उन्नयन:** माल ढुलाई के समय और लागत में भारी कटौती के लिये **सड़क, रेल, वायु एवं जलमार्ग कनेक्टिविटी** को मिलाकर एकीकृत मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के विकास में तेज़ी लाने की आवश्यकता है।
  - खराब होने की संभावना और इन्वेंट्री हानि को कम करने के लिये **उत्पादन क्लस्टरों के पास कोल्ड-चेन अवसंरचना एवं वेयरहाउसिंग** का विस्तार किया जाना चाहिये।
  - अनुकूलित संसाधन आवंटन और उन्नत निर्यात आपूर्ति शृंखला लचीलेपन के लिये **सागरमाला एवं PM गतिशक्ति कार्यक्रमों** के तहत इन प्रयासों को समन्वित किया जाना चाहिये।
- **नवप्रवर्तन-संचालित अनुसंधान एवं विकास वित्तपोषण और बौद्धिक संपदा पारिस्थितिकी तंत्र: फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और विशिष्ट रसायनों जैसे निर्यात-केंद्रित क्षेत्रों को लक्षित करते हुए कर प्रोत्साहन एवं अनुदान** के साथ सार्वजनिक व निजी अनुसंधान एवं विकास निवेश में वृद्धि की जानी चाहिये।
  - नवाचार समूहों और फास्ट-ट्रैक पेटेंट प्रसंस्करण के माध्यम से अकादमिक-उद्योग सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
  - निर्यातकों को नवाचारों से धन अर्जित करने और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को मज़बूत करने में मदद करने के लिये **IP-समर्थित वित्तपोषण कार्यढाँचे को बढ़ावा** दिया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **गतिशील निर्यात बाज़ार विविधीकरण रणनीति:** पारंपरिक साझेदारों से परे उभरते मांग केंद्रों की पहचान करने के लिये बाज़ार आसूचना का उपयोग करते हुए **डेटा-संचालित, लचीले निर्यात विविधीकरण दृष्टिकोण** को अपनाना चाहिये।
  - **अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया पर केंद्रित राजनयिक चैनलों एवं व्यापार मिशनों** के माध्यम से बाज़ार में प्रवेश के लिये समर्थन को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
  - डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने और SME भागीदारी का विस्तार करने के लिये इस रणनीति को **भारत मार्ट एवं ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब** जैसी पहलों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिये।
- **केंद्र और राज्यों के बीच नीति समन्वय तंत्र:** श्रम, भूमि अधिग्रहण, बुनियादी अवसंरचना और कौशल विकास पर नीतियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिये केंद्र व राज्य सरकारों को शामिल करते हुए एक **उच्चस्तरीय निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता परिषद की स्थापना की जानी चाहिये।**
  - राज्यों को राष्ट्रीय GVC लक्ष्यों के अनुरूप **क्षेत्र-विशिष्ट निर्यात संवर्द्धन रोडमैप तैयार करने के लिये प्रोत्साहित** किया जाना चाहिय, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिले। यह समन्वित दृष्टिकोण क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करेगा और अंतर्देशीय राज्यों की निर्यात क्षमता को खोलेगा।
- **स्थिरता और हरित निर्यात प्रमाणन कार्यढाँचा:** एक राष्ट्रीय हरित निर्यात प्रमाणन प्रणाली विकसित किया जाना चाहिये जो वैश्विक पर्यावरण मानकों के अनुरूप संधारणीय उत्पादन प्रथाओं और पर्यावरण अनुकूल आपूर्ति शृंखलाओं को प्रोत्साहित करे।
  - **कार्बन फुटप्रिंट में कमी और चक्रीय अर्थव्यवस्था के अंगीकरण पर क्षमता निर्माण** के माध्यम से निर्यातकों को समर्थन दिया जाना चाहिये।
  - इस पहल को राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) जैसी मौजूदा योजनाओं के साथ जोड़ना आवश्यक है, ताकि बाज़ार में बेहतर स्थिति और भविष्य के लिये निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता बनाई जा सके।

निष्कर्ष:

भारत की निर्यात वृद्धि को रणनीतिक सुधारों, विविधीकृत बाज़ारों और डिजिटल परिवर्तन द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। हालाँकि, **वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (GVCs)** में इसकी पूरी क्षमता को प्राप्त करने के लिये संरचनात्मक अवरोधों को दूर करना आवश्यक है। लक्षित हस्तक्षेप विशेष रूप से कौशल विकास, **MSME एकीकरण, अवसंरचना और व्यापार सुगमता** में अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। केंद्र और राज्य के बीच समन्वित दृष्टिकोण, शुल्क युक्तिकरण और नवाचार समर्थन के साथ, दीर्घकालिक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं।

■■■

डिजिटल युग में डेटा गवर्नेंस

*यह एडिटोरियल 29/05/2025 को **फाइनेंशियल एक्सप्रेस** में प्रकाशित "**Publicly funded data must be public**" पर आधारित है। **लेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि AI-संचालित, पारदर्शी और सुरक्षित अभिगम के माध्यम से भारत के विशाल, विस्तृत सार्वजनिक डेटा को अनलॉक करने से नवाचार, शासन एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है।***

आज के डिजिटल युग में, डेटा **नवाचार, आर्थिक विकास और शासन** को शक्ति प्रदान करने वाली एक महत्त्वपूर्ण परिसंपत्ति है। डिजिटल इंडिया पहल जैसी पहलों ने विशाल, विस्तृत डेटासेट तैयार किये हैं, जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता **डेटा एनालिसिस और इनसाइट्स** को बढ़ाती है। इस क्षमता को अनलॉक करने के लिये **सुदृढ़ डेटा सुरक्षा और जवाबदेह संस्थानों की आवश्यकता** है। भारत का डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 और **प्रस्तावित डेटा संरक्षण बोर्ड** गोपनीयता, पारदर्शिता और नवाचार को संतुलित करने का लक्ष्य रखता है। स्थायी डिजिटल विकास और प्रतिस्पर्द्धी लाभ को बढ़ावा देते हुए अधिकारों की रक्षा के लिये प्रभावी रूपरेखाएँ स्थापित करना महत्त्वपूर्ण है।

डिजिटल युग में डेटा सबसे मूल्यवान संपत्ति क्यों है?

- **डेटा डिजिटल परिवर्तन का ईंधन है:** आज के परस्पर जुड़े विश्व में, **डिजिटल डेटा** आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रणालियों की **आधारभूत परिसंपत्ति** बन गया है।
  - उदाहरण के लिये, भारत में **आधार** डिजिटल पहचान कार्यक्रम, 1.3 बिलियन से अधिक नामांकनों के साथ, विश्व की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक ID प्रणाली है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- यह **डिजिटल भुगतान (UPI), प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)** और **ई-केवाईसी प्रक्रियाओं को बढ़ावा** देता है तथा **सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र की सेवाओं को सुव्यवस्थित** करता है।
- इससे विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में **नवाचार, वैयक्तिकृत सेवाएँ, कुशल प्रशासन** एवं **व्यावसायिक निर्णय लेने में सहायता** मिलती है।

विस्तृत डेटा सटीकता को सक्षम बनाता है: डिजिटल इंडिया और सार्वजनिक सेवा डिजिटलीकरण जैसे कार्यक्रमों के तहत **सरकारी विभागों द्वारा अत्यधिक विस्तृत डेटासेट** तैयार किये जाते हैं।

- **विस्तृत सार्वजनिक डेटा** से तात्पर्य बार-बार एकत्रित किये जाने वाले विस्तृत, सूक्ष्म-स्तरीय डेटासेट से है, जो सटीक विश्लेषण के लिये छोटी भौगोलिक या जनसांख्यिकीय इकाइयों में **विशिष्ट जानकारी** प्रदान करता है।
- इनमें **स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी अवसंरचना और कराधान पर गतिशील डेटा** शामिल होता है, जिसे प्रायः वास्तविक काल में अद्यतन किया जाता है।
  - उदाहरण के लिये, सत्र 2023-24 में, **शिक्षा के लिये एकीकृत ज़िला सूचना प्रणाली (UDISE)** ने 1.5 मिलियन स्कूलों को कवर किया, लक्षित शैक्षिक हस्तक्षेपों का समर्थन करने के लिये **नामांकन, बुनियादी अवसंरचना, शिक्षक उपस्थिति एवं अधिगम के परिणामों पर विस्तृत डेटा** प्रदान किया।

वैकल्पिक स्रोत मूल्य विस्तार करते हैं: निजी कंपनियाँ खुफिया जानकारी के लिये **सैटेलाइट इमेजरी, लेन-देन रिकॉर्ड** और **ओपन-सोर्स स्क्रैपिंग** जैसे **वैकल्पिक डेटा का उपयोग** करती हैं।

- इससे **सूचना का दायरा बढ़ता है** और **स्वतंत्र एवं वास्तविक दुनिया के संकेतकों** के साथ **निर्णय लेने की प्रक्रिया** समृद्ध होती है।
- उदाहरण के लिये, क्रॉपइन जैसी निजी फर्में **वास्तविक काल फसल स्वास्थ्य विश्लेषण** प्रदान करने के लिये **उपग्रह और IoT डेटा का उपयोग** करती हैं, 5 मिलियन से अधिक भारतीय किसानों को सेवा प्रदान करती हैं तथा **परिशुद्ध कृषि एवं जोखिम प्रबंधन में सुधार** करती हैं।

AI डेटा एनालिसिस को गति प्रदान करता है: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणालियाँ विशाल डेटासेट को संसाधित करती हैं, पैटर्न का पता लगाती हैं और असाधारण दक्षता के साथ **पूर्वानुमानात्मक अंतर्दृष्टि** उत्पन्न करती हैं।

- इन उपकरणों ने डेटा तक पहुँच को लोकतांत्रिक बना दिया है, विशेष रूप से **जटिल उद्योग मूल्य शृंखलाओं को समझने में जूनियर विश्लेषकों की सहायता** की है।

पब्लिक डेटा से शासन में सुधार होता है: उच्च आवृत्ति, **मशीन रीडेबल पब्लिक डेटासेट** का प्रकाशन पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर नीति परिणामों को समर्थन देता है।

- **ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म इंडिया** 500,000 से अधिक डेटासेट प्रदान करता है, जिसमें वास्तविक काल की वायु गुणवत्ता, वर्षा और बिजली डेटा शामिल हैं, जो गैर सरकारी संगठनों को **प्रदूषण की निगरानी** करने तथा **पर्यावरण अनुपालन को बढ़ावा** देने में मदद करता है।

आर्थिक संभावनाओं का दोहन: भारत के सार्वजनिक आँकड़ों में अप्रयुक्त **आर्थिक मूल्य समाहित** है, जिससे **बेहतर समष्टि आर्थिक पूर्वानुमान और क्षेत्रीय नवाचार** संभव हो सकेगा।

- **कर संबंधी आँकड़ों** से भारत के राजकोषीय व्यवहार और कॉर्पोरेट कर गतिशीलता में महत्त्वपूर्ण रुझान पहले ही उजागर हो चुके हैं।
- उदाहरण के लिये, **वस्तु एवं सेवा कर (GST)** डेटा एनालिसिस से पता चला है कि महामारी के बाद क्षेत्रीय सुधार हुआ है, जिससे लक्षित प्रोत्साहन को मदद मिली है; वित्त मंत्रालय ने विनिर्माण और ई-कॉमर्स वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 2024 में 15% GST राजस्व वृद्धि की सूचना दी है।

भारत कानूनों और नीतियों के माध्यम से किस प्रकार प्रतिक्रिया दे रहा है?

DPDP अधिनियम, 2023: भारत ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा को विनियमित करने और उपयोगकर्त्ता अधिकारों की रक्षा के लिये **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023** अधिनियमित किया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- यह **डेटा प्रिंसिपल्स** (नागरिकों) और **डेटा फिड्युशरीज़ (प्रोसेसरों)** की भूमिकाओं को परिभाषित करता है तथा उनके अधिकारों एवं कर्त्तव्यों को रेखांकित करता है।

- **सरकार की भूमिका:** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कार्यान्वयन नियमों का प्रारूप तैयार करने तथा उन्हें अधिसूचित करने के लिये जिम्मेदार है।
  - इसने सार्वजनिक परामर्श और प्रतिक्रिया के लिये डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 का मसौदा जारी किया।
- **डेटा संरक्षण बोर्ड के कार्य: भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड** (DPBI) डेटा उल्लंघनों की जाँच करता है, विवादों का समाधान करता है और दंड का प्रावधान करता है।
  - **DPBI के निर्णयों के विरुद्ध अपील** दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण में की जाती है।
- **सहमति कार्यढाँचा और डेटा अधिकार:** आपातकालीन स्थितियों और राज्य सेवा वितरण के लिये छूट के साथ, वैध प्रसंस्करण के लिये सहमति आवश्यक है।
  - डेटा प्रिंसिपल्स को अपने **डेटा तक एक्सेस प्राप्त करने,** उसमें सुधार करने या **उसे मिटाने का अधिकार** है तथा **अक्षमता या मृत्यु की स्थिति में प्रतिनिधि नियुक्त करने का भी अधिकार** है।
- **डेटा न्यासियों के कर्त्तव्य: न्यासियों को डेटा की सटीकता,** सुरक्षा उपाय और उपयोग के बाद डेटा को मिटाना सुनिश्चित करना चाहिये, जब तक कि कानूनी रूप से इसे बनाए रखना आवश्यक न हो।
  - उन्हें **उल्लंघनों की सूचना तुरंत DPBI और प्रभावित व्यक्तियों दोनों को देनी होगी।**
- **सहमति प्रबंधक और शिकायत निवारण:** कानून में **सहमति प्रबंधकों,** पंजीकृत संस्थाओं को शामिल किया गया है जो उपयोगकर्त्ताओं को सहमति का प्रबंधन करने, वापस लेने या संशोधित करने में मदद करते हैं।
- **बच्चों के डेटा के लिये प्रावधान:** 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के डेटा को संसाधित करने से पहले न्यासी को **माता-पिता की सत्यापन योग्य सहमति** प्राप्त करनी होगी।
- **प्रमुख डाटा न्यासियों का विनियमन:** वे संस्थाएँ जो बड़े या संवेदनशील डाटा सेट्स का प्रसंस्करण करती हैं, **सरकार द्वारा 'प्रमुख डाटा न्यासी'** घोषित की जा सकती हैं।
  - ऐसी संस्थाओं को डाटा संरक्षण प्रभाव मूल्यांकन (Data Protection Impact Assessment) करना आवश्यक होगा, **डाटा संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति** करनी होगी तथा स्वतंत्र ऑडिट्स से गुजरना होगा।
- **छूट का दायरा और सरकारी शक्तियाँ:** अधिनियम राष्ट्रीय हित, न्यायिक उद्देश्यों और उपयोगकर्त्ता अधिकारों के आवेदन के बिना अनुसंधान के लिये राज्य एजेंसियों को छूट देता है।
  - ऐसी शक्तियाँ विवेकाधीन हैं और उनमें **न्यायिक निगरानी का अभाव** है, जिससे **नियामकीय अतिक्रमण की चिंताएँ** बढ़ रही हैं।
- **सीमापार स्थानांतरण और स्थानीयकरण:** यह अधिनियम **अधिसूचित देशों पर प्रतिबंधों के साथ** भारत के बाहर **डेटा फ्लो की अनुमति** देता है।
  - अन्य वैश्विक व्यवस्थाओं के विपरीत, यह डेटा लोकलाइज़ेशन **को अनिवार्य नहीं बनाता** है या डेटा स्टोरेज प्रोटोकॉल निर्दिष्ट नहीं करता है।

डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **गोपनीयता और पारदर्शिता में सामंजस्य स्थापित करना:** अनुच्छेद 21 के तहत **निजता के मूल अधिकार** और अनुच्छेद 19 के तहत **सूचना के अधिकार के बीच संतुलन** स्थापित करना कठिन है।
  - **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम** की **धारा 44(3)** व्यापक सार्वजनिक हित में भी **सूचना तक पहुँच को प्रतिबंधित** करती है।
- **राज्य निगरानी संबंधी चिंताएँ:** अधिनियम राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और सार्वजनिक व्यवस्था के लिये सरकार को छूट देता है, जिससे **अनियंत्रित निगरानी संभव** हो जाती है।
  - अस्पष्ट छूट प्रावधानों में प्रक्रियागत सुरक्षा का अभाव है तथा इससे संवैधानिक **गोपनीयता सुरक्षा का उल्लंघन होने का खतरा** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **RTI को कमज़ोर करना:** यह संशोधन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की **धारा 8(1)(j) को रद्द कर देता है,** जिससे इसकी पारदर्शिता संबंधी अनिवार्यता कमज़ोर हो जाती है।
  - यह उस प्रावधान को हटा देता है जो संसद या राज्य विधानमंडलों को अस्वीकार न किये जा सकने वाले **डेटा तक सार्वजनिक पहुँच की गारंटी** देता है।
- **कमज़ोर नियामक स्वतंत्रता: भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का** है, जबकि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) **जैसे नियामकों का कार्यकाल 5 वर्ष का** है।
  - सरकार-प्रधान नियुक्ति समितियाँ **संस्थागत स्वतंत्रता को सीमित** करती हैं, जिससे **अनुकरणीय प्रवर्तन और जनविश्वास दोनों ही प्रभावित** होते हैं।
- **अस्पष्ट नियुक्तियाँ और प्रक्रियाएँ:** चयन समितियों में विविधता का अभाव नियामक संस्थाओं में नियुक्तियों में पक्षपातपूर्ण पूर्वाग्रह के जोखिम को बढ़ाता है।
  - वर्तमान कार्यढाँचे में नियुक्तियों के औचित्य के प्रकाशन सहित **पारदर्शी प्रक्रियाएँ अनुपस्थित** हैं।
- **नियम कार्यान्वयन में विलंब:** अधिनियम- 2023 को लागू करने के लिये वर्ष 2025 के नियमों को अधिसूचित करने में 16 महीने का विलंब हुआ।
  - इससे प्रवर्तन अवरुद्ध हो गया, शिकायतें अनसुलझी रह गईं तथा नागरिकों के डेटा अधिकारों की महत्त्वपूर्ण सुरक्षा में विलंब हुआ।
- **सहमति-आधारित मॉडल की सीमाएँ:** यह अधिनियम डेटा प्रसंस्करण के लिये **नोटिस और सहमति पर निर्भर** करता है, यह मानते हुए कि उपयोगकर्त्ता जोखिमों को समझते हैं तथा सूचित विकल्प का प्रयोग करते हैं।
  - उपयोगकर्त्ताओं और निगमों के बीच व्यापक डिजिटल निरक्षरता एवं **सूचना विषमता को देखते हुए यह अव्यवहारिक** है।
- **डिजिटल मैनीपुलेशन रिस्क:** कंपनियाँ प्राय: **डार्क पैटर्न** और मैनीपुलेटिंग इंटरफेस का उपयोग करती हैं, जिससे **वास्तविक सहमति तंत्र अमान्य** हो जाता है।
  - ये प्रथाएँ उपयोगकर्त्ता के व्यवहार का शोषण करती हैं तथा **व्यक्तिगत डेटा प्रशासन में एजेंसी और विकल्प को कम करती हैं।**
- **बच्चों के डेटा की भेद्यता:** बच्चों के डेटा के लिये माता-पिता की पहचान का अनिवार्य सत्यापन अव्यावहारिक और अपवर्जनकारी है।
  - यह गैर-दस्तावेज़ी परिवारों की वास्तविकताओं की उपेक्षा करता है तथा भारत में डिजिटल डिवाइड को बढ़ाता है।
- **बाल-सुरक्षा प्रावधानों का क्षरण:** विधेयक के **पूर्व प्रारूपों में बच्चों की व्यवहार निगरानी और प्रोफाइलिंग पर रोक संबंधी प्रावधान** शामिल थे, जिन्हें हटा दिया गया है।
  - **वर्तमान नियमों में विज्ञापन लक्षित करने (ad targeting) के लिये छूट** दी गई है, जिससे **बिना समुचित औचित्य के बच्चों के डेटा की सुरक्षा कमज़ोर** पड़ जाती है।
- **महत्त्वपूर्ण डेटा फिड्युसरी के लिये अपरिभाषित मानदंड:** कानून के तहत **महत्त्वपूर्ण डेटा फिड्युसरी** के रूप में **कौन अर्हता प्राप्त करता है, इसके लिये कोई स्पष्ट मानक नहीं** है।
  - यह अस्पष्टता उच्च जोखिम वाले डेटा प्रोसेसरों के लिये असंगत प्रवर्तन और सीमित जवाबदेही का कारण बनती है।
- **नवोन्मेषी हानियों की उपेक्षा:** भारत का डेटा संरक्षण अधिनियम **ऐसी हानियों को मान्यता नहीं** देता जो व्यक्ति की सहमति के बिना होती हैं, जैसे कि **'एल्गोरिदमिक भेदभाव', 'पहचान की चोरी' या 'वित्तीय धोखाधड़ी'।**
  - इसके विपरीत यूरोपीय संघ का सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन **ऐसी स्थितियों के लिये एक समग्र हानि-निवारण कार्यढाँचा** प्रदान करता है, जो **भारत के कानून में अनुपस्थित** है।
- **सीमा-पार डेटा विनियमन में खामियाँ:** डेटा को विदेशों में स्थानांतरित किया जा सकता है तथा सरकार स्पष्ट मानदंडों के बिना **केवल प्रतिबंधित क्षेत्राधिकार निर्दिष्ट** कर सकती है।
  - यह कमज़ोर विनियमन नागरिकों की गोपनीयता के उल्लंघन को उजागर करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय डेटा संप्रभुता को कमज़ोर करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **RTI वेब पोर्टल गोपनीयता का उल्लंघन करते हैं:** पंजाब, ओडिशा और अन्य राज्यों में राज्य द्वारा संचालित RTI पोर्टल आधार **या डिवाइस लोकेशन की मांग** करते हैं, जो गोपनीयता नियमों का उल्लंघन है।
  - इस तरह के अनिवार्य खुलासे, डेटा संग्रहण की आनुपातिकता और आवश्यकता पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लंघन करते हैं।

एक सुदृढ़ डेटा गवर्नेंस कार्यढाँचे के लिये आगे की राह क्या होनी चाहिये?

- **डेटा स्थानांतरण के लिये वैश्विक मानकों का अंगीकरण:** भारत को सुरक्षित डेटा फ्लो के लिये **यूरोपीय संघ-संयुक्त राज्य अमेरिका डेटा गोपनीयता फ्रेमवर्क** जैसी सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना चाहिये।
  - इससे **वैश्विक अंतर-संचालनीयता** बढ़ेगी, विश्वास को बढ़ावा मिलेगा और सीमा-पार डिजिटल व्यापार संभव होगा।
- **संस्थागत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना:** भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड को लंबी अवधि और विविध नियुक्तियों के माध्यम से **स्वायत्तता एवं जवाबदेही के लिये पुनर्गठित** किया जाना चाहिये।
  - **न्यायपालिका, विधायिका और नागरिक समाज** को शामिल करने से निष्पक्षता सुनिश्चित होती है तथा हितधारकों का विश्वास बढ़ता है।
- **AI-गोपनीयता टास्क फोर्स का गठन:** एक गतिशील **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गोपनीयता टास्क फोर्स (संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर (NCSL) की भांति)** उभरते जोखिमों की पहचान कर सकती है तथा नियामक उपायों का सह-विकास कर सकती है।
  - इससे यह सुनिश्चित होगा कि भारत तेजी से विकसित हो रहे डेटा व्यवस्था परिदृश्य में अनुकूलनीय और प्रौद्योगिकी-तटस्थ बना रहेगा।
- **सरकारी छूट को परिभाषित करना:** 'सार्वजनिक व्यवस्था' और 'संप्रभुता' जैसे शब्दों को कानूनी रूप से परिभाषित किया जाना चाहिये तथा दुरुपयोग से बचने के लिये न्यायिक रूप से समीक्षा योग्य होना चाहिये।
  - गोपनीयता और राष्ट्रीय हित के बीच संतुलन बनाए रखने के लिये छूट प्रदान करने की पारदर्शी प्रक्रिया आवश्यक है।
- **बच्चों के डेटा के लिये सुरक्षा में संशोधन:** सरकार को बिना किसी छूट के बच्चों के डेटा की **व्यवहारिक निगरानी, प्रोफाइलिंग और लक्ष्यीकरण पर प्रतिबंध** लगाना चाहिये।
  - **बच्चों के ऑनलाइन गोपनीयता संरक्षण अधिनियम (COPPA)** की तरह, संयुक्त राज्य अमेरिका का कानून भी सत्यापित अभिभावकीय सहमति के बिना व्यवहार संबंधी ट्रैकिंग या लक्षित विज्ञापनों के लिये 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के व्यक्तिगत डेटा को एकत्र करने या उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाता है।
- **महत्त्वपूर्ण डेटा फिड्युसरी मानदंडों को स्पष्ट करना:** जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण डेटा फिड्युसरी के लिये विस्तृत मानदंड और दायित्व प्रदान करना।
  - स्वचालित निर्णय लेने वाली प्रणालियों में ऑडिट ट्रेल्स और पारदर्शिता सहित AI-संबंधी उचित परिश्रम को निर्दिष्ट करें।
- **RTI पोर्टल पर गोपनीयता उल्लंघन में सुधार करना:** **सूचना के अधिकार** वेब पोर्टल से आधार या डिवाइस स्थान संबंधी आवश्यकताओं को समाप्त किया जाना चाहिये।
  - **नागरिक तक पहुँच हेतु डिजिटल इंटरफेस पर डेटा न्यूनीकरण और गोपनीयता** को नियंत्रित किया जाना चाहिये।
- **समय पर नियमों की अधिसूचना और प्रवर्तन:** नियमों में विलंबता से जनता का विश्वास और कानूनी प्रवर्तनीयता कमज़ोर होती है।
  - अधिसूचना और कार्यान्वयन के लिये एक निश्चित समयसीमा को नियामक संरचना में शामिल किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

मज़बूत डेटा गवर्नेंस निजता की सुरक्षा, पारदर्शिता को बढ़ाने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिये अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा, **"आज कहा जाता है कि डेटा नया तेल है। मैं इसमें यह भी जोड़ूंगा कि डेटा नया सोना**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

है।" भारत को संस्थागत स्वतंत्रता को मज़बूत करना, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना तथा कानूनों के समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिये। संतुलित नीतियाँ नागरिकों को सशक्त बनाएंगी, विश्वास को बढ़ावा देंगी और भारत को बदलती डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं AI-आधारित भविष्य में एक अग्रणी स्थान दिलाएंगी।

■■■

भारत की साइबर सुरक्षा

यह एडिटोरियल 28/05/2025 को द लाइवमिंट में प्रकाशित "Arm employees against sophisticated cyberattacks" पर आधारित है। यह लेख स्कैटर्ड स्पाइडर समूह द्वारा मार्क्स एंड स्पेंसर पर हाल ही में किये गए साइबर हमले पर प्रकाश डालता है, जो मानवीय कमज़ोरियों को उजागर करता है। यह भारत के तेजी से बढ़ते डिजिटल परिदृश्य में मज़बूत साइबर सुरक्षा उपायों और कर्मचारी जागरूकता की त्वरित आवश्यकता को रेखांकित करता है।

मार्क्स एंड स्पेंसर (M&S) पर हाल ही में हुआ साइबर हमला भारत में साइबर अपराध के बढ़ते खतरे को रेखांकित करता है, जहाँ डिजिटल बुनियादी ढाँचा तेज़ी से फैल रहा है। हैकर समूह **स्कैटर्ड स्पाइडर द्वारा** ज़िम्मेदार इस उल्लंघन ने **सोशल इंजीनियरिंग रणनीति** के माध्यम से मानवीय कमज़ोरियों का लाभ उठाया, जिससे वित्तीय और प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुँचा। यह घटना यह दर्शाती है कि साइबर सुरक्षा के मज़बूत उपायों की तत्काल आवश्यकता है, जिसमें **कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना और उन्नत खतरा पहचान प्रणाली** शामिल है। जैसे-जैसे साइबर हमले और अधिक जटिल होते जा रहे हैं, भारत की ऐसी खतरों से निपटने की तैयारी उसकी बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

भारत के सामने प्रमुख उभरते साइबर सुरक्षा खतरे क्या हैं?

- **AI-संचालित फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग हमलों की परिष्कृत तकनीक:** फिशिंग हमले एआई-जनरेटेड सामग्री और वास्तविक समय सोशल इंजीनियरिंग का **उपयोग करके** विकसित हुए हैं, जो पारंपरिक फिल्टर को दरकिनार करते हैं और कर्मचारियों को प्रभावी ढंग से धोखा देते हैं।
  - ये हमले मानवीय कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, जैसा कि हाल ही में **मार्क्स एंड स्पेंसर में हुए उल्लंघन** में देखा गया, जिसका श्रेय **स्कैटर्ड स्पाइडर** द्वारा सोशल इंजीनियरिंग को दिया जाता है।
  - हालिया आँकड़ों से पता चलता है कि **वर्ष 2024 की शुरुआत में भारत के BFSI क्षेत्र में फिशिंग हमलों में 175% की वृद्धि हुई** है, जिसमें 54% हमले बहानेबाजी की रणनीति से जुड़े थे।
    - **वर्ष 2024 में दैनिक साइबर अपराध की शिकायतों में 113.7% की वृद्धि** होगी, जो इस बढ़ते खतरे को रेखांकित करती है।
- **क्लाउड और API कमज़ोरियों का दोहन:** तेज़ी से क्लाउड को अपनाने से गलत तरीके से कॉन्फ़िगर किये गए **वातावरण और कमज़ोर API सुरक्षा** के माध्यम से नए हमले के खतरा उत्पन्न हो गए हैं।
  - हमलावर **सार्वजनिक रूप से सुलभ क्लाउड बकेट और खराब** तरीके से सुरक्षित एडमिन कंसोल का फायदा उठाते हैं, जिससे संवेदनशील डेटा तक अनधिकृत पहुँच संभव हो जाती है तथा सेवाएँ बाधित होती हैं। यह भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में विकसित हो रहे डिजिटल बुनियादी ढाँचे को सुरक्षित करने में एक महत्त्वपूर्ण कमी को दर्शाता है।
  - उदाहरण के लिये, **CERT-In ने वर्ष 2024 में क्लाउड मिसकॉन्फिगरेशन और API को लक्षित** करने वाले शोषणों में **180% की वृद्धि** की सूचना दी, जो इन वैक्टरों पर बढ़ते प्रतिकूल फोकस को उजागर करता है।
- **महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकी प्रणालियों को लक्ष्य करके आपूर्ति शृंखला हमलों में वृद्धि: साइबर अपराधी** प्राथमिक सुरक्षा को दरकिनार करने के लिये **विश्वसनीय विक्रेताओं और तृतीय-पक्ष प्रदाताओं** में तेजी से घुसपैठ कर रहे हैं, जिससे संपूर्ण आपूर्ति शृंखला को खतरा उत्पन्न हो रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- यह **अप्रत्यक्ष हमला पद्धति महत्त्वपूर्ण वित्तीय और सरकारी नेटवर्क की अखंडता** को खतरे में डालती है, जिससे बचाव के लिये उन्नत अंतर-क्षेत्रीय समन्वय की आवश्यकता होती है।
- **DDoS हमलों** से आपूर्ति शृंखला में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है, जैसा कि **कुछ वर्ष पहले देखा** गया था, जब **सूडानी हैकरों** ने हवाई अड्डों और अस्पतालों की वेबसाइटों को बंद कर दिया था, जिससे लंबे समय तक उनके संचालन पर गंभीर असर पड़ा था।
- डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 **आपूर्ति शृंखला जोखिमों को एक बड़ी** चुनौती के रूप में रेखांकित करती है, जिसमें दुर्भावनापूर्ण कोड लाइब्रेरी और समझौता किये गए विक्रेता सॉफ्टवेयर सामान्य प्रवेश बिंदु हैं।

- **AI-संचालित डीपफेक और चैटबॉट फिशिंग: प्रतिरूपण** और चैटबॉट-आधारित फिशिंग अभियानों के लिये **AI-जनरेटेड डीपफेक ऑडियो और वीडियो** का उद्भव धोखाधड़ी को काफी हद तक बढ़ा देता है।
  - ये तकनीकें बड़े पैमाने पर क्रेडेंशियल थेफ्स और सामाजिक हेरफेर को सक्षम बनाती हैं, जिससे डिजिटल संचार में भरोसा कम होता है। खतरे का परिदृश्य अब AI-जागरूक पहचान एवं प्रतिक्रिया तंत्र की मांग करता है।
  - **WormGPT और FraudGPT जैसे दुर्भावनापूर्ण LLMs (लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स)** के ज़रिये होने वाले हमलों की घटनाएं सामने आई हैं, जो वित्तीय और प्रशासनिक क्षेत्रों में बहुआयामी जोखिम उत्पन्न कर रहे हैं।
- **मोबाइल मैलवेयर और मुद्रीकरण योजनाओं का प्रसार:** मोबाइल प्लेटफॉर्म, **विशेष रूप से Android, पर मैलवेयर, एडवेयर और संभावित अवांछित प्रोग्राम (PUPs)** के संक्रमण की दर बहुत अधिक है, जिसे व्यावसायिक उद्देश्यों द्वारा संचालित किया जा रहा है।
  - **भारत की साइबर सुरक्षा स्थिति में मोबाइल सुरक्षा एक कमज़ोर कड़ी** बनी हुई है। सेक्राइट (Seqrite) के टेलीमेट्री डेटा के अनुसार, मोबाइल खतरों में से **42% मैलवेयर, 32% PUPs और 26% एडवेयर** हैं, जो मोबाइल सुरक्षा को तत्काल मज़बूत करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
  - हाल ही में राजस्थान में एक घटना सामने आई, जिसमें **व्हाट्सएप** के माध्यम से भेजी गई एक साधारण तस्वीर डाउनलोड करने पर फोन हैक हो गया और खाते से पैसे चोरी हो गए। यह **स्टेगनोग्राफी हमलों** का एक उदाहरण है।
- **महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में IoT कमज़ोरियाँ:** भारत में तेजी से अपनाए जा रहे IoT (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) उपकरण पुराने और असुरक्षित तकनीक के कारण जटिल सुरक्षा चुनौतियाँ पेश कर रहे हैं।
  - ज्ञात IoT कमज़ोरियों का दोहन **उच्च प्रभाव वाले उल्लंघनों** का कारण बन सकता है, विशेष रूप से BFSI एवं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में, जहाँ डिवाइस सुरक्षा को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है।
  - उदाहरण के लिये **99% IoT हमले ज्ञात खामियों का फायदा उठाते हैं, जिनमें से 34% के कारण बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा संस्थाओं को 5-10 मिलियन डॉलर का नुकसान** होता है, जिससे गंभीर वित्तीय और परिचालन जोखिम सामने आते हैं।
- **डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी में वृद्धि: ऑनलाइन निवेश घोटाले, अवैध ऋण देने वाले ऐप, टेलीग्राम कार्य धोखाधड़ी और ट्रेडिंग घोटाले सहित वित्तीय धोखाधड़ी**, विनियामक और तकनीकी अंतराल का फायदा उठाते हुए बढ़ रही हैं।
  - ये धोखाधड़ी उपभोक्ताओं की संपत्ति को नष्ट करती हैं और डिजिटल वित्त में विश्वास को कमजोर करती हैं, जिससे नियामकों, फिनटेक कंपनियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होती है।
  - वर्ष 2024 में ही साइबर अपराधियों ने **डिजिटल धोखाधड़ी** के ज़रिए **₹1,750 करोड़ से अधिक** की हानि पहुँचाई है तथा नेशनल साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर 7.4 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं, जो खतरे की गंभीरता को दर्शाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले और सामाजिक हेरफेर का बढ़ता खतरा:** साइबर अपराधी अब कानून प्रवर्तन एजेंसियों का रूप धारण कर "डिजिटल अरेस्ट स्कैम", ब्लैकमेल और फिरौती वसूलने जैसी धोखाधड़ी कर रहे हैं, जो आम जनता के सरकारी संस्थाओं पर विश्वास का फायदा उठाते हैं।
  - इन घोटालों के कारण, विशेष रूप से कमज़ोर समूहों को भारी वित्तीय नुकसान और मनोवैज्ञानिक संकट का सामना करना पड़ा है।
    - **उदाहरण के लिये हरियाणा के नूंह गाँव** में इस तरह की धोखाधड़ी (ओटीपी घोटाले सहित) की कई रिपोर्टें सामने आई हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में इन घोटालों के व्यापक प्रभाव को उजागर करती हैं।
  - **भारत सरकार ने 2024 में डिजिटल अरेस्ट स्कैम से जुड़े 83,000** से अधिक **व्हाट्सएप अकाउंट्स** को ब्लॉक किया और ₹120 करोड़ का नुकसान दर्ज की गई, जो इस समस्या के व्यापक प्रभाव को दर्शाता है।

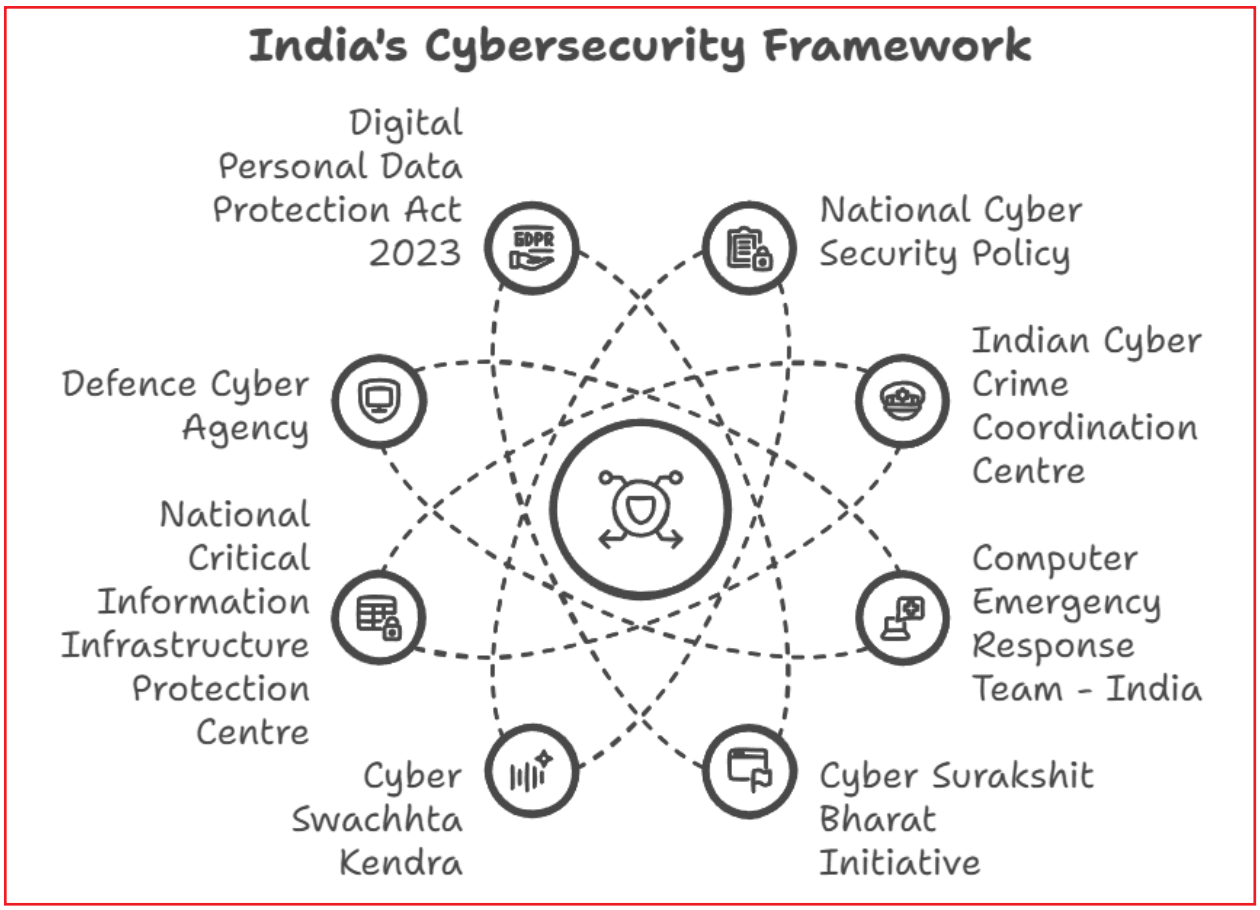

भारत का वर्तमान सुरक्षा ढाँचा बढ़ते खतरों के लिये अपर्याप्त क्यों है?

- **एजेंसियों और अधिकार क्षेत्रों के बीच विखंडित समन्वय:** भारत का साइबर सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र **केंद्रीय और राज्य एजेंसियों** के बीच विखंडित समन्वय से ग्रस्त है, जिसके कारण प्रतिक्रिया में देरी और प्रवर्तन में अंतराल होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **ओवरलैपिंग जनादेश और एकीकृत प्रोटोकॉल** की कमी तेजी से खतरे की रोकथाम और खुफिया जानकारी साझा करने को कमज़ोर करती है। प्रभावी साइबर सुरक्षा के लिये निर्बाध अंतर-एजेंसी सहयोग की आवश्यकता होती है, जो अभी भी प्रगति पर है।
- I4C (इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर) और **संयुक्त साइबर अपराध समन्वय दल (JCCT)** की स्थापना के बावजूद, **वर्ष 2023 में साइबर अपराध की शिकायतें 1.5 मिलियन** से अधिक हो गईं, जिससे समय पर शमन में प्रणालीगत समन्वय चुनौतियों का पता चलता है।

- **अपर्याप्त कुशल साइबर कार्यबल और प्रशिक्षण:** साइबर खतरों का तेजी से विकास **कुशल साइबर सुरक्षा पेशेवरों** की उपलब्धता को पीछे छोड़ देता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिभा की गंभीर कमी बनी हुई है।
  - **साइट्रेन** जैसी प्रशिक्षण पहलों से मदद तो मिली है, लेकिन वे सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में **विशेषज्ञों की विशाल मांग को पूरा करने के लिये अपर्याप्त हैं।**
  - यह अंतर प्रभावी खतरे का पता लगाने, घटना की प्रतिक्रिया और सक्रिय रक्षा रणनीतियों में बाधा डालता है।
  - **MOOC प्लेटफॉर्म्स** के माध्यम से लगभग 76,000 पुलिस अधिकारियों को साइबर अपराध का प्रशिक्षण मिला है, फिर भी एक बड़ा हिस्सा अभी भी विशेष प्रशिक्षण से वंचित है।
- **उन्नत खतरा पहचान प्रौद्योगिकियों को अपर्याप्त रूप से अपनाना:** भारत का सुरक्षा बुनियादी ढाँचा **मुख्यत: सिग्नेचर-आधारित पहचान** पर निर्भर है, जो **ज़ीरो-डे एक्सप्लॉइट्स और AI-आधारित हमलों** जैसे जटिल खतरों के विरुद्ध पर्याप्त नहीं है।
  - व्यवहार-आधारित, AI-संचालित खतरा खुफिया जानकारी को धीमी गति से अपनाने से गंभीर कमजोरियाँ उजागर हो जाती हैं।
  - आधुनिक साइबर सुरक्षा के लिये अनुकूल प्रतिद्वंद्वियों से आगे रहने के लिये अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी एकीकरण की आवश्यकता है।
  - हाल ही में सेक्राइट के आँकड़ों से पता चलता है **कि 85% निर्भरता हस्ताक्षर-आधारित पहचान** पर है, जबकि **केवल 14.5%** खतरों की पहचान व्यवहार-आधारित तरीकों से की जाती है, जो प्रौद्योगिकी अंतराल को दर्शाता है।
- **क्लाउड और API सुरक्षा प्रशासन पर सीमित ध्यान:** भारत में तेजी से हो रही **क्लाउड अपनाने की प्रक्रिया** के बावजूद, **API और क्लाउड कॉन्फिगरेशन** की सुरक्षा के लिये मज़बूत गवर्नेंस फ्रेमवर्क की कमी बनी हुई है, जिससे व्यापक जोखिम उत्पन्न हो रहा है।
  - कई भारतीय उद्यमों के पास क्लाउड वातावरण में सतत् निगरानी और पैच प्रबंधन के लिये व्यापक नीतियों का अभाव है।
  - **CERT-In ने वर्ष 2024 में क्लाउड और API एक्सप्लॉइट में 180% की वृद्धि** दर्ज की, जो क्लाउड सुरक्षा स्थिति में स्पष्ट कमियों को दर्शाता है।
- **उभरते डिजिटल क्षेत्रों में अपर्याप्त विनियमन और प्रवर्तन:** फिनटेक, IoT और डिजिटल भुगतानों में तीव्र वृद्धि नियामक ढाँचों से आगे निकल गई है, जिससे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र नए साइबर खतरों के प्रति संवेदनशील हो गए हैं।
  - मौजूदा कानून अक्सर प्रतिक्रियाशील होते हैं और AI-संचालित धोखाधड़ी या IoT कमज़ोरियों जैसे नए हमलों को पूरी तरह से संबोधित नहीं कर पाते।
  - **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023** AI टूल्स को उस स्थिति में छूट देता है जब वे अनुसंधान, संग्रह या सांख्यिकी उद्देश्यों के लिये व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करते हैं—जब तक कि व्यक्तियों पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता और निर्धारित मानकों का पालन किया जाता है। यह प्रावधान संभावित दुरुपयोग का रास्ता खोल सकता है।
- **सक्रिय साइबर आक्रामक रणनीति का अभाव:** भारत वर्तमान में **रक्षात्मक साइबर सुरक्षा पर ज़ोर** देता है, लेकिन एक अच्छी तरह से व्यक्त आक्रामक साइबर क्षमता की अनुपस्थिति साइबरस्पेस में विरोधियों को चुनौती देने में असमर्थ बना देती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- सक्रिय प्रतिवाद और खतरे की खोज के माध्यम से साइबर रोकथाम, परिष्कृत हमलों को समय रहते रोकने के लिये महत्त्वपूर्ण है। **"सुपर साइबर फोर्स" अवधारणा** को अभी क्रियान्वित किया जाना है।
- **PRAHAR की रिपोर्ट** के अनुसार, वर्ष 2033 तक साइबर हमलों की संख्या प्रति वर्ष 1 ट्रिलियन तक पहुँच सकती है, जिससे रणनीतिक आक्रामक क्षमताओं के निर्माण की तात्कालिक आवश्यकता उजागर होती है।

- **अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा अवसंरचना में अपर्याप्त निवेश:** भारत में AI-आधारित खतरा पहचान, डेटा अखंडता के लिये ब्लॉकचेन और **नेक्स्ट-जेन फायरवॉल** जैसे अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा तकनीकों में निवेश वैश्विक स्तर की तुलना में पीछे है।
  - **बजटीय बाधाओं और प्राथमिकता संबंधी मुद्दों** के कारण महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे में सुधार के क्रियान्वयन में देरी होती है।

साइबर समुत्थानशीलता को बढ़ाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **एकीकृत थ्रेट फ्यूज़न के साथ संप्रभु साइबर सुरक्षा कमान: एक उच्च-शक्तिशाली, संप्रभु साइबर सुरक्षा कमान केंद्र** की स्थापना की जाए जो CERT-In, I4C, कंप्यूटर सुरक्षा प्रतिक्रिया दल, कानून प्रवर्तन और निजी क्षेत्र की संस्थाओं से खुफिया जानकारी के निर्बाध एकीकरण के लिये एक तंत्रिका केंद्र के रूप में कार्य करता है।
  - इस कमान को शत्रुओं को शीघ्रता से बेअसर करने के लिये **वास्तविक समय में खतरे के संयोजन, समन्वित सामरिक प्रतिक्रियाओं** और रणनीतिक साइबर निवारण नीतियों का लाभ उठाना चाहिये।
  - इस प्रकार की **केंद्रीकृत संरचना क्षेत्राधिकार संबंधी सीमाओं से परे जाकर**, तीव्र निर्णय लेने की क्षमता के साथ एक सुदृढ़ राष्ट्रीय साइबर रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना चाहिये।
- **अनिवार्य क्षेत्र-विशिष्ट साइबर स्वच्छता: कठोर, उद्योग-अनुकूलित साइबर सुरक्षा अनुपालन अधिदेश** विकसित कर सकते है, जिसमें निरंतर जोखिम आकलन, प्रवेश परीक्षण और घटना रिपोर्टिंग तंत्र शामिल हों।
  - ये ढाँचे वैश्विक मानकों जैसे NIST के अनुरूप हों, लेकिन भारत के अनूठे खतरे परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाएँ, विशेष रूप से **BFSI, स्वास्थ्य सेवा और महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे** के क्षेत्रों के लिये।
  - अनुपालन स्तरों का **सार्वजनिक प्रकटीकरण पारदर्शिता**, हितधारक जवाबदेही को बढ़ावा दे सकता है तथा देश भर में आधारभूत साइबर स्वच्छता को बढ़ा सकता है।
- **राष्ट्रीय साइबर प्रतिभा संवर्धन पारिस्थितिकी तंत्र:** शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग और सरकार के संसाधनों को मिलाकर एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर कार्यबल विकास पहल को डिज़ाइन और लागू करना चाहिये।
  - साइबर सुरक्षा शिक्षा केवल **तकनीकी ज्ञान नहीं, बल्कि आलोचनात्मक सोच और समस्या-समाधान कौशल** के समग्र विकास को भी प्रोत्साहित करती है।
  - डिजिटल युग में, जहाँ बच्चों का जीवन स्क्रीन से जुड़ा हुआ है और साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, **स्कूली पाठ्यक्रम में साइबर सुरक्षा** को शामिल करना अत्यंत आवश्यक है।
    - अंततः, साइबर सुरक्षा शिक्षा बच्चों की मानसिक लचीलापन बढ़ाने और उनके सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास को मज़बूत करने में सहायक है।
- **AI-सक्षम सक्रिय साइबर खतरे की खोज में निवेश करना:** ऐसे अत्याधुनिक AI सिस्टम विकसित करना, जो विविध प्रकार के **थ्रेट डेटा को प्रोसेस कर पूर्वानुमानात्मक** खतरे की जानकारी उत्पन्न करें और अपने-आप नियंत्रण प्रोटोकॉल शुरू कर सकें।
  - गंभीर विसंगति पहचान (advanced anomaly detection) के लिये **डीप लर्निंग मॉडल** (जैसे RBI का Mulehunter.AI) का उपयोग करके, इन प्रणालियों को MTTD (खतरे की पहचान में लगने वाला समय) और MTTR (प्रतिक्रिया में लगने वाला समय) को घटाना चाहिये, जिससे **APTs और ज़ीरो-डे एक्सप्लॉइट्स** को बड़े स्तर पर रोका जा सके।
- **अखिल भारतीय साइबर साक्षरता अभियान चलाना:** सांस्कृतिक रूप से **संवेदनशील साइबर स्वच्छता अभियानों को क्षेत्रीय भाषाओं, लोककथाओं और डिजिटल**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME
IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रभावशाली व्यक्तियों की मदद से संचालित करना चाहिये, ताकि साइबर जागरूकता को ज़मीनी स्तर तक गहराई से पहुँचाया जा सके।

- ज़मीनी स्तर से आजीवन साइबर-लचीले व्यवहार को विकसित करने के लिये **गेमीफिकेशन, मोबाइल लर्निंग और स्कूल पाठ्यक्रम** एकीकरण को शामिल करना।
- **RBI द्वारा पंचायतों के साथ सहयोग और साइबर धोखाधड़ी के बारे में फोन कॉल** पर अमिताभ बच्चन की स्वचालित चेतावनी जैसी पहलें समुदायों की रक्षा के लिये प्रभावशाली कदम हैं।

- **स्वदेशी साइबर सुरक्षा नवाचार को बढ़ावा देना: क्वांटम-सुरक्षित एन्क्रिप्शन, एआई-आधारित थ्रेट इंटेलिजेंस, सुरक्षित पहचान प्रबंधन के लिये ब्लॉकचेन और हार्डवेयर-आधारित सुरक्षा मॉड्यूल** जैसी अत्याधुनिक साइबर तकनीकों में अनुसंधान एवं विकास के लिये समर्पित नवाचार केंद्र और एक्सीलेरेटर स्थापित करना।
  - भारत को वैश्विक साइबर सुरक्षा नवाचार में अग्रणी बनाने के लिये सीमा पार अनुसंधान साझेदारी और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना तथा विदेशी प्रौद्योगिकी आयात पर निर्भरता को कम करना।
- **मल्टी-डोमेन साइबर संकट अनुकरण को संस्थागत बनाएँ:** नियमित रूप से बड़े पैमाने पर यथार्थवादी साइबर संकट सिमुलेशन का आयोजन करना, जिसमें **साइबर, भौतिक अवसंरचना, वित्तीय प्रणालियाँ और आपूर्ति शृंखलाएँ** शामिल हों।
  - इन अभ्यासों में **सभी हितधारकों- सरकारी एजेंसियों, महत्त्वपूर्ण अवसंरचना संचालकों, फिनटेक फर्मों, दूरसंचार प्रदाताओं और नागरिक समाज**- को शामिल किया जाना चाहिये ताकि प्रणालीगत कमजोरियों की पहचान की जा सके, संकट संचार का परीक्षण किया जा सके तथा उच्च दबाव वाले परिदृश्यों के तहत समन्वित घटना प्रतिक्रिया रणनीतियों को परिष्कृत किया जा सके।

निष्कर्ष:

मार्क्स एंड स्पेंसर साइबर हमला इस बात पर प्रकाश डालता है कि **भारत को बढ़ते जटिल खतरों के बीच अपनी साइबर सुरक्षा स्थिति** को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता है। आगामी **डिजिटल इंडिया अधिनियम** साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन के आधार पर विनियमन, प्रवर्तन और साइबर समुत्थानशीलता को व्यापक रूप से बढ़ाने के उद्देश्य से एक आशावादी मार्ग प्रदान करता है।

■■■

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

अभ्यास प्रश्न

1. "प्रगतिशील कानून के बावजूद, भारत में दिव्यांगजनों को अधिकारों और अवसरों तक पहुँचने में प्रणालीगत बाधाओं का सामना करना पड़ता है"। चर्चा कीजिये।
2. उभरती वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों और हाल ही में हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन महामारी संधि की पृष्ठभूमि में, वैश्विक स्वास्थ्य शासन को आयाम देने में भारत की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।
3. "भारत के वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिये पारदर्शी और रणनीतिक वायु गुणवत्ता निगरानी महत्त्वपूर्ण है।" भारत के वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यढाँचे में चुनौतियों पर चर्चा कीजिये और प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण के लिये इसे सुदृढ़ करने के उपाय सुझाइये।
4. "एक मज़बूत संस्थागत कार्यढाँचे के बावजूद, भारत की न्याय प्रणाली समय पर और न्यायसंगत न्याय से अस्वीकार करती रही है।" परीक्षण कीजिये।
5. भारत में गिग वर्कर के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये तथा वर्तमान श्रम कार्यढाँचे के भीतर उनके कल्याण और संरक्षण को सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइये।
6. "पश्चिम एशिया के साथ भारत का जुड़ाव परिधीय भागीदारी से विकसित होकर सामरिक साझेदारी में बदल गया है, जो आर्थिक, ऊर्जा और भू-राजनीतिक विचारों पर आधारित है। परीक्षण कीजिये।
7. भारत का रक्षा आयातक से उभरते हुए रक्षा विनिर्माता की दिशा में परिवर्तन, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति में एक रणनीतिक पुनःसंतुलन को दर्शाता है। हालिया नीतिगत पहलों तथा चुनौतियों के संदर्भ में इस परिवर्तन का विवेचन कीजिये।
8. भारत के सामरिक और आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने में मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) की भूमिका का आकलन कीजिये। भारत के FTA से जुड़े प्रमुख लाभों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये, तथा देश की वृद्धि और विकास पर उनके प्रभाव को अनुकूलतम बनाने के उपाय सुझाएँ।
9. अत्यधिक जल खपत और पर्यावरणीय प्रभाव के बावजूद, धान भारत की फसल प्रणालियों में प्रमुख स्थान बनाए हुए है। इस प्रवृत्ति के कारणों की विवेचना करते हुए खाद्य एवं पारिस्थितिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये सतत् विकल्प सुझाइये।
10. भारत में तकनीकी उन्नति और मानव विकास के बीच संबंधों का परीक्षण कीजिये, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में AI की भूमिका पर प्रकाश डालिये।
11. वर्तमान वैश्विक व्यापार के मूलभूत चुनौतीपूर्ण मुद्दे कौन-से हैं, भारत की बहुपक्षीय व क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को लेकर अपनाई गई रणनीति किस प्रकार अधिक न्यायसंगत और संतुलित व्यापार शासन के लिये सुधारों को प्रभावित कर सकती है?
12. भारत के कौशल विकास कार्यक्रमों को उभरती डिजिटल और हरित अर्थव्यवस्था की मांगों के साथ सुसंगत बनाने के समक्ष आने वाली चुनौतियों और संभावित समाधानों पर चर्चा कीजिये।
13. "पारिस्थितिकी तंत्र, स्थायी अर्थव्यवस्था है।" भारत में पारिस्थितिक संरक्षण तथा आर्थिक विकास के बीच अंतर्संबंध का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।
14. भारत-अफ्रीका संबंधों के विकास का परीक्षण कीजिये तथा भारत की विदेश नीति में उनके रणनीतिक महत्त्व का विश्लेषण कीजिये।
15. भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में इथेनॉल सम्मिश्रण पेट्रोल (EBP) की भूमिका का विश्लेषण तथा भारत में इथेनॉल मिश्रण को बढ़ाने में प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

16. भारत-GCC संबंधों के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। इन संबंधों में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं और इस साझेदारी को किस प्रकार मज़बूत किया जा सकता है?
16. चर्चा कीजिये कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता भारत के आर्थिक विकास और शासन परिवर्तन के लिये उत्प्रेरक के रूप में कैसे कार्य कर सकती है।
17. भारत के सहकारी और प्रतिस्पर्द्धी संघीय ढाँचे की बुनियाद के रूप में राजकोषीय संघवाद किस प्रकार संरचनात्मक, संस्थागत और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करता है, समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।
18. भारत-बाँग्लादेश द्विपक्षीय संबंध क्षेत्रीय स्थिरता, संपर्क और आर्थिक विकास के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। टिप्पणी कीजिये।
19. कुशल लॉजिस्टिक्स भारत की वैश्विक विनिर्माण और निर्यात महाशक्ति बनने की रणनीति का केंद्र है। टिप्पणी कीजिये।
20. "पूर्वोत्तर भारत की परिधि नहीं है - यह एक धुरी है।" भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के संदर्भ में चर्चा करें कि कैसे पूर्वोत्तर को व्यापार, पर्यटन और प्रतिभा के लिये एक रणनीतिक केंद्र में बदला जा सकता है।
21. भारत की शहरी विकास रणनीति एक खंडित दृष्टिकोण को दर्शाती है जो ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के बीच द्वंद्व से चिह्नित है। इस संदर्भ में, भारत के शहरी परिवर्तन के प्रमुख चालकों और चुनौतियों का परीक्षण कीजिये।
22. "वैश्विक शासन की बदलती रूपरेखा, बहुपक्षवाद में विश्वास में कमी और मुद्रा-आधारित लघु-गठबंधन के उदय के कारण, भारत के कूटनीतिक रुख में रणनीतिक पुनर्संतुलन की आवश्यकता है।" विवेचना कीजिये।
23. "भारत वैश्विक व्यापार गतिशीलता में बदलाव का लाभ उठाने के लिये एक रणनीतिक मोड़ पर खड़ा है, फिर भी संरचनात्मक चुनौतियाँ वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (GVC) में इसके एकीकरण को बाधित कर रही हैं।" विवेचना कीजिये।
24. भारत के डिजिटल युग में डेटा संरक्षण और गोपनीयता के लिये प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं और नीतिगत सुधार पारदर्शिता, सुरक्षा एवं नवाचार के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित कर सकते हैं?
25. "साइबर सुरक्षा खतरे तेजी से जटिल होते जा रहे हैं और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहे हैं। भारत की साइबर लचीलापन को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करें और सुझाव दें।"

■■■

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC प्रिलिम्स सीरीज़ 2025 SCAN ME

IAS प्रिलिम्स सीसैट कोर्स 2025 SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME